

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
वर्ष 2007-08 की संख्या सी ए 13

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1910


CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

RECEIVED
MAY 10 1910
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
विशिष्टताएं		iii
अध्याय	विषय	
1.	संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन	1-17
2.	लेखे पर टिप्पणियां	18-36
3.	संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना	37-64
4.	संसाधनों का उपयोग: व्यय	65-96
5.	घाटा: राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन	97-113
6.	राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन	114-132
7.	विनियोग लेखे 2007-08: प्रस्तावना	133-136
8.	विनियोग लेखे 2007-08: एक विश्लेषण	137-151
9.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	152-179
10.	सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: सारांश	180-187
	परिशिष्ट सूची	189-190
	परिशिष्ट	191-284
	शब्दावली	285-289




प्राक्कथन

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं (रेलवे को छोड़कर) की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं। मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों, रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।



संघ सरकार की वित्त व्यवस्था और लेखे: 2007-08

यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार व्यक्त करता है तथा वर्ष 2007-08 हेतु संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का विश्लेषण भी करता है। इसमें विनियोग लेखे, 2007-08 का विश्लेषण भी समाविष्ट है।

विशिष्टताएं

संघ सरकार लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

- बारहवें वित्त आयोग द्वारा अपने नवम्बर 2004 के प्रतिवेदन में अनुशंसित तथा सरकार द्वारा सिद्धान्तः स्वीकृत आर्थिक सहायता के प्रकटीकरण, प्रतिबद्ध देयताएँ, ऋण तथा अन्य देयताओं के पुनर्भुगतान की सूची, वित्तीय परिसम्पतियों में सहवर्धन या अपरदन, वेतन, पेंशन, अनुरक्षण पर व्यय इत्यादि आठ अतिरिक्त विवरणियों को वित्त लेखे में अन्तर्विष्ट नहीं किया गया है।

(पैरा 2.1)

- संघ सरकार ने राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को, राज्य सरकार लेखों के माध्यम से निधियां मिलाए बिना केन्द्रीय आयोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रत्यक्ष रूप से 51259.85 करोड़ रु. (संशोधित अनुमानों के अनुसार) की केन्द्रीय योजनागत सहायता के अन्तरण हेतु प्रावधान किया था। इन लेखाओं में अव्ययित शेष की राशि को सरकारी लेखे से बाहर सम्पोषित करना संदिग्धपूर्ण है। सरकारी व्यय जैसा कि लेखे में दर्शाया गया था, उस सीमा तक अधिक बताया गया था।

(पैरा 2.2)

- लेखे के 28 मुख्य शीर्षों (सरकार के क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत 20273.52 करोड़ रु. को सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक बनाते हुए इन लेखों में अपारदर्शिता की उच्च अवस्था को दर्शाते हुए संघ सरकार में 'अन्य व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(पैरा 2.3)

- सार्वभौम सेवा आभार निधि के अन्तः शेष में 14033 करोड़ रु. तक की न्यूनोक्ति है। 2002-03 से 2007-08 के दौरान 20404.44 करोड़ रु. की कुल सार्वभौम सेवा का उदग्रहण किया गया था परन्तु इस अवधि के दौरान, इस निधि में से केवल 6371.44 करोड़ रु. का संवितरण किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2008 को निधि का अंतः शेष भारत के लोक लेखा में शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित

निधियां, 118-सार्वभौम सेवा आभार निधि के अन्तर्गत दर्शाए गए 'शून्य' शेष के प्रति 14033 करोड़ रू. होना चाहिए।

(पैरा 2.4)

- यद्यपि 2006-07 में 6500 करोड़ रू. तथा 2007-08 में 6000 करोड़ रू. की राशि को भारत की समेकित निधि से भारत के लोक लेखे में सामाजिक तथा आधारभूत संरचना विकास निधि को अंतरित की गई थी और इसे पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया था, फिर भी 2007-08 में इस निधि में से 1586.75 करोड़ रू. की राशि को व्यय की उन मदों, जो कि राजस्व प्रकृति के थे, पर खर्च किया गया था, अतः सरकार के पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया।

(पैरा 2.5)

- 1325.49 करोड़ रू. को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा सांविधिक प्रावधानों तथा वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में, सरकार के लेखा से बाहर प्रतिधारण किया गया है।

(पैरा 2.6)

- रक्षा मंत्रालय द्वारा 2007-08 में 2745 करोड़ रू. दो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रतिबद्ध देयताएं जो अगले वर्ष 2008-09 में उत्पन्न होगी, को पूरा करने के लिए संवितरित किया गया है।

(पैरा 2.7)

- सरकारी लेखे में उच्चतम शीर्ष को प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए प्रचालित किया जाता है जिसे उनकी प्रकृति या अन्य कारणों जैसे सूचना के अभाव के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूर संचार को सम्मिलित करते हुए संघीय वित्त लेखे में उच्चतम शीर्ष के अंतर्गत कुल निवल शेष 31 मार्च 2008 तक 6524.85 करोड़ रू. (डेबिट) था। डेबिट/क्रेडिट शेषों को निवल करने से वित्त लेखे में उच्चतम शीर्षों की महत्वपूर्ण न्यूनोक्ति हुई है तथा इस प्रकार इन शीर्षों के अंतर्गत बकायों की वास्तविक मात्रा संसद को प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं किया जाता है।

(पैरा 2.9.1)

- किसी भी धन को सिवाय संविधान की धारा 114(3) के प्रावधानों के अनुसार पारित निधि द्वारा बनाए गए विनियोग के अंतर्गत भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 2007-08 के दौरान सिविल मंत्रालयों में चार

अनुदानों/विनियोगों के चार खण्डों में 100.14 करोड़ रु तथा रक्षा में एक अनुदान के एक खण्ड में 71.19 करोड़ रु का अधिक संवितरण था जिसे संविधान की धारा 115(1)(ख) के तहत नियमित करना अपेक्षित है।

(पैरा 8.1)

- अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान या तो दोषमुक्त बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करता है। 2007-08 के दौरान, 47 अनुदानों (सिविल, डाक एवं रक्षा सहित) के 60 मामलों में 100 करोड़ रु से अधिक अव्ययित प्रावधान हुए थे। इन मामलों में कुल अव्ययित प्रावधान 109958.73 करोड़ रु था। मुख्य अव्ययित प्रावधान, ऋण (70108.62 रु) के पुर्नभुगतान से संबंधित अनुदान/विनियोग में था। अन्य महत्वपूर्ण अव्ययित प्रावधान रक्षा सेवाओंपर पूंजीगत परिव्यय हेतु अनुदान/विनियोग (4417.70 करोड़ रु), वित्तीय संस्थानों को भुगतान (4934.50 करोड़ रु), राज्यों एवं सं.शा.क्षे. सरकारों (6229.79 करोड़ रु), उच्चतर शिक्षा विभाग (2952.13 करोड़ रु), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (2668.29 करोड़ रु), पुलिस (2073.74 करोड़ रु), पंचायती राज्य मंत्रालय (1082.04 करोड़ रु), दूरसंचार विभाग (1033.79 करोड़ रु), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (1982.64 करोड़ रु) तथा नाभिकीय ऊर्जा योजना (1950.47 करोड़ रु) को अन्तरित करने में थे।

(पैरा 8.4)

(ख) संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2007-08

- वर्ष 2007-08, पिछले वर्ष में 19244 करोड़ रु के घाटे के प्रति भारत की समेकित निधि में 99030 करोड़ रु के अधिशेष के साथ समाप्त हुआ जबकि लोक लेखा में अधिशेष 2006-07 में 48639 करोड़ रु से घटकर वर्ष के दौरान 35721 करोड़ रु हो गया।

(पैरा 1.3)

संसाधन

- सकल कर वसूलियों ने Xवीं योजना (2002-07) के प्रारम्भिक प्रथम वर्ष से वृद्धि की दर में त्वरण को प्रदर्शित किया तथा पिछले वर्ष में प्राप्त 473512 करोड़ रु के वृहत आधार से 2007-08 में 25.27 प्रतिशत बढ़ा। प्रवृत्ति प्रकट करती है कि राजकोष को लाभ उच्चतर निगम कर वसूलियों के रूप में सुधरा जबकि सकल कर राजस्व में उत्पाद एवं सीमा शुल्क का अंश 2002-03 से प्रतिवर्ष घट रहा है। सेवाकर का अंश 1994-95 में अपने प्रारम्भ से सतत रूप से बढ़ा। समग्र कर

उत्प्लावकता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है तथा कर-स.घ.उ. अनुपात 2005-06 में पहली बार 10 प्रतिशत को पार करने के पश्चात 2007-08 में 12.58 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचा।

(पैरा 3.13, 3.15, 3.18 एवं 3.20)

- चूंकि 2006-07 के सापेक्ष 2007-08 में गैर-कर प्राप्तियां अपेक्षाकृत अधिक उत्प्लावक थी इसलिए संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में उनका अंश 2006-07 में 13.8 प्रतिशत (13037 करोड़ रू.) से बढ़कर 2007-08 के दौरान 28.92 प्रतिशत (35868 करोड़ रू.) हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तियां, आर्थिक सेवाएं तथा लाभांश एवं लाभ के अंतर्गत क्रमशः 8059 करोड़ रू. (30.35 प्रतिशत), 20532 करोड़ रू. (20.44 प्रतिशत) तथा 5190 करोड़ रू. (17.71 प्रतिशत) से बढ़े हुए संग्रहण के परिणाम स्वरूप चालू वर्ष के दौरान गैर-कर प्राप्तियों में 35868 करोड़ रू. (20.83 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई।

(पैरा 3.22 से 3.24, 3.26 एवं 10.3)

- भारतीय स्टेट बैंक में भा.रि.बैं. की धारिता को भारत सरकार को बिक्री किए जाने के कारण भा.रि.बैं. द्वारा अधिशेष के वार्षिक अन्तरण के कारण पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यतः पिछले वर्ष की तुलना में तीव्र रूप से 2007-08 में 29962 करोड़ रू. बढ़ी जो ऋणों एवं अग्रिमों में कम वसूली द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

(पैरा 3.3)

संवितरण

2007-08 में संघ सरकार का कुल संवितरण, राज्यों को सहायता अनुदान को मिलाकर वास्तविक व्यय (28.36 प्रतिशत); संघीय करों से प्राप्तियों का राज्यों को अनिवार्य अंतरण (4.99 प्रतिशत); ऋण का पुनर्भुगतान (52.68 प्रतिशत) तथा लोक लेखे से संवितरण (13.97 प्रतिशत) जैसे चार मुख्य घटकों को समाविष्ट करता है। दीर्घावधि प्रवृत्तियां इंगित करती हैं कि वास्तविक व्यय का औसत अंश VIIIवीं योजना में 50.84 प्रतिशत से सतत रूप से घट कर चालू वर्ष में 28.36 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण पुनर्भुगतान इस अवधि के दौरान 29.17 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 52.68 प्रतिशत हो गया।

(पैरा 4.5 एवं 4.6)

- राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रभावी घटक बना रहा तथा इसका अंश 2006-07 में सतत रूप से 90.47 प्रतिशत के शीर्ष स्तर तक बढ़ा। यद्यपि चालू वर्ष के दौरान, इसका अंश मुख्य रूप से वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में 97.22 प्रतिशत की तीव्र

वृद्धि की तुलना में पिछले वर्ष से इसके 11.64 प्रतिशत के सापेक्ष मन्द विकास दर के कारण 85.10 प्रतिशत तक घटा।

(पैरा 4.9 से 4.11)

- 2007-08 के दौरान पूंजीगत व्यय (57644 करोड़ रु) मुख्य रूप से भा.स्टे.बैं. में भा.रि.बैं. की धारिता (35531 करोड़ रु) का अधिग्रहण लागत तथा भा.स्टे.बैं. के इक्विटी शेयर (9996 करोड़ रु) के राइट इश्यु में अंशदान के कारण योजनेतर पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण अब तक के 97.22 प्रतिशत की उच्चतम दर से बढ़ा। ऐसी तीव्र वृद्धि के बावजूद, पूंजीगत व्यय 2007-08 हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा प्रक्षेपित स्तर से कम था।

(पैरा 4.11)

- ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण ने राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य योजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु उधार लेने में केन्द्रीय सरकार की गैर-मध्यस्थता के संबंध में बा.वि.आ. की अनुशंसाओं के प्रतिग्रहण के कारण 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तीव्र गिरावट प्रदर्शित की। तथापि, संघ सरकार द्वारा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में 1758 करोड़ रु (17.55 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य मुख्य रूप से राज्यों को ऋणों एवं अग्रिमों में 1741 करोड़ रु (35.58 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण दर्शाई। राज्यों को संवितरित कर्जों एवं पेशगियों की राशि अभी भी 2005-06 के स्तर से नीचे रही।

(पैरा 4.12)

- सामाजिक सेवाओं पर व्यय IXवीं योजना में 7.96 प्रतिशत तथा Xवीं योजना में 21.89 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर की तुलना में 36.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2006-07 में 46494 करोड़ रु से 2007-08 में 63246 करोड़ रु तक बढ़ा। आर्थिक सेवाओं के संबंध में, 2007-08 में वृद्धि दर 24.45 प्रतिशत थी जो IXवीं योजना में केवल 6.36 प्रतिशत तथा Xवीं योजना में 14.46 प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक थी। इन सेवाओं पर बढ़े व्यय मुख्यतः ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे ग्रामीण सड़कें, आवास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे क्षेत्रों में थे।

(पैरा 4.36 से 4.39)

- तथापि कुल व्यय में विकास व्यय तथा योजनागत व्यय के अंश ने अधिक समय तक सापेक्षिक स्थिरता प्रदर्शित की। सरकारी व्यय में प्रवृत्तियों के अतिरिक्त विश्लेषण ने प्रकट किया कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से काफी अधिक है तथा राजस्व व्यय पूर्ण रूप से पूंजीगत व्यय पर छा गया है।

(पैरा 4.17, 4.18, 4.20 से 4.24, 10.4 एवं 10.5)

राजकोषीय असन्तुलों का प्रबंधन

- स.घ.उ. के सापेक्ष आंके गए तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे, विशिष्ट अवधि के दौरान संघ सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलों की सीमा प्रदर्शित करते हैं। इन पैरामीटरों के संबंध में संघ सरकार के राजकोषीय निष्पादन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में सुधार प्रदर्शित किए क्योंकि राजस्व एवं राजकोषीय घाटे 2006-07 में 132847 करोड़ रू. तथा 182934 करोड़ रू. से 2007-08 में क्रमशः 85435 करोड़ रू. तथा 164962 करोड़ रू. तक कम हुए हैं।

(पैरा 5.1, 5.3, 5.4 एवं 5.7)

- यद्यपि 2007-08 में स.घ.उ. के 1.81 तथा 3.50 प्रतिशत पर राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तर इनके बजट अनुमानों से क्रमशः 0.31 तथा 0.20 प्रतिशतता अंक से अधिक थे परंतु 2007-08 के दौरान राजकोषीय सुधार रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुबद्ध राजकोषीय तथा राजस्व घाटे हेतु क्रमशः 0.3 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत (स.घ.उ. के सापेक्ष) की न्यूनतम कटौती से उच्च थे। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखे ने 2006-07 में 28654 करोड़ रू. के बड़े घाटे में 15025 करोड़ रू. (तथापि जो स.घ.उ. का केवल 0.32 प्रतिशत था) के मुख्य अधिशेष को प्रदर्शित किया जो गैर-ऋण प्राप्तियों से नीचे गैर-ब्याज व्यय के नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

(पैरा 5.4, 5.8, 5.14, 5.19 एवं 5.20)

- वित्त लेखे से प्रदर्शित/व्युत्पन्न राजस्व तथा राजकोषीय घाटे है ने बजट एक दृष्टि में तथा बजट दस्तावेजों के साथ संलग्न कुछ कागजातों में दर्शाए गए से भिन्नता दर्शाना जारी रखा जो मुख्यतः संघ सरकार द्वारा बंधपत्रों/प्रतिभूतियों के निर्गम को बजटी संबंधी व्यय/प्राप्तियों के भाग के रूप नहीं लेने के तथ्य के कारण था। परिणामस्वरूप, न केवल संघ सरकार के बजट में घाटे कम बताए गए हैं बल्कि यह राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता तथा सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में अंतरउत्पत्ति अंश के मामले भी उठाता है। उदाहरणार्थ, केवल पेट्रोलियम बंधपत्रों के कारण सरकार की बकाया देयताएं लगातार बढ़ी तथा 31 मार्च 2008 को 71288 करोड़ पर थी तथा इसप्रकार संघ बजट में उन्हें उपयुक्त रूप से दर्शाए बिना भावी पीढ़ी को अर्थपूर्ण रूप से देयताएं हस्तांतरित हुई।

(पैरा 1.6 से 1.9, 5.22, 6.19 एवं 10.7)

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

- सकल राजकोषीय देयताएं निरन्तर रूप से बढ़ी तथा 2007-08 में 2476357 करोड़ रू. के उच्चतम स्तर पर पहुँची। आंतरिक ऋण न केवल सकल देयताओं का

पूर्णप्रभावी घटक था, जो 2007-08 में उनके लगभग 72.66 प्रतिशत हेतु अभिकलित था अपितु 48 प्रतिशत की इसकी वृद्धि दर सहित सबसे तीव्र बढ़ने वाला घटक भी था। चालू वर्ष के दौरान लोक लेखा देयताएं 6.33 प्रतिशत की दर से बढ़ी। ये दो घटक, जो अपने उद्गम के संबंध में घरेलू देयताएं हैं, 2007-08 में सकल देयताओं का 91.52 प्रतिशत संस्थापित करते हैं।


(पैरा 6.3 एवं 6.4)

- यद्यपि स.घ.उ. के सापेक्ष सकल राजकोषीय देयताओं ने गिरती हुई प्रकृति को प्रदर्शित किया तथा 2007-08 में 52.54 प्रतिशत के स्तर पर पहुंची किन्तु चालू वर्ष के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष संवृद्धि कुल देयताएं 6.18 प्रतिशत पर थी जो रा.उ.बा.प्र. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमावली के अनुसार 2007-08 हेतु प्रक्षेपित 6 प्रतिशत की सीमा से सीमान्तक रूप से ऊपर हैं।

(पैरा 6.5 एवं 6.6)

- ग्याहरवें तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए मापदण्ड के साथ-साथ डोमर ऋण स्थिरीकरण समीकरण के संदर्भ में ऋण स्थिरता एवं धारणीयता हेतु सूचक अनुकूल प्रवृत्तियों तथा स.घ.उ. के सापेक्ष ऋण की गिरती हुई प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। 2007-08 में 52.54 प्रतिशत का यह अनुपात 2009-10 हेतु बा.वि.आ. द्वारा अपने संघ वित्त व्यवस्था की पुनर्संरचना योजना में अनुशंसित 44 प्रतिशत के मानदण्ड से अभी भी कहीं अधिक है।

(पैरा 6.12 से 6.19)



अध्याय 1

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन

चालू वर्ष के लिए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था के विहंगावलोकन ने प्रकट किया कि पिछले वर्ष में 19244 करोड़ रु के घाटे के प्रति, वर्ष 2007-08, भारत की समेकित निधि में 99030 करोड़ रु के अधिशेष के साथ समाप्त हुआ। तथापि, लोक लेखा में अधिशेष, 2006-07 के 48639 करोड़ रु से घटकर वर्ष के दौरान 35721 करोड़ रु हो गया। संघ की वित्तीय व्यवस्था में ये राजकोषीय विकास मुख्य रूप से संघ सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों (23.61 प्रतिशत); विविध पूंजीगत प्राप्तियों (7165.17 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण थे जिनका परिणाम कुल व्यय में (18.70 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति, गैर-ऋण प्राप्तियों (28.28 प्रतिशत) में वृद्धि से हुआ। राजस्व व्यय, कुल व्यय के प्रमुख अवयव (85.10 प्रतिशत) का हिस्सेदार बना रहा जबकि पूंजीगत व्यय ने महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित किया। 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान अपेक्षाकृत 5 प्रतिशत के न्यून औसत विकास दर को दर्ज करने के पश्चात, 2007-08 में यह सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश के रूप में पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण 97.22 प्रतिशत के अब तक के उच्चतम दर से बढ़ा। राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे स.घ.उ. के सापेक्ष, 1.81 एवं 3.50 प्रतिशत की दर से क्रमशः उनके बजट अनुमानों से क्रमशः 0.31 एवं 0.20 प्रतिशतता अंक से अधिक थे लेकिन 2007-08 के दौरान राजकोषीय सुधार, रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुबद्ध, राजकोषीय एवं राजस्व घाटे हेतु क्रमशः 0.3 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत (स.घ.उ. के सापेक्ष में) के न्यूनतम ह्रास से अधिक था। इसके अतिरिक्त, गैर-ऋण प्राप्तियों के अधीन गैर-ब्याज व्यय के परिरोधन को प्रदर्शित करते हुए, वित्त लेखे ने 2006-07 में 28654 करोड़ रु के भारी घाटे से 15025 करोड़ रु (यद्यपि यह स.घ.उ. का केवल 0.32 प्रतिशत था) के प्राथमिक अधिशेष को प्रदर्शित किया। संसाधन उपलब्धता तथा परिसंपत्ति गठन में लगातार ऋणात्मक फैलाव का परिणाम 2003-04 से संघ सरकार के उत्तरदायित्वों के सापेक्ष इसकी परिसम्पत्ति आधार में प्रगामी गिरावट में हुआ तथा चालू वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत स्थिरता को प्रदर्शित किया।

1.1 संसद को प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि संचित निधि और लोक लेखे में प्राप्तियों तथा भुगतान के विवरणों को दर्शाता है जबकि विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय एवं परिणामी आधिक्य/बचतों को दर्शाता है।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियां और लोक लेखे

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों के निर्गम द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।	संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

लोक लेखा

समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।

1.2 यह अध्याय वर्ष 2007-08 के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा VIIIवीं से Xवीं योजना अवधियों तथा XI वीं योजना के प्रथम वर्ष को सम्मिलित करके 1992-2008 की अवधि के दौरान मुख्य राजकोषीय संचयन में नाजुक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। तालिका 1.1 प्राप्तियों, संवितरणों, घाटों तथा उधारों (आवश्यकता और इसके समायोजन) को समाविष्ट करते हुए चालू वर्ष (2007-08) में संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालनों का सार

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)				
राजस्व प्राप्ति	649426	राजस्व घाटा 85435	राजस्व व्यय	734861
विविध पूंजीगत प्राप्ति	38796		पूंजीगत व्यय	116937
ऋणों की वसूली	10391		ऋण तथा अग्रिम	11777
कुल गैर-ऋण प्राप्ति	698613	राजकोषीय घाटा 164962	कुल व्यय	863575
लोक ऋण	1868102		लोक ऋण	1604110
कुल भा.स.नि.	2566715	भा.स.नि. में आधिक्य 99030	कुल भा.स.नि.	2467685
आकस्मिकता निधि				
प्राप्तियां	0		विनियोग	0
लोक लेखा				
लघु बचत	294333		लघु बचत	262064
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	75771		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	65377
जमा	37622		जमा	52525
अग्रिम	32094		अग्रिम	33219
उचन्त लेखे	18514		उचन्त लेखे	10585
प्रेषण	2647		प्रेषण	1490
कुल लोक लेखे	460981	लोक लेखे में अधिशेष 35721	कुल लोक लेखे	425260
अथ नकद	94882	रोकड़ में बढ़ोतरी 134751	अंतिम नकद	229633

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां	व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण
लोक लेखा अधिशेष (मांग)	35721	भा.स.नि. में घाटा +रोकड़ में बढ़ोतरी
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)	291752	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष
वार्षिक देयताएं (मांग)	291752	राजकोषीय घाटा + रोकड़ में बढ़ोतरी + (अग्रिम+उचन्त+प्रेषण) का निवल संवितरण

1.3 वर्ष 2007-08 पिछले वर्ष में 19244 करोड़ रु के घाटे के प्रति भारत की समेकित निधि में 99030 करोड़ रु. के आधिक्य के साथ समाप्त हुआ। तथापि, लोक लेखे ने अधिशेष 2006-07 में 48639 करोड़ रु. से घटकर चालू वर्ष में 35721 करोड़ रु हुआ। संघ वित्तीय व्यवस्था में हुए राजकोषीय विकास मुख्यतः (क) पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों में 153995 करोड़ रु (28.28 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति कुल व्यय में 136023 करोड़ रु (18.70 प्रतिशत) की वृद्धि; (ख) पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण के संवितरण में 123172 करोड़ रु (8.32 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति लोक ऋण प्राप्तियों में 223474 करोड़ रु (13.59 प्रतिशत) की निवल वृद्धि; तथा (ग) पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में संवितरण में 10708 करोड़ रु की वृद्धि के प्रति जमा के अन्तर्गत प्राप्तियों में 14419 करोड़ रु के हास के कारण थे। भा.स.नि. में 99030 करोड़ रु के साथ-साथ लोक लेखे में 35721 करोड़ रु के आधिक्य के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंत में संघ के रोकड़ शेष में 134751 करोड़ रु की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान 76621 करोड़ रु के राजस्व व्यय (11.64 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति निवल राजस्व प्राप्तियों (21.92 प्रतिशत) में 124033 करोड़ रु की वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में संघ सरकार के राजस्व घाटे में 47412 करोड़ रु का हास हुआ। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 29962 करोड़ रु की वृद्धि के साथ राजस्व घाटे में प्रदक्ष गिरावट, कर्जों एवं अग्रिमों के संवितरण में 1758 करोड़ रु की न्यूनतम वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय में 57644 करोड़ रु की अत्यधिक वृद्धि, चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में 17972 करोड़ रु केवल सन्तुलित हास हुआ। नये दायित्वों ने न केवल इस संसाधन अन्तर को समायोजित किया बल्कि भा.स.नि. में अधिशेष के प्रकट होने का कारण बना और इसके बदले परिणामतः चालू वर्ष के अन्त में 134751 करोड़ रु से रोकड़ शेषों की अभिवृद्धि में हुआ।

बॉक्स 1.2: निधियों का प्रबन्ध: संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(3) में प्रावधान है कि "भा.स.नि. या राज्य की समेकित निधि में से कोई भी राशि, जैसा कि विधि के अनुसार है तथा उस प्रयोजनों के लिए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है के सिवाय, विनियोजित नहीं की जाएगी।" लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुदान की मांगों के लिए मत देने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम के रूप में परिणत हुआ यह प्रावधान अनुच्छेद 112 तथा 114 के साथ पठित है तथा संबंधित विनियोग बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:

भा.स.नि. में से, विभिन्न प्रभागों को चुकाने के प्रति अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होकर लागू राशि, जो अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के लिए होगी, अदा की जाएगी।

इस अधिनियम के द्वारा भा.स.नि. में से भुगतान तथा प्रयुक्त किये जाने वाली के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उल्लिखित वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

1.4 संघीय बजट, आंकड़ों के तीन सैट (क) पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा (ग) आगामी वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। वास्तविक आंकड़ें बजट अनुमानों के कितने निकट हैं उस सीमा जहां तक वर्ष के दौरान राजकोषीय अनुशासन को लागू किया गया था को दर्शाता है। बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में विचलन के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह अपूर्वानुमानित कारणों या कार्यप्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण हो सकता है जिसका परिणाम बजट स्तर पर व्यय अथवा राजस्व का कम अथवा अधिक अनुमान में हो सकता है अथवा कुछ अवसरों पर अनुदार होना विवेकपूर्ण माना जा सकता है। वास्तविक राजस्व की प्राप्ति और इसका संवितरण कुछ आन्तरिक एवं बाह्य कई कारणों पर निर्भर करता है। तालिका 1.2 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए, बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों का एक सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2007-08 - बजट तथा वास्तविक आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

बजट अनुमान	2006-07 वास्तविक आंकड़े	2007-08		बजट से विचलन	विचलन* प्रतिशत
		वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान		
1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियां	2644265	3027696	2732472	295224	10.80
2 राजस्व प्राप्तियां	525393	649426	583647	65779	11.27
कर राजस्व	353182	441347	405672	35675	8.79
गैर-कर राजस्व	172211	208079	177976	30103	16.91
3 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	534	38796	41651	-2855	-6.85
4 कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली	18691	10391	3030	7361	242.94
5 लोक ऋण की प्राप्ति	1644628	1868102	1750984	117118	6.69
6 लोक लेखा प्राप्तियां	455019	460981	353159	107822	30.53
7 संघ सरकार के कुल संवितरण	2614870	2892945	2722471	170474	6.26
8 राजस्व व्यय	658240	734861	655625	79236	12.09
9 पूंजीगत व्यय	59293	116937	115162	1775	1.54
10 कर्जें तथा अग्रिम का संवितरण	10019	11777	9028	2749	30.45
11 लोक ऋण की वापसी	1480938	1604110	1611646	-7536	-0.47

(करोड़ रुपयों में)

बजट अनुमान	2006-07 वास्तविक आंकड़े	2007-08		बजट से विचलन	विचलन* प्रतिशत
		वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान		
12 लोक लेखा संवितरण	406380	425260	331010	94250	28.47
13 राजस्व घाटा	132847	85435	71978	13457	18.70
14 राजकोषीय घाटा	182934	164962	150948	14014	9.28

* विचलन (वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान)/बजट अनुमान x100 के रूप में अनुमानित हैं।

1.5 राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय, बजट अनुमानों से क्रमशः 11.27 प्रतिशत तथा 12.09 प्रतिशत अधिक था जिसके परिणामस्वरूप 2007-08 के लिए विचार किए गए बजटीकृत स्तर से राजस्व घाटे में 18.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के समग्र संसाधन अंतराल का द्योतक है, भी बजटीकृत आंकड़ों से 9.28 प्रतिशत अधिक था। बजट अनुमानों के प्रति ऋण एवं अग्रिम की वसूली (7361 करोड़ रु) में उनके संवितरण (2749 करोड़ रु) में मामूली वृद्धि सहित इसके अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (1775 करोड़ रु) में पर्याप्त वृद्धि राजकोषीय घाटे को प्रक्षय प्रदान किया तथा वर्ष के दौरान बजट अनुमानों के सापेक्ष में 2007-08 में यह 14014 करोड़ रु बढ़ गया। लोक ऋण के संबंध में यद्यपि प्राप्तियां बजटीकृत आंकड़ों से अधिक थी, संवितरण (पुनर्भुगतान), महत्वपूर्ण रूप से कम हो गये थे, फिर भी देयताओं में वृद्धि के रूप में इनका निवल प्रभाव बजट 124654 करोड़ रु. था। कुल मिलाकर विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों का असर राजस्व प्राप्तियों पर सुस्पष्ट था लेकिन सामाजिक क्षेत्रों पर बढ़ते व्यय तथा राज्यों को स्थानांतरणों की वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में वृद्धि में हुआ। इसके अतिरिक्त, बजट अनुमानों के सापेक्ष अन्य पैरामीटरों में विचलन भी काफी महत्वपूर्ण था।

वित्त लेखे एवं बजट अभिलेखों के बीच असंगति

1.6 प्रभावी संसदीय वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि व्यय एवं प्राप्ति की मान्यता के सिद्धान्त बजट प्रलेखों तथा वित्त एवं विनियोग लेखों में एकरूप हों। तथापि, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे हेतु आंकड़े, जैसा कि वित्त लेखे प्रदर्शित/से प्राप्त किये गये सतत रूप से उन आंकड़ों से भिन्न रहे हैं जिन्हें सरसरी दृष्टि से बजट तथा बजट अभिलेखों में संलग्न कुछ कागजों प्रदर्शित किया जा रहा है। यह अन्तर प्राप्ति तथा व्यय पक्ष में कुछ लेन-देनों के समावेश/अपवर्जन के कारण है। जबकि इन्हें बजट कागजातों के संलग्न दस्तावेजों में प्रदर्शित किया जाता है फिर भी इन मुख्य पृष्ठों को प्रदर्शित करना आवश्यक हो सकता है। तालिका 1.3 राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में अन्तर बताती है जैसा कि वित्त लेखे में प्रदर्शित/से प्राप्त किया गया है तथा 2002-03 से 2006-07 तक पांच वर्षों हेतु आवश्यक मिलान लेन-देनों के साथ-साथ सरसरी दृष्टि से बजट में दर्शाया गया है।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-2008

तालिका 1.3 : एक दृष्टि में वित्त लेखे तथा बजट के अनुसार राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपयों में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वित्त लेखे के अनुसार घाटा					
राजस्व घाटा	109765	100986	78700	109697	132847
राजकोषीय घाटा	134588	80937	103798	164927	182934
एक दृष्टि में बजट के अनुसार घाटा					
राजस्व घाटा	107880	98262	78338	92299	80222
राजकोषीय घाटा	145072	123272	125202	146435	142573
दोनों आंकड़ों में अन्तर					
राजस्व घाटा	1885	2724	362	17398	52625
राजकोषीय घाटा	(-) 10484	(-)42335	(-) 21404	18492	40361
अंतरों को स्पष्ट करने वाले तथ्य					
तेल कम्पनियों (राजस्व व्यय) को जारी बंध पत्र		349		17263	24121
भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को जारी प्रतिभूतियां					16200
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) (राजस्व व्यय) को जारी प्रतिभूतियां	1511	2375	362		
राष्ट्रीयकृत बैंकों (पूजीगत व्यय) को जारी प्रतिभूतियां	384	(-)110	(-) 88	500	
पूजीगत व्यय से छोड़े गए प्रतिपक्षी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) को जारी प्रतिभूतियां	1011	1262	415	595	40
राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी प्रतिभूतियां का शोधन	(-) 13765	(-)46211	(-) 32675		
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(आई.डी.बी.आई.) के प्रबलित परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि (एस.ए.एस.एफ.) हेतु परिसम्पत्ति प्रबन्धन न्यास करने को जारी प्रतिभूतियां			9000		
आर.बी.आई. (राजस्व व्यय) को जारी प्रतिभूतियां	374				
अवसंरचनात्मक विकास वित्तीय कम्पनी (आई.डी.एफ.सी.) लि. को ऋण की क्षतिपूर्ति हेतु आर.बी.आई. को जारी प्रतिभूतियां			350		
राष्ट्रीय हाइड्रो पावर निगम (एन.एच.पी.सी.) एवं टिहरी हाइड्रो विकास निगम (टी.एच.डी.सी.) में इक्विटी हेतु प्राप्य ब्याज का परिवर्तन			640		
न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन में निवेश			592		
राज्य सरकारों को कर्जों की वसूली के प्रति बकाए कर्जों के बट्टे खाते का समायोजन					12304
आई.डी.बी.आई. में विशिष्ट परिसम्पत्तियों की वसूली				134	
संयुक्त प्रभाव	(-) 10485*	(-)42335	(-) 21404	18492	52625

* सारांश को पूर्णान्कित करने के कारण शेष

1.7 तालिका 1.3 में प्रदर्शित प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट है कि संघ सरकार प्रतिभूतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अवसंरचनात्मक विकास वित्तीय कम्पनी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्य घरेलू वित्तीय संस्थानों की पुनर्संरचना योजना की एकीकृत अवयव की तरह जारी कर रही है और उनके द्वारा अतिरिक्त बजटीय दायित्वों को सृजित कर रही है। तथापि, अतिरिक्त-बजटीय मदें हाल ही में दायित्वों के महत्वपूर्ण घटक बने हैं। केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम, खाद्य एवं उर्वरकों पर सुनिश्चित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, तेल विपणन कम्पनियों (1997-98 से), भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) (2006-07 में) तथा उर्वरक कम्पनियों (2007-08 में) को उनके उत्पादों के कम वसूली के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में विशिष्ट बंधपत्र भी आवधिक रूप से जारी कर रही है। 2006-07 के वित्त लेखे ने 40321 करोड़ रू की ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन को दर्शाया जिसका 24121 करोड़ रू तेल विपणन कम्पनियों को तथा 16200 करोड़ रू भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को निर्गम किए गए थे। 'बजट एक दृष्टि में 2008-09' 18757 करोड़ रू की ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए 2007-08 के संशोधित अनुमानों को इंगित करता है जिसका 11257 करोड़ रू तेल विपणन कम्पनियों को तथा 7500 करोड़ रू उर्वरक कम्पनियों को आर्थिक सहायता के स्थान पर जारी किए गए। तथापि 2007-08 के वित्त लेखे ने तेल कम्पनियों को कम वसूली हेतु तथा आकस्मिक दायित्वों के निपटान हेतु क्रमशः 20333 करोड़ रू एवं 221 करोड़ रू की राशि को क्षतिपूर्ति के रूप में विशेष प्रतिभूतियों के वास्तविक निर्गमन को दर्शाया। पेट्रोलियम बंधपत्रों के कारण भारत सरकार की बकाया देयताएं लगातार बढ़ रही हैं तथा 31 मार्च 2008 को 71288 करोड़ रू पर थी। उर्वरक आर्थिक सहायता हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों की राशि 7500 करोड़ रू की थी जैसा कि 2008-09 के बजट एक दृष्टि में इंगित किया गया है।

1.8 संघ सरकार इन बंधपत्रों/प्रतिभूतियों का निर्गमन में राजकोषीय घाटे का निष्क्रिय होना समझती है क्योंकि रोकड़ प्रवाह को समाविष्ट नहीं करते और इसलिए बजटीय व्यय/प्राप्तियों के भाग नहीं माने जाते हैं। वर्तमान लेखाकरण पद्धति के अनुसार तेल बंधपत्रों तथा अन्य समान बंधपत्रों का निर्गमन लोक लेखा के अन्तर्गत संघीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण (वा.वि.वि.) में प्रदर्शित किए जाते हैं और उसमें समान लेन-देन तेल कम्पनियों/उर्वरक कम्पनियों के साथ दावे के निपटान हेतु राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। तब इन लेन-देनों का संबंधित समाधान विवरणियों के माध्यम से व्यय बजट के राजस्व लेखे और प्राप्ति बजट के पूंजीगत लेखे से निवल प्राप्त किया जाता है। तथापि, इन बंध पत्रों का राजकोषीय निहितार्थ है क्योंकि ये सरकार के दायित्व को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि ऐसे बंध पत्रों पर ब्याज भुगतान को राजस्व व्यय के भाग की तरह माना जाता है इसलिए वे राजस्व घाटे और उसके द्वारा, सतत आधार पर राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, वर्ष के दौरान लोक

लेखे की निवल अभिवृद्धि, सरकार को समेकित निधि में घाटे को पूरा करने के संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

1.9 वास्तविक उधारी के माध्यम से पुनरावर्ती राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय-अर्ध लेन-देन न केवल राजकोषीय समेकन प्रक्रिया, जो अधोगामी है, की गुणवत्ता के बारे में आशंका पैदा करता है अपितु राजकोषीय प्रक्रियाओं एवं राजकोषीय प्रबंधन तथा लम्बी अवधि के समष्टि अर्थशास्त्र स्थायित्व में अन्तर-पीढ़ी अंश में पारदर्शिता के मुद्दे को भी बढ़ाता है। तर्कपूर्ण रूप से, 'बजट एक दृष्टि में' में ससंद को प्रस्तुत राजकोषीय घाटे की गणना, लोक लेखा में ऐसे सभी मदों को शामिल करते हुए, निवल प्रभाव निकालने के लिए की जानी चाहिए। तथापि, नि.म.ले.प. द्वारा इंगित किए जाने पर, राजस्व एवं सकल राजकोषीय घाटे तेल, खाद्य एवं उर्वरक बंध पत्रों के कारण सरकार द्वारा उठाये गए दायित्वों की सीमा तक कम बताए गए फिर भी संघीय बजट 2008-09 ने पहली बार बजट विवरणी अर्थात् 'बजट एक दृष्टि में' के सारांश बजट से अलग के मदों के रूप में रेखा से नीचे की मदों को स्पष्ट रूप से सूचित किया है। यह भी माना गया है कि इन दायित्वों को राजकोषीय लेखाकरण में लाये जाने की आवश्यकता थी और संघ सरकार द्वारा तेहरवीं वित्त आयोग से इन बजट से परे दायित्वों के लेखाकरण हेतु उपयुक्त रोड़ मैप का सुझाव देने का आग्रह किया गया है। तथापि, संघ सरकार के राजकोषीय लेखाकरण में ऐसे दायित्वों की पूरी तरह गणना किए जाने तक, संघीय बजट में यथासूचित तथा लेखापरीक्षित वित्त लेखे से यथा प्रकट राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के बीच असंगतता को उपयुक्त रूप से उजागर करने की आवश्यकता है और सभी बजट से परे दायित्वों की गणना करके राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को, इन बजट से परे मदों के प्रचालन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा संघ बजट में सूचित किए जाने चाहिए।

संघ सरकार वित्तीय व्यवस्था 1992-2008 - कुछ मुख्य मापदण्ड

1.10 राजस्व प्राप्ति, व्यय, राजकोषीय असंतुलन तथा राजकोषीय देयताओं को शामिल करते हुए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 से 6 में अन्तर्विष्ट है। मुख्य पैरामीटरों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

शेषों का सार

1.11 वित्त लेखे के विवरण 12 में संसाधनों की उपलब्धता तथा स्रोतों के उपयोग की शर्तों के संबंध में सरकारी वित्तीय व्यवस्था के संचित निष्कर्ष का सार है। वित्त लेखे के विवरण 5 के साथ पठित यह विवरण, सरकार के तुलनपत्र के सदृश है। तालिका 1.4, 1992-93 तथा 2007-08 के दौरान विश्लेषण के आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकारी वित्तीय व्यवस्था का सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.4: सरकारी वित्तीय व्यवस्था के शेषों का सार

(करोड़ रुपयों में)

संसाधनों के उपयोग				संसाधनों की उपलब्धता			
	31 मार्च को		वृ.सं.वा.द.*		31 मार्च को		वृ.सं.वा.द.*
	1993	2008			1993	2008	
पूँजीगत परिव्यय	155291	723025	10.80	आंतरिक ऋण	199100	1799651	15.82
ऋण तथा अग्रिम	135672	219482	3.26	बाह्य ऋण	42269	112031	6.72
कार्यों के अनुसार स्रोत उपयोग				लघु बचत	136802	339815	6.26
सामाजिक सेवाएं	6052	27752	10.69	अन्य उत्तरदायित्व	23752	126787	11.82
कृषि एवं सम्बद्ध	8740	9026	0.21	राजकोषीय देयतायें	401923	2378284	12.59
सिंचाई एवं बिजली	40364	65702	3.30	नकद शेष	-1919	-239641	37.99
उद्योग एवं खनिज	41174	87866	5.19	उचन्त लेखे	-3819	-10910	7.25
परिवहन एवं संचार	38370	149789	9.51	प्रेषण	-3607	-2890	-1.47
अन्य आर्थिक सेवाएं	25549	133443	11.66	अग्रिम	-1307	-4467	8.54
कुल आर्थिक सेवाएं	154197	445826	7.34	आकस्मिकता निधि	50	500	16.60
सामान्य सेवाएं तथा अन्य	39160	322858	15.11	निधियों की उपलब्धता	391321	2120876	11.93
राज्यों को ऋण	91554	146071	3.17	संसाधन अन्तराल	-100358	-1178369	17.86
कुल परिसम्पत्तियां	290963	942507	8.16	संसाधन उपयोग	290963	942507	8.16

(*वृद्धि की संचयी वार्षिक दर)

1.12 जहां संघ सरकार की निधियों की निवल उपलब्धता 11.93 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी थी, पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए सरकारी परिसम्पत्तियां केवल 8.16 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। स्रोत की उपलब्धता तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण की वृद्धि में इस नकारात्मक फ़ैलाव के परिणामस्वरूप संघ सरकार की अपनी देयताओं के सापेक्ष मूल परिसम्पत्तियों में उत्तरोत्तर गिरावट आई। 1993-2008 के दौरान परिसम्पत्तियों के भीतर, पूँजीगत व्यय या सरकार द्वारा पूँजीगत निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि देखी गयी थी। “ऋण तथा अग्रिम” जो अपने पराश्रयी के माध्यम से पूँजीगत निर्माण के सदृश हैं, में 3.26 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में निवेश अथवा परिसम्पत्ति सृजन में 0.21 प्रतिशत के नगण्य/एक प्रतिशत से कम वृद्धि दर दर्ज की जबकि सिंचाई तथा ऊर्जा के साथ-साथ उद्योग तथा खनिज ने इस अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों की तुलना में सापेक्ष रूप से निम्न वृद्धि दर्ज की। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में निवेश में क्रमशः 10.69 प्रतिशत तथा 7.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत यातायात तथा दूरसंचार में निवेश इस अवधि के दौरान इसके अन्य घटकों की तुलना में तीव्र दर से बढ़ा। अन्य घटक, जिसमें औसत वृद्धि से तीव्र वृद्धि हुई, लोक निर्माण कार्य तथा रक्षा को शामिल करते हुए सामान्य सेवाएं तथा अन्य सेवाओं पर व्यय था। निधियों की निवल उपलब्धता तथा संसाधन उपयोग के बीच, अन्तर के रूप में मापा जाने वाला संसाधन अन्तराल में 31 मार्च 1993 को लगभग 25.65 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 55.73 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

बॉक्स 1.3: सूचना पैरामीटर

राजकोषीय संचयन, जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं। 1999-2000 को आधार मानकर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित नई स.घ.उ. शृंखला का उपयोग किया गया है। चालू वर्ष के लिए स.घ.उ. के अनुमान के.सा.सं. द्वारा 30 मई 2008 को जारी उनकी प्रैस विज्ञप्ति के अनुसूच है।

कर राजस्व के लिए उत्प्लावकता अनुमान दिए गए हैं। उत्प्लावकता कर आधार में प्रतिशतता परिवर्तन से कर की प्रतिक्रियाशीलता का संकेत देती है। यहाँ पर उत्प्लावकताओं को उपर्युक्त वर्णित स.घ.उ. शृंखलाओं के संदर्भ में परिकलित किया गया है।

अधिकतर शृंखलाओं के लिए 1992-2008 के दौरान एक प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, VIIIवीं योजना (1992-97), IXवीं योजना (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि भी इंगित की गई है। इन वृद्धि दरों को परिकलित करते समय, अंतर्योजना वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए योजना के पहले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। यह प्रक्रिया योजना के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की 'निम्न आधार प्रवृत्ति' का निराकरण करती है। उच्च वृद्धि दर समयावधि के दौरान प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए Xवीं योजना (2002-07) के पांच वर्षों के साथ-साथ 2007-08, XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि दरें भी दर्शाई गई हैं।

अधिकतर शृंखलाओं के लिए स.घ.उ. के संबंध में अनुपात भी इंगित किए गए हैं। 1992-2008 की अवधि के लिए वृद्धि दरों के मामले की ही भांति तथा VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधियों के लिए पृथक औसत अनुपातों का उपयोग किया गया है। Xवीं योजना (2002-07) के पांच वर्षों तथा XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक अनुपात भी दर्शाए गए हैं।

राजस्व प्राप्तियां

1.13 तालिका 1.5, VIIIवीं योजना (1992-1997), IXवीं योजना (1997-2002), पांच वर्षों को पृथक रूप से दर्शाते हुए Xवीं योजना (2002-07) के दौरान तथा XIवीं योजना (2007-12) के पहले वर्ष के लिए वृद्धि दर तथा साक्षेप भाग को, कर के स.घ.उ., गैर-कर तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (संघ सरकार के करों में राज्यों का निवल हिस्सा) की प्रतिशतता के रूप में इंगित करती है। स.घ.उ. के सापेक्ष में संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों की मुख्य पैरामीटर की प्रवृत्तियां चार्ट-1.1 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.5 : संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य पैरामीटर

अवधि	सकल कर राजस्व		गैर-कर राजस्व		संघ सरकार के कुल राजस्व		स.घ.उ. में वृद्धि
	क	ख	क	ख	क	ख	
1992-2008	13.65	9.89	9.67	5.25	10.86	12.99	12.29
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.89	9.31	14.66	5.92	15.02	14.32	16.72
IXवीं योजना (1997-02)	9.00	8.64	8.00	6.03	4.65	13.12	10.33
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	10.04	4.86	4.80	14.59	12.26	14.00
2002-03	15.61	8.81	6.58	5.69	13.02	12.22	7.71
2003-04	17.61	9.23	7.76	5.46	13.10	12.31	12.23
2004-05	19.90	9.68	-0.01	4.78	11.14	11.97	14.33

(प्रतिशत)


अवधि	सकल कर राजस्व		गैर-कर राजस्व		संघ सरकार के कुल राजस्व		स.घ.उ. में वृद्धि
	क	ख	क	ख	क	ख	
2005-06	20.07	10.23	5.76	4.45	14.35	12.04	13.68
2006-07	29.32	11.42	8.19	4.15	21.92	12.67	15.79
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	25.27	12.58	20.83	4.41	23.61	13.78	13.68

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्ष भाग

1.14 1992-2008 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (कर तथा गैर-कर प्राप्तियों सहित) की वृद्धि की औसत वार्षिक दर स.घ.उ. की वृद्धि से अपेक्षाकृत कम थी। VIIIवीं तथा IXवीं पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित करके 1992 से 2002 तक के एक दशक से अधिक के लिए राजस्व प्राप्तियां और इसके दो घटकों की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही थी। संघ की निवल राजस्व प्राप्ति की औसत वृद्धि दर केवल Xवीं योजना (2002-07) अवधि के दौरान की स.घ.उ. की औसत वृद्धि दर से अधिक हुई थी जो राजस्व उत्प्लावकता के इकाई से अधिक प्रदर्शित करती थी। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि की दर में नियमित वृद्धि हुई जिसका परिणाम आरोही कर-स.घ.उ. अनुपात में हुआ। स.घ.उ. की कर प्राप्तियों का अनुपात, जो IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.64 प्रतिशत की औसत तक कम हो गया था, ने अपनी आरोही प्रवृत्ति जारी रखी तथा आर्थिक सुधार के काल के दौरान 2005-06 में पहली बार 10 प्रतिशत को पार करने के पश्चात चालू वर्ष में 12.58 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा। संघ के कर राजस्व में बढ़ती हुई उत्प्लावकता के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कर ढांचे का युक्तिकरण तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए अन्य कराधान उपाय जिम्मेदार हो सकते थे।

चार्ट 1.1 : 1992-2008 के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के मुख्य मानदंडों में प्रवृत्तियाँ



1.15 औसत गैर कर प्राप्ति VIIIवीं योजना (1992-97) की तुलना में IXवीं योजना (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान निम्न वृद्धि दर को दर्शाती थी। गैर-कर प्राप्तियों की वृद्धि दर आंशिक रूप से दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण और प्रसार भारती की स्थापना के कारण Xवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान न केवल मंद रही बल्कि मुख्यतः उच्च लागत केन्द्रीय सरकार ऋणों के पूर्व भुगतान को सक्षम बनाने के लिए ऋण विनिमय योजना के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान संघ की ब्याज प्राप्तियों में सार्थक कमी के कारण 2004-05 के दौरान यह ऋणात्मक हो गई थी। बारहवें वित्त कमीशन के पंचाट के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय ऋणों के और समेकन तथा पुनः योजित करने के कारण 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ब्याज प्राप्तियों का ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित करना जारी था। रुख बदलते हुए, राज्य योजनागत योजना हेतु कर्जे पर ब्याज प्राप्तियों तथा वर्ष के दौरान बाजार स्थिरीकरण योजना के उद्भूत प्रीमियम के साथ ब्याज प्राप्तियों में 2896 करोड़ रु. (77 प्रतिशत) की मुख्य रूप से वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में ब्याज प्राप्ति 8059 करोड़ रु. (30.35 प्रतिशत) से बढ़ी है। 2005-06 में सामान्यतः 1643 करोड़ रु. के उच्च स्तर पर पहुँचने के पश्चात सामाजिक सेवाओं से प्राप्ति 2006-07 में 467 करोड़ रु. की प्रवृत्ति स्तर तक घटी। चालू वर्ष के दौरान, सामाजिक सेवाओं से प्राप्ति दुबारा 275 करोड़ रु. (59 प्रतिशत) से बढ़ी। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्ति, आर्थिक सेवाएँ तथा लाभांश एवं लाभ के अन्तर्गत क्रमशः 8059 करोड़ रु. (30.35 प्रतिशत), 20532 करोड़ रु. (20.44 प्रतिशत) तथा 5190 करोड़ रु. (17.71 प्रतिशत) बढ़े हुए संग्रहण का परिणाम चालू वर्ष के दौरान गैर-कर प्राप्ति में 35868 करोड़ रु. (20.83 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि में हुआ।

व्यय

1.16 संघ सरकार का कुल व्यय तथा इसके संघटकों में प्रवृत्तियों को तालिका 1.6 में प्रस्तुत किया गया है। चार्ट 1.2 भी, VIIIवीं (1992-97), IXवीं योजना (1997-2002), Xवीं योजना (2002-07) के पांच वर्षों के लिए पृथक रूप में तथा XI वीं योजना (2007-2012) के पहले वर्ष को सम्मिलित करते हुए 1992-2008 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष कुल व्यय तथा इसके संघटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। कुल व्यय की वृद्धि दर VIIIवीं योजना (1992-1997) में 11.77 प्रतिशत की औसत से कम होकर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 6.62 प्रतिशत तथा Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम दो वर्षों (2005-06 एवं 2006-07) में तीव्र वृद्धि से क्रमशः 10.91 तथा 19.42 प्रतिशत हो गई और XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष 2007-08 में संवेग जारी रहा जिसका परिणाम 1992-2008 अवधि के दौरान 10.26 प्रतिशत की दीर्घावधि वृद्धि दर में हुआ। राजस्व व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 14.23 प्रतिशत की सापेक्ष उच्च औसत दर से बढ़ा, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 7.63 प्रतिशत की औसत दर तक कम हुआ परन्तु 2005-06 तथा 2006-07

के दौरान विशेषतया इसके त्वरण के कारण Xवीं योजना (2002-07) के दौरान दोबारा 12.24 प्रतिशत की औसत दर तक बढ़ गया। राजस्व व्यय में त्वरण का वेग 2007-08 में कुछ कम हुआ और वर्ष के दौरान यह केवल 11.64 प्रतिशत से बढ़ा।

तालिका 1.6: संघ सरकार के व्यय के मुख्य पैरामीटर


(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय		पूँजीगत व्यय		ऋण तथा अग्रिम		कुल व्यय	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1992-2008	11.12	16.20	10.44	1.63	-2.74	1.22	10.26	19.05
VIIIवीं योजना (1992-97)	14.23	17.11	-8.44	1.88	11.91	2.26	11.77	21.25
IXवीं योजना (1997-02)	7.63	17.06	9.22	1.36	-3.42	1.83	6.62	20.25
Xवीं योजना (2002-07)	12.24	15.57	19.61	1.46	-29.46	0.81	10.86	17.84
2002-03	9.06	16.69	-2.55	1.24	-6.19	1.48	6.92	19.41
2003-04	7.45	15.98	16.08	1.29	-13.51	1.14	6.40	18.40
2004-05	3.52	14.47	51.56	1.70	28.02	1.27	8.39	17.44
2005-06	18.67	15.10	4.59	1.57	-68.85	0.35	10.91	17.02
2006-07	21.75	15.88	5.66	1.43	-19.80	0.24	19.42	17.55
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	11.64	15.59	97.22	2.48	17.55	0.25	18.70	18.32

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

चार्ट 1.2 : 1992-2008 के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष सरकारी व्यय के मुख्य मानदंडों में प्रवृत्तियाँ



1.17 पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रमाणित थी, लेकिन 1992-2008 की अवधि के दौरान 10.44 प्रतिशत से व्यय के इस घटक की औसत वार्षिक वृद्धि उसके तदनुसूची कुल व्यय से सीमान्तक रूप से उच्च थी। कुल व्यय का यह घटक VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 8.44 प्रतिशत के ऋणात्मक वृद्धि की दर त्वरित होकर IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 9.22 प्रतिशत हो गई और इसके आगे अन्तर वर्ष बदलाव के साथ X वीं योजना (2002-07) के दौरान 19.61 प्रतिशत हो गई। X वीं योजना (2002-07) के दौरान, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान वृद्धि में महत्वपूर्ण त्वरण प्राप्त करने के पश्चात, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान पूंजीगत व्यय सापेक्ष रूप से धीमी गति से बढ़ा। सामान्य वित्तीय एवं व्यापार निगमों में निवेश के रूप में योजनेत्तर पूंजीगत व्यय में 2006-07 में (-) 4009 करोड़ रु. से 2007-08 में 45627 करोड़ रु. तक तथा व्यय रक्षा सेवाओं में 33828 करोड़ रु. से 37462 करोड़ रु. तक की तीव्र वृद्धि के कारण यह 2007-08 के दौरान मुख्य रूप से 97.22 प्रतिशत से अब तक के उच्चतम दर तक बढ़ा। कर्जों एवं अग्रिमों के संवितरण ने भी IX वीं योजना (1997-2002) से एक समग्र ह्रास प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। 2005-06 से तीव्र ह्रास इस तथ्य के कारण था कि संघ सरकार ने कर्जों के सिवाय बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत टी.एफ.सी. अनुशंसाओं पर राज्यों को भविष्य में उधार देने में मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका बंद कर दी। तथापि संघ सरकार द्वारा संवितरित कर्जों एवं अग्रिमों ने राज्यों के कर्जों एवं अग्रिमों में मुख्य रूप से 1741 करोड़ रु. (35.58 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में 1758 करोड़ रु. (17.55 प्रतिशत) की वृद्धि को इंगित किया।

राजकोषीय असंतुलन

1.18 राजकोषीय असन्तुलन न केवल निरन्तर जारी रहे, बल्कि राशि में भी अधिक थे। जैसा कि नीचे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: स.घ.उ. से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का अनुपात

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	(प्रतिशत)
			राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा
1992-2008	3.20	4.90	65.43
VIII वीं योजना (1992-97)	2.79	6.03	46.26
IX वीं योजना (1997-02)	3.94	6.23	63.26
X वीं योजना (2002-07)	3.31	4.15	79.74
2002-03	4.47	5.48	81.56
2003-04	3.67	2.94	124.77
2004-05	2.50	3.30	75.82
2005-06	3.06	4.61	66.51
2006-07	3.20	4.41	72.62

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा
XIवीं योजना (2007-12)			
2007-08	1.81	3.50	51.79

1.19 राजस्व घाटा/स.घ.उ. अनुपात में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 2.79 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 3.94 प्रतिशत के औसत की वृद्धि थी परन्तु यह प्रवृत्ति बदल गई तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान यह कम होकर 3.31 प्रतिशत की औसत पर आ गया। राजकोषीय घाटा-स.घ.उ. द्वारा भी ऐसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की गई जो VIIIवीं योजना के दौरान 6.03 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना के दौरान 6.23 प्रतिशत की औसत तक बढ़ गया परन्तु यह Xवीं योजना (2002-07) के दौरान कम होकर 4.15 हो गया जिसने इन पैरामीटरों के व्यवहार में मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया। स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात 2002-03 में 4.47 प्रतिशत से कम हो कर 2004-05 में 2.50 प्रतिशत (1.97 प्रतिशतता अंक तक) हो गया परन्तु इसके बाद यह दोबारा बढ़ा तथा 2006-07 में 3.20 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे का अनुपात, जो 2002-03 में 5.48 प्रतिशत से 2003-04 में 2.94 प्रतिशतता बिन्दु अर्थात् 2.54 प्रतिशत तक कम हुआ, 2006-07 के दौरान 4.41 प्रतिशत तक बढ़ा। विशेषतया 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में निम्न राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के लिए ऋण विनिमय योजना तथा राज्यों को पूर्व में दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की त्वरित वसूली को आरोपित किया जा सकता था। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित राज्यों की उच्च राजकोषीय सुपुर्दगी तथा सामाजिक क्षेत्रों पर उच्चतर खर्च, राज्यों से ऋणों की त्वरित वसूली की तुलना में ऋणों का संवितरण तथा पूंजीगत व्यय की गति में कमी के परिणामस्वरूप 2005-06 तथा 2006-07 में ये प्रवृत्तियां दर्शाती थी कि राजकोषीय सुधार रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था।

1.20 राजस्व तथा राजकोषीय घाटे से स.घ.उ. का अनुपात 2007-08 के दौरान तीव्र रूप से 1.81 तथा 3.50 तक कम हुआ है। ये अनुपात 'बजट एक दृष्टि में -2007-08' में प्रस्तुत क्रमशः 1.5 तथा 3.3 के बजट अनुमानों से काफी अधिक रहे हैं। इसके बावजूद, 2007-08 के लिए वित्त लेखे से उत्पन्न उनके बजट अनुमान, राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे, 2007-08 में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में क्रमशः 3.50 प्रतिशत एवं 1.81 प्रतिशत की तुलना में घाटा सूचकों में फिसलन 2006-07 में उनके तदनुसूची 0.91 एवं 1.39 प्रतिशतता अंकों से काफी कम थे। इस प्रकार, 2007-08 के दौरान राजकोषीय सुधार का रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के अन्तर्गत प्रति वर्ष अनुबद्ध राजकोषीय एवं राजस्व घाटे के लिए क्रमशः 0.3 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत (स.घ.उ.

के सापेक्ष) के न्यूनतम ह्रास से अधिक होना पाया गया। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखे ने गैर-ऋण प्राप्तियों के अधीन गैर-ब्याज व्यय के समावेशन को प्रदर्शित करते हुए 2006-07 में 28654 करोड़ रू के भारी घाटे से 15025 करोड़ रू (तथापि जो स.घ.उ. का 0.32 प्रतिशत था) के प्राथमिक अधिशेष को प्रदर्शित करता था। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय समेकन कर -स.घ.उ. अनुपात में एक महत्वपूर्ण वृद्धि द्वारा राजस्व प्रभावित आधार प्रदत्त है। सामान्य रूप से, सन्तुलित आर्थिक विकास तथा समष्टि-आर्थिक स्थिरता का परिणाम बढ़ते कर - स.घ.उ. अनुपात द्वारा यथा प्रदर्शित पूर्वानुमानित कर राजस्वों से अधिक में हुआ तथा चालू वर्ष के दौरान संसाधनों हेतु मांग को पूरा करने के लिए राजकोषीय स्थान बनाया।

राजकोषीय देयताएं

1.21 संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के बृहत पैरामीटर तालिका 1.8 में प्रस्तुत किए गए हैं। 1992-2008 के दौरान, संघ सरकार की वार्षिक औसत कुल देयता की, स.घ.उ. के लगभग 57.48 प्रतिशत रहीं। कुल देयताओं में वृद्धि की औसत वार्षिक दर, जो VIIIवीं तथा IXवीं पंचवर्षीय योजनाओं को समाविष्ट करके 1992-2002 के दशक के दौरान 12.17 प्रतिशत थी, की औसत Xवीं योजना (2002-07) के दौरान कम हो कर 8.98 प्रतिशत हो गई थी। तथापि, समग्र दायित्वों में विकास दर ने वृद्धि प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है और 2005-06 में 7.98 प्रतिशत की सापेक्ष निम्न विकास दर से 2006-07 में तथा 2007-08 में 10.98 एवं 13.33 प्रतिशत स्तर तक पहुंचा।

तालिका 1.8: संघ सरकार के राजकोषीय देयताओं की विशिष्टताएं

(प्रतिशत)

अवधि	कुल देयताओं की वृद्धि दर*	कुल देयतायें/ स.घ.उ अनुपात	ब्याज की औसत दर	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात
1992-2008	11.28	57.48	8.34	45.61
VIIIवीं योजना (1992-97)	12.48	60.59	7.91	57.68
IXवीं योजना (1997-02)	11.85	58.84	9.06	50.90
Xवीं योजना (2002-07)	8.98	57.10	8.09	40.26
2002-03	10.62	63.07	8.90	44.78
2003-04	7.20	60.25	8.28	41.48
2004-05	9.86	57.89	7.89	39.36
2005-06	7.98	54.99	7.75	39.32
2006-07	10.98	52.70	7.84	37.71
XIवीं योजना (2007-12)				
2007-08	13.33	52.54	8.24	38.06

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में राज्य सरकारों द्वारा इस सीमा तक रा.ल.ब.नि. को जारी प्रतिभूतियों में लघु बचतों के कारण देयताएं शामिल नहीं हैं।

1.22 बकाया देयताओं पर ब्याज की औसत दर का VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 7.91 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ कर IXवीं योजना (1997-02) के दौरान

9.06 प्रतिशत औसत हो गई, जो अन्तर्वर्षीय परिवर्तनों के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 8.09 की औसत तक घटी। औसत ब्याज दर में 2003-04 में 8.28 प्रतिशत तथा 2006-07 में 7.84 प्रतिशत की और कमी हुई लेकिन इसने 2007-08 में बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा वर्ष के दौरान 8.24 के स्तर पर पहुँचा राजकोषीय देयताओं पर ब्याज दरें स.घ.उ. की वृद्धि दर से बहुत कम रही थी जो उच्चतर ऋण-स.घ.उ. अनुपात को बनाए रखने में अवश्य ही सुरक्षा प्रदान करती है। संचालित ब्याज दर संरचना जो इस अवधि के आरम्भ में प्रचलित थी, बाह्य ऋणों पर कम ब्याज दरें, जो 1991-92 के सिवाय कभी भी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रही तथा निक्षेप निधियों तथा जमाओं की प्रकृति की अन्य देयताएं, जो निरंतर अधिक निम्न ब्याज दरें आकृष्ट करती रही, 1992-2002 दशक के दौरान निम्न दरें पोषित करते रहे। इसके अतिरिक्त, घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबाव दोनों ही के कारण आसान ब्याज दर व्यवस्था का परिणाम भी हाल के वर्षों में न्यूनतम ब्याज दर ढाँचा में हुआ है। दृढ़ आर्थिक नीति तथा निर्धारण के प्रबंधन का परिणाम समग्र दायित्वों विशेषतौर पर वर्ष के दौरान आन्तरिक दायित्वों पर औसत ब्याज दर में बढ़ती प्रवृत्तियों में हुआ। वृहद राजस्व घाटे द्वारा संघ सरकार की सकल देयताओं के समर्थन में परिसम्पत्तियों का क्षय जारी था जिनमें नियमित रूप से कमी हुई थी तथा 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान 39 प्रतिशत पर स्थिर रहा था और 2006-07 में 37.71 प्रतिशत तक गिर गया तथा चालू वर्ष के दौरान सापेक्ष स्थिरता को पुनः प्रदर्शित किया।

अध्याय 2

लेखे पर टिप्पणियां

संघ लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में अर्थपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। विनियोग लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 7, 8 तथा 9 में सम्मिलित किया गया है। सरकार के खर्च करने पर नियमितता, आर्थिक, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियां, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समाविष्ट किए जाते हैं।

2.1 संघ के वित्त लेखे बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का गैर-समावेश

बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) ने नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रोकड़ से लेखा के वास्तविक आधार में लम्बित परिवर्तन को अधिक पारदर्शी एवं सूचित निर्णय लेने हेतु योग्य बनाने के लिए संघ सरकार के लेखे में निम्न आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने के लिए अनुशंसा की थी:

(i) दी गई आर्थिक सहायता, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों की विवरणी (ii) विभिन्न विभागों/इकाईयों द्वारा किए गए वेतन पर व्यय समावेश की विवरणी (iii) पेंशनभोगियों के व्यय का ब्यौरा और सरकार के पेंशन का व्यय (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताओं पर डाटा (v) ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची पर सूचना सम्मिलित करते हुए विवरणी (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन से उद्भूत सहित सरकार द्वारा अधिकार में रखे हुई वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपरदन (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों को लागू करना तथा (viii) वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से को अलग करते हुए अनुरक्षण व्यय पर विवरणी।

इन महत्वपूर्ण विवरणियों को मई 2007 में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक कार्यालय तथा महा लेखानियंत्रक (म.ले.नि.) तथा अक्टूबर 2008 में सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाए जाने के बावजूद भी आयोग की रिपोर्ट के चार वर्षों के बाद भी सरकार द्वारा संघीय वित्तीय लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

म.ले.नि. ने उत्तर दिया (नवम्बर 2008) कि उपरोक्त अतिरिक्त विवरणियों को वित्त लेखे में आवेशन को सरकार द्वारा सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और रोकड़ आधारित लेखाकरण की मौजूदा प्रणाली के अन्दर उन तरीकों एवं प्रारूप जिसमें अतिरिक्त सूचना को उपलब्ध कराया जा सकता था, पर विचार विमर्श करने के लिए

वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श की प्रक्रिया जारी है। ले.म.नि. ने बल दिया कि लेखे में इन अतिरिक्त विवरणियों का आवेशन करने में आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित है तथा यह एक समय खर्च करने वाली प्रक्रिया है।

चूंकि आयोग की अनुशंसा के पश्चात चार वर्ष की एक अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है अतः सरकार संघ वित्त लेखे में उपरोक्त अतिरिक्त विवरणियों के आवेशन हेतु एक समय सीमा तय कर सकती है।

2.2 कार्यान्वयन अभिकरणों के लेखे में असुनिश्चित अव्ययित शेष

हाल के वर्षों में, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार, सफाई आदि हेतु ध्वज-पोत कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (के.प्र.यो.) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार की रणनीति में प्रशासनिक बदलाव हुआ है। इन योजनाओं से अधिकांश का राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश के हस्तांतरण सहित लागत अंश आधार पर पहले ही कार्यान्वित किया गया था। संघ सरकार ने अब राज्य सरकार के लेखे के माध्यम से निधियों को सुपुर्द किए बिना राज्य/जिला स्तर स्वायत्त निकायों, समितियों एवं गैर-सरकारी संगठनों को के.प्र.यो. के कार्यान्वयन हेतु प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय योजना सहायता हस्तांतरित करना प्रारम्भ किया। राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यान्वयन करने वाले निकाय अपने लेखे में इन योजना निधियों को सरकारी लेखे से बाहर बैंक में रखते हैं।

वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तर पर स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे तौर पर 51259.85 करोड़ रु. (संशोधित अनुमानों के अनुसार) केन्द्र योजना सहायता के हस्तांतरण हेतु प्रावधान किया। चूंकि कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा निधियाँ उसी वित्तीय वर्ष में पूर्णतः खर्च नहीं की जा रही हैं, इसलिए उनके लेखे में अव्ययित निधियों की पर्याप्त राशि शेष है। कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के लेखे से बाहर रखे गए सरकार के अव्ययित शेष की कुल राशि तुरन्त पता लगाने योग्य नहीं है। इसलिए, लेखे में यथा प्रदर्शित सरकारी खर्च को उस सीमा तक अधिक बताया गया।

2.3 सरकारी लेखे में अपारदर्शिता

सरकारी वित्तीय व्यवस्था में अधिक खुलेपन के प्रति एक सार्वभौम प्रवृत्ति है। यह इस यह इस मान्यता पर आधारित है कि पारदर्शी बजटीय व्यवस्था एवं लेखाकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित कर सकती है कि लोक उद्देश्यों हेतु राज्यों द्वारा उठाई गई निधियां, व्यय से होने वाले लाभ को अधिकाधिक बढ़ाते हुए सरकार द्वारा किए गए वायदे के रूप में खर्च किया जाएगा। लेखाकरण के पारदर्शी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अवयव लेखा का वह भाग है जिसमें सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय विधान मण्डल को सूचित की जाती है और लगातार उनकी समीक्षा एवं उन्हें अद्यतन किया जाता है जिससे वे सरकार की सभी

मुख्य कार्रवाईयों पर प्राप्ति एवं व्यय सही रूप में पारदर्शी तरीके में प्रदर्शित और सभी महत्वपूर्ण पणधारी की मूलभूत सूचना आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए दर्शाते हैं। संघ सरकार वित्त लेखे 2007-08 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखे के 28 मुख्य शीर्षों (सरकार के क्रियाकलापों को प्रदर्शित करने वाले) के अंतर्गत 20273.52 करोड़ रू. को इन लेखाओं में मुख्य शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक बनता था। यह लेखाओं में अपादर्शिता के उच्च मात्रा को इंगित करता है। परिवार कल्याण, आवास, शक्ति, नागरिक उड्डयन, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कृषि वित्तीय संस्थान, बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी, विदेशी व्यापार एवं निर्यात उन्नयन पर पूंजीगत परिव्यय आदि जैसे मुख्य शीर्षों के ब्यौरों को अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत महत्वपूर्ण व्यय सहित परिशिष्ट-II-क में दिये गये हैं।

इंदिरा आवास योजना (3885 करोड़ रू.), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए योजनाओं हेतु उपयोगिता के प्रति मिशन नम्य पूल (3152 करोड़ रू.), हज चार्टर के लिए आर्थिक सहायता (514 करोड़ रू.), ग्रामीण गोदामों का निर्माण (70 करोड़ रू.), अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (78 करोड़ रू.) इत्यादि जैसे कुछ महत्वपूर्ण व्यय की मदों को वित्त लेखे में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है बल्कि इसे लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' में समेट दिया गया है।

यद्यपि इन व्ययों के ब्यौरों को उप-शीर्ष (योजना) स्तर या अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों के अधीन दिखाए गया है और तदनुसूची शीर्ष-वार विनियोग लेखों, जो संघ सरकार के लेखे का आधार तैयार करते हैं, के ब्यौरों को वित्त लेखे में दर्शाया नहीं गया है क्योंकि ये लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' में समेकित कर दिए जाते हैं।

यह प्रदर्शित करता है कि सरकारी लेखे की मौजूदा ढांचा इन मंत्रालयों/विभागों में सरकार की चालू कार्रवाईयों को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करता है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करते हुए इस कमी को इंगित करने के लिए सरकारी लेखे के ढांचे की एक व्यापक समीक्षा करें।

2.4 व्यापक सेवा दायित्व निधि के अन्तर्गत शेषों को कम बताना

व्यापक सेवा दायित्व (व्या.से.दा.) निधि (मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों, लघु शीर्ष 118) को राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (रा.टे.नी.) 1999 के अनुसार महत्व दिए गए व्यापक सेवा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में टेलीडेन्सिटी बढ़ाने के लिए अप्रैल 2002 में स्थापित किया गया था। व्यापक सेवा दायित्व को पूरा करने हेतु संसाधनों को एक 'व्यापक पहुंच उगाही' के माध्यम से बढ़ाया गया है जो विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत टेलिकॉम प्रचालकों द्वारा भुगतान योग्य है

उद्ग्रहण की दर लाइसेंस की समायोजित सकल राजस्व के पांच प्रतिशत पर नियत किया गया है।

व्या.से.दा. निधि की व्यवस्था दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा की जाती है तथा व्या.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सबसे पहले भारत की समेकित निधि मुख्य शीर्ष 1275-अन्य संचार सेवाएं के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है और उसके बाद भारत के लोक लेखे में व्या.से.दा. निधि को अंतरित किया जाता है। यह व्यपगत नहीं होने योग्य निधि है। ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए व्यापक सेवा दायित्व का कार्यान्वयन निर्धारित सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्हें व्या.से.दा. निधि से निवल लागत (अर्थात् वार्षिक पूंजीगत वसूली एवं वार्षिक राजस्व घटाकर संचालन खर्च) की प्रतिपूर्ति की जाती है।

20404.44 करोड़ रु. के सकल व्यापक सेवा उगाही को 2002-03 से 2007-08 तक दूरसंचार विभाग द्वारा संग्रहीत किया गया था लेकिन इस अवधि के दौरान व्या.से.दा. निधि से केवल 6371.44 करोड़ रु. का संवितरण संबंधित सेवा प्रदाता से प्राप्त आपूर्ति के दावों के प्रति किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2008 तक निधि के अंतिम शेष को भारत के लोक लेखा में शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि, 118-सामान्य सेवा दायित्व निधि के तहत दिखाए गए शून्य शेष के प्रति 14033 करोड़ रु. होने चाहिए थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2008 तक व्यापक सेवा दायित्व निधि के अंतिम शेष में 14033 करोड़ रु. कम बताया गया था।

मामला भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संसद में प्रस्तुत अपने 2008 के प्रतिवेदन सं. पी.ए.-1 (पैरा 1.7.1.1) में भी सूचित किया गया था लेकिन विभाग द्वारा व्या.से.दा. निधि को उगाही की समग्र प्राप्ति क्रेडिट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

यह अनुशंसा की जाती है कि दूर संचार विभाग को व्यापक पहुंच उगाही के कारण सभी प्राप्तियां को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले उसी वर्ष में व्यापक सेवा दायित्व निधि में हस्तांतरित करना चाहिए ताकि निधि शेष को वित्त लेखे में सही रूप से दर्शाया गया है।

2.5 पूंजीगत व्यय का अधिकथन

सामाजिक एवं आधारभूत संरचना विकास निधि (सा.अ.वि.नि.) को ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की मृत्यु एवं अपंगता बीमा आच्छादन के प्रावधान तथा आधारभूत संरचना हेतु ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं कृषि महत्व के विभिन्न संस्थानों की सहायता के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उत्थान किसानों के प्रशिक्षण, विकलांगों को रोजगार, योग्यता-सह-आय छात्रवृत्ति, भूमि जल रिचार्ज, सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक एवं आधारभूत संरचना विकास से संबंधित पहल के लिए उद्घृष्ट निधियों हेतु वर्ष 2006-07 में आरक्षित निधि (मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि,

लघु शीर्ष 200- अन्य निधियाँ) के रूप में लोक लेखे में सृजित किया गया था। सरकार ने बाद के संबंधित वित्तीय वर्षों के व्यय के लिए वर्ष 2006-07 में इस निधि को 6500 करोड़ रू. तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में 2007-08 में 6000 करोड़ रू. बाद के वित्तीय वर्षों के व्यय के लिए हस्तांतरित किए। सा.आ.वि.नि. को भारत की समेकित निधि से हस्तांतरित सम्पूर्ण राशि को वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए वित्त लेखे में पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया।

2006-07 में लोक लेखे वा.से.दा.नि. को हस्तांतरित निधि में से 2007-08 के दौरान 3447.75 करोड़ रू. के व्यय की जांच से प्रकट हुआ कि 1586.75 करोड़ रू. (परिशिष्ट-II-ख) खोदे गए कूओं के माध्यम से भूमिगत जल के कृत्रिम जल के कृत्रिम रीचार्ज के कार्यान्वयन के प्रति आर्थिक सहायता के रूप में मुख्य शीर्ष '2416-कृषि वित्तीय संस्थान' तथा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध के 150 वें वर्ष का महोत्सव, सत्याग्रह आन्दोलन का शताब्दि वर्ष, विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को सहायता अनुदान के प्रति मुख्य-शीर्ष '2205-कला एवं सांस्कृति' के अंतर्गत राजस्व प्रकृति का था। इस प्रकार, 2006-07 में भारत की समेकित निधि में पूंजीगत व्यय को कम से कम 1586.75 करोड़ रू. तक अधिक बताया गया। इसी प्रकार, बाद के वर्षों में वर्ष 2007-08 में सा.आ.वि.नि. को हस्तांतरित 6000 करोड़ रू. में से किए गए सामान्य प्रकृति के राजस्व व्यय 2007-08 के लेखे में दर्ज तथा उसी सीमा तक अधिक बताए गए 6000 करोड़ रू. के पूंजीगत व्यय को भी प्रस्तुत करेंगे।

इसके अतिरिक्त सा.आ.वि.नि. का आरक्षित निधि के रूप में सृजन जनवरी 2005 में जारी वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के ही असंगत है जो अनुबंधित करता था कि निधियों को समेकित निधि से लोक लेखे में केवल तभी हस्तांतरित किया जा सकता था जब सरकार के पास अधिशेष हो।

2.6 सरकारी लेखों से बाहर पड़ी लोक निधियां

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) ने मार्च 2008 के अंत तक शुल्क प्रभारों, शास्तियों इत्यादि के माध्यम से प्रतिधारित की गई कुल 1325.49* करोड़ रू. की अपनी अधिशेष निधियों को सरकारी लेखे से अलग रखा है। यह वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) के अनुदेशों का उल्लंघन है, जिसने जनवरी 2005¹ में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया गया है। बी.नि.वि.प्रा. तथा भा.प्र.वि.बो. द्वारा निधियों को

* भा.प्र.वि.बो. - 987.95 करोड़ रू. एवं बी.नि.वि.प्रा. - 337.54 करोड़ रू.

¹ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.आ.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.) /2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

सरकारी लेखों से बाहर रखना न केवल सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन है बल्कि सांविधानिक प्रावधानों के भी समनुरूप नहीं है क्योंकि यह निकाय संसद के अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के तात्पर्य के भीतर 'राज्य' के रूप में माना जाना है। इस प्रकार इन निकायों द्वारा संग्रहित राशियों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत सरकारी लेखे में क्रेडिट किया जाना चाहिए। विधि कार्य विभाग का भी यही कहना था। जब वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2002 में बी.नि.वि.प्रा. द्वारा निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखने के मामले पर इनकी राय चाही थी।

इसके अतिरिक्त बी.नि.वि.प्रा. को उनकी निधियों को लोक लेखे में जमा करने के लिए जुलाई 2002 में वित्त मंत्रालय द्वारा पहले ही विशिष्ट रूप से निर्देश दिया गया था। लेकिन भा.प्र.वि.बो. को उनके लगातार सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद ऐसे विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

बी.नी.वि.प्रा. द्वारा लोक लेखों में निधियों के जमा करने में विफलता को 2004 की म.नि.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4 के पैराग्राफ 5 में सूचित किया गया था। नवम्बर 2004 में वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यवाही टिप्पणी में लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन के बावजूद, कि बी.नि.वि.प्रा. को बी.नि.वि.प्रा. की निधियों को लोक लेखे/भारत की समेकित निधि में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, मंत्रालय अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है।

इसके अतिरिक्त, 2008 की म.नि.ले.प. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. सी.ए.1 के पैराग्राफ 6.1 में भी भा.प्र.वि.बो. द्वारा निधियों का सरकारी लेखे से बाहर प्रतिधारण को सांविधानिक प्रावधानों तथा सरकारी आदेशों के असंगत रूप को उजागर करता था।

सी.नि.वि.प्रा. तथा भा.प्र.वि.सो. द्वारा सरकारी लेखे से बाहर निधियों का प्रतिधारण, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण जैसी समरूपी अन्य स्थापित स्वतन्त्र एवं नियामक निकायों द्वारा अपनाई गई लेखाकरण प्रक्रिया के समनुरूप नहीं है जो अपने लेखे को सरकारी लेखे के भाग के रूप में अनुरक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों की यथातथ्यता तथा पूर्णता का सरकारी अनुदेशों तथा कानूनी दृष्टिकोण के उल्लंघन में सरकारी लेखे से बाहर पड़ी कुल 1325.49 करोड़ रु. तक की निधियों की सीमा तक जोखिम बना रहा।

2.7 निधियों की अनियमित निकासी

रक्षा मंत्रालय ने फरवरी एवं मार्च 2008 के महीने में कई संस्वीकृतियां (परिशिष्ट-II-ग) जारी की तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 के अगले वित्तीय वर्ष के दौरान यानि कि 2008-09 के दौरान विशिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए 2745 करोड़ रु. का आहरण किया।

ये राशियां को 'लेखे में भुगतान' के रूप में चालू योजना हेतु प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए जारी निर्गत की गई थी, जो अगले वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होंगी। प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (नौ सेना) एवं नियंत्रक रक्षा लेखा, बँगलौर के अभिलेखों ने पुष्टि की है कि फरवरी एवं मार्च 2008 में इन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (र.सा.क्षे.उ.) को जारी 2745 करोड़ रू. इन र.सा.क्षे.उ. द्वारा 31 मार्च 2008 तक प्रयुक्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 1094 करोड़ रू. पूर्व के वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान भी इन र.सा.क्षे.उ.^७ के पास अव्ययित पड़ी थी।

2.8 रोलिंग अग्रिम के रूप में अत्यधिक निर्मुक्ति

यद्यपि मार्च 2007 में एक परियोजना के लिए रोलिंग अग्रिम के रूप में रक्षा मंत्रालय द्वारा भुगतान की गई 589 करोड़ रू. मेजागोन गोदी लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा प्रयुक्त नहीं की गयी थी फिर भी मंत्रालय ने इसका सत्यापन किए बिना कि क्या एम डी एल को पूर्व में दिया गया अग्रिम उनके द्वारा खर्च जैसा कि संविदा (परिशिष्ट-II-घ) के अंतर्गत अपेक्षित था किया गया था नहीं, 2007-08 के दौरान अगली तिमाही किश्त में 1563 करोड़ रू. निर्गत किए। मंत्रालय ने नौ सेना मुख्यालय की अनुशंसाओं के आधार पर निधियां जारी की जो एमडीएल से प्राप्त अनुरोध था उत्तर दे रहे थे। इस प्रकार, बकाया राशि की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद मंत्रालय के वित्त लेखा स्कंध ने एम डी एल को निधियां जारी करने के लिए वित्तीय सहमति देते समय प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (प्र.नि.र.ले.) द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं पर ध्यान नहीं दिया। प्र.नि.र.ले. के अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि 1935.54 करोड़ रू. का रोलिंग अग्रदाय अग्रिम म.डा.लि. के प्रति अभी भी 31 मार्च 2008 तक बकाया था।

2.9 लेखों की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक

2007-08 के संघ वित्त लेखों की शुद्धता (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत अंतिम वर्गीकरण की प्रतीक्षा कर रहे लेने-देनों की बड़ी संख्या, (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) लेखाशीर्षों के अंतर्गत बढ़ते हुए प्रतिकूल शेषों की संख्या एवं परिमाण तथा (iii) उनके समाशोधन हेतु समय से कार्रवाई में कमी के कारण निरन्तर बकाया शेष जैसे घटकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

लेखापरीक्षा ने ऋण, जमा, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की ले.भ.नि. कार्यालय तथा चार प्रधान लेखा कार्यालयों अर्थात् केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर (के.बो.प्र.क.), विदेश मंत्रालय (वि.मं.), सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.ले.नि.) तथा आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) में पिछले पांच वर्षों से संबंधित अभिलेखों की एक विस्तृत जांच संचालित की थी। इन प्र.ले.का. को, शेषों समाहार तथा

^७ लोक धन की भारी राशि को सरकारी लेखे से बाहर रखना वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को विकृत करता है।

वर्षों से उनके संचयन के आधार पर चुना गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

2.9.1 मुख्य उचन्त लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

‘उचन्त शीर्ष’ नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले किए गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब उनके संबंधित अन्तिम शीर्षों में दर्ज किया जाता है। यदि इन राशियों का समाशोधित रहती है तो उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत शेष संचयित होता जाएगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को भी सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

वे.ले.का. द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु-शीर्षवार उचन्त शेषों हेतु खाता उप/वर्गीकृत शीर्षवार वे.ले.का. द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, और प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मु.ले.नि./ले.नि. से उचन्त शेषों की समीक्षा करना तथा नियमित मानीटरिंग के उद्देश्य हेतु म.ले.नि. को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2008 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए संघ वित्त लेखे में उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल निवल शेष 6524.85 करोड़ रु. (डेबिट) था। यह शेष सिविल मंत्रालयों के संबंध में 506.55 करोड़ रु. (क्रेडिट), रक्षा के लिए 3839.37 करोड़ रु. (डेबिट), रेलवे से संबंधित 1151 करोड़ रु. (डेबिट), डाक के लिए 300.78 करोड़ रु. (डेबिट) तथा दूर संचार के लिए 606.57 करोड़ रु. (डेबिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना) बंधपत्र 2001 के संबंध में 1133.68 करोड़ रु. (डेबिट) है। वित्त लेखे उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत निवल शेष को दर्शाता है तथा इसलिए, इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं की जाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष को विभिन्न उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत पृथक रूप से बकाया डेबिट और क्रेडिट को केवल संकलित करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल करने से वित्त लेखे में उचन्त शेषों को अर्थपूर्ण न्यूनोक्ति में होता है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है।

पिछले पांच वर्षों के लिए मुख्य उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत उचन्त शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2007-08

(करोड़ रूपयों में)

लघु शीर्ष का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.
101- पी.ए.ओ उचन्त	2223.07	1052.21	1803.25	237.75	1720.37	1121.15	1844.33	692.30	2882.39	617.77
निवल	-1170.86		-1565.50		-599.22		-1152.04		-2264.62	
102- उचन्त लेखा (सिविल)	1003.51	320.76	1013.35	314.60	1013.92	308.14	1022.42	308.95	1087.28	10310.30
निवल	-682.75		-698.75		-705.78		-713.47		9223.02	
107-रोकड़ निपटान	249.75	16.55	253.25	16.04	318.75	16.57	383.18	16.57	362.14	16.58
निवल	-233.20		-237.21		-302.18		-366.61		-345.56	
108- पी.एस.बी. उचन्त	2846.01	321.81	1324.66	280.08	1690.31	848.86	4979.42	1029.07	6517.28	782.19
निवल	-2524.20		-1044.58		-841.45#		-3950.34		-5735.09	
109- रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्या.)	259.05	186.36	259.05	185.07	261.29	195.48	259.05	185.11	11.37	190.89
निवल	-72.69		-73.98		-65.81		-73.94		179.52	
110- रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	53.97	300.03	60.07	380.70	73.22	312.55	116.12	294.59	209.18	48.57
निवल	246.05		248.63		239.32		178.48		-160.61	
115- विदेश में क्रय इत्यादि	473.31	0.0001	1082.73	0.0001	1008.98	-	994.46	0.0001	536.65	.0001
निवल	-473.31		-1082.73		-1008.98		-994.46		-536.65	
129- सामग्री क्रय निपटान	96.56	51.34	-118.09	45.82	-124.73	74.00	-127.62	96.17	156.31	107.84
निवल	-45.13		-72.26		-50.74		-31.45		-48.47	

उपरोक्त तालिका से देखा गया था कि भु.ले.का. उचन्त, उचन्त लेखा (सिविल), पी.ए.बी. उचन्त, रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय, सामग्री क्रय समायोजन के अंतर्गत डेबिट शेषों में पिछले वर्षों से 2007-08 में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, उचन्त

लेखा (सिविल) तथा सामग्री क्रय समायोजन के अंतर्गत क्रेडिट शेषों में भी पिछले वर्षों से 2007-08 में वृद्धि हुई है। नि.म.ले. द्वारा ऐसे शेषों के समाशोधन के प्रभावी मानीटरिंग हेतु उचन्त लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

भु.ले.का. उचन्त

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत भु.ले.का. संघ शासित क्षेत्रों तथा महालेखाकार के भु.ले.का. की किताबों में हो रहे अन्तः विभागीय तथा सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी के जिसमें प्राप्त लघु शीर्ष भु.ले.का. उचन्त परिचालित किया गया है, द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से या तो की गई वसूलियों को या भुगतानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋण क्रेडिट' द्वारा किया जाता है जब लेखा अधिकारी जिसकी किताबों में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, द्वारा चैक जारी किया जाता है। 'भु.ले.का. उचन्त' के अन्तर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी जिसके पक्ष में भुगतान किया गया था, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली होने पर 'ऋण डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से भुगतानों प्राप्त किए गए हैं जिनका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2008 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष 2882.39 करोड़ रु. तथा क्रेडिट के अन्तर्गत 617.77 करोड़ रु. था। बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति मंत्रालय: 1122.58 करोड़ रु. (डेबिट); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: 197.27 करोड़ रु. (क्रेडिट), विदेश मंत्रालय: 235.93 करोड़ रु. (डेबिट), सी.बी.डी.टी. (राजस्व): 1229.99 करोड़ रु. (डेबिट) के संबंध में थे जो इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को प्रदर्शित करते हैं जिनकी उनके द्वारा अभी भी 31 मार्च 2008 तक वसूली/भुगतान किया जाना है। भु.ले.का. उचन्त के अन्तर्गत भारी डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उन के निरन्तर संचयन ने महत्वपूर्ण नियंत्रण कमियों को प्रदर्शित किया।

चार प्रधान लेखा कार्यालयों के लेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि वि.मं. में 2000-2001 से 2007-08 की अवधि से संबंधित 240.95 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 5.01 करोड़ रु. (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें 33.80 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 0.64 करोड़ रु. (क्रेडिट) जो पांच वर्षों से अधिक से समाधान हेतु लम्बित थे। आ.का.वि. में 1990-91 से 2007-08 की अवधि से संबंधित (-)1.70 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 45.17 करोड़ रु. (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें पांच वर्षों से अधिक से लम्बित (-)0.49 करोड़ रु. (डेबिट) शामिल थे। प्र.ले.का. ने पुराने शेषों के निपटान हेतु किए गए प्रयत्नों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

उचन्त लेखा (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देनो के लेखाओं हेतु परिचालित किया जाता है जिसे निश्चित सूचना/दस्तावेजों जैसे कि वाउचर, चालान आदि की आवश्यकता हेतु व्यय या प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा लेखों से वांछित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय किया गया भुगतान को जिसे वाउचर आदि जैसे विवरण की अपेक्षा में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष का अभिप्राय प्राप्त की गई राशि जिसे विवरण के अभाव में अन्तिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका, से होगा।

31 मार्च 2008 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष 10310.30 करोड़ रु. (क्रेडिट) तथा 1087.28 करोड़ रु. (डेबिट) ने दर्शाया कि 111397.58 करोड़ रु. की प्राप्तियां तथा व्यय, जिन्हें समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था, को उनके अन्तिम शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष गृह मंत्रालय: 411.89 करोड़ रु. (डेबिट); उच्च आयोग: 435.76 करोड़ रु. (डेबिट) तथा आर्थिक कार्य विभाग: 10209.35 करोड़ रु. (क्रेडिट) से संबंधित था। चार प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि वि.मं में वर्ष 2007-08 के अन्त तक 49.90 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 28.51 करोड़ रु. (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें से 10.64 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 1.03 करोड़ रु. (क्रेडिट) पांच वर्षों से अधिक बकाया पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त 2.4 करोड़ रु. (डेबिट) की राशि वि.मं. में 20 वर्षों से अधिक बकाया पड़ी हुई थी। वर्ष 2007-08 के अन्त तक अधिक कार्य विभाग में 0.59 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 10209.95 करोड़ रु. (क्रेडिट) बकाया थे। जिसमें 212.83 करोड़ रु. (क्रेडिट) 1994-95 से बकाया पड़े थे। विभागों ने बकाया शेषों का समाशोधन करने के लिए किए गए प्रयत्नों पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा

लघु शीर्ष 'विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा' नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले.एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित होता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित लाइन मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की सलाह होती है। यद्यपि सरकार द्वारा ने इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिए गए हैं फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल जाना है।

2007-08 में, विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा शेष 536.65 करोड़ रू था। 31 मार्च 2008 को मुख्य देनदार हेलीकॉप्टर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (67.24 करोड़ रू); पवन हंस लि. (57.44 करोड़ रू); पीराइट्स, फोसफेट्स एवं रसायन लि. (24.95 करोड़ रू); कोल इंडिया लि. (21.23 करोड़ रू) तथा तीन सरकारी मंत्रालय (268.20 करोड़ रू) थे। यह भी पाया गया कि 1999 से विभिन्न संगठनों से 265.40 करोड़ रू बकाया थे। मुख्य आयातकों के संबंध में 1999 से से बकाया राशि का विवरण दर्शाते हुए सूची **परिशिष्ट-II-ड** में दी गई है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पाया गया था कि तदनन्तर भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले.एवं ले. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने अपेक्षित है।

लोक क्षेत्र बैंक उचन्त

सरकारी लेखा प्रणाली में नामित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते हैं। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक लोक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह अपने रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर से जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, प्रतिपूर्ति कर दावा करता है। इसीप्रकार, जब सरकारी प्राप्तियों का नामित/अधिकृत बैंक में भुगतान किया जाता है तो यह प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। चूंकि सरकारी रोकड़ शेष में, बैंक द्वारा किया गया सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय विलम्ब है इसलिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहे लेन-देन हेतु लेखे की सरकारी किताबों में लघु शीर्ष 'लोक क्षेत्र बैंक उचन्त' परिचालित किया जाता है। भा.रि.बैं.(के.ले.अ.) नागपुर से लेखों की प्राप्त पर लो.क्षे.बैं. उचन्त के अन्तर्गत मूल दर्ज (-)क्रेडिट/(-)डेबिट जैसा भी मामला हो द्वारा समाशोधित किया जाता है। ये राशियां सरकार के रोकड़ शेष में दर्शाई नहीं गई हैं।

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया लो.क्षे.बैं. शेष कुल 6517.28 करोड़ रू. (डेबिट) तथा 782.19 करोड़ रू. (क्रेडिट) था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे व सी.बी.ई.सी: 752.37 करोड़ रू. (डेबिट); सी.बी.डी.टी. (राजस्व); 3160.00 करोड़ रू. (डेबिट); औद्योगिकी विकास: 705.19 करोड़ रू. (डेबिट); ऊर्जा मंत्रालय: 607.54 करोड़ रू. (डेबिट) तथा शहरी विकास: 269.48 करोड़ रू. (डेबिट)। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट शेष वर्षों से बढ़े थे इस प्रकार इसने लेखाओं में सरकारी रोकड़ शेष के उचित प्रकटन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। शेषों के समाशोधन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में पूछा गया था किन्तु लेखापरीक्षा को कोई उत्तर नहीं किया गया था।

चार प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सी.बी.डी.टी. (राजस्व) में वर्ष 2007-08 के अन्त में (-)744.35 करोड़ रू. (डेबिट) तथा (-)216.46 करोड़ रू. (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिनमे 48.92 करोड़ रू. के डेबिट शेष तथा (-)11.73 करोड़ रू. क्रेडिट शेष शामिल थे जो 20 वर्षों से अधिक से लम्बित थे। आ.का.वि. में 2004-05 से 2007-08 की अवधि से संबंधित 20.78 करोड़ रू. (डेबिट) तथा 1.54 करोड़ रू. (क्रेडिट) के शेष बकाया थे। विभाग ने पुराने शेषों के समाशोधन हेतु किए गए प्रयासों पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीय लेखा कार्यालय

संघ सरकार के लेखाओं में कर्जे, सहायता अनुदान, आयकर भाग, राज्य सरकारों को संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान, हेतु इस लघुशीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्रधिकृत किया जाता है तो इस शीर्ष को संबंधित व्यय शीर्ष डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए भा.रि.बैं से लेखों के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को 8675-भा.रि.बैं. के पास जमा 101-केन्द्रीय सिविल को क्रेडिट करते हुए ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर इस शीर्ष को ऋण/ब्याज को क्रेडिट करके डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.) नागपुर से लेखों के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष का 8675-101-भा.रि.बैं-101-केन्द्रीय सिविल के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट किया जाता है। 31 मार्च 2008 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष 209.18 करोड़ रू. (डेबिट) तथा 48.57 करोड़ रू. (क्रेडिट) था। भा.रि.बैं. (के.ले.का) उचन्त शेष मुख्य रूप से आपूर्ति मंत्रालय: 92.52 करोड़ रू. (डेबिट) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: 54.77 करोड़ रू. (डेबिट) के प्रति थे। नि.म.ले. कार्यालय ने इन बकाया शेषों की प्रकृति, विवरण तथा लम्बित रहने तथा उनका समाशोधन के प्रति किए गए उनके प्रयासों के बारे में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2007 की नि.म.ले.प. की प्रतिवेदन सं.-1 में, संघ सरकार वित्त लेखे में बकाया उचन्त शेषों के संबंध में पैरा सं. 1.18 से 1.24 तक बताया गया था परन्तु मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2.9.2 ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों की बढ़ती संख्या तथा परिमाण

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ सामान्य रूप से एक ऋणात्मक शेष नहीं हो सकता है। उदाहण स्वरूप, किसी भी कर्ज या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2007-08 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों के 69 मामले हैं जिन्हें **परिशिष्ट-II-च** में दिया गया है। इनमें से, नौ शेष वर्ष 2007-08 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा प्रारम्भिक वर्षों से वित्त लेखे में 60 मामलों के आंकड़े आ रहे हैं जिनमें 29 मामलों 5 वर्षों से अधिक, 19 मामले 10 वर्षों से अधिक तथा छः मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं और सरकार द्वारा इन शेषों के समाशोधन में अप्रभावकारिता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष के फुटनोट उल्लेख करते थे कि ये जांच के अधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसे जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लघु शीर्ष स्तर पर प्रतिकूल शेष एक साथ लिए गए विभिन्न लेखा वृत्तों के शेषों के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करता है। इकाई/लेखा वृत्त के स्तर पर, प्रतिकूल शेष भु.ले.का. एवं प्र.ले.का. के पुस्तकों में भी प्रकट होते हैं लेकिन इनमें से बहुत से प्रतिकूल शेष प्रभावहीन हो जाते हैं क्योंकि जब लेखा वृत्तों के लेखे समेकित किए जाते हैं तो ये शेष एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, के.प्र.क.बो., वि.मं., आ.का.वि. तथा स.ले.ले.प.नि. के चयनित चार प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-08 के अंत तक प्रतिकूल शेषों के साथ 25 लेखाशीर्ष थे जिनमें से छः को उपरोक्त प्रतिकूल शेषों के 69 मामलों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। के. प्र.क.बो., वि.मं., आ.का.वि. तथा स.ले.ले.नि. के प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रतिकूल शेषों को **परिशिष्ट-II-छ** में दिया गया है। इन प्रतिकूल शेषों पर अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

(i) प्र.मुख्य लेखा नियंत्रक, वि.मं.

प्र.मु.ले.नि., वि.मं. में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-08 के अन्त में 25 वर्षों से अधिक समय से शीर्ष 8443 -सिविल जमा-113 'विदेश से क्रय इत्यादि हेतु जमा' के अन्तर्गत 19.40 करोड़ रु. (डेबिट) का प्रतिकूल शेष समाशोधित किये बगैर पड़े थे। 19.40 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि में से, 13.94 करोड़ रु. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित हैं। यद्यपि वित्त मंत्रालय की सलाह पर, दावे के निपटान हेतु 2001-02 में इस्पात मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई थी लेकिन एस ए आई एल की ओर से प्रतिक्रिया की कमी के कारण इस दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 8443-सिविल जमा - 117 - 'सार्वजनिक निकायों या गैर-सरकारी व्यक्तियों' की ओर से किया गया जमा कार्य के अन्तर्गत 30.33 करोड़ रु. (डे.) को प्रतिकूल शेष प्रदर्शित हो रहा था। सार्वजनिक निकायों या गैर-सरकारी व्यक्तियों की ओर से मिशनों/केन्द्रों द्वारा किए गए भुगतानों को इस शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष दर्शाते हैं कि 30.33 करोड़ रु. की राशि का सार्वजनिक निकायों/गैर-सरकारी व्यक्तियों की ओर से मिशन द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत जमा से अधिक खर्च/दर्ज किया गया है। प्र.ले.अ. ने बताया है

विन लेख में प्रदर्शित आंकड़े व्यय एवं प्राप्तियों के उन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं जो विभिन्न मू.ले.का. के खर्चों में हैं तथा जिन्हें बाद में समायोजित किया जाता है। ऐसे प्रत्येक लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा अपने खर्चों में दर्ज प्राप्ति एवं

2.9.3 'भा.रि.बैं. के पास जमा' का गौरव समाधान

लेखा कार्यालयों के साथ उठाया गया है।
प्रतिकूल शेष था। म.मू.ले.नि. ने बताया कि मामले को जल्द ही निपटान हेतु क्षेत्रीय शीर्ष 7610-203-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज के तहत 24.70 लाख रु. का एक

(iv) म.मू.ले.नि. के पास जमा - क.प्र.क.बा.

सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के लेखों में वर्ष 2007-08 के अन्त में मुख्य शीर्ष 6002-राज्य ऋण के अन्तर्गत 5615.89 करोड़ रु. का प्रतिकूल शेष कर्जों के पुनर्मुमान के समय विनिमय दरियों के कारण था। विभाग ने बताया कि कर्ज की समाप्ति तक सम्पूर्ण अवधि हेतु प्रतीक्षा करने के बजाय वार्षिक रूप से विनिमय दरियाँ के बट्टे खर्चों का मामला म.ले.नि. के पास लंबित था।

(iii) सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक - म.ले.ले.प.नि.

समाधान हेतु कार्यों ब्यौरे तथा किए गए प्रयासों को सुनिश्चित नहीं कर सका 'विधि जमा' (3.97 करोड़ रु.) के अंतर्गत 150.54 करोड़ रु. के बड़े प्रतिकूल शेष के (54.70 करोड़ रु.); 8342.120-'विधि जमा' (91.87 करोड़ रु.) तथा 8449.120-8013.01.101-'अवकाश प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना' तदीक से प्रदर्शित किया जा रहा है। तथापि, म.ले.का. वर्ष 2007-08 के अंत तक शीर्ष एम.डी.एफ.सी. के उन्मूलन के बावजूद, इसके प्रति बकाए कर्ज को लेख में गलत सूची परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित कर दिए गए। 1986 में कर दिया गया। एम.डी.एफ.सी. (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के संदर्भ में, रूप में गलत वर्गीकरण था। एम.डी.एफ.सी. को 24 दिसम्बर 1986 के प्रभाव से समाप्त उत्तर में बताया कि प्रतिकूल शेष का कारण ब्याज की राशि का मूलधन की राशि के 294.12 करोड़ रु. (क्रेडिट) का प्रतिकूल शेष पड़ा था। प्रधान लेखा कार्यालय ने अपने अंत में शीर्ष 7052.02.101 - 'जहाजराजी विकास निधि समिति को कर्ज' के अन्तर्गत लेखानियंत्रक,आ.का.वि. में अभिलेखों की संविधा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-08 के

(ii) लेखा नियंत्रक - आ.का.वि.

उपलब्ध नहीं थी।
किया है। शेष राशि तथा अवधि जब से यह राशि लंबित थी, के ब्यौरे म.ले.अ. के पास कि प्रतिकूल शेष 11.70 करोड़ रु. के गलत वर्गीकरण एवं अनिर्णीत डेबिट दावों के

भुगतान को भी करते हैं। वर्ष के अन्त में, सरकार के लेखे में लेन-देने का निवल प्रभाव 'भा.रि.बै. के पास जमा' द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उन आंकड़ों को जो सरकार के खातों और भा.रि.बै. के खातों दोनों में है, सामान्य रूप से मेल खाना चाहिए। इन दो आंकड़ों के बीच अन्तर, यदि कोई हो तो, का समाधान किया जाना चाहिए तथा लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु संतोषजनक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। सिविल लेखा नियमावली प्रावधान करती है कि समाधान करने हेतु का उत्तरदायित्व म.ले.नि. के कार्यालय की होगी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान ले.म.नि. कार्यालय द्वारा यथा प्रस्तुत भा.रि.बै. के पास पड़े शेषों के खातों के आंकड़े और शीर्ष 8999-102-रिजर्व बैंक के पास जमा के अन्तर्गत वित्त लेखे में प्रदर्शित लेखा आंकड़ों के बीच अन्तर निम्नवत है:

तालिका 2.3 आर.बी.डी. के खातों के आंकड़े तथा लेखाकरण आंकड़ों में विभिन्नता

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	वित्त लेखे के आंकड़ों के अनुसार	भा.रि.बै. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार	अन्तर	आर बी डी अनुभाग के अभिलेखों के अनुसार अन्तर	
2003-04	7411.95(डे.)	7387.12(क्रे.)	24.83(डे.)	-24.83(डे.)	*ये आंकड़े बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित है।
2004-05	79753.07(डे.)	15733.48(क्रे.)	64019.59(क्रे.)	191.57(क्रे.) *64211.16	
2005-06	65491.39(डे.)	*36341.39(क्रे.)	29150.00(क्रे.)	-87.90(क्रे.) *29062.10	
2006-07	94886.59(डे.)	*32073.80(क्रे.)	62812.79(क्रे.)	161.10(क्रे.) *62973.89	
2007-08	229639.47	60968.97	168670.50	278.08 (डे.) *168392.42	

* वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के वित्त लेखे में, भा.रि.बै., सी.ए.एस., नागपुर के अनुसार विवरणी सं. 13 के अधीन फुटनोट ने अंतिम शेष में गलत रूप से 3634139 (हजार) रु क्रेडिट एवं 3207380 (हजार) रु क्रेडिट के रूप में प्रदर्शित किए।

31 मार्च 2008 तक समाधान किए गए भिन्नता के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण रूप बढ़े। समाधान की गई भिन्नताएं मुख्यतः समुद्र विकास विभाग* (320.22 करोड़ रु. डेबिट); भू-विज्ञान मंत्रालय (49.00 करोड़ रु. क्रेडिट) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (28.40 करोड़ रु.) आदि से संबंधित थे। म.ले.नि. के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि भिन्नताएं कई वर्षों से समाधान पिछे पड़ी थी जो राशियों के सामाधान हेतु समय पर प्रयासों की अपर्याप्त को प्रदर्शित कर रही थी। उदाहरणस्वरूप, राजस्व विभाग के संबंध में 7.62 करोड़ रु. (क्रे.) का समाधान 1983-84 के पूर्व की अवधि से

* अब भू-विज्ञान मंत्रालय है

संबंधित की जबकि रा.रा.क्षे. दिल्ली के मामले में 28.40 करोड़ रु. का गैर-समाधान न की गई भिन्नता 1977-78 से 2001-02 तक की अवधि से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि म.ले.नि. कार्यालय ने विभाग/मंत्रालय के संदर्भ में इनकी न की गई में प्रदर्शित 16 करोड़ रु. की समाधान राशि तथा अवधि जिससे यह राशि संबंधित थी, के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए।

म.ले.नि. ने बताया कि यह अन्तर बाजार स्थितीकरण योजना (बा.स्थि.यो.) से संबंधित आंकड़ों के वित्त लेखे में समाविष्ट किए जाने के कारण था। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित आंकड़ों में शामिल नहीं थे अन्य मित्रताएं (i) भा.रि.बैं. से सरकारी समायोजन पर समायोजनो पर समाशोधन ज्ञापन; (ii) बैंक लेन-देनो से प्राप्ति/भुगतान स्क्रोल तथा (iii) बैंक लेन-देनो का गलत निष्पादन/वर्गीकरण के अप्राप्ति/विलम्ब से प्राप्ति के कारण था। ले.म.नि. कार्यालय ने बताया कि अक्टूबर 2008 में बताया कि इसके द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 63 विभागों में से 40 विभाग वित्तीय वर्ष 2006-07 की समाप्ति तक अब एक करोड़ रु. से कम का अन्तर है तथा शेष अन्तरों का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.9.4 “चैक एवं बिल” शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख जो अन्तर समाशोधित होते हैं, के लिए मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष है। लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे भु.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल में प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रक्रियाओं तथा निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी कर भुगतान को प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं बिल को वितरित चैकों की कुल राशि द्वारा क्रेडिट किया जाता है। लोक क्षेत्र बैंक/भा.रि.बैं (के.ले.अ.) नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाते हुए तिथि-वार मासिक विवरण ति.मा.वि/ शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर जैसा भी मामला हो शीर्ष 8670- चैक एवं बिल को ऋण क्रेडिट तथा उपरोक्त 8658-108-पी.एस.बी. उचन्त/8675-101-भारतीय रिजर्व बैंक जमा- केन्द्रीय सिविल को प्रदान किया जाता है।

2007-08 के वित्त लेखे में भारी शेष “चैक एवं बिल” के निम्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए हैं:

(करोड़ रूपयों में)

पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.47
वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	14065.71
विभागीय चैक	डेबिट	44.72
खजाना चैक	क्रेडिट	4.62
इरला चैक	क्रेडिट	0.59
दूर संचार लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	1240.80
डाक चैक	क्रेडिट	4977.47
रेलवे चैक	क्रेडिट	2310.24
रक्षा चैक	क्रेडिट	4637.90
इलैक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	85.47

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के एक माह के उपरान्त छः माह की अवधि हेतु भुगतान तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैके के मामले में उन्हें बिना रहे 8670-‘चैक एवं बिल’ में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापसी या रद्द किया जाना होता है तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष व्यय वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखों में राशि को पुनः लेनदेन किया जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती है कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहे थे जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी। ‘चैक एवं बिल’ के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिकथित रहे। उत्तर में, म.ले.नि. ने अक्टूबर 2008 में बताया कि तीन महीनों से अधिक बकाया चैकों को वापस लेने हेतु संबंधित मु.ले.नि. को अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

चार प्रधान लेखा कार्यालयों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सी.बी.डी.टी. में 9.56 करोड़ रु. की राशि के 5295 चैक तथा अधिक कार्य विभाग में 3.84 करोड़ रु. की राशि के 1923 चैक छः माह से अधिक के लिए बिना भुगतान किए रहे किन्तु प्र.ले.का. द्वारा निरन्तर नहीं किए गए थे।

2.9.5 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा का न किया जाना

सिविल लेखा नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, भु.ले.का. विभिन्न ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का सत्यापन करेगा और जहाँ कहीं भी आवश्यक है यह सुनिश्चित करेगा कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते हैं या जिसे देय है और गैर-समाधान विभिन्नताओं को दर्शाने वाले व्यौरे एवं मामले जहाँ शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है को दर्शाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा अधिकारी पूरे

मंत्रालय/विभाग हेतु समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक महालेखा-नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे के विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के शेषों की समीक्षा कुल 67 प्रधान लेखा कार्यालयों में से केवल क्रमशः सात, 11 एवं नौ विभागों में पूर्ण की गई थी।

शेषों की समीक्षा न करने तथा प्र.ले.का. द्वारा समय पर कार्रवाई की कमी को प्रतिकूल शेषों सहित वृहत शेषों को कई वर्षों तथा कुछ मामलों में कई दशकों से बकाया दर्शाया गया है, जैसा कि बाद के पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सरकारी लेखों की यथातथ्यता एवं गुणवत्ता के सुधार के लिए ऋ.ज.प्रे. एवं उच्चत शीर्ष के अन्तर्गत शेषों के समाशोधन/निपटान हेतु निरन्तर समीक्षा एवं सामयिक कार्रवाई हेतु एक अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण तंत्र को स्थापित करे।

अध्याय 3

संसाधन : प्रवृत्तियां तथा संरचना

संघ सरकार के समग्र संसाधनों में राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण तथा गैर-ऋण प्राप्तियों के साथ साथ लोक लेखे में सम्भूति) प्राप्तियां सम्मिलित हैं। दीर्घावधि (1992-2008) में विभिन्न घटकों की वृद्धि में अन्तर्वर्षीय परिवर्तन के बावजूद, जिसमें लोक लेखा में सम्भूतियों को शामिल करके ऋण प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य गैर-ऋण प्राप्तियों) के बीच अनुपात 2006-07 के दौरान चार-पांच तथा एक-पांच था लेकिन इसके पश्चात चालू वर्ष के दौरान इसमें ऋण प्राप्तियों के पक्ष में झुकाव हुआ है।

राजस्व प्राप्तियां, अपनी कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सकल कर वसूली में वृद्धि की दर ने Xवीं योजना (2002-07) के अपने प्रथम वर्ष से ही त्वरण प्रदर्शित किया तथा पिछले वर्ष प्राप्त किए 473512 करोड़ रु. की अधिकता से 2007-08 में 25.27 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों, विशेषतया: Xवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान, वस्तु-आधारित कराधान से आय आधारित कराधान में करों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। सकल कर वसूलियों में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तथा सेवा कर के अंश VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 27, 70 तथा 0.48 प्रतिशत के अपने अनुसूचित अंशों की तुलना में 2007-08 के दौरान 50, 38 तथा 9 प्रतिशत थे। प्रवृत्तियों से प्रकट होता है कि वर्षों से राजकोष में लाभ का उच्चतर निगम कर वसूली के रूप में सुधार हुआ था जबकि सकल कर राजस्व में उत्पाद तथा सीमा शुल्कों के अंश में 2002-03 से प्रत्येक वर्ष औसतन गिरावट हुई है। यद्यपि सेवा कर के अंश में 1994-95 में इसके आरम्भ होने से लगातार बढ़ोतरी हुई है।

समग्र कर उत्प्लावकता, मुख्यरूप से अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र, जिसपर सरकार का कर संग्रहण विवेचनात्मक रूप से निर्भर है, में विशेषरूप से विकास गतिमात्रा का पुनःप्रवर्तन तथा सेवाकर के आधार के विस्तारण के कारण, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 0.871 से Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 1.522 की औसत से सार्थक सुधार हुआ है। यह चालू वर्ष के दौरान 1.846 तक बढ़ी थी तथा उत्पाद शुल्क के मामले के अलावा, निगम कर, आयकर तथा सेवा कर की उत्प्लावकता का इकाई से अधिक होना सूचित करता है कि उनकी वृद्धि दरें, स.घ.उ. की वृद्धि से उच्च रही थी। कर-स.घ.उ. अनुपात ने विशेषतया 2002-03 से सुधार प्रदर्शित किया तथा सुधारकाल में 2005-06 में पहली बार 10 प्रतिशत से अधिक के पश्चात 2007-08 में 12.58 के स्तर पर पहुँच गया।

गैर-कर राजस्व के अंश, जोकि 1992-2002 दशक के दौरान संघ सरकार के निवल राजस्व का 44 प्रतिशत बनता था, में Xवीं योजना अवधि के दौरान निरन्तर गिरावट रही है तथा 2007-08 के दौरान 32.04 प्रतिशत की औसत पर पहुँच गया। तथापि पिछले वर्ष के सापेक्ष में 2007-08 में राजस्व उत्प्लावकता के साथ-साथ कर उत्प्लावकता में महत्वपूर्ण सुधार में यह तथ्य दर्शाते हुए कि चालू वर्ष के दौरान गैर-कर संसाधनों के माध्यम से संसाधनों को गतिशील बनाने में, वर्ष के दौरान संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों ने सापेक्ष रूप से अधिक योगदान दिया, सार्थक सुधार था। इसके विभिन्न घटकों की वृद्धि में प्रवृत्तियाँ संकेत करती हैं कि जबकि लाभांश तथा लाभों के अंश में बढ़ोतरी हुई परन्तु वही ब्याज प्राप्तियों के अंश में Xवीं योजना (2002-07) के दौरान, 2002-03 में 32 प्रतिशत से 2006-07 में 15.42 प्रतिशत की निरन्तर गिरावट हुई। ऋण अग्रिम पर ब्याज दरों में मन्दन तथा ऋण विनिमय योजना के साथ-साथ बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) की योजना ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अवमन्दन में योगदान दिया है। यद्यपि ब्याज प्राप्तियां पिछले वर्ष से 2007-08 में 30.35 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी थी, जोकि मुख्य रूप से वर्ष के दौरान राज्य

योजनागत योजनाओं के साथ-साथ बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत लिए गए ऋणों पर बढ़ी हुई ब्याज प्राप्तियां के कारण थी। चालू वर्ष के दौरान तीव्र वृद्धि के बावजूद, 1992-2008 के दौरान, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं तथा सरकार के प्रधान तथा अन्य सामान्य कार्यों से गैर-ऋण प्राप्तियों में एक नकारात्मक परिवर्तित दर थी। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का अंश जिसमें मुख्य रूप से विविध पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश) तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल है, पूर्णतया निरर्थक रही थी तथापि पिछले वर्ष से भी तथा अपने बजट अनुमानों के साथ-साथ 2007-08 में इन दो शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि थी।

संघ सरकार के संसाधन: 2007-08

3.1 राजस्व एवं पूंजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनसे संघ सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो घटक ऋण प्राप्तियां, जो भविष्य में शोधन के लिए दायित्वों का सृजन करती हैं और विविध पूंजीगत प्राप्तियां, जो संघटित तौर पर विनिवेश से प्राप्तियां तथा ऋणों एवं पेशगियों की वसूलियां, जो परिसम्पत्तियों के प्रभावी या वास्तविक आधार को कम करने में सहायक होती है। नीचे तालिका 3.1 संघ सरकार के कुल संसाधनों, जो वर्ष 2007-08 के लिए 3274382 करोड़ रु. बनते थे, का सारांश प्रस्तुत करती है। 850413 करोड़ रु. की गैर-ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 27 प्रतिशत बनती थी। शेष या तो राज्यों को समनुदेशित किये जाने थे या उधार तथा लोक लेखा प्राप्तियों की प्रकृति के थे।

तालिका 3.1: संघ सरकार के संसाधन

(करोड़ रूपयों में)

I	राजस्व प्राप्तियां		801226
II	पूंजीगत प्राप्तियां		1917289
	क.	विविध प्राप्तियां	38796
	ख.	कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	10391
	ग.	ऋण प्राप्तियां	1868102
III	लोक लेखा प्राप्तियां		460981
IV	आकस्मिकता निधि		0
	कुल प्राप्तियां		3179496
	नकद अथ शेष		94882
	संसाधनों की कुल उपलब्धता		3274378
टिप्पणी: (1) राजस्व प्राप्तियों में 151800 करोड़ रु. राज्यों को सौंपे गये करों तथा शुल्कों का हिस्सा शामिल है और संघ सरकार के वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।			
(2) राजस्व प्राप्तियों में रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियां शामिल हैं।			

संसाधनों में प्रवृत्तियां

3.2 संघ सरकार के समग्र संसाधनों में 1992-2008 के दौरान 15.56 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान वृद्धि दर में परिवर्तन के

बावजूद प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान संघ के सकल संसाधनों की संभूतियों में 14.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। तथापि IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 7.02 प्रतिशत तक अवत्वरित हो गई। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान प्रवृत्ति में व्युत्क्रम था क्योंकि वृद्धि प्रवृत्ति दर न केवल 24.97 प्रतिशत दर तेजी से बढ़ी बल्कि योजना अवधि के दौरान स.घ.उ. की वृद्धि से आगे बढ़ गई थी। सकल संसाधन की संभूतियों में वृद्धि से 2003-04 में संवेग में बल आने के परिणामस्वरूप संघ की कुल प्राप्तियों के सभी चार घटकों में बढ़ी हुई दरों की वृद्धि हुई। विशेषतया गैर-ऋण प्राप्तियों में जोकि ऋण विनिमय योजना के अंतर्गत ऋणों एवं अग्रिमों की बढ़ी हुई वसूलियों के कारण दुगुना से कहीं अधिक थी तब से कुल प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से संघ सरकार की ऋण तथा राजस्व प्राप्तियों की दोनों की विकास दरों में वृद्धि पर आरोपित गया था जिसका Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम दो वर्षों, अर्थात् 2005-06 तथा 2006-07 के साथ-साथ XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष 2007-08 के दौरान कुल प्राप्तियों के 4/5वें से अधिक के लिए एक साथ परिकलित किया गया था।

3.3 अन्तः वर्ष में, सकल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए वृद्धि प्रवृत्ति (1992-2008) न केवल निम्नतम थी बल्कि इसमें अवधि के दौरान वृहत रूप से उतार-चढ़ाव हुआ। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि जो कि बहुत उच्च आधार पर थी 2004-05 तथा 2005-06 में ऋणात्मक थी। सही अर्थों में, 2003-04 तथा 2004-05 में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऋण विनिमय योजना के कारण, अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति की तुलना में पर्याप्त रूप से उच्चतर स्तर पर अनुरक्षित की। 2005-06 में निम्न आधार के अतिरिक्त, विगत वर्ष की अपेक्षा 2006-07 में 6890 करोड़ रु. (58.38 प्रतिशत) से ऋणों की वसूली में तीव्र बढ़ोतरी वर्ष के दौरान गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 43.66 प्रतिशत की वृद्धि को निर्दिष्ट करती है। भारत सरकार को भारतीय स्टेट बैंक में अपने धारिता के हस्तांतरण के कारण प्राप्तियों को भा.रि.बैं. द्वारा एक समय हस्तांतरण के कारण केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम (4387 करोड़ रु.) के साथ-साथ विविध पूंजीगत प्राप्तियों (33875 करोड़ रु.) में विनिवेश से प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 155 प्रतिशत (29962 करोड़ रु.) से अधिक की वृद्धि का कारण था।

तालिका 3.2: प्राप्तियों के घटक : प्रवृत्तियाँ


(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियाँ#	पूँजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ*	सकल घरेलू उत्पाद
		निवल गैर- ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ	निवल ऋण प्राप्तियाँ	लोक लेखे में निवल संभूतियाँ		
1992-2008	336788	25822	588238	249607	1200455	2224784
VIIIवी योजना (1992-97)	157991	9373	164326	102117	433807	1037397
IXवी योजना (1997-02)	282019	17430	427187	210498	937134	1922332
Xवी योजना (2002-07)	477466	45989	917229	393933	1834616	3216949
2002-03	355948	41896	435371	307235	1140450	2454561
2003-04	404866	86780	538492	369133	1399271	2754620
2004-05	455466	68664	705289	427507	1656926	3149412
2005-06	525325	13382	1262363	410769	2211839	3580344
2006-07	645723	19225	1644628	455019	2764595	4145810
XIवी योजना (2007-12)						
2007-08	801226	49187	1868102	460981	3179496	4713148
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2008	12.30	12.53	18.47	13.73	15.56	12.29
VIIIवी योजना (1992-97)	15.41	0.01	15.98	14.43	14.87	16.72
IXवी योजना (1997-02)	8.58	18.24	2.22	13.76	7.02	10.33
Xवी योजना (2002-07)	15.62	-29.02	42.05	9.33	24.97	14.00
2002-03	11.89	71.85	-0.30	18.88	9.91	7.71
2003-04	13.74	107.13	23.69	20.15	22.69	12.23
2004-05	12.50	-20.88	30.97	15.81	18.41	14.33
2005-06	15.34	-80.51	78.99	-3.92	33.49	13.68
2006-07	22.92	43.66	30.28	10.77	24.99	15.79
XIवी योजना (2007-12)						
2007-08	24.08	155.85	13.59	1.31	15.01	13.68

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं (2007-08 हेतु 151800 रु)। * 2005-06 के दौरान कुल प्राप्तियाँ भारत की आकस्मिकता निधि को क्षतिपूर्ति के रूप में 450 करोड़ रु. की प्राप्तियाँ के अतिरिक्त हैं।

3.4 Xवी योजना (2002-07) के अंतिम चार वर्षों के दौरान ऋण प्राप्तियों में तीव्र बढ़ोत्तरी के कारण Xवी योजना के दौरान वृद्धि प्रवृत्ति दर IXवी योजना (1997-2002) में 2.22 प्रतिशत के निम्न स्तर से 42 प्रतिशत तक तीव्रता से बढ़ी। यद्यपि प्रवृत्ति 2007-08 में संतुलित स्तर पर जारी थी क्योंकि ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की अपेक्षा 223474 करोड़ रु. (13.59 प्रतिशत) में बढ़ गयी थी। राजस्व प्राप्तियों में विशेष रूप से वर्तमान वर्षों में उत्प्लावकता थी तथा IXवी योजना अवधि के दौरान पाई गई वृद्धि दरों

के संदर्भ में औसत त्वरण Xवीं योजना (2002-07) में 7.0 प्रतिशतता अंक के निकट था। राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता XIवीं योजना (2007-12) के आरम्भ में जारी है जब कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2007-08 में 24.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।



3.5 नीचे तालिका 3.3 तथा चार्ट 3.2 संसाधनों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश को दर्शाती है। काफी लम्बे समय से (1992-2008) ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त, अन्य तीन संघटकों के सापेक्षिक अंशों में ऋणात्मक विचलन रहा था।

तालिका 3.3: कुल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश


(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		सकल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	सकल ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में सकल संभूतियां	
1992-2008	28.06	2.15	49.00	20.79	100.00
VIIIवीं योजना (1992-97)	36.42	2.16	37.88	23.54	100.00
IXवीं योजना (1997-02)	30.09	1.86	45.58	22.46	100.00
Xवीं योजना (2002-07)	26.03	2.51	50.00	21.47	100.00
2002-03	31.21	3.67	38.18	26.94	100.00
2003-04	28.93	6.20	38.48	26.38	100.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूँजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		सकल गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां	सकल ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में सकल संभूतियां	
2004-05	27.49	4.14	42.57	25.80	100.00
2005-06	23.75	0.61	57.07	18.57	100.00
2006-07	23.36	0.70	59.49	16.46	100.00
XIवी योजना (2007-12)					
2007-08	25.20	1.55	58.75	14.50	100.00
अंशों में औसत वार्षिक विचलन की दर					
1992-2008	-2.83	-2.62	2.52	-1.58	

चार्ट 3.2 : 1992-2008 के दौरान संघ की कुल प्राप्तिओं के विभिन्न घटकों का सापेक्षअंश



जहां VIIIवी योजना के दौरान राजस्व प्राप्तियां का सापेक्षिक अंश शिखर पर था, वहीं ऋण प्राप्तिओं का अंश 2006-07 के दौरान शिखर पर था। 2003-04 तथा 2002-03 वर्षों के दौरान क्रमशः गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां तथा लोक लेखे से संभूतियां पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी तथा बाद के वर्षों में गिरावट प्रदर्शित हुई। राजस्व प्राप्तिओं का सापेक्षिक अंश VIIIवी योजना (1992-1997) के दौरान 36.42 प्रतिशत की पराकाष्ठा तक पहुँचने के पश्चात IXवी योजना (1997-2002) के दौरान पिछले वर्षों में 30 प्रतिशत से कुछ ज्यादा के साथ दक्षिण की ओर बह गया तथा Xवी योजना (2002-07)

के दौरान इसका औसत 26.03 प्रतिशत हो गया। 1992-2008 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों के मामले के अलावा राजस्व प्राप्तियों के अंश के सापेक्ष ऋणात्मक विचलन; गैर-ऋण प्राप्तियां तथा लोक लेखे सार्थक थे। संघ सरकार के सकल संसाधनों के चार घटकों के सापेक्षिक अंशों में इन विचलनों के बावजूद लोक लेखे में संभूतियों को सम्मिलित करते हुए ऋण प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां और अन्य गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां) के बीच अनुपात 2006-07 के दौरान चार-पांच तथा एक -पांच था परन्तु ये आगे चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों के पक्ष में अंशतः प्रवृत्त होता है।

स.घ.उ. के सापेक्ष में संसाधनों तक पहुंच

3.6 जैसे आय बढ़ती है संसाधनों की पहुंच में वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि आधार अपने आप में विस्तृत हो जाता है। तथापि स.घ.उ. के सापेक्ष में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। स.घ.उ. की तुलना समग्र संसाधनों का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 41.82 प्रतिशत था; IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 48.75 प्रतिशत के औसत तक बढ़ गया तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 57.03 प्रतिशत के औसत तक बढ़ गया जिसका परिणाम 53.96 प्रतिशत (1992-2008) की दीर्घावधि औसत प्रवृत्ति में हुआ। हाल के वर्षों में इस अनुपात में लगातार सुधार हुआ 2005-06 में 60 प्रतिशत से बढ़ गया तथा 2006-07 में 66.68 प्रतिशत के स्तर से तीव्रता से 2007-08 में 67.46 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। वर्तमान वर्षों में इस सुधार के कारण सभी चार घटकों के साथ साथ स.घ.उ. अनुपात की तुलना में समग्र प्राप्तियों में धनात्मक विचलन दर थी (तालिका 3.4)। यद्यपि वे राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के मामले में सीमान्तक हो रहे हैं। ये प्रवृत्तियां संसाधनों की पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाती है क्योंकि 1992-2008 की अवधि के दौरान आधार अर्थात् स.घ.उ. बढ़ गया था। यदि कुल प्राप्तियां तथा 1992-93 में स.घ.उ. में 100 पर स्थिर थे तो 2007-08 में कुल प्राप्तियां स.घ.उ. हेतु 630 के मूल्य के प्रति 1039 होगी। **चार्ट 3.3** 1992-2008 अवधि के दौरान स.घ.उ., कुल प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में कुल प्राप्तियों के अंश के बीच अन्तः सम्बन्ध का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण है।


तालिका 3.4: स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियां

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		सकल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	सकल ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में सकल संभूतियां	
1992-2008	15.14	0.60	26.44	11.22	53.96
VIII वीं योजना (1992-97)	15.23	0.90	15.84	9.84	41.82
IX वीं योजना (1997-02)	14.67	0.91	22.22	10.95	48.75
X वीं योजना (2002-07)	14.84	1.43	28.51	12.25	57.03

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

2002-03	14.50	1.71	17.74	12.52	46.46
2003-04	14.70	3.15	19.55	13.40	50.80
2004-05	14.46	2.18	22.39	13.57	52.61
2005-06	14.67	0.37	35.26	11.47	61.78
2006-07	15.58	0.46	39.67	10.98	66.68
XI वी योजना (2007-12)					
2007-08	17.00	1.04	39.64	9.78	67.46
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर					
1992-2008	0.01	0.21	5.51	1.29	2.91



3.7 वित्त लेखाओं में प्राप्तियां एवं संवितरण, विशेषतः जो लोक ऋण एवं लोक लेखे से सम्बन्धित हैं, सकल आधार पर प्रकट होते हैं तथा इसलिए, राष्ट्रीय संसाधनों पर सरकार के काफी बड़ी रूपरेखा को दर्शाते हैं। अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से समायोजन, स्वभाव से ही अल्पावधि उपाय हैं तथा अस्थायी बेमेल के लिए एक आवरण प्रदान करते हैं। ये स्वपरिसमापक हैं तथा उनको ऋण प्राप्तियों में सम्मिलित किये जाने से ये आंकड़े अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार लोक लेखे में संभूतियां, जो कि सरकार द्वारा बैंकिंग संचालन के सदृश है, सकल आधार पर वास्तविक पहुंच प्रदान किये बिना सकल आंकड़ों को आत्मसात कर सकती है। जहां कुछ सीमा तक यह अन्य ऋण प्राप्तियों के लिए भी सही हो सकता है क्योंकि इन प्राप्तियों का बड़ा अंश ऋण परिसमापन के लिए हैं, वहीं ये एक संरचित

उधार योजना की आवश्यकता को दर्शाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रभावी प्राप्तियों तक पहुंचने के लिए सरकार के संसाधनों पर उसके अ.अ. तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के प्रचालनों के प्रभार को निवल करना आवश्यक है। तालिका 3.5 कुल प्राप्तियों पर इस निवलता तथा पिछले आठ वर्षों के लिए स.घ.उ. की तुलना में कुल प्राप्तियों के अनुपात के प्रभाव को दर्शाती है। ऐसे निष्प्रभावीकरण के फलस्वरूप संघ सरकार की निवल प्राप्तियां में 2007-08 में कुल प्राप्तियों के 67.46 प्रतिशत से 32.86 प्रतिशत तक 34.60 प्रतिशतता अंको तक गिरावट आ जाती है।

तालिका 3.5 : संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका अंश

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां**	अ.अ. की निवल प्राप्तियां	खजाना बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा संभूतियां	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत)
1998-99	254369	19063	131789	1042	-850	40942	446355	25.49
1999-00	298076	14275	132556	-2060	-4440	23345	461752	23.65
2000-01	307724	18924	152146	4413	1340	25123	509670	24.24
2001-02	318121	24379	187523	-219	-1553	42364	570615	25.04
2002-03	355948	41896	206830	-5176	3134	37011	639643	26.06
2003-04	404866	86780	297096	0	1626	-22650	767718	27.87
2004-05	455466	68664	326960	0	7354	27119	885563	28.12
2005-06	525325	13382	369247	0	24733	3514	936201	26.15
2006-07	645723	19225	408517	0	136	48639	1122240	27.07
2007-08	801226	49187	633418	0	29154	35717	1548702	32.86

* राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं।

** अर्थोपाय अग्रिमों तथा खजाना बिलों की प्राप्तियों का निवल

राजस्व प्राप्तियां: मुख्य समुच्चयों की गति

3.8 राजस्व प्राप्तियां, इसके कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इन प्राप्तियों तक पहुंचने में कोई भविष्य भुगतान के दायित्व नहीं है। 1992-2008 की अवधि के दौरान संघ की राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ इसके सकल कर संग्रहण में गठन तथा प्रवृत्तियों को तालिका 3.6 तथा चार्ट 3.4 एवं चार्ट 3.5 प्रस्तुत करते हैं। संघ सरकार की समग्र राजस्व प्राप्ति में (राज्यों के सकल कर संग्रहण से उनके अंश का निवल) 1992-2008 के दौरान 10.86 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। तथापि, औसत वार्षिक वृद्धि दर में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 15.02 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 4.65 प्रतिशत दर तक एक तीव्र गिरावट आई। Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान प्रवृत्ति में उत्क्रमण था जब योजना अवधि के दौरान गैर-कर प्राप्ति में

सुस्त वृद्धि के बावजूद वृद्धि की औसत वार्षिक दर में तीव्रता से 14.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1992-2008 की अवधि के दौरान निवल कर राजस्व में गैर-कर प्राप्तियों के अंश की विचलन दर भी ऋणात्मक थी। संघ सरकार का निवल राजस्व 2006-07 में पहली बार 20 प्रतिशत से पार कर गया तथा आगे चालू वर्ष के दौरान 23.61 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया। हाल के वर्षों के दौरान निवल राजस्व प्राप्तियों की उच्च उत्प्लावकता के बावजूद, VIII, IX तथा Xवीं योजना अवधियों के दौरान स.घ.उ. के निवल राजस्व के रूप में प्रतिशत की एक सीमान्तक गिरावट निर्दिष्ट करती है जैसाकि निवल राजस्व प्राप्तियों की औसत वृद्धि दर स.घ.उ. की औसत वृद्धि दर से निम्न रहने का परिणाम 1992-2008 की अवधि के दौरान 0.66 की ऋणात्मक विचलन दर में हुआ जैसाकि तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियाँ


(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व	संघ के निवल राजस्व	गैर-कर राजस्व का अंश (प्रतिशत)	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में निवल राजस्व
1992-2008	220092	47701	172391	116696	289087	40.37	12.99
VIIIवीं योजना (1992-97)	96533	9435	87097	61459	148556	41.37	14.32
IXवीं योजना (1997-02)	166087	29808	136278	115933	252211	45.97	13.12
Xवीं योजना (2002-07)	323047	83040	240007	154419	394426	39.15	12.26
2002-03	216266	56122	160144	139682	299826	46.59	12.22
2003-04	254348	65766	188582	150518	339100	44.39	12.31
2004-05	304958	78595	226363	150508	376871	39.94	11.97
2005-06	366151	94385	271766	159174	430940	36.94	12.04
2006-07	473512	120330	353182	172211	525393	32.78	12.67
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	593147	151800	441347	208079	649426	32.04	13.78
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1992-2008	13.65	24.87	11.55	9.67	10.86	-1.08	-0.66
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.89	21.86	15.30	14.66	15.02		
IXवीं योजना (1997-02)	9.00	49.19	1.90	8.00	4.65		
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	20.76	21.50	4.86	14.59		
2002-03	15.61	6.21	19.32	6.58	13.02		
2003-04	17.61	17.18	17.76	7.76	13.10		
2004-05	19.90	19.51	20.03	-0.01	11.14		
2005-06	20.07	20.09	20.06	5.76	14.35		
2006-07	29.32	27.49	29.96	8.19	21.92		
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	25.27	26.15	24.96	20.83	23.61		
टिप्पणी: इसमें रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों की प्राप्तियाँ शामिल हैं।							

3.9 गैर-कर राजस्व, आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित करते हुए 1992-2002 के दशक के दौरान संघ सरकार के निवल राजस्व के औसत का 43.67


प्रतिशत बनता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान, कुल गैर-कर राजस्व में मंद वृद्धि तथा इन वर्षों के दौरान कर राजस्व में भारी वृद्धि के कारण संघ की निवल राजस्व प्राप्तियों में सापेक्षिक उच्चतर वृद्धि के सामूहिक प्रभाव के कारण इसमें निरन्तर कमी हुई थी। 2007-08 में गिरावट प्रवृत्ति जारी थी क्योंकि निवल राजस्व प्राप्तियों में गैर-ऋण राजस्व का अंश पिछले वर्ष में 32.78 प्रतिशत के स्तर से लगभग एक प्रतिशत अंकों से और आगे गिर गया था। संघ के निवल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व के अंश में निरन्तर गिरावट (चार्ट 3.4) का परिणाम 1992-2008 के दौरान -1.08 की ऋणात्मक विचलन दर में हुआ।

चार्ट 3.4 : 1992-2008 के दौरान संघ की निवल राजस्व प्राप्तियों के संघटन में प्रवृत्तियाँ



3.10 दसवीं योजना ने अपने सबसे पहले वर्ष में सकल कर वसूली की वृद्धि की दर में त्वरण देखा तथा संघ द्वारा रखे गए वसूली के उस भाग में इस संवेग को भी बनाए रखा। 2006-07 में सकल कर वसूली की वृद्धि 29.32 की उच्चतम सीमा तक पहुँची तथा 2005-06 में 20.07 प्रतिशत अंकों से 9.25 प्रतिशत अंकों तक तीव्र रूप से बढ़ी। 2006-07 में बहुत विशाल आधार के बावजूद, सकल कर संग्रहण, हाल के वर्षों के दौरान, विशेषरूप से Xवीं योजना (2002-07) के आरम्भ से संघ सरकार के राजस्व में बहुत उच्च उत्प्लावकता दर्शाते हुए 2007-08 के दौरान 25.27 प्रतिशत तक बढ़ गया। बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) पंचाट के अन्तर्गत प्रतिशतता अंश में बढ़ोतरी के साथ-साथ बा.वि.आ. प्रक्षेपण के विपरीत सकल कर राजस्व की परिशुद्ध राशि में बढ़ोतरी के कारण केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यों के अंश 2006-07 में 120330 करोड़ रु. से 26.15 प्रतिशत बढ़ कर 2007-08 में 151800 करोड़ रु. हो गया।

चार्ट 3.5 : संघ सरकार के सकल कर राजस्व तथा निवल कर प्राप्ति में राज्य का अंश



मुख्य कर: सापेक्षिक निष्पादन

3.11 1992-2008 के दौरान निगम कर में 21.31 प्रतिशत की उच्चतम प्रवृत्ति वृद्धि के साथ विभिन्न करों के सापेक्षिक निष्पादन में पिछले वर्षों में सार्थक परिवर्तन हुआ (तालिका 3.7)।

तालिका 3.7: कर राजस्व के संघटक (सकल)

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1992-2008	220092	52894	34431	48441	69620	9505	5201
VIIIवीं योजना (1992-97)	96533	13567	12575	30273	37014	465	2638
IXवीं योजना (1997-02)	166087	29508	25353	43418	60838	2317	4652
Xवीं योजना (2002-07)	323047	87602	51720	60497	100210	17373	5645
2002-03	216266	46172	36866	44852	82310	4122	1944
2003-04	254348	63562	41387	48629	90774	7891	2105
2004-05	304958	82680	49268	57611	99125	14200	2074
2005-06	366151	101277	55985	65067	111226	23055	9541
2006-07	473512	144318	75093	86327	117613	37598	12563
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	593147	192911	102659	104119	123611	51302	18545
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1992-2008	13.65	21.31	16.58	8.46	10.30	*	7.64
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.89	21.71	24.72	18.00	10.45	*	-2.50
IXवीं योजना (1997-02)	9.00	17.15	18.58	1.61	11.41	19.19	-30.18
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	31.59	18.83	17.36	9.60	73.21	68.93
2002-03	15.61	26.12	15.19	11.38	13.44	24.83	-16.28
2003-04	17.61	37.66	12.26	8.42	10.28	91.44	8.28
2004-05	19.90	30.08	19.04	18.47	9.20	79.95	-1.47
2005-06	20.07	22.49	13.63	12.94	12.21	62.36	360.03
2006-07	29.32	42.50	34.13	32.67	5.74	63.08	31.67
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	25.27	33.67	36.71	20.61	5.10	36.45	47.62

*सेवा कर 1994-95 में लागू किया गया था। #राज्यों/सं.शा.क्षे. को सौंपे गए करों/कर्तव्यों के आंकड़े शामिल हैं।

3.12 आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों में करों के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अधिक व्यापक क्षेत्र, विस्तृत आधार तथा संतुलित दरें, नई कर शासन प्रणाली की आधारशिला बन गये। पदार्थ आधारित कराधान से कम विकारपूर्ण आय आधारित कराधान की ओर भी परिवर्तन था। इस परिवर्तन से कर अनुपालना, कर उत्प्लावकता तथा अन्ततः कर-स.घ.उ. अनुपात में सुधार होना अपेक्षित था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान कर प्राप्तियों की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत की औसत से बढ़ी थी जो 1992-2008 के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि से दो प्रतिशतता अंको से कुछ अधिक थी। यह VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान सकल कर संग्रहण में वृद्धि को इस अवधि के दौरान आयकर, निगम कर तथा सीमा शुल्क में बढ़ी हुई वृद्धि माना जा सकता था। तथापि IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान इन तीनों करों/शुल्कों की औसत वार्षिक वृद्धि की दर में, गिरावट आई थी। जबकि सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की दर में, शुल्कों को घटाये जाने को ध्यान में रखते हुये, गिरावट अपेक्षित थी, इसकी दूसरे करों में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी से सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। यहां तक कि 1994-95 में सेवा कर के लागू किये जाने, जिससे अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ था, से भी इस अवधि के दौरान वृद्धि दर को कायम नहीं रखा जा सका था। यदि 1992-93 में मुख्य करों से सकल वसूली 100 पर स्थिर होती है तो 2007-08 में वसूली सूची निगम करों के लिए 2168, आय कर के लिए 1300, उत्पाद शुल्क से 401 तथा सीमा शुल्क के लिए केवल 438 होगी। निगम तथा आयकर की वसूली में त्वरण विशेष तौर पर अवधि के दौरान कर संरचना के वैज्ञानिक पुनर्गठन तथा अन्य कर सुधारों का परिणाम था।

3.13 2007-08 में कर प्राप्तियों ने उत्पाद शुल्क के अलावा सभी करों से संभावित उत्प्लावकता से उच्च उत्प्लावकता को दर्शाया है। जबकि आयकर तथा सीमा शुल्क से कुल वसूली कुल वसूलियों के लिए 25.27 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध क्रमशः 36.71 प्रतिशत तथा 33.67 प्रतिशत बढ़ी, चालू वर्ष के दौरान सेवा कर सीमाशुल्क तथा

उत्पादशुल्क से वसूलियों में क्रमशः 36.45 प्रतिशत, 20.61 प्रतिशत तथा 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवा कर में वृद्धि दरों में परिवर्तन तथा सेवाओं के आच्छादन में वृद्धि दोनों के कारण थी। अप्रत्यक्ष कर सुधार सीमा शुल्कों हेतु एसियन स्तरों तथा केन्द्रीय उत्पाद हेतु सेनवेट दरों के और बढ़ने पर केन्द्रित थे। संतुलित, विवेकपूर्ण तथा सरलीकृत कर संरचना को लाने की तथा एसियन स्तरों में सीमा शुल्क को कम करने की योजना चालू वर्ष के दौरान जारी रखी क्योंकि विभिन्न उत्पादों के लिए सीमा शुल्क के उच्च दर में विभिन्न श्रेणियों के पार गैर-कृषि आयातों तथा केमिकल तथा प्लास्टिक को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण रूप से कमी हुई थी।

3.14 इन उपायों के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में 2007-08 के दौरान आयकर, निगम कर, सीमा शुल्कों तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अन्तर्गत वसूली में सुस्पष्ट वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की वृद्धि दरों में गिरावट अंशतः उनकी कर संरचना में बुद्धिसंगत व्याख्या के कारण तथा अंशतः पिछले वर्ष में उनके अपेक्षाकृत उच्चतर आधारों के कारण थी। अन्य 'शीर्ष' के अन्तर्गत अर्थपूर्ण वृद्धि मुख्यतः सीमान्त लाभ कर, प्रतिभूतियां सम्पादन कर तथा बैंकिंग नकद सम्पादन कर, जो कि बजट अनुमानों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा है, के अधीन वसूली में प्रदर्शित उत्प्लावक वृद्धि के कारण है तथा 'अन्य कर' शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिबिम्बित की गई है।


3.15 विभिन्न करों के अन्तर्गत वसूली के रूप में अन्तरीय निष्पादन के अलावा संघ के सकल कर राजस्व में उनके प्रासंगिक अंश में भी अर्थपूर्ण बदलाव विशेषरूप से Xवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान हुए थे (तालिका 3.8 तथा चार्ट 3.6)। चूंकि अर्थव्यवस्था में सुधार 90 के दशक के प्रारम्भ में शुरू हुए थे, कुल सकल कर राजस्व में निगम कर का अंश 14.05 प्रतिशत था, जबकि VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान उत्पाद शुल्क का अंश 38.34 प्रतिशत था। तथापि, वर्षों से, उच्चतर निगम कर वसूली के रूप में लाभ धीरे-धीरे पहुंचा जबकि, निगम कर के अंतर्गत वसूलियां 2002-03 में 46172 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 192911 करोड़ रु. हुई थी वहीं उत्पाद शुल्क 2002-03 में 82310 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 123611 करोड़ रु. हुई। 2002-03 से सकल कर राजस्व में उत्पाद कर का अंश में प्रत्येक वर्ष 2.87 प्रतिशतता अंकों की औसत से गिरावट आई है जबकि दूसरी तरफ निगम कर के अंश में लगभग 1.86 प्रतिशतता अंक प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई थी। उत्पाद तथा सीमा शुल्कों को अप्रत्यक्ष करों के अंश में समाविष्ट करते हुए सकल कर राजस्व में VIIIवीं योजना (1992-97) में 69.7 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-02) में 62.77 प्रतिशत तक 6.93 प्रतिशतता अंकों से गिरावट हुई है परन्तु उसके पश्चात इसमें 2002-03 से 2007-08 से छः वर्ष की अवधि के दौरान 3.40 प्रतिशत अंकों की एक वार्षिक औसत दर पर गिरावट आई है। तथापि, वैयक्तिक आयकर का अंश ने VIIIवीं से IXवीं योजना अवधि तक दो प्रतिशतता अंकों की एक सीमान्तक वृद्धि को दर्शाया तथा उसके बाद इसके अंश ने Xवीं योजना अवधि के दौरान 0.24 प्रतिशतता अंकों से अपेक्षाकृत धीमी दर पर क्रमिक गिरावट दर्शाई। यद्यपि 2007-08 के दौरान आयकर अंश एक वर्ष में

1.64 प्रतिशत अंकों से तेजी से बढ़ गया था। 1994-95 में अपनी शुरुआत से सेवा कर का अंश लगातार बढ़ रहा है तथा 2002-03 से 2007-08 की अवधि के दौरान यह प्रति वर्ष 1.2 प्रतिशतता अंक की औसत से बढ़ गया है।

तालिका 3.8: कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक अंश (सकल)

(प्रतिशत)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1992-2008	100.00	24.03	15.64	22.01	31.63	4.32	2.36
VIIIवीं योजना (1992-1997)	100.00	14.05	13.03	31.36	38.34	0.48	2.73
IXवीं योजना (1997-2002)	100.00	17.77	15.26	26.14	36.63	1.40	2.80
Xवीं योजना (2002-07)	100.00	27.12	16.01	18.73	31.02	5.38	1.75
2002-03	100.00	21.35	17.05	20.74	38.06	1.91	0.90
2003-04	100.00	24.99	16.27	19.12	35.69	3.10	0.83
2004-05	100.00	27.11	16.16	18.89	32.50	4.66	0.68
2005-06	100.00	27.66	15.29	17.77	30.38	6.30	2.61
2006-07	100.00	30.48	15.86	18.23	24.84	7.94	2.65
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	100.00	32.52	17.31	17.55	20.84	8.65	3.13



कर उत्प्लावकता

3.16 कर वसूली पर कर व्यवस्था की प्रभावकारिता को सम्मिलित करके सामान्यतः तीन मुख्य घटक अर्थात् कर आधार, कर दर तथा कर अनुपालन प्रभाव डालते हैं। यद्यपि विभिन्न प्रत्यक्ष करों के लिए कानूनी आधार भिन्न होते हैं तथा छूट एवं दूसरी रियायतों के कारण प्रभावकारी ढंग से निर्धारित करने में अत्यन्त जटिल होते हैं, इसलिए स.घ.उ. को कर आधार का उत्तम द्योतक माना जाता है। हांलाकि कर अनुपालना का कोई परिभाषित मापदण्ड नहीं है, तथापि यह कर प्रशासन की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है एवं तीन प्रासंगिक प्रतिपक्ष कारक हैं - निर्धारण की गति, बकायों की वसूली तथा कर निर्धारण हेतु संभावित करदाताओं का नामांकन। कर अनुपालन, स्वैच्छिक तथा बाधित दोनों होते हैं। तथापि स्वैच्छिक अनुपालन प्रभावी एवं निवारक जुर्मानों के अतिरिक्त प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता पर भी निर्भर है। मध्यावधि में आय एवं निगम करों के लिए कर दरें साधारणतः स्थिर रही है।

3.17 कर राजस्व अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का प्रतिबिम्बित समझी जाता है। कर उत्प्लावकता न केवल कर नीति तथा प्रशासन पर बल्कि अर्थव्यवस्था के सामान्य प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। स.घ.उ. को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का अच्छा सूचना माने तो, उत्प्लावकता गुणांक, स.घ.उ. या कर आधार में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर राजस्व में प्रतिशतता बढ़ोतरी को दर्शाता है। आधार के अतिरिक्त, उच्चतर उत्प्लावकता, कर की दरों तथा इसकी व्याप्ति में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जबकि एक से अधिक की उत्प्लावकता अपेक्षित है, एक से कम की उत्प्लावकता दर्शाती है कि संबंधित कर वसूली ने आधार के परिवर्तन के साथ गति नहीं पकड़ी है।


तालिका 3.9: मुख्य करों की उत्प्लावकता

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1992-2008	1.111	1.734	1.349	0.689	0.838	--
VIIIवीं योजना (1992-97)	0.950	1.298	1.479	1.076	0.625	--
IXवीं योजना (1997-02)	0.871	1.660	1.798	0.156	1.104	1.857
Xवीं योजना (2002-07)	1.522	2.256	1.345	1.240	0.686	5.228
2002-03	2.026	3.390	1.972	1.477	1.745	3.223
2003-04	1.441	3.082	1.004	0.689	0.841	7.482
2004-05	1.388	2.098	1.328	1.288	0.642	5.577
2005-06	1.467	1.644	0.996	0.946	0.892	4.557
2006-07	1.857	2.691	2.161	2.069	0.364	3.994
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	1.846	2.460	2.683	1.506	0.373	2.663

3.18 सारणी 3.9 तथा चार्ट 3.7 1992-2008 तथा VIIIवीं IXवीं तथा Xवीं पंच वर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग, Xवीं योजना अवधि के साथ-साथ

XIवीं योजना (2007-12) के पहले वर्ष 2007-08 के लिए, उत्प्लावकता गुणांक में प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि में करों में तथा योजनाओं के दौरान उनमें उतार-चढ़ाव आया है। आठवीं तथा नवीं योजनाओं के दौरान सकल कर वसूलियों की उत्प्लावकता, एक से कम रही थी तथापि Xवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में यह एक से अधिक थी जिसका परिणाम योजना अवधि के दौरान 1.522 की औसत उत्प्लावकता में हुआ। यह आगे, 2006-07 में 1.857 से, 2007-08 के दौरान XIवीं योजना (2007-12) के पहले वर्ष में 1.846 तक बढ़ा है। पिछले वर्षों के दौरान कर राजस्व में उचित उत्प्लावक वृद्धि को प्रदर्शित किया 1992-2008 की अवधि में दीर्घावधि प्रवृत्ति ने भी इकाई में वृद्धि की। 2002-03 से 2006-07 के दौरान समग्र कर उत्प्लावकता में अर्थपूर्ण प्रगति मुख्यतः सवेग वृद्धि के पुनः प्रवर्तन विशेषतया अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में जिसमें सरकार के कर संग्रहण विवेचनात्मक रूप से निर्भर है, की वजह से हुई थी। उच्च कर उत्प्लावकता के पीछे अन्य महत्वपूर्ण कारण, कर क्षेत्र में नई सेवाओं के समावेश द्वारा इसके आधार को विस्तृत करने के साथ-साथ सेवा कर की दर में वृद्धि रहा है। सकल कर वसूली में उत्प्लावकता में गिरावट होगी यदि हम इसमें से सेवा कर को निकाल देते हैं। तथापि कुल कर वसूली अर्थात् 2007-08 में 8.65 प्रतिशत में सेवा कर का बहुत कम अंशदान इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कर आधार को विस्तृत करने के हाल के प्रयासों के बावजूद, राजस्व आवश्यकता हेतु सरकार की औद्योगिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता अभी भी जारी है। 2007-08 में 23.97 प्रतिशत तक वृद्धि के लिए बजटीकृत सकल कर राजस्व निगम तथा आयकरों के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर है तथा वर्ष के लिए निगम और आयकरों हेतु परिकल्पित बजट अनुमान क्रमशः 26.60 प्रतिशत और 18.28 प्रतिशत थे। राजस्व प्राप्तियों (केन्द्र को निवल), निगम एवं आयकर से प्राप्तियों में वृद्धि की समग्र वसूली पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 25.27, 33.67 तथा 36.71 प्रतिशत पाई गई थी।

चार्ट 3.7 : मुख्य करों के उत्प्लावक अनुपात:1992-2008



3.19 जबकि महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष करों अर्थात् निगम कर तथा आयकर की समग्र उत्प्लावकता एक से बढ़ गया था, दो महत्वपूर्ण उत्पाद करों अर्थात् सीमा एवं उत्पाद शुल्कों में 1992-2008 अवधि के दौरान यह एक से महत्वपूर्ण रूप से कम था। उत्पाद तथा सीमा शुल्कों ने VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधि तथा आगामी वर्षों के दौरान भी अस्थिरता को दर्शाया है। यद्यपि दो प्रत्यक्ष करों-निगमकर तथा आयकर की उत्प्लावकता 2007-08 के दौरान 2.5 से अर्धपूर्ण रूप से अधिक रही थी यद्यपि 2007-08 में निगमकर की उत्प्लावकता एक सीमान्तक गिरावट निर्दिष्ट करती है। चालू वर्ष में, उत्पादन शुल्कों की उत्प्लावकता यद्यपि एक सीमान्तक वृद्धि निर्दिष्ट करती है परन्तु यह अपनी प्रवृत्ति अनुपात के आधे से भी कम था जबकि सीमाशुल्कों का 2006-07 में 2.069 से चालू वर्ष में 1.506 तक 0.563 प्रतिशत अंकों से तीव्र गिरावट थी। इसके अतिरिक्त, निगम कर, आयकर तथा सेवा कर का दो से अधिक होना उनकी वृद्धि दरों के स.घ.उ. की वृद्धि से सार्थक रूप से उच्च होने को इंगित करती है। स.घ.उ. में चढ़ाव, जिसे वास्तव में इन करों के अतिरिक्त राजस्व वसूली में सहायक होना चाहिए, के कारण तेल कीमतों तथा उत्प्लावक गैर-तेल आयातों की उच्च तथा बढ़े हुए स्तर के कारण सीमा शुल्क मोरचे पर अपेक्षाकृत उत्प्लावक निष्पादन पाया गया था। जिसने इन करों से अतिरिक्त राजस्व संघटित करने में सहायता करनी चाहिए थी। कर आधार विस्तारित करने की नीति के बजाए दरों में वृद्धि करने तथा सेनवेट दर की ओर बढ़ना, पहचान की गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती तथा अन्यों को छूट प्रदान करना मुख्य रूप से सीमा शुल्क के अंतर्गत वसूलियों की मंद गति हेतु उत्तरदायी रहा है। उत्प्लावक स.घ.उ. वृद्धि के बावजूद संघ की कुल कर प्राप्तियों में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क का गिरता हुआ अंश व्यापार उदारीकरण से सम्बद्ध शुल्क में कटौती के परिदृश्य में राजस्व उत्पन्न करने की युक्ति के रूप में घटी हुई भूमिका की ओर संकेत करता है।

कर-स.घ.उ. अनुपात

3.20 सरकार के संसाधन संग्रहण प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा इसके कर सम्भाव्य की वसूली की सीमा का अन्य संकेतक कर-स.घ.उ. का अनुपात है। तालिका 3.10 तथा चार्ट 3.8, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधि सहित 1992-2008 की अवधि में इस अनुपात की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। 1992-2008 अवधि हेतु कर-स.घ.उ. अनुपात के विचलन की 1.22 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि स.घ.उ. में वृद्धि दर के साथ गति बनाए रखे हुए है। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान कर - स.घ.उ. अनुपात 9.30 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) में 8.64 प्रतिशत पर नीचे गिरा लेकिन यह प्रवृत्ति Xवीं योजना (2002-07) के दौरान विपरीत हो गई क्योंकि यह अनुपात हाल के वर्षों विशेष रूप से 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मुख्य रूप से उत्प्लावक कर वसूली के कारण 10 प्रतिशत तक बढ़ गया। Xवीं योजना अवधि के दौरान कर-स.घ.उ. अनुपात में 2002-03 में 8.81 प्रतिशत से समनुक्रम वृद्धि थी तथा पहली बार आर्थिक

सुधार व्यवस्था, जो 1992-93 से प्रभावी थी, के दौरान वर्ष 2005-06 में 10 प्रतिशत से आगे बढ़ गया। वृद्धि प्रवृत्ति जारी रही तथा यह चालू वर्ष के दौरान 12.58 प्रतिशत के स्तर पर पहुंची जो 2007-08 हेतु म.अ.रा.नी. विवरणी में परिकल्पित 11.8 के बजटीय स्तर से सीमान्तक रूप से उच्च थी।


तालिका 3.10: मुख्य करों का कर/स.घ.उ. अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1992-2008	9.89	2.38	1.55	2.18	3.13	0.43
VIIIवीं योजना (1992-97)	9.30	1.31	1.21	2.92	3.57	0.04
IXवीं योजना (1997-02)	8.64	1.54	1.32	2.26	3.16	0.12
Xवीं योजना (2002-07)	10.04	2.72	1.61	1.88	3.12	0.54
2002-03	8.81	1.88	1.50	1.83	3.35	0.17
2003-04	9.23	2.31	1.50	1.77	3.30	0.29
2004-05	9.68	2.63	1.56	1.83	3.15	0.45
2005-06	10.23	2.83	1.56	1.82	3.11	0.64
2006-07	11.42	3.48	1.81	2.08	2.84	0.91
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	12.58	4.09	2.18	2.21	2.62	1.09
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर						
1992-2008	1.22	8.03	3.82	-3.41	-1.77	*

* वार्षिक विचलन दर परिकल्पित नहीं की गई थी क्योंकि सेवाकर 1994-95 में लागू किया गया था।

चार्ट 3.8 : कर राजस्व तथा सं.घ.उ. में इसका अंश



3.21 विभिन्न साधनों से कर क्षेत्र को व्यापक किए जाने के साथ बढ़ते हुए निगम लाभों एवं वेतनों में उत्प्लावकता को फलीभूत करने वाला वसूली एवं उच्च आर्थिक वृद्धि का चरण भी मुख्यतः कर माफी/छूटों के कारण स.घ.उ. के साथ कर के अनुपात में अधिक सुधार नहीं ला पाया। इसके अलावा, पिछले दो दशकों से अधिक के दौरान अर्थात् 1985-86 में सीमान्त कर दरें तेजी से नीचे आईं, व्यक्तिगत आय पर कर की सीमान्त दर 62 से 50 प्रतिशत तक तथा निगम कर दर लगभग 60 से 50 प्रतिशत तक नीचे लाई गई थी। 1990 के दशक के आरम्भिक बजट में, विशेष रूप से 1992-93 तथा 1994-95 में, सीमान्त दरें 40 प्रतिशत तक और भी कम हो गईं तथा वर्तमान में वे लगभग 33 प्रतिशत पर हैं। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में कर 2001-02 में न्यूनतम थे जब वे 1992-93 में क्रमशः 9.97 तथा 9.16 प्रतिशत की तुलना में केन्द्र के सकल कर राजस्व के मामले में 8.21 प्रतिशत तथा निवल कर राजस्व के मामले में 5.89 प्रतिशत थे। यह गिरावट, निगम, आय तथा सेवा करों (स.घ.उ. से संबंधित) की वसूली में सुधार के बावजूद हुई थी, जो उत्पाद शुल्क के 'युक्तिकरण' तथा व्यापार उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमा तथा उत्पादन शुल्कों की वसूली में हुई हानि की भरपाई नहीं कर सके थे। स.घ.उ. की तुलना में सीमा एवं उत्पाद शुल्क वसूली के अनुपात में समग्र गिरावट ने इस अवधि के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में कर में गिरावट में भूमिका निभाई। स.घ.उ. की तुलना में सीमा उत्पादन शुल्क वसूली का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 2.92 और 3.57 प्रतिशत की औसत से 2005-06 में क्रमशः 1.82 और 3.11 प्रतिशत तक गिरा। यद्यपि स.घ.उ. के प्रति सीमा शुल्क वसूली के अनुपात ने 2006-07 तथा 2007-08 में सुधार की प्रवृत्ति को इंगित किया लेकिन इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु इस अनुपात में 2002-03 से निरन्तर हास हुआ है। यद्यपि 1992-2008 के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंश में ऋणात्मक विचलन था लेकिन निगम कर, आयकर, सेवा कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत प्राप्तियों की उत्प्लावक वृद्धि सकल कर वसूली में समग्र घनात्मक विचलन बनाए रख सकती है। स.घ.उ. के सापेक्ष निगम तथा आय कर वसूली में सुधार देखा गया तथा इनमें सकारात्मक विचलन दर थी। यह वास्तव में सच है कि बाद में उत्प्लावक निगम लाभों, एक विस्तृत कर आधार और देयताओं तथा बकायों के उन्नत वसूली ने कर-स.घ.उ. अनुपात को बढ़ाने में सहायता की। किन्तु उच्च वृद्धि उन्नत लाभकारिता ओर बढ़ी हुई विषमता के चिह्नों (जिन्हें कर की वसूली को उन्नत करना चाहिए) के बावजूद बढ़ोतरी उसके उदारीकरण के तत्काल पहले के स्तरों तक पिछले तीन वर्षों (2005-08) के दौरान केवल एक से दो प्रतिशत अंको से उच्च थी। यह इस कारण है कि हांलाकि निगम, आय तथा सेवा कर राजस्वों (विशेष रूप से प्रथम) ने बढ़ोतरी में भूमिका निभाई फिर भी उनका प्रभाव हाल के वर्षों के दौरान कर-स.घ.उ. अनुपात को महत्वपूर्ण रूप से उमर बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

गैर-कर राजस्व

3.22 सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक; इसके संप्रभु क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्का ढलाई आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों जैसे रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से संघटित समझा जा सकता है। जहां संप्रभु क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेश से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, वहीं सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उन्हें सेवा प्रदान करने की प्रचालन लागत से निवलीकृत नहीं किया गया है। आगे, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई (सलाभ सिक्के ढलाई मुद्रा भण्डार में गैर-मुद्रा स्फीति वृद्धि है) से अधिक सम्बन्धित है। राशि, जो सरकार की आय/राजस्व के रूप में वास्तव में हिसाब में ली जानी चाहिए, के सम्बन्ध में गैर-कर राजस्व की सीमाओं के होते हुए, 1992-2008 अवधि के दौरान इस साधन से संभूतियों का संघ के वर्तमान राजस्व का लगभग 40.37 प्रतिशत अंशदान था। संघ के निवल चालू राजस्व में गैर-ऋण राजस्व का अंश 2002-03 में 46.59 प्रतिशत से 2007-08 में 32.04 प्रतिशत तक मुख्यतया इस अवधि के दौरान सरकार की गैर ऋण राजस्व में मन्द वृद्धि के साथ-साथ कर राजस्व में उत्प्लावक वृद्धि के कारण समनु रूप से गिरावट हुई थी! 1992-2008 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व सकल आधार के साथ-साथ इसके संघटकों में प्रवृत्तियों को तालिका 3.11 तथा चार्ट 3.9 में प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 3.11: गैर-कर राजस्व - प्रवृत्तियां


(करोड़ रुपयों में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्ति	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	संप्रभु तथा अन्य कार्य
1992-2008	116696	29769	14826	629	61097	10375
VIIIवीं योजना (1992-97)	61459	16791	4969	606	33100	5993
IXवीं योजना (1997-02)	115933	34526	11555	572	60257	9024
Xवीं योजना (2002-07)	154419	37023	24018	687	77953	14738
2002-03	139682	44705	21230	424	60663	12660
2003-04	150518	46645	21160	449	68156	14108
2004-05	150508	36412	22939	451	75588	15118
2005-06	159174	30799	25451	1643	84893	16388
2006-07	172211	26553	29310	467	100466	15415
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	208079	34612	34500	742	120998	17227
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1992-2008	9.67	6.86	18.03	0.42	9.43	8.96
VIIIवीं योजना (1992-97)	14.66	14.32	30.01	10.93	15.54	2.87
IXवीं योजना (1997-02)	8.00	13.00	21.19	-21.24	2.25	13.16

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	संप्रभु तथा अन्य कार्य
Xवीं योजना (2002-07)	4.86	-13.56	8.65	16.07	13.07	5.59
2002-03	6.58	5.81	22.79	42.76	2.28	6.29
2003-04	7.76	4.34	-0.33	5.90	12.35	11.44
2004-05	-0.01	-21.94	8.41	0.45	10.90	7.16
2005-06	5.76	-15.42	10.95	264.30	12.31	8.40
2006-07	8.19	-13.79	15.16	-71.58	18.34	-5.94
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	20.83	30.35	17.71	58.89	20.44	11.75

चार्ट 3.9 : 1992-2008 के दौरान गैर-कर राजस्व तथा इसके घटकों में प्रवृत्तियाँ



3.23 लाभांशों एवं लाभों से गैर कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), 1992-2008 के दौरान 18.03 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ता हुआ तीव्रतम घटक था। तथापि, इस स्रोत से राजस्व वास्तविक रूप में 2003-04 में गिरावट आई थी लेकिन आगामी वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा। इस स्रोत से 2003-04 में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक से 2002-03 में 10320 करोड़ रु. से 2003-04 में 8834 करोड़ रु. और उसके बाद 2004-05 में 5400 करोड़ रु. का अधिशेष अंतरित करने के कारण थी। भा.रि.बै. से अधिशेष यद्यपि तरनन्तर उठ गया तथा 2006-07 में 8404 करोड़ रु. की तथा आगे 2007-08 में 11411 करोड़ रु. की वृद्धि थी। चालू वर्ष के

दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष में के.लो.क्षे.उ. (9.74 प्रतिशत) से लाभांशों में 1838 करोड़ रु. की वृद्धि तथा जी.बी.नि. से लाभ के अंश में 308 करोड़ रु. (58.97 प्रतिशत) की वृद्धि सहित तीव्र वृद्धि मुख्यतः 2007-08 में लाभांशों तथा लाभों के संघटकों के अंश में हुई।

3.24 दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम दो वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों में कमी देखी गई थी लेकिन योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान मुख्यतः ऋण विनिमय योजना लागू करने के कारण मुख्य रूप से परिशुद्ध तौर पर में गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप निम्न ब्याज दरों सहित बकाया ऋणों का कम संग्रह तथा बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित डी.सी.आर.एफ. की योजना के अंतर्गत ब्याज की निम्न दर पर बकाया ऋणों का समेकन तथा कार्यक्रम में परिवर्तन करने में हुआ। यह बदल जाने पर, ब्याज प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 2007-08 में 8059 करोड़ रु. (30.35 प्रतिशत) से वृद्धि हो गयी जो मुख्यतया वर्ष के दौरान राज्य योजनागत योजनाओं हेतु ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों में 2896 करोड़ रु. (77 प्रतिशत) की वृद्धि तथा बाजार स्थिरीकरण योजना में से प्राप्त किए 2893 करोड़ रु. के अधिमूल्य सहित ब्याज प्राप्तियों में 1581 करोड़ रु. की एक वृद्धि के कारण थी।

3.25 VIIIवीं योजना (1992-97) तथा IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई तथा सामाजिक सुरक्षा आदि से कुल प्राप्तियाँ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान औसत प्रवृत्ति प्राप्तियों से अपेक्षाकृत अधिक थी। सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में 2003-04 में सीमान्तक रूप से वृद्धि हुई तथा 2005-06 के अलावा Xवीं योजना के दौरान प्रभावोत्पादकता स्थिर बनी रही जब सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में 2004-05 में 451 करोड़ रु. से 2005-06 में 1643 करोड़ रु. तक तीन गुणा से अधिक वृद्धि हुई जो निश्चित ही पिछले वर्षों के दौरान 'सूचना तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत 1139 करोड़ रु. की वसूली में बढ़ोतरी के कारण था। सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियाँ में 2006-07 में 467 करोड़ रु. के स्थिर स्तर से चालू वर्ष में 742 करोड़ रु. तक 58.89 प्रतिशत से वृद्धि हुई थी। क्षेत्रवार विश्लेषण प्रकट हुआ कि पिछले वर्ष से 2007-08 में मुख्य शीर्ष 'गृह निर्माण' (52 करोड़ रु.); 'शहरी विकास' (115 करोड़ रु.) तथा 'सूचना एवं प्रचार' (93 करोड़ रु.) के अवशिष्ट शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई थी।

3.26 आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियाँ VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 33100 करोड़ रु. वार्षिक औसत प्राप्तियों से बढ़कर 2007-08 की अवधि के दौरान 9.43 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 120998 करोड़ रु. हो गई। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों में अन्तिम दो वर्षों के दौरान उठान था तथा 2006-07 तथा 2007-08 में क्रमशः 18.34 एवं 20.44 प्रतिशत अर्थात् Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 15.54

प्रतिशत की वृद्धि दर प्रवृत्ति से कहीं अधिक था, से वृद्धि थी। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों का एक विस्तृत विश्लेषण यह दर्शाता है कि रेलवे से प्राप्तियों में 2000-07 के दौरान 'आर्थिक सेवाओं' से कुल प्राप्तियों में बड़े भाग का अंशदान शामिल है तथा यह 2002-03 में 70.46 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के उपरान्त 2000-01 में 61 प्रतिशत से 2006-07 में 65 प्रतिशत के बीच थी। तथापि 2007-08 में आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियों में रेलवे का अंश में मुख्यतया 'अन्य संचार सेवाओं' के अंश में तीव्र वृद्धि के कारण 61 प्रतिशत से गिरावट थी। दूरसंचार सहित सूचना सेवाओं ने 2000-01 में आर्थिक सेवाओं की कुल प्राप्तियों में 20 प्रतिशत अंशदान किया जो बाद में मुख्यतः भारत में दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण के कारण 2006-07 में 12.4 प्रतिशत तक कम हुआ। यद्यपि संघ के प्रति दूरसंचार प्राप्तियों में 2000-01 से गिरावट आई लेकिन बेतार योजना तथा समन्वय संस्था और दूरसंचार लाईसेंस शुल्क/सार्वभौमिक पहुंच उगाही को शामिल करके अन्य संचारी सेवाओं से प्राप्तियों 2000-01 में 1614 करोड़ रु. से बढ़कर 2006-07 में 12465 करोड़ रु. हो गई। 'अन्य संचार सेवाओं' से प्राप्तियां 2007-08 में मुख्यतया डब्ल्यू.पी.सी.ओ. से 965 करोड़ रु. की वृद्धि; यूनिवर्सल एक्सेस लेवी से 1465 करोड़ रु.; संचार लाइसेंस शुल्क से 352 करोड़ रु. तथा अवशिष्ट शीर्ष 'अन्य प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत निर्धारित विविध प्राप्तियों के कारण 11482 करोड़ रु. के कारण 26729 करोड़ रु. की तीव्र वृद्धि थी। इस तीव्र वृद्धि ने आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियों में 2006-07 में 12.4 प्रतिशत से 2007-08 में 22 प्रतिशत 'अन्य संचार सेवाएं' के अंश को बढ़ा दिया। रेलवे सहित संचार, विद्युत तथा पेट्रोलियम के साथ मिलकर 2006-07 के दौरान आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियों में 95 प्रतिशत योगदान किया। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों में 20.44 प्रतिशत की वृद्धि; ब्याज प्राप्तियों में 30.35 प्रतिशत तथा लाभांश एवं लाभों के रूप में 17.71 प्रतिशत के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष से 2007-08 में गैर-ऋण प्राप्तियों में 20.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.27 गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक अंशों में 1992-2008 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गये (तालिका 3.12 तथा चार्ट 3.10)।

तालिका 3.12: गैर कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक अंश


(प्रतिशत)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	संप्रभुता एवं अन्य कार्य
1992-2008	100.00	25.51	12.70	0.54	52.36	8.89
VIIIवीं योजना (1992-97)	100.00	27.32	8.09	0.99	53.86	9.75
IXवीं योजना (1997-02)	100.00	29.78	9.97	0.49	51.98	7.78
Xवीं योजना (2002-07)	100.00	23.98	15.55	0.44	50.48	9.54
2002-03	100.00	32.00	15.20	0.30	43.43	9.06
2003-04	100.00	30.99	14.06	0.30	45.28	9.37

अवधि	कुल गैर कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	संप्रभुता एवं अन्य कार्य
2004-05	100.00	24.19	15.24	0.30	50.22	10.04
2005-06	100.00	19.35	15.99	1.03	53.33	10.30
2006-07	100.00	15.42	17.02	0.27	58.34	8.95
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	100.00	16.63	16.58	0.36	58.15	8.28
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर						
1992-2008		-2.56	7.63	-8.43	-0.22	-0.64

2004-05 तथा 2005-06, अन्तर्वर्षीय विचलन तथा सामान्य वृद्धि होने के बावजूद लाभों तथा लाभांशों के अंश VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8.09 प्रतिशत की औसत दर से 2007-08 के दौरान लगभग 16.58 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और 1992-2008 के दौरान 7.63 प्रतिशत की धनात्मक औसत वार्षिक विचलन दर थी ब्याज प्राप्तियां Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 2002-03 में 32 प्रतिशत से लगातार कम होकर 2006-07 में 15.42 प्रतिशत हो गई तथा 2007-08 में अपने अंश में एक संतुलित वृद्धि के बावजूद पिछली प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप 1992-2008 के दौरान इसकी (-) 2.56 की ऋणात्मक विचलन दर में हुआ। ऋण अग्रिमों पर ब्याज दरों में कमी तथा ऋण विनिमय ने Xवीं योजना (2002-07) के दौरान इस त्वरण में सहयोग किया है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं और सरकार के संप्रभु तथा अन्य सामान्य कार्यकलापों से गैर-कर प्राप्तियों के कारण 1992-2008 के दौरान ऋणात्मक विचलन दर थी। आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्ष अंश में इस गिरावट का एक भाग दूरसंचार से राजस्व का विराम था क्योंकि विभागीय उपक्रमों का निगमीकरण हो गया था। उनका राजस्व, जो पहले समेकित निधि का हिस्सा होता था, नये गठित निगम का राजस्व बन गया था। गैर-कर राजस्व में सामाजिक सेवाओं का समग्र अंशदान नगण्य ही नहीं था बल्कि 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान वस्तुतः स्थिर रहा यद्यपि उसने 'सूचना तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत अधिक संचयनों के कारण 2005-06 में तीव्र बढ़ोतरी दर्शाई।

चार्ट 3.10 : 1992-2008 के दौरान गैर-कर राजस्व के घटकों के सापेक्ष अंशों में प्रवृत्तियाँ



गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

3.28 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश) तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल हैं। तालिका 3.13 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा संघ सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली के विवरण को दर्शाती है। यह तालिका संघ सरकार के कर्जों तथा अग्रिमों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ विनिवेश से प्राप्तियों के बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है।

तालिका 3.13: विनिवेश से वसूली एवं कर्जों की वसूली

अवधि	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली
	(करोड़ रूपयों में)			(करोड़ रूपयों में)		
1996-97	5000	380	7.60	8184	8696	106.26
1998-99	5000	5369	107.38	11560	13189	114.09
1999-00	10000	1723	17.23	13337	12551	94.11
2000-01	10000	1870	18.70	15839	16799	106.06
2001-02	12000	3028	25.23	17488	20733	118.56

अवधि	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली
	(करोड़ रूपयों में)			(करोड़ रूपयों में)		
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95
2003-04	13200	16632	126.00	20523	69827	340.24
2004-05	4000	4363	109.10	29625	64240	216.84
2005-06	0.0	1570	--	13525	11801	87.25
2006-07	3840	534*	0.00	9530	18691	196.13
2007-08	1651	4387	165.72	3030	10391	242.94

3.29 विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (वि.पू.प्रा.) में प्रवृत्तियां, अर्थात् 2005-06 से 2007-08 तक अंतिम तीन वर्षों के दौरान विनिवेश की प्राप्तियां वृहद अस्थिरता का संकेत करता है। जबकि 1570 करोड़ रुपये, वर्ष के दौरान 'शून्य' बजट अनुमानों के प्रति 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में, सरकार के इक्विटी में आंशिक रूप से विनिवेश के कारण वि.पू.प्रा. के रूप में दर्ज किये गये, 2006-07 के दौरान वर्ष के दौरान सरकारी इक्विटी के विनिवेश के कारण कोई प्राप्ति नहीं थी यहाँ के बजट अनुमानों के प्रति केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में अंशधारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण 3840 करोड़ रु. की प्राप्तियां हुईं। तथापि, 534 करोड़ रु. की प्राप्ति मुख्यतया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोनस अंश जारी करने के कारण थी। 2007-08 के दौरान वित्त लेखे में विनिवेश से 4387 करोड़ रु. का वास्तविक समाशोधन वर्ष के लिए बजट अनुमानों (1651 करोड़ रु.) का 166 प्रतिशत था जो वर्ष के दौरान बी.एच.ई.एल. द्वारा जारी बोनस अंश के कारण 166 करोड़ रु. की प्राप्तियों की तुलना में आर.ई.सी., पी.जी.सी.आई.एल. तथा एन.एच.ई.एल. में विनिवेश के कारण माना गया है। तथापि विनिवेश प्राप्तियों को जमा करने के लिए राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) को स्थापित करने के निर्णय के साथ कि चालू वर्ष में ऐसी प्राप्तियां रा.नि.नि. को अंतरण द्वारा बराबर की जानी थी।

3.30 2003-04 तथा 2004-05 के ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत नरम-ब्याज व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए राज्यों के साथ-साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत कर्जों के पूर्व-भुगतान के साथ, कर्जों की वसूली के अन्तर्गत प्राप्तियों ने 2005-06 के दौरान एक अनुमानित गिरावट दर्शाई। पिछले वर्ष से ऋणों की वसूली में न केवल अर्थपूर्ण कमी आई बल्कि 2005-06 के दौरान 13525 करोड़ रु. के अपर्याप्त बजट लक्ष्य से कम रही। तथ्य दिये गये कि संघ सरकार की राज्य सरकार के लिए वित्तीय मध्यस्थता के रूप में भूमिका को बा.वि.आ. की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया गया तथा संघ सरकार से राज्यों के बकाया ऋणों को डी.सी.आर.एफ. के अन्तर्गत

* 534 करोड़ रु. की प्राप्ति मुख्यतया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोनस अंक जारी करने के कारण थी।

ब्याज की कम की गई दर पर कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया था, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान संघ सरकार द्वारा ऋणों की वसूली हेतु बजट अनुमानों को मनमाने रूप से प्रतीत होता है। तथापि राज्य के निश्चिन्त राजकोषीय स्थिति के कारण, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान राज्यों से ऋणों की वसूली के साथ-साथ इन वर्षों के दौरान बजट अनुमानों में सुधार हुआ है क्योंकि 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान ऋणों की वसूली बजट अनुमानों के क्रमशः 196 तथा 243 प्रतिशत की थी।

3.31 बाजार उधारों तथा लोक लेखों में संभूतियों से बने अन्य पूंजीगत प्राप्तियां, जो प्रवृत्ति से ऋण सर्जक हैं, की चर्चा बाद के अध्यायों में की गई है।

अध्याय 4

संसाधनों का उपयोग : व्यय

1992-2008 के दौरान संघ सरकार का कुल संवितरण 15.37 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर से बढ़ा। संघ सरकार के कुल संवितरण के चार प्रमुख घटक हैं: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय; राज्यों को संघ करों की प्राप्तियों में से अनिवार्य अंतरण; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखों से संवितरण। कुल संवितरण के चारों घटकों के सापेक्षिक अंश ने वर्ष दर वर्ष आधार पर तथा योजना अवधियों, में दोनों में ही भारी उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किए। ऋण अदायगी के अंश की बढ़ती प्रवृत्ति तथा वास्तविक व्यय की घटती प्रवृत्ति 2006-07 तक जारी रही तथा 2007-08 में इसके विपरीत हो गई जबकि 1992-2008 की अवधि में अन्य दो घटकों के अंशों ने मिश्रित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया।

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा तथा इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 80.50 प्रतिशत की औसत से संगत रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) में 84.23 तथा 2006-07 में 90.47 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद इसकी औसत Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 87.27 प्रतिशत हो गई। चालू वर्ष के दौरान इसका अंश मुख्यतः वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में 97.22 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में पिछले वर्ष में इसी सापेक्षिक 11.6 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर के कारण 85.10 प्रतिशत तक गिरा। राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग प्रायः प्रतिबद्ध है अर्थात् व्यय का वह भाग जिस पर सरकार का बहुत कम स्वनिर्णय होता है। ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता, पेंशन, वेतन एवं मजदूरी तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र को अधिकतर सहायता अनुदान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का सापेक्षिक अंश VIIIवीं योजना के दौरान 19.50 प्रतिशत की औसत से घटकर Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 12.73 प्रतिशत हुआ परन्तु 2007-08 के दौरान 14.90 प्रतिशत तक बढ़ा। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों में तीव्र गिरावट, राज्य सरकारों द्वारा उनकी राज्य योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उधार लेने में संघ सरकार की अमध्यस्थता के संबंध में बा.वि.आ. संस्तुतियों की मंजूरी के कारण थी। तथापि संघ सरकार द्वारा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों ने मुख्यतः राज्यों को ऋणों एवं अग्रिमों में 1741 करोड़ रु. (35.58 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से 2007-08 में 1758 करोड़ रु. (17.55 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाया। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम औसत वृद्धि दर्ज करने के पश्चात, पूंजीगत व्यय मुख्यतः सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में 2006-07 में (-)4009 करोड़ रु. से 2007-08 में 45627 करोड़ रु. के साथ साथ रक्षा सेवाओं में 33828 करोड़ रु. से 37462 करोड़ रु. निवेश के रूप में के अतिरिक्त गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत कृषिय वित्तीय संस्थाओं में 304 करोड़ रु. के नवीन निवेश से गैर योजना पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण 2007-08 में 97.22 प्रतिशत के अब तक के उच्चतम दर पर बढ़ा। चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में ऐसी तीव्र बढ़ोतरी के बावजूद यह 2007-08 हेतु बा.वि.आ. द्वारा प्रक्षेपित स्तर (137524 करोड़ रु.) से कम था। तथापि कुल व्यय में विकास व्यय एवं योजनागत व्यय के अंश ने समय से अधिक तक सापेक्ष स्थिरीकरण को प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त, शासकीय व्यय में प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूरी तरह से पूंजीगत व्यय पर छा गया है।

गतिविधियों के संबंध में, सरकार के कुल व्यय में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। 1992-2008 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय क्रमशः

17.24 तथा 11.22 प्रतिशत की दीर्घावधि वृद्धि दर से बढ़ा है। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय विशेषतौर से Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम दो वर्षों की अवधि के दौरान उत्प्लावक था तथा उत्प्लावकता चालू वर्ष के दौरान जारी रही। संघ सरकार के व्यय के प्रतिमान में प्रवृत्तियां ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसे क्षेत्रों पर बढ़े व्यय को प्रकट करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सड़कें, आवास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी संरचनात्मक सुविधाओं पर व्यय भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है।

4.1 संघ सरकार अपने संप्रभु क्रियाकलापों के निष्पादन, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वितरण के अपने मौजूदा नेटवर्क के रखरखाव, पूंजीगत व्यय और निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के नेटवर्क के विस्तार और ऋण सेवा की बाध्यताओं के निर्वहन के लिए संसाधन जुटाती है। सरकार ने 2007-08 के दौरान जुटाए अपने संसाधनों से संवितरण के लिए कुल 3274378 करोड़ रु. का उपयोग किया था जैसा कि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1 : संसाधनों का उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

I	उपलब्ध संसाधन		3274378
II	संसाधनों का उपयोग		3044745
	क.	ऋणों का पुनर्भुगतान	1604110
		आन्तरिक ऋण	1596617
		बाह्य ऋण	7493
	ख.	लोक लेखे की देयताओं को चुकाना	425260
		अल्प बचत तथा भविष्य निधि	262064
		आरक्षित निधि	65377
		जमा तथा अग्रिम	85744
		अन्य	12075
	ग.	वास्तविक व्यय	863575
		राजस्व व्यय	734861
		पूंजीगत व्यय	116937
		ऋण और अग्रिम	11777
	घ.	करों में राज्यों का अंश	151800
		आकस्मिक निधि को विनियोग	-
III	रोकड़ अन्तशेष		229633

4.2 ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे की देयताओं को चुकाने (2029370 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (179987 करोड़ रु.), अपनी सकल कर प्राप्ति के अधिदेशित अंश को राज्यों के सुपुर्द करने (151800 करोड़ रु.), राज्यों को सहायता अनुदान (106333 करोड़ रु.) तथा अंतिम शेषों (229633 करोड़ रु.) में इसके कुल संसाधनों

का लगभग 82.4 प्रतिशत चला गया। इस प्रकार, सरकार के पास अपनी चालू गतिविधियों पर खर्च करने हेतु अपने सकल संग्रहण का लगभग 17.6 प्रतिशत बचा।

कुल संवितरण

4.3 संघ सरकार के कुल संवितरण के चार मुख्य घटक हैं: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय; राज्यों को संघ करों की प्राप्तियों में से अनिवार्य अन्तरण; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे से संवितरण। इन व्यय वर्गों के आर-पार सापेक्ष गतियों को तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: कुल संवितरण के घटक


(करोड़ रुपयों में)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण का पुनर्भुगतान	लोक लेखे में संवितरण	कुल संवितरण	स.घ.उ. (बाजार मूल्य)
1992-2008	423868	47701	481865	232789	1186223	2224784
VIII वीं योजना (1992-97)	220494	9435	126525	77261	433716	1037397
IX वीं योजना (1997-02)	389316	29808	310011	207404	936539	1922332
X वीं योजना (2002-07)	573852	83040	784611	375206	1816709	3216929
2002-03	476310	56122	339677	270224	1142333	2454561
2003-04	506817	65766	430963	391783	1395329	2754620
2004-05	549333	78595	556269	400388	1584585	3149412
2005-06	609249	94385	1115210	407255	2226099	3580344
2006-07	727552	120330	1480938	406380	2735200	4145810
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	863575	151800	1604110	425260	3044745	4713148
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
1992-2008	10.26	24.87	19.62	16.03	15.37	12.29
VIII वीं योजना (1992-97)	11.77	21.86	20.90	14.32	14.84	16.72
IX वीं योजना (1997-02)	6.62	49.19	-2.34	22.05	7.00	10.33
X वीं योजना (2002-07)	10.86	20.76	47.63	8.92	24.77	14.00
2002-03	6.92	6.21	5.58	25.06	10.25	7.71
2003-04	6.40	17.18	26.87	44.98	22.15	12.22
2004-05	8.39	19.51	29.08	2.20	13.56	14.33
2005-06	10.91	20.09	100.48	1.72	40.48	13.68
2006-07	19.42	27.49	32.79	-0.21	22.87	15.79
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	18.70	26.15	8.32	4.65	11.32	13.68

4.4 केन्द्र सरकार का कुल संवितरण VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 433716 करोड़ रु. की औसत से निरंतर बढ़ कर चालू वर्ष में, 3044745 करोड़ रु. हो गया था। 1992-2008 के दौरान 15.37 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की औसत वृद्धि दर, जो कि उसी अवधि में औसतन 12.29 प्रतिशत थी, से उच्च थी। VIII वीं और IX वीं योजना के दौरान कुल संवितरण की औसत वार्षिक वृद्धि

की दर वास्तव में स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी। Xवीं योजना (2002-07) ने इस प्रवृत्ति के उत्क्रमण को प्रदर्शित किया है तथा कुल वितरण की वृद्धि दर स.घ.उ. वृद्धि से बढ़ गई। स.घ.उ. वृद्धि दर वास्तविक व्यय की औसत वार्षिक दर अंतिम दो वर्षों के दौरान को छोड़कर हमेशा कम रही जबकि 2002-03 में जब अर्थव्यवस्था के पूर्ण रूप से मन्द वृद्धि दर ने करों एवं शुल्कों के द्वारा संसाधनों के संघटन को निरूद्ध किया था को छोड़कर चालू वर्ष के दौरान की भाँति संघ करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश के मामले में यह VIIIवीं, IXवीं एवं Xवीं योजना अवधियों के दौरान स.घ.उ. की औसत वृद्धि दर से उच्च रही। लोक लेखे से संवितरण IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान तथा Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम दो वर्षों में औसत स.घ.उ. वृद्धि दर से सार्थक रूप से उच्च थे जिसके परिणाम से 1992-2008 की अवधि के दौरान औसत वृद्धि भी उस अवधि हेतु स.घ.उ. की औसत वृद्धि दर उच्च हो गई थी। स.घ.उ. वृद्धि दर की तुलना में ऋणों के पुनर्भुगतान में वृद्धि दर प्रकट करती है कि IXवीं योजना (1997-2002) अवधि के दौरान तथा Xवीं योजना (2002-07) के प्रारम्भ में छोड़कर, पिछले की वृद्धि दर बाद की वृद्धि दर से सार्थक रूप से उच्च रहा। लोक लेखा से संवितरण के मामले के अलावा दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान कुल संवितरण के अन्य घटकों में वृद्धि दर में लहर दर्शाई गई है जो कि चालू वर्ष के दौरान जारी रही। यदि 1992-93 में कुल संवितरण के सभी चार घटक 100 पर स्थित हों, तो लोक लेखे में से संवितरण हेतु 735 के मूल्य की तुलना में ऋण के पुनर्भुगतान के घटक के सूचकांक का मूल्य 2237 होगा। अन्य दो घटक, वास्तविक व्यय तथा करों में राज्यों के अंश के मूल्य क्रमशः 505 और 2505 होंगे। चार्ट 4.1, 1992-2008 की अवधि के दौरान कुल संवितरण में विभिन्न घटकों में प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 4.1 : कुल संवितरणों के घटकों में प्रवृत्तियाँ (अवधि 1992-2008)




4.5 कुल संवितरण के चार घटकों के आपेक्षिक अंश में वर्षानुवर्ष आधार पर और योजना अवधियों दोनों में बहुत उतार-चढ़ाव दिखाई दिया जैसा कि निम्न तालिका 4.3 तथा चार्ट 4.2 में वर्णित है।

तालिका 4.3: संवितरण घटक: सापेक्ष अंश

(प्रतिशत)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण का पुनर्भुगतान	लोक लेखे से संवितरण
1992-2008	35.73	4.02	40.62	19.62
VIIIवीं योजना (1992-97)	50.84	2.18	29.17	17.81
IXवीं योजना (1997-02)	41.57	3.18	33.10	22.15
Xवीं योजना (2002-07)	31.59	4.57	43.19	20.65
2002-03	41.70	4.91	29.74	23.66
2003-04	36.32	4.71	30.89	28.08
2004-05	34.67	4.96	35.11	25.27
2005-06	27.37	4.24	50.10	18.29
2006-07	26.60	4.40	54.14	14.86
XIवीं योजना (2007-12)				
2007-08	28.36	4.99	52.68	13.97
अपने सापेक्ष अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर				
1992-2008	-4.43	8.24	3.69	-0.58



4.6 वास्तविक व्यय का अंश (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम को आच्छादित करके वर्तमान प्रचालनों पर व्यय को दर्शाना) VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 50.84 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर से IXवीं योजना (1997-02) के अंतर्गत मंदन प्रवृत्ति दर्शाता है। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान पहले वर्ष (2002-03) में वास्तविक व्यय के अपेक्षित अंश ने बढ़ोतरी दर्शाई 2006-07 तक घटती हुई प्रवृत्ति के पश्चात चालू वर्ष में उसका अंश 28.36 प्रतिशत तक उठा। अत्वरित प्रवृत्ति भी VIIIवीं योजना के बाद 1992-2008 के दौरान ऋणात्मक विचलन दर भी दर्शाती थी। ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय के आपेक्षिक अंश 2005-06 से आरम्भ पिछले तीन वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक के आपेक्षिक उच्च वृद्धि दर के साथ VIIIवीं योजना (1992-97), IXवीं योजना (1997-2002) और Xवीं योजना (2002-07) की अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाते हैं जो कि अंत में 1992-2008 के दौरान अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति में ऋणात्मक वार्षिक औसत दर को अभिसरित करता है। 1992-2008 के दौरान लोक लेखे से संवितरण ने 19.62 प्रतिशत की दीर्घावधि प्रवृत्ति अंश दर्शाया। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान इस घटक का सापेक्ष अंश कुल संवितरणों का 17.81 प्रतिशत था जो बाद में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 22.15 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक बढ़ कर, रा.ल.ब.नि. के सृजन तथा अल्पबचतों के शेषों के दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1999-2000 में 33.76 प्रतिशत के शिखर तक पहुँच गया। लोक लेखे से संवितरण का अंश घटकर 2004-05 में 25.27 प्रतिशत और संगत रूप से चालू वर्ष में 13.97 प्रतिशत हो गया जिसके परिणाम से इस घटक ने 1992-2008 के दौरान नकारात्मक परिवर्तन दर दर्शाई थी। संघ सरकार के वास्तविक व्यय में संघ करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश VIIIवीं योजना (1997-2002) में 2.18 से Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 4.57 तक संगत रूप से बढ़ा जिसका परिणाम अवधि (1992-2008) के दौरान 8.24 के सकारात्मक परिवर्तन दर में हुआ जो कि वास्तविक व्यय के अन्य घटकों में सबसे उच्चतम था।

वास्तविक व्यय: प्रमुख समुच्चय

4.7 तालिका 4.4 और चार्ट 4.3 संघ सरकार के वास्तविक व्यय (ऋण के पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे में से संवितरण शामिल नहीं हैं जिनकी चर्चा राजकोषीय देयताओं के अध्याय में अलग की गई है) तथा योजना अवधियों के दौरान इसके विभिन्न घटकों की अवलोकित प्रवृत्ति वृद्धि दरों को प्रस्तुत करती है।


तालिका 4.4: व्यय घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय	राजस्व व्यय/ कुल व्यय	अन्य/ कुल व्यय
1992-2008	360380	36301	27187	423868	85.02	14.98
VIII वी योजना (1992-97)	177497	19550	23447	220494	80.50	19.50
IX वी योजना (1997-02)	327922	26234	35160	389316	84.23	15.77


संसाधनों का उपयोग : व्यय

अवधि	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय	राजस्व व्यय/ कुल व्यय	अन्य/ कुल व्यय
X वी योजना (2002-07)	500825	46993	26034	573852	87.27	12.73
2002-03	409591	30497	36222	476310	85.99	14.01
2003-04	440086	35401	31330	506817	86.83	13.17
2004-05	455571	53654	40108	549333	82.93	17.07
2005-06	540637	56119	12493	609249	88.74	11.26
2006-07	658240	59293	10019	727552	90.47	9.53
XI वी योजना (2007-12)						
2007-08	734861	116937	11777	863575	85.10	14.90
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1992-2008	11.12	10.44	-2.74	10.26	0.77	-3.92
VIII वी योजना (1992-97)	14.23	-8.44	11.91	11.77	विचलन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)	
IX वी योजना (1997-02)	7.63	9.22	-3.42	6.62		
X वी योजना (2002-07)	12.24	19.61	-29.46	10.86		
2002-03	9.06	-2.55	-6.19	6.92		
2003-04	7.45	16.08	-13.51	6.40		
2004-05	3.52	51.56	28.02	8.39		
2005-06	18.67	4.59	-68.85	10.91		
2006-07	21.75	5.66	-19.80	19.42		
XI वी योजना (2007-12)						
2007-08	11.64	97.22	17.55	18.90		



4.8 परिशिष्ट-IV-क 1992-93 से 2007-08 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय और उसके तीन उप-घटकों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। 1992-2008 के दौरान केन्द्र सरकार का राजस्व व्यय (करों में राज्यों का निवल अंश) 11.12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा था, पूंजीगत व्यय सीमान्तक रूप से 10.44 प्रतिशत की निम्न दर से बढ़ा जबकि ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में कमी आई तथा इस अवधि के दौरान इसकी वृद्धि दर (-)2.74 प्रतिशत रही। 1992-2008 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति, जिनमें ये तीनों घटक शामिल थे, 10.26 प्रतिशत थी।

4.9 राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा (चार्ट 4.4) तथा इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 80.50 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) में 84.23 प्रतिशत और 2006-07 के दौरान 90.47 प्रतिशत के उच्चतम स्तर के पहुँचने के बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 87.27 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान इसका अंश मुख्यतः वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में 97.22 प्रतिशत की तीव्र बढ़ोतरी - केन्द्र सरकार के वास्तविक व्यय का अन्य अनिवार्य घटक की तुलना में पिछले वर्ष में 11.64 प्रतिशत की इसकी सापेक्षिक निम्न वृद्धि दर के कारण 85.10 प्रतिशत तक गिरा। राजस्व व्यय में इन प्रवृत्तियों के प्रति, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का सापेक्षित अंश VIIIवीं योजना के दौरान 19.5 प्रतिशत की औसत से गिरकर IXवीं योजना (1997-2002) में 15.77 प्रतिशत एवं इसके आगे 2006-07 के दौरान 9.53 प्रतिशत के न्यूनतम अंश के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 12.73 प्रतिशत की औसत पर पहुँचा था। इस सत्य की बावजूद की चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों का अंश पूर्णतः पिछले वर्ष में पूंजीगत व्यय में तीव्र बढ़ोतरी के कारण 14.90 प्रतिशत तक बढ़ा और 1992-2008 की अवधि के दौरान इन दोनों घटकों के अंश की लम्बी अवधि प्रवृत्ति में (-)3.92 प्रतिशत की नकारात्मक वार्षिक औसत परिवर्तन दर को प्रदर्शित किया।



4.10 राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान 76621 करोड़ रु. राशि की 11.64 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी जो मुख्यतया सामाजिक सेवाओं पर 16139 करोड़ रु. (35.6 प्रतिशत); आर्थिक सेवाओं 14330 करोड़ रु. (6 प्रतिशत); ब्याज भुगतान 25707 करोड़ रु. (16.6 प्रतिशत) और राज्यों हेतु सहायता अनुदान 17462 करोड़ रु. (19.6 प्रतिशत) पर बढ़े हुए व्यय की राशि के कारण सूचित किए गए थे। 2007-08 के दौरान 734861 करोड़ रु. पर केन्द्र सरकार के राजस्व व्यय की अपेक्षा 64 प्रतिशत अधिक था जो कि राज्यों के लिए अनुशंसित ऋण राहत को समाविष्ट करने के बाद केन्द्रीय सरकार के लिए बा.वि.आ. द्वारा किए गए नियामक अनुमान की अपेक्षा अधिक था। 1992-2008 के दौरान इसका अपेक्षित अंश में 0.77 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सकारात्मक विचलन दर थी।

4.11 VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान, पूंजीगत व्यय के संकुचन को प्रदर्शित किया तथा नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि की 9.22 प्रतिशत तथा उसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 19.61 प्रतिशत की पूर्ति हुई। Xवीं योजना अवधि के दौरान, पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि दर 2002-03 में (-)2.55 प्रतिशत से 2004-05 में 51.56 प्रतिशत तक व्यापक रूप से घटी-बढ़ी। 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान 5 प्रतिशत की सापेक्षिक निम्न औसत वृद्धि दर दर्ज करने के पश्चात्, यह मुख्यतः गैर-योजनागत शीर्षों के अंतर्गत कृषीय वित्तीय संस्थानों में 304 करोड़ रु. के नवीन निवेश के अतिरिक्त रक्षा सेवाओं में

33828 करोड़ रु. से 37462 करोड़ रु. तक की भाँति सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में 2006-07 में (-)4009 करोड़ रु. से 2007-08 में 45627¹ करोड़ रु. तक (प्राथमिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में भा.रि.बैं. के दावे के अधिग्रहण के कारण) निवेश के रूप में पूंजीगत व्यय में तीव्र बढ़ोतरी के कारण 2007-08 में 97.22 प्रतिशत की अब तक की उच्चतम दर से बढ़ा। इसके अतिरिक्त, योजनागत शीर्षों के अंतर्गत वृद्धियाँ पाई गई थीं तथा जलपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (739 करोड़ रु. 91.68 प्रतिशत); रेलवे - वाणिज्यिक लाइने (575 करोड़ रु. 7.6 प्रतिशत); सैटेलाइट प्रणालियाँ (453 करोड़ रु. 2102 प्रतिशत) तथा सड़कें एवं पुल (942 करोड़ रु. 21.93 प्रतिशत) के अंतर्गत मुख्य वृद्धियाँ दर्ज की गई थीं। चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में ऐसी तीव्र वृद्धि के बावजूद, यह अधिनिर्णय अवधि के सीमान्त वर्ष (2009-10) द्वारा स.घ.उ. 3.5 प्रतिशत के लक्षित स्तर को प्राप्त करने हेतु 2007-08 के लिए बा.वि.आ. (137524 करोड़ रु.) द्वारा प्रक्षेपित स्तर से कम था।

4.12 तथापि, ऋण एवं अग्रिम ने IXवीं योजना के दौरान वृद्धि दर ऋणात्मक बदलाव वृद्धि के साथ एक भिन्न चित्र प्रदर्शित किया तथा Xवीं योजना (2002-07) की अवधि के दौरान ऋणात्मक प्रवृत्ति को इंगित किया। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ऋण एवं अग्रिम में तीव्र गिरावट राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य योजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण लेने में केन्द्र सरकार की मध्यस्थता के संबंध में बा.वि.आ. की संस्तुति के स्वीकारोक्ति के कारण था। इसलिए राज्यों में केन्द्रीय योजना सहायता के ऋण घटक को केन्द्र सरकार के बजटीय मध्यस्थता के बिना सीधे बाजार से उगाहा। यह तंत्र वर्ष 2005-06 से बा.वि.आ. की संस्तुति के आधार पर है। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों ने पिछले वर्ष के प्रति 2007-08 में 1758 करोड़ रु. (17.55 प्रतिशत) की वृद्धि को मुख्यतः लोकल फन्डस तथा सरकारी कर्मचारियों जिनकी वर्ष के दौरान विदेशी सरकारों को ऋणों में 48 करोड़ रु. की गिरावट द्वारा क्षतिपूर्ति की गई थी सहित राज्यों को ऋणों एवं अग्रिमों ने 1741 करोड़ रु. (35.58 प्रतिशत) तथा सरकारी निगमों एवं गैर-सरकारी संस्थानों को 69 करोड़ रु. की वृद्धि के कारण दर्शाया है।

राजस्व व्यय: प्रवृत्ति एवं घटक

4.13 नीचे दी गई तालिका 4.5 अपने मुख्य उद्देश्य-वार वर्गीकरण के संदर्भ में राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर किए गए व्यय को दर्शाती है।

¹ यह राशि भा.स्टे.बैं. में भा.रि.बैं की धारिता (35531 करोड़ रु.) की अधिग्रहण लागत के कारण पूंजीगत व्यय और भा.स्टे.बैं. के इक्विटी शेयर के राइट इश्यू (9996 करोड़ रु.) में अंशदान को शामिल करती है।

तालिका 4.5: राजस्व व्यय एवं इसके घटक

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन एवं भत्ते**	ब्याज भुगतान	पेंशन*	राज्यों को अनुदान	अन्य
1992-2008	360380	31437	96012	17038	42186	173706
VIIIवीं योजना (1992-97)	177497	21620	44280	5661	20630	85306
IXवीं योजना (1997-02)	327922	33432	91102	15852	32423	155114
Xवीं योजना (2002-07)	500825	36728	135860	25539	60676	242022
2002-03	409591	33317	124573	19085	42136	190480
2003-04	440086	34554	128114	20702	47320	209396
2004-05	455571	38653	130958	24085	52686	209189
2005-06	540637	37263	141375	24750	72367	264882
2006-07	658240	39854	154280	39074	88871	336161
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	734861	44098	179987	37346	106333	367097
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2008	11.12	5.39	11.87	15.86	11.89	11.23
VIIIवीं योजना (1992-97)	14.23	12.10	17.44	15.64	5.60	15.29
IXवीं योजना (1997-02)	7.63	-2.09	14.90	17.07	11.06	4.35
Xवीं योजना (2002-07)	12.24	4.43	5.40	17.49	21.14	14.70
2002-03	9.06	6.08	9.11	0.80	1.55	12.33
2003-04	7.45	3.71	2.84	8.47	12.30	9.94
2004-05	3.52	11.86	2.22	16.34	11.34	-0.10
2005-06	18.67	-3.60	7.95	2.76	37.36	26.62
2006-07	21.75	6.95	9.13	57.87	22.81	26.91
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	11.64	10.65	16.46	-4.42	19.65	9.20

* विविध सामान्य सेवाएं शामिल हैं।

**टिप्पणियां:

- 1) संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं रक्षा विभाग के गैर-सिविलियन कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित विवरणिका के अनुसार 2001-02 तक वेतन एवं भत्तों पर व्यय है। 2002-03 से रक्षा के गैर-सिविलियन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के व्यय आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।
- 2) वेतन एवं भत्ते पर व्यय जिनमें यात्रा भत्ता, उत्पादकता सह बोनस, तदर्थ बोनस, अर्जित अवकाश का नगदीकरण एवं मानदेय सम्मिलित नहीं हैं।
- 3) 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 वर्षों हेतु केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों हेतु वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित विवरणिका के अनुसार वास्तविक आंकड़े। 2005-06 एवं 2006-07 के लिए वेतन एवं भत्तों पर व्यय और 2007-08 हेतु संशोधित अनुमान संबंधित वर्षों के व्यय बजट (भाग-11) में सूचित किए गए के अनुसार अपनाए गए।

4.14 1992-2008 के दौरान, वेतन एवं भत्तों के प्रकरण के सिवाए राजस्व व्यय के सभी घटकों की दो-अंकीय वृद्धि प्रवृत्ति थी। राज्यों एवं पेंशन को अनुदान के सिवाए इन घटकों की वृद्धि की औसत वार्षिक दर VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान

अपेक्षाकृत अधिक थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वृद्धि दर में मंदन विशेष तौर से वेतन एवं भत्तों के लिए सुस्पष्ट था जिसने "अन्य" के अंतर्गत समूहित राजस्व व्यय के अवशिष्ट घटकों की भाँति संकुचन को प्रदर्शित किया है। रक्षा एवं विभागीय उपक्रमों में सिविल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय, 1997-98 में 33.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराने के बाद, पंचम वेतन आयोग की सिफारिश को लागू होने के परिणामस्वरूप, बाद के वर्षों में कम हुआ तथा IXवीं योजना अवधि के दौरान औसतन एक गिरावट दर्ज की। तिसपर भी मजदूरी पश्च वेतन आयोग वर्षों में बढ़ा है, राजस्व व्यय के इस घटक की वृद्धि की प्रवृत्ति स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी। "अन्य" के अंतर्गत समूहित राजस्व व्यय के अवशिष्ट घटकों में इन उत्पादों की आपूर्ति में अंतर्ग्रस्त निगमों एवं कंपनियों को कम वसूलियों हेतु दी क्षतिपूर्ति तथा खाद्य, उर्वरकों एवं पेट्रोलियम उत्पादनों आदि हेतु दी सुस्पष्ट आर्थिक सहायता अन्तर्विष्ट है। चूँकि क्षतिपूर्ति तथा सुस्पष्ट आर्थिक सहायता पर किया व्यय हाल के वर्षों के दौरान तीव्रता से बढ़ा, इसलिए इस अवशिष्ट घटक को सार्थक माना गया और 2004-05 से 2007-08 तक 157908 करोड़ रु. (75.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की।

4.15 IXवीं योजना के दौरान ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर ने भी सामान्य मंदन तथा उसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 5.40 प्रतिशत को प्रदर्शित किया था। अधिकांशतः आंतरिक ऋण हेतु ब्याज दरों में एक सामान्य गिरावट के कारण ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर में कमी आई। Xवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा आसान ब्याज दर व्यवस्था के बावजूद, अवधि के दौरान मुख्य रूप से उत्तरोत्तर बकाया ऋण के कारण ब्याज भुगतान लगातार बढ़ा है। घटता ब्याज भुगतान चालू घाटे विशेषतौर से प्राथमिक घाटे में ह्रास की अपेक्षा करता है ताकि भविष्य में ब्याज भुगतान घट सके। तकनीकी रूप से, यदि सरकार मुख्य अधिशेषों के सृजन में समर्थ होगी तभी ऋण एवं भविष्य के ब्याज भुगतानों में ह्रास हो सकता है। 1992-2008 हेतु प्रवृत्तियों ने दर्शाया कि तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 एवं 2007-08) से केन्द्र सरकार को प्राथमिक घाटा हुआ जिसका परिणाम बढ़े हुए ऋण स्तरों और बढ़ते ब्याज भुगतानों में हुआ।

4.16 राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग प्रायः प्रतिबद्ध है यानि कि व्यय का वह भाग जिस पर सरकार का बहुत कम स्वनिर्णय होता है। ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन एवं मजदूरी तथा ज्यादातर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रतिबद्धता एवं अन्य देयताओं के संदर्भ में राजस्व व्यय के संयोजन तथा राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं गैर-ऋण प्राप्तियों (तालिका 4.6) के साथ समय पर उनके संबंध का अध्ययन आवश्यक है। तालिका 4.6 में प्रतिबद्ध व्यय को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् 'ब्याज भुगतान' एवं 'अन्य'। अवशिष्ट श्रेणी 'अन्य' में वेतन एवं भत्तों तथा विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय सहित पेंशन पर व्यय समाविष्ट है।

तालिका 4.6: कुल राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का अंश

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय			राजस्व प्राप्तियां			गैर-ऋण प्राप्तियां		
	ब्याज भुगतान	अन्य	कुल	ब्याज भुगतान	अन्य	कुल	ब्याज भुगतान	अन्य	कुल
1992-2008	26.64	13.45	40.09	33.21	16.77	49.98	30.49	15.39	45.88
VIII वी योजना (1992-97)	24.95	15.37	40.32	29.81	18.36	48.17	28.04	17.27	45.31
IX वी योजना (1997-02)	27.78	15.03	42.81	36.12	19.54	55.66	33.79	18.28	52.06
X वी योजना (2002-07)	27.13	12.43	39.56	34.44	15.79	50.23	30.85	14.17	44.99
2002-03	30.41	12.79	43.21	41.55	17.48	59.03	36.45	15.33	51.79
2003-04	29.11	12.56	41.67	37.78	16.29	54.08	30.08	12.97	43.06
2004-05	28.75	13.77	42.52	34.75	16.65	51.40	29.39	14.08	43.47
2005-06	26.15	11.47	37.62	32.81	14.39	47.20	31.82	13.96	45.77
2006-07	23.44	11.99	35.43	29.36	15.02	44.39	28.33	14.49	42.82
XI वी योजना (2007-12)									
2007-08	24.49	11.08	35.58	27.71	12.54	40.26	25.76	11.66	37.42
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर									
1992-2008	0.68	-2.30	-0.38	0.91	-2.07	-0.15	0.64	-2.34	-0.42

टिप्पणी: राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय दोनों विभिन्न करों में राज्य के अंश का निवल है।

व्यय: योजनागत एवं योजनेतर

4.17 वित्त लेखे व्यय वितरण को आगे योजनागत और योजनेतर में बांटते गया है। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर वृद्धिसंबंधि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है और इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय शामिल होते हैं। दूसरी तरफ, योजनेतर व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत और योजनेतर व्यय, दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क के विस्तार और पूंजी निर्माण को जन्म देती है। तालिका 4.7 संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेतर व्यय की वृद्धि तथा गठन को प्रस्तुत करती है जबकि तालिका 4.8 कुल व्यय में योजनागत और योजनेतर व्यय के सापेक्षिक अंश में प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 4.7: व्यय के घटक - योजनागत एवं योजनेतर

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	योजनागत				योजनेतर			
	कुल	राजस्व	पूंजीगत*	ऋण	कुल	राजस्व	पूंजीगत*	ऋण एवं अग्रिम
1992-2008	95774	65684	12761	17330	328094	294696	23541	9857
VIII वी योजना (1992-97)	48190	26749	8380	13061	172304	150748	11170	10386
IX वी योजना (1997-02)	78595	47089	10132	21373	310721	280833	16102	13786

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

अवधि	योजनागत				योजनेतर			
	कुल	राजस्व	पूँजीगत*	ऋण	कुल	राजस्व	पूँजीगत*	ऋण एवं अग्रिम
Xवीं योजना (2002-07)	138676	101635	17960	19081	435176	399190	29033	6954
2002-03	111470	71569	14643	25258	364840	338022	15854	10964
2003-04	122281	78638	16913	26730	384536	361448	18488	4600
2004-05	132932	87494	19372	26066	416401	368077	34282	14042
2005-06	140637	111858	19457	9322	468612	428779	36662	3171
2006-07	186060	158618	19414	8028	541492	499622	39879	1991
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	205082	173572	21806	9704	658493	561289	95131	2073
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)								
1992-2008	11.33	14.64	7.70	0.37	9.96	10.35	11.96	-8.97
VIIIवीं योजना (1992-97)	7.53	11.48	-4.45	7.28	12.98	14.72	-11.36	18.27
IXवीं योजना (1997-02)	13.49	14.50	4.56	15.71	4.90	6.51	13.12	-29.30
Xवीं योजना (2002-07)	12.35	21.46	7.30	-28.44	10.38	9.99	28.78	-31.50
2002-03	6.36	16.08	30.52	-20.90	7.09	7.68	-21.03	64.08
2003-04	9.70	9.88	15.50	5.83	5.40	6.93	16.61	-58.04
2004-05	8.71	11.26	14.54	-2.48	8.29	1.83	85.43	205.26
2005-06	5.80	27.85	0.44	-64.24	12.54	16.49	6.94	-77.42
2006-07	32.30	41.80	-0.22	-13.88	15.55	16.52	8.77	-37.21
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	10.22	9.43	12.32	20.88	21.61	12.34	138.55	4.12

*वित्त लेखे में पूँजीगत व्यय में एन एस एस एफ को जारी प्रतिभूतियों के शोधन सम्मिलित नहीं है। इसका परिणाम राजकोषीय घाटों में परिवर्तन में भी हुआ जिसका ब्यौरा तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 4.8: योजनागत एवं योजनेतर व्यय: सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

अवधि	यो.व्य./कु.व्य.	गै.यो.व्य./कु.व्य.	यो.रा.व्य./यो.व्य.	गै.यो.रा.व्य./गै.यो.व्य.
1992-2008	22.60	77.40	68.58	89.82
VIII वीं योजना (1992-97)	21.86	78.14	55.51	87.49
IX वीं योजना (1997-02)	20.19	79.81	59.91	90.38
X वीं योजना (2002-07)	24.17	75.83	73.29	91.73
2002-03	23.40	76.60	64.20	92.65
2003-04	24.13	75.87	64.31	94.00
2004-05	24.20	75.80	65.82	88.39
2005-06	23.08	76.92	79.54	91.50
2006-07	25.57	74.43	85.25	92.27
XI वीं योजना (2007-12)				
2007-08	23.75	76.25	84.64	85.24

टिप्पणी: यो.व्य. = योजनागत व्यय, गै.यो.व्य. = गैर योजनागत व्यय, यो.रा.व्य. = योजनागत राजस्व व्यय, गै.यो.रा.व्य. = गैर योजनागत राजस्व व्यय तथा कु.व्य. = कुल व्यय

4.18 1992-2008 के दौरान कुल व्यय में योजनागत व्यय के अंश ने सापेक्षिक स्थिरता प्रदर्शित की थी। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान कुल व्यय के 21.86 प्रतिशत की औसत की तुलना में इसके अंश में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 20.19 प्रतिशतता तक की सीमान्त गिरावट के पश्चात Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 24.17 प्रतिशत की औसत का मामूली सुधार हुआ। 2002-03 से 2007-08 तक छः वर्ष की अवधि के दौरान कुल व्यय में योजनागत व्यय का अंश वास्तव में 23.4 से 25.6 प्रतिशत की संकुचित रेंज में परिवर्तित रहा। तथापि, स्थिर दिखाई देने वाला यह अंश, कुल योजना तथा इसके उप-घटक स्तरों पर वर्ष तथा योजना के अन्दर परिवर्तन को छिपाता है।

4.19 योजनागत व्यय की वृद्धि दर VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 7.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 13.49 प्रतिशत हो कर छः प्रतिशतता अंकों के एक त्वरण को प्रदर्शित किया। यह त्वरण अपने तीनों उप-घटकों को पार कर गयी थी। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान औसत वृद्धि दर सीमांतक रूप से 12.35 प्रतिशत तक और बाद में 2007-08, XIवीं योजना (2007-12) का प्रथम वर्ष, में 10.22 तक गिरा परंतु इस अवधि के दौरान इसके उप घटकों की वृद्धि दरें व्यापक रूप से बदलती रहीं। यद्यपि गैर-योजनागत व्यय की वृद्धि VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 12.98 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत ऊँची थी तथापि IXवीं योजना के दौरान इसकी वृद्धि दर में करीब 8 प्रतिशतता अंकों का महत्वपूर्ण मंदन देखा गया। यद्यपि Xवीं योजना (2002-07) अवधि के दौरान, औसत वृद्धि दर 10.38 प्रतिशत तक उठी जो कि चालू वर्ष के दौरान तीव्रता से 21.61 प्रतिशत तक बढ़ी परंतु योजनागत व्यय के मामले के रूप में, अवधि के दौरान गैर योजनागत व्यय के घटक व्यापक रूप से बदलते रहे। तथापि, योजनागत एवं योजनेतर व्यय दोनों की समग्र वृद्धि प्रवृत्ति, स.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्ति की वृद्धि से कम थी। 1992-2008 के दौरान स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्ति के साथ योजनागत व्यय की उत्प्लावकता क्रमशः 0.922 एवं 0.922 थी। योजनेतर व्यय के मामले में, उत्प्लावकता गुणांक क्रमशः 0.811 एवं 0.810 (तालिका 4.9) से महत्वपूर्ण रूप से निम्न था लेकिन एक से कम था जो इस तथ्य को दर्शाता था कि उनकी औसत वृद्धि दर यद्यपि सीमान्त रूप से ही, अवधि के दौरान स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दरों से भी कम थी।

4.20 योजनागत तथा योजनेतर व्यय दोनों के लिए राजस्व घटक न केवल सबसे प्रधान रहा अपितु यह 1992-2008 के दौरान सापेक्षिक रूप से अधिकतम उत्प्लावक था। योजनागत व्यय में राजस्व घटक का अंश, जो VIIIवीं योजना के दौरान औसतन 55.51 प्रतिशत था धीरे-धीरे बढ़कर 2006-07 के दौरान 85.25 प्रतिशत के उच्च स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 73.29 प्रतिशत तक चढ़ गया जो कि चालू वर्ष के दौरान 84.63 प्रतिशत के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर जारी रहा। यद्यपि योजनागत व्यय Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 7.64 प्रतिशत की मंद दर


से बढ़ा लेकिन इसके पिछले वर्षों की तुलना में 2006-07 में मुख्यतया उसके राजस्व घटक में 41.8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण यह अपने अंतिम वर्ष के दौरान 32.3 प्रतिशत तक तीव्रता से बढ़ गया। 2006-07 में दिये उच्चतम आधार में, योजनागत व्यय में 19022 करोड़ रू. (10.22 प्रतिशत) की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी जिसका 14954 करोड़ रू. (78.6 प्रतिशत) योजनागत व्यय में बढ़ोतरी; 2394 करोड़ रू. (12.58 प्रतिशत) योजनागत पूंजीगत व्यय और शेष योजनागत ऋणों एवं अग्रिमों में बढ़त द्वारा अंशदान था। योजनागत व्यय के राजस्व घटक में वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों को योजनागत अनुदानों में वृद्धि तथा ग्रामीण रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को सम्मिलित करके सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत व्यय वचनबद्धताओं को पूरा करने के कारण था। ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण जल आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, व्यक्ति सिंचाई तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग जैसे सामाजिक उन्मुख क्षेत्रों में बढ़ता हुआ व्यय Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम तीन वर्षों के दौरान योजनागत व्यय का राजस्व व्यय घटक में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बना।

4.21 पूंजीगत प्रकृति के योजनागत व्यय तथा योजनागत ऋणों एवं अग्रिमों ने अपने राजस्व घटक के सापेक्ष काफी कम प्रवृत्ति वृद्धि को दर्ज किया। योजनागत व्यय जो Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम तीन वर्षों के दौरान लगभग स्थिर रहा चालू वर्ष के दौरान 2394 करोड़ रू. (12.32 प्रतिशत) तक बढ़ा। बढ़ोतरियाँ मुख्यतः जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (739 करोड़ रू. : 91.8 प्रतिशत); रेलवे-वाणिज्यिक लाईने (575 करोड़ रू. : 7.6 प्रतिशत); सेटलाईट प्रणालियाँ (453 करोड़ रू. : 2102 प्रतिशत) और सड़कें एवं पुल (942 करोड़ रू. : 21.93 प्रतिशत) के अंतर्गत थी जिनकी शक्ति परियोजनाओं (275 करोड़ रू. : 26 प्रतिशत) और डाक सेवाओं (194 करोड़ रू. : 68.81 प्रतिशत) हेतु योजनागत पूंजीगत परिव्यय में कमी द्वारा आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की गई थी। योजनागत ऋण जिसने यद्यपि वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों, जो बा.वि.आ. की संस्तुति के स्वीकारोक्ति के कारण सीधे संसाधनों को बढ़ाने में असमर्थ है, को सहायता साथ राज्य के आंतरिक ऋणों को बढ़ाने में केन्द्र सरकार की गैर मध्यस्थता को दर्शाते हुए 2005-06 से सार्थक संकुचन प्रदर्शित की और चालू वर्ष के दौरान 1676 करोड़ रू. (20.88 प्रतिशत) तक सीमान्त रूप से बढ़ा।

4.22 योजनेतर व्यय में राजस्व घटक का अंश VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 87.49 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 90.38 प्रतिशत तथा इसके अतिरिक्त 2003-04 में 94 प्रतिशत के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान इसकी औसत और बढ़कर 91.73 प्रतिशत हो गई। तथापि यह घटक 2006-07 में 92.27 से चालू वर्ष के दौरान 85.23 तक तत्त्वतः इस अवधि के दौरान अपने अंश को 7.73 प्रतिशत से 14.77 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय में 138.55 प्रतिशत की तीव्र बढ़त के कारण 7 प्रतिशतता बिन्दुओं तक सार्थक रूप से गिरा है। ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, आर्थिक सहायता

एवं पेंशन केन्द्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय के मुख्य घटक का निर्माण करते हैं। 2007-08 के दौरान योजनेतर राजस्व व्यय में 61667 करोड़ रु. की कुल वृद्धि में ब्याज भुगतान (25707 करोड़ रु.) तथा रक्षा राजस्व व्यय (2799 करोड़ रु.) ने एक साथ मिलकर 28506 करोड़ रु. (46.23 प्रतिशत) का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर योजनेतर राजस्व व्यय में अधिकांश रूप से सामाजिक कल्याण एवं पौषण (9110 करोड़ रु.), खाद्य आर्थिक सहायता (7314 करोड़ रु.), उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष बंधपत्रों सहित उर्वरक आर्थिक सहायता (7800 करोड़ रु.) और कृषीय वित्तीय संस्थानों (1215 करोड़ रु.) के कारण वृद्धि हुई जिसका परिणाम 2007-08 के दौरान समग्र योजनेतर राजस्व व्यय में उत्प्लावकता में हुआ। ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, आर्थिक सहायता तथा वेतन एवं पेंशन जैसी मदों पर बचनबद्ध योजनेतर राजस्व व्यय न केवल अपने बजट अनुमानों से अधिक पाया गया बल्कि 2007-08 हेतु बा.वि.आ. द्वारा किए गए मानकीय अनुमानों से भी काफी अधिक था। उदाहरण के तौर पर 2007-08 में ब्याज भुगतान तथा रक्षा राजस्व व्यय तथा पेंशन बा.वि.आ. द्वारा वर्ष हेतु किए गए मानकीय अनुमानों से क्रमशः 32464 करोड़ रु., 4792 करोड़ रु. तथा 6344 करोड़ रु. अधिक थे।

4.23 योजनेत्तर पूंजीगत परिव्यय ने पिछले वर्ष की तुलना 55252 करोड़ रु. (138.55 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि दर्शाई है और 2006-07 में 39879 करोड़ रु. से चालू वर्ष के दौरान 95131 करोड़ रु. तक बढ़ा। योजनेत्तर पूंजीगत परिव्यय में यह स्थिति मुख्यतः सामान्य वित्त एवं व्यापारिक संस्थानों (49636 करोड़ रु.); अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (1594 करोड़ रु.) और कृषीय वित्तीय संस्थानों (304 करोड़ रु.) में केन्द्र सरकार के बढ़े हुए निवेश के कारण पाई गई थी जिसने चालू वर्ष के दौरान इस मद में 93 प्रतिशत की वृद्धि स्पष्ट की। वार्षिक रक्षा पूंजीगत व्यय (3634 करोड़ रु.) को जोड़ते हुए जो भी योजनेतर प्रकृति का है, चालू वर्ष के दौरान योजनेतर पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि हेतु व्याख्यात्मक शक्ति लगभग 100 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। चूंकि इन निवेशों की प्राकृति वित्त लेखों में से उद्गम नहीं है, मध्यम से लम्बे समय तक राजकोषीय शोधन बनाए रखने हेतु उत्पादक परिसम्पत्तियों के लिए पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने हेतु रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दायित्व की क्षतिपूर्ति पर की भाँति इन निवेशों की गुणवत्ता पर कोई अवलोकन करना कठिन है।



4.24 1992-2007 की अवधि में केन्द्र संघ के व्यय का संयोजन, जो वर्षों से बढ़ रहा है (चार्ट 4.5), प्रकट करता है कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूरी तरह से पूंजीगत व्यय पर छा गया है। राजस्व व्यय का आधिक्य, मुख्य रूप से राजस्व व्यय-गहन कार्यक्रमों के पक्ष में योजनागत वरीयताओं में बोध परिवर्तन के तथा विशेषतया प्रतिबद्ध तथा आवश्यक व्यय जैसे ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन तथा रक्षा में उद्भूत लघु अवधि में योजनेतर राजस्व व्यय में सुव्यवस्थित दृढ़ता के कारण हुआ है। राज्यों के विकास की गतिविधियों को केन्द्रीय सहायता, चाहे वे केन्द्रीय सहायता के माध्यम से अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हों, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि राज्यों अथवा कार्यान्वित अभिकरणों द्वारा किस उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया गया, राजस्व व्यय को वर्गीकृत किया जाता है।

व्यय की उत्प्लावकता

4.25 सांकेतिक व्यय में वृद्धि या इसकी परम मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आधार के सापेक्ष में इसके विभिन्न घटकों की उत्प्लावकता है। नीचे दी गई तालिका 4.9, 1992-2008, XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष की भांति VIIIवीं, IXवीं एवं Xवीं योजना अवधियों हेतु पृथक रूप से राजस्व प्राप्तियों एवं स.घ.उ. के सापेक्ष व्यय के विभिन्न घटकों के औसत उत्प्लावकता अनुपातों को मुहैया कराता है।

तालिका 4.9: स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय की उत्प्लावकता में प्रवृत्तियां

व्यय का प्रकार	1992-2008		VIII वीं योजना (1992-97)		IX वीं योजना (1997-2002)		X वीं योजना (2002-07)		XI वीं योजना (2007-12) 2007-08	
	स.घ. उ.	राजस्व प्राप्तियां	स.घ. उ.	राजस्व प्राप्तियां	स.घ. उ.	राजस्व प्राप्तियां	स.घ. उ.	राजस्व प्राप्तियां	स.घ. उ.	राजस्व प्राप्तियां
योजनागत व्यय	0.922	0.922	0.450	0.489	1.305	1.572	0.882	0.791	0.747	0.425
गैर-योजनागत व्यय	0.811	0.810	0.776	0.842	0.475	0.571	0.741	0.664	1.579	0.897
राजस्व व्यय	0.905	0.904	0.851	0.924	0.738	0.889	0.874	0.783	0.851	0.483
पूंजीगत व्यय	0.850	0.849	0.505	-0.548	0.892	1.074	1.400	1.255	7.104	4.037
ऋण एवं अग्रिम	-0.223	-0.223	0.712	0.773	-0.331	-0.399	-2.104	-1.886	1.282	0.729
कुल व्यय	0.835	0.835	0.704	0.764	0.641	0.771	0.776	0.695	1.366	0.776


4.26 IX वीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उच्चतर उत्प्लावकता अनुपात निश्चित तौर पर स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों में निम्नतर वृद्धि दरों के कारण था। स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियां, दोनों के ही संबंध में कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय की अपेक्षाकृत उच्चतर उत्प्लावकता ने राजस्व व्यय-गहन कार्यक्रमों गैर योजनाओं और अल्प-आवधिक में योजनेतर राजस्व व्यय में व्यवस्थागत दृढ़ता के पक्ष में सचेत परिवर्तन दर्शाया जिसके परिणाम से कुल व्यय की वृद्धि दर से मंदन मुख्यतः पूंजीगत व्यय और/अथवा ऋणों और अग्रिमों को घटा कर हासिल किया गया था। 1992-2008 के दौरान, स.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के साथ पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता राजस्व व्यय की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही। तथापि, VIII वीं योजना (1992-97) में ह्रास के पश्चात, पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान सुधार हुआ और दोनों योजनागत एवं योजनेतर शीर्षों के अंतर्गत बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के कारण X वीं योजना (2002-07) के दौरान दोनों स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ के साथ इकाई से आगे बढ़ गई। तथापि चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता में तीव्र वृद्धि प्राथमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भांति दोनों वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में केन्द्र सरकार के निवेशों में तीव्र वृद्धि के कारण थी। दोनों स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों के संबंध में योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता जो कि VIII वीं योजना में योजनागत व्यय की उत्प्लावकता के सापेक्ष उच्च थी ने रूख बदला और इस तथ्य कि केन्द्र सरकार की व्यय प्रबंधन नीति दशक के दौरान गैर-विकासात्मक व्यय नियंत्रित करने और योजना प्राथमिकताओं में सचेत परिवर्तन के द्वारा सामाजिक विकास और अर्थव्यवस्था पर प्राथमिकता से खर्च करने हेतु पर्याप्त रूप से प्रदान करने पर लक्षित है को दर्शाते हुए अगले दशक (1997-2007) हेतु उत्प्लावकता ने पिछले की अपेक्षा बाद में बढ़ाना जारी रखा। तथापि दोनों स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता 2007-08 में योजनागत व्यय की उत्प्लावकता से मुख्यतः वर्ष के दौरान योजनेतर पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण बढ़ी। ऋणों एवं अग्रिमों के नकारात्मक उत्प्लावकता अनुपातों के संबंध में, सरकार ने राज्यों को ऋण,

² प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण उत्कृष्ट पदाथी के उदाहरण हैं।

4.28 किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के सुविधा वंचित वर्गों को आर्थिक सहायताएं/राजकीय सहायताएं प्रदान करना एवं भूगोलन हस्तांतरित करना तथा इमदादी मयों पर उत्कृष्ट पदाथी का प्रावधान करने के रूप में भी सहायताएं असामान्य नहीं हैं।

आर्थिक सहायता प्रबन्धन

4.27 1992-2008 की अवधि के साथ-साथ VIIIवीं, IXवीं एवं Xवीं योजना अवधियाँ और चालू वर्ष के लिए अलग से स.व.उ. एवं राज्य प्रान्तियों के संदर्भ में व्यय के प्रकार द्वारा उत्प्लावकता अनुपातों को भी चार्ट 4.6 में दर्शाया गया है।



राजकीय रूप से कमजोर राज्यों जो कि सीधे अपने संसाधन बढ़ाने में असमर्थ हैं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गैर मध्यस्थता हेतु बा.वि.आ. की संस्तुतियाँ स्वीकार की जिसके परिणाम से केन्द्र सरकार द्वारा ऋणों का संवितरण हाल के वर्षों के दौरान वस्तुतः मिला।

यदि आर्थिक सहायताओं का प्रभाव वस्तुओं या आगतों की कीमतों को कम करने में होता है, जो बदले में इन वस्तुओं को लक्षित वर्गों के लिए सुगमता से प्राप्य बनाता है या/और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहित/सुगम करता है, तो ऐसी आर्थिक सहायताएं कल्याण-प्रेरक हो सकती हैं। तालिका 4.10, सरकार द्वारा VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजनाओं के दौरान मुख्य मदों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदान की गई आर्थिक सहायताओं का चित्र प्रस्तुत करती है।

तालिका 4.10: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @	उर्वरक #	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (अ)	आर्थिक सहायताएं (ब)
औसत वार्षिक मूल्य								
VIIIवीं योजना (1992-97)	4976	6088	-	-	2405	13469	1.30	7.59
IXवीं योजना (1997-02)	11199	11376	-	-	3516	26091	1.36	7.96
Xवीं योजना (2002-07)	23941	11017	5717	3971	2596	47242	1.47	9.43
2002-03	24176	7790	3225	5225	3592	44008	1.79	10.74
2003-04	25160	8521	3326	6292	1669	44968	1.63	10.22
2004-05	23280	10985	5142	2956	1976	44339	1.41	9.73
2005-06	23077	11863	6596	2683**	849	45068	1.26	8.34
2006-07	24014	15924^	10298	2699**	4894	57829	1.39	8.79
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	31328	19556	12934	2820	4387	70926	1.50	9.65

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दिए गए आर्थिक सहायता को दर्शाता है

अनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दिए गए आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

* अन्य में इमदादी ब्याज, नैफेड को दिया गया अनुदान, विनिमय हानि हेतु क्षतिपूर्ति, हज घोषणा-पत्र हेतु आर्थिक सहायता आदि शामिल हैं।

** प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अन्तर्गत उनके दावों के निपटान में एवं संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वसूलियों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के प्रति तेल कम्पनियों को क्रमशः 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान जारी किए गए 17263 करोड़ रु, 24122 करोड़ रु एवं 20554 करोड़ रु हेतु पेट्रोलियम बन्ध-पत्रों को शामिल नहीं करता।

^ उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को 2007-08 के दौरान जारी 7500 करोड़ रु के विशेष बंधपत्र को शामिल नहीं किया गया है।

(अ) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में

(ब) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

4.29 सम्पूर्ण रूप से, सुस्पष्ट आर्थिक सहायता VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 13469 करोड़ रु. की औसत से संगत रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 26091 करोड़ रु. तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 47242 करोड़ रु. हो गई। स.घ.उ. के सापेक्ष, VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान आर्थिक सहायता 1.30 प्रतिशत से सांकेतिक रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.36 प्रतिशत की औसत तक हो गई। यह अनुपात बाद में Xवीं

योजना (2002-07) में वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता पर व्यय भारी वृद्धि के कारण 1.47 तक बढ़ा। इसके अतिरिक्त Xवीं योजना अवधि के विश्लेषण ने प्रकट किया कि आर्थिक सहायता पर कुल व्यय ने प्रथम चार वर्षों के दौरान सापेक्ष स्थिरता दर्शाई जबकि स.घ.उ. में प्रवृत्तियों ने उत्प्लावक वृद्धि दरें प्रदर्शित की जिसका परिणाम 2002-03 में 1.79 से 2005-06 में 1.26 तक स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सहायताओं में सापेक्ष गिरावट में हुआ। बाद के वर्षों में, उत्प्लावक वृद्धि दरों के साथ आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2006-07 में 12761 करोड़ रु. (28.32 प्रतिशत) और बाद में 2007-08 में 13097 करोड़ रु. (22.65 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि ने इन वर्षों के दौरान अनुपातों को क्रमशः 1.39 और 1.50 तक उपर उठा दिया। आर्थिक सहायता ने 1992-2002 के दशक के दौरान VIIIवीं योजना एवं IXवीं योजना की अवधि के अनुरूप होते हुए कुल राजस्व व्यय के लगभग 8 प्रतिशत की भागीदारी की जो Xवीं योजना के दौरान तक लगभग 9.43 प्रतिशत की औसत तक बढ़ी तथ्य यह कि जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम क्षेत्र में ए.पी.एम. को विघटित करने के निर्णय के बावजूद अदा की जा रही पेट्रोलियम आर्थिक सहायता के कारण थी।

4.30 यह सुस्पष्ट है कि खाद्य आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता पर कुल व्यय में VIIIवीं योजना के दौरान 37 प्रतिशत की औसत से बदल कर Xवीं योजना के दौरान 51 प्रतिशत के प्रभावी अंश को संस्थापित करती है। तथापि 2006-07 के दौरान उर्वरक आर्थिक सहायताओं और "अन्य" के अंतर्गत सम्मिलित आर्थिक सहायताओं में तीव्र वृद्धि के कारण, आर्थिक सहायताओं पर कुल व्यय में खाद्य आर्थिक सहायता का अंश 42 प्रतिशत तक गिरा जो तथापि बाद में पिछले वर्ष की तुलना खाद्य आर्थिक सहायता में 7314 करोड़ रु. (30.46 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के कारण 2007-08 में 44 प्रतिशत तक उपर उठा। आर्थिक सहायता के इस घटक ने चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजस्व व्यय के 4.26 प्रतिशत को संस्थापित किया। चालू वर्ष के दौरान खाद्य 31328 करोड़ रु. पर आर्थिक सहायता बा.वि.आ. द्वारा संस्तुत (2005-10) 22000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष के स्थिर स्तर से बढ़ गई। चालू वर्ष के दौरान खाद्य एवं उर्वरकों ने मिलकर आर्थिक सहायता पर कुल व्यय के 90 प्रतिशत के नजदीक संस्थापित किया। चालू वर्ष के दौरान, 70926 करोड़ रु. की कुल आर्थिक सहायता व्यय वर्ष हेतु बा.वि.आ. द्वारा संस्तुत 36157 करोड़ रु. के स्तर से बहुत उपर है। चूंकि मध्यावधि दृष्टिकोण आर्थिक सहायता पर व्यय में तीव्र संकुचन का समर्थन करते प्रतीत नहीं होता इसलिए सभी आर्थिक सहायताओं का बेहतर लक्ष्य करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तथापि यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि तालिका 4.10 में प्रदर्शित विभिन्न आर्थिक सहायताओं पर भारित व्यय में प्रवृत्तियाँ केवल "सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं" से सम्बंधित है जिसके लिए विनियोजन संबंधित वर्षों के केन्द्र बजटों में किया जाता है। इस प्रकार यह प्रवृत्तियाँ आंशिक वर्णन प्रस्तुत करती है क्योंकि यह लोक हित में सरकार द्वारा लगाए मूल्य नियंत्रण के कारण उनके उत्पादनों की कम वसूलियों हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित कम्पनियों को विशेष बंधपत्रों/प्रतिभूतियाँ जारी

करके केन्द्र सरकार द्वारा सृजित अतिरिक्त-बजटीय देयताओं के अतिरिक्त है। यदि अतिरिक्त बजटीय देयताएं सरकार द्वारा विशेष बंधपत्रों/प्रतिभूतियों को जारी करके सृजित की गई है को भी आर्थिक सहायताएं समझा जाता है तो आर्थिक सहायताओं पर केन्द्र सरकार का व्यय तीव्रता से बढ़ेगा और आर्थिक सहायताओं पर किये जाने वाले व्यय को वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करने की संभावना होगी।

4.31 आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, यानि कि बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा द्वारा गुप्त रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार के आर्थिक सहायताओं को सामान्यतया अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। नीचे दी गई तालिका 4.11 निवेश एवं बकाया अग्रिमों पर वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं हेतु राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में उपभोक्ता प्रभार को दर्शाता है।

तालिका 4.11: निवेश एवं अग्रिमों पर वापसी तथा उपभोक्ता प्रभारों की वसूली (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं हेतु राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में)

(प्रतिशत)

अवधि	ऋण एवं अग्रिम	निवेश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं
1992-2008	13.63	8.65	3.04	49.67
VIIIवीं योजना (1992-97)	11.23	2.35	9.57	57.13
IX वीं योजना (1997-02)	14.15	5.30	3.59	55.80
X वीं योजना (2002-07)	14.18	12.40	2.17	44.56
2002-03	15.11	8.83	2.03	43.07
2003-04	15.91	9.84	1.91	45.27
2004-05	14.30	13.29	1.49	51.37
2005-06	13.36	14.79	4.28	45.39
2006-07	11.49	14.67	1.03	40.32
XI वीं योजना (2007-12)				
2007-08	15.68	14.79	1.21	45.92
वापसी में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर				
1992-2008	2.16	17.36	-14.88	-2.22
उपभोक्ता प्रभारों की वसूलियाँ उनके राजस्व व्यय की प्रतिशत के प्रति राजस्व प्राप्ति सेवाएँ हैं।				

4.32 सरकार के निवेश (निवेश के प्रारम्भिक स्टाक के आधार पर) पर वापसी की औसत दर VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 2.35 प्रतिशत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 5.30 प्रतिशत तक तथा 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 14.79 तथा 14.67 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के

दौरान 12.40 प्रतिशत वार्षिक औसत हुई। चालू वर्ष के दौरान यह फिर से 2005-06 में प्राप्त 14.79 प्रतिशत की पिछली उँचाई तक पहुँच गया। तथापि, यह वापसी निवल मूल्य या बाजारू पूंजीकरण पर आधारित न होकर निवेश के पुस्तकीय मूल्य पर आधारित थी। ऋणों एवं अग्रिमों (अथशेष) पर इसके ब्याज की औसत दर भी 11.23 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) तथा 2003-04 के दौरान 15.91 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 14 प्रतिशत कुछ अधिक बढ़ी। Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम तीन वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ मुख्यतः ऋण विनिमय योजना के कार्यान्वयन के कारण वस्तुतः गिरी है जिसका परिणाम बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित डी सी आर एल की योजना के अंतर्गत कम ब्याज दरों के साथ बकाया ऋणों के कम संग्रह और ब्याज की कम दर के साथ बकाया ऋणों के दृढ़ीकरण और पुर्नसूचीकरण में हुआ। इस प्रकार बकाया ऋणों की प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ में 2003-04 में 15.91 प्रतिशत से 2006-07 में 11.49 प्रतिशत तक संगत रूप से गिरावट आई है। रूख बदलते हुए, ब्याज प्राप्तियाँ मुख्यतः वर्ष के दौरान राज्य योजनागत योजनाओं हेतु ऋणों पर ब्याज प्राप्तियाँ में 2896 करोड़ रू. (77 प्रतिशत) की वृद्धि और बाजार स्थिरीकरण योजना से उत्पन्न 2893 करोड़ रू. के प्रीमियम के साथ ब्याज प्राप्तियाँ में 1581 करोड़ रू. की वृद्धि के कारण केन्द्र सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों पर वापसी में 15.68 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि पर ले जाकर जो कि 2003-04 में पिछले उच्च स्तर के लगभग बराबर है पिछले वर्ष की तुलना 2007-08 में 8059 करोड़ रू. (30.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि सरकार की वित्तीय मध्यस्थता पर अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं थी क्योंकि प्राप्त किए गए ब्याज की औसत दर, लिये गये उधारों पर ब्याज के मूल्य से अधिक थी इसलिए सरकार के निवेश पर 8.65 प्रतिशत की वापसी की प्रवृत्ति दर, सरकार द्वारा लिये गये उधारों पर ब्याज की दर (7.54 प्रतिशत) से सीमान्तक उच्च थी। तथापि निवेश पर वापसी की दर में महत्वपूर्ण त्वरण देखा गया तथा 1992-2008 के दौरान इसकी 17.36 प्रतिशत की विचलन परिवर्तन दर थी। वर्तमान स्तरों पर, निवेशों पर वापसी, संसाधन बढ़ाने की लागत से 6.55 प्रतिशतता बिन्दु अधिक थी।

4.33 सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में, वापसी दरों (राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय) ने मंद प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं दोनों में ही राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से कम थी, जो प्रचालन खर्चों के सदृश है। सामाजिक अवसंरचना, विशेषतौर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण में किया गया लोक व्यय, हाल के वर्षों के दौरान केवल मामूली लागू प्रयोक्ता प्रभारों के साथ विविध रूप से बढ़ा है। परिणामस्वरूप, सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने में किए गए राजस्व व्यय की तुलना में सामाजिक सेवाओं से राजस्व प्राप्तियाँ का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 9.57 प्रतिशत के संगत गिरावट के साथ 2004-05 में 1.49 प्रतिशत हो गया। 2005-06 के दौरान इस अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि, विशेषतौर से पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान 'सूचना एवं

प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत प्रकटतः एक बारगी 1139 करोड़ रु. की राशि की बढ़ी हुई वसूली के कारण देखी गई। तथापि यह अनुपात, जैसा कि अनुमान था, बाद के वर्ष में 1.03 प्रतिशत तक तेजी से गिरा जिसने एक लहर प्रदर्शित की और 2007-08 में 1.21 तक वृद्धि की। चालू वर्ष के दौरान फिर से यह देखा गया कि इस अनुपात में सुधार पिछले वर्ष की तुलना मुख्य शीर्षों "आवास" (52 करोड़ रु.); "शहरी विकास" (115 करोड़ रु.) और "सूचना एवं प्रचार" (93 करोड़ रु.) के अवशिष्ट शीर्ष "800-अन्य प्राप्ति" के अंतर्गत दर्ज प्राप्ति में मुख्य वृद्धियों के परिणाम से थी।

4.34 आर्थिक सेवाओं से राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्ति का समग्र अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 57.13 प्रतिशत से गिरकर Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 44.56 हो गया। Xवीं योजना अवधि के दौरान, तथापि उपभोक्ता प्रभारों की वसूली 2004-05 में 51.37 प्रतिशत से 2006-07 में 40.32 प्रतिशत तक व्यापक रूप से परिवर्तित हुई। चालू वर्ष के दौरान इसने रेलवे और डाक प्राप्ति, शक्ति एवं पेट्रोलियम सहित दूरसंचारों द्वारा अधिक प्राप्ति जिन्होंने एक साथ मिलकर 2007-08 के दौरान आर्थिक सेवामें से कुल प्राप्ति के 95 प्रतिशत योगदान के कारण एक लहर और 45.92 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। चालू वर्ष में सुधार होते हुए भी, उपभोक्ता प्रभारों की वसूली में लम्बी अवधि प्रवृत्ति ने 1992-2008 के दौरान ऋणात्मक परिवर्तन दर प्रदर्शित की। तथापि, रेलवे (चूंकि रेलवे के प्रचालन से प्राप्त अधिशेष को रेलवे विकास रिजर्व निधि में स्थानांतरित कर दिया गया था इसलिए राजस्व सही ढंग से व्यय से मिल गया) के लिए वसूली दर, राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत थी। दूर संचार क्षेत्र में वसूली 100 प्रतिशत से भी आगे बढ़ गई क्योंकि म.दू.नि.लि. एवं भा.स.नि.लि. का निगमीकरण होने के कारण, दूरसंचार क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में लाइसेन्स शुल्क शामिल था तथा प्रचालन पर व्यय एवं सेवाओं के अनुक्षण पर पूर्व में कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय


4.35 क्रियाकलापों के अनुसार, समग्र व्यय को सामान्य सेवाओं (जिसमें प्रशासन और रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संघटित हुआ माना जा सकता है। बाद की दो श्रेणियां भी विकासात्मक प्रकृति की समझी जाती हैं। नीचे दी गई तालिका 4.12 और चार्ट 4.7 सामाजिक सेवाओं और उनके विभिन्न घटकों के साथ-साथ 1992-2008 अवधि के दौरान प्रत्येक घटक के अंश में व्यय पर प्रवृत्तियां दर्शाती है।

तालिका 4.12: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) -प्रवृत्तियां एवं संघटन

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	सामाजिक सेवाएं	शिक्षा	स्वास्थ्य	जलापूर्ति	सू.प्र.	श्रमिक कल्याण	अन्य
1992-2008	21308	9139	3342	3594	968	843	3422
VIII वीं योजना (1992-97)	6903	2696	901	887	986	465	968
IX वीं योजना (1997-02)	15998	6457	2227	3217	568	768	2761
X वीं योजना (2002-07)	32634	14970	5379	5492	1272	1133	4389
2002-03	21810	9846	3164	4044	1170	764	2822
2003-04	24593	10965	3907	4669	1219	823	3010
2004-05	31115	13997	4465	5997	1237	994	4425
2005-06	39160	16841	6847	6101	1344	1233	6794
2006-07	46494	23200	8510	6648	1389	1851	4896
XI वीं योजना (2007-12)							
2007-08	63246	25606	10938	9523	1355	1653	14171
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)							
1992-2008	17.24	18.44	19.64	20.94	-	9.74	19.54
VIII वीं योजना (1992-97)	19.61	16.02	11.39	35.64	12.93	9.52	36.63
IX वीं योजना (1997-02)	7.96	11.38	19.15	12.90	0.00	10.68	25.93
X वीं योजना (2002-07)	21.89	23.90	28.92	13.45	4.51	24.29	21.12
2002-03	33.94	30.10	7.04	1.46	-137.58	-9.37	-30.23
2003-04	12.76	11.37	23.48	15.45	4.19	7.72	6.66
2004-05	26.52	27.65	14.28	28.44	1.48	20.78	47.01
2005-06	25.86	20.32	53.35	1.73	8.65	24.04	53.54
2006-07	18.73	37.76	24.29	8.97	3.35	50.12	-27.92
XI वीं योजना (2007-12)							
2007-08	36.03	10.37	28.53	43.24	-2.46	-10.72	189.47

चार्ट 4.7 : 1992-2008 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में संघटकों के सापेक्ष भागों में प्रवृत्तियाँ



4.36 सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार का समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रु. की वार्षिक औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 15998 करोड़ रु. तथा आगे 2006-07 में 46494 करोड़ रु. जो कि बाद में 2007-08 के दौरान, XIवीं योजना (2007-12) का प्रथम वर्ष, 63246 करोड़ रु. तक बढ़ गया है के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान यह वार्षिक औसत और बढ़ कर 32634 करोड़ रु. हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि की दीर्घावधि प्रवृत्ति की 17.24 प्रतिशत (1992-2008) दर, स.घ.उ., राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से अधिक थी। तथापि IXवीं योजना के दौरान इन दरों में बहुत मन्दन था और पिछली योजना की तुलना में, संकुचन 12 प्रतिशतता अंक (VIIIवीं योजना के दौरान 19.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से IXवीं योजना के दौरान औसत 7.96 प्रतिशत की औसत तक) के आस-पास था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय Xवीं योजना (2002-07) के दौरान विशेष रूप से उत्प्लावक थे। सामाजिक सेवाओं में ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता (आवास और शहरी विकास सहित) पर व्यय अपेक्षाकृत उत्प्लावक था। चालू वर्ष में भी वृद्धि मुख्यतः सामाजिक क्षेत्रों, विशेषतया विद्यालयी शिक्षा में, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन), ग्रामीण रोजगार, एकीकृत बाल विकास योजना (ए.बा.वि.यो.), कृषि बंजर भूमि विकास, पेयजल और सड़कों सहित भौतिक अवसंरचना के लिए बढ़े हुए बजटीय आबंटनों के कारण है।


4.37 आर्थिक सेवाओं के घटकों के साथ-साथ 1992-2008 अवधि के दौरान इस सापेक्षित अंश में विभिन्नताओं को तालिका 4.13 तथा चार्ट 4.8 प्रस्तुत करता है।

तालिका 4.13: आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) - प्रवृत्तियाँ और संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आर्थिक सेवाएं	कृषि एवं संबद्ध	ग्रामीण विकास	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूरसंचार	अन्य
1992-2008	140791	25234	8969	12098	13752	51818	4073	7933	16914
VIII वीं योजना (1992-97)	69161	9665	3263	3061	7229	24246	1598	8417	11682
IX वीं योजना (1997-02)	121107	20048	5146	10158	12294	44714	3937	13554	11256
X वीं योजना (2002-07)	192841	37275	16338	19394	18605	75063	6079	2995	17092
2002-03	154041	31101	11737	12118	13965	60415	5416	3486	15803
2003-04	166058	32911	12174	13664	16761	64379	5681	3102	17387
2004-05	165885	36366	9478	9897	17664	69578	5940	3579	13383
2005-06	207331	37622	15660	25978	19857	83325	6503	2827	15559
2006-07	270891	48376	32642	35315	24776	97615	6857	1983	23327
XI वीं योजना (2007-12)									
2007-08	337115	68802	19772	30497	29389	108976	7097	2098	70484
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)									
1992-2008	11.22	15.06	20.65	18.27	10.06	11.99	13.50	-9.92	6.60
VIII वीं योजना (1992-97)	9.35	14.89	81.37	4.36	2.17	9.22	13.62	26.75	-9.69
IX वीं योजना (1997-02)	6.36	18.28	2.79	1.23	8.78	14.26	19.11	-27.41	-5.55
X वीं योजना (2002-07)	14.46	10.71	25.83	32.07	14.07	12.95	6.26	-11.50	6.91
2002-03	8.98	9.92	89.64	-28.90	4.40	5.69	4.82	-6.77	52.21
2003-04	7.80	5.82	3.72	12.76	20.02	6.56	4.89	-11.02	10.02
2004-05	-0.10	10.50	-22.15	-27.57	5.39	8.08	4.56	15.38	-23.03
2005-06	24.98	3.45	65.22	162.48	12.42	19.76	9.48	-21.01	16.26
2006-07	30.66	28.58	108.44	35.94	24.77	17.15	5.44	-29.85	49.93
XI वीं योजना (2007-12)									
2007-08	24.45	42.22	-39.43	-13.64	18.62	11.64	3.50	5.79	202.15

चार्ट 4.8 : 1992-2008 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में संघटकों के सापेक्ष भागों में प्रवृत्तियाँ



4.38 आर्थिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 69161 करोड़ रु. की औसत से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 121107 करोड़ रु. तथा 2006-07 में 270891 करोड़ रु. जो बाद में 2007-08, XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष, के दौरान 337115 करोड़ रु. तक उँचा उठा है के उच्च स्तर पर पहुंचने के पश्चात Xवीं योजना (2002-07) के दौरान और बढ़कर 192841 करोड़ रु. हो गया। 1992-2008 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि की वार्षिक प्रवृत्ति दर 11.22 प्रतिशत थी। चूंकि सामाजिक सेवाओं के मामले में, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दरों में मन्दन देखा गया था। तीन प्रतिशतता अंक का यह मन्दन आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्षतया मामूली था। 2004-05 में मुख्यतः ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्रों पर व्यय में गिरावट के कारण वृद्धि दर और भी ऋणात्मक हो गई। तथापि, 2005-06 और 2006-07 के दौरान इन दो क्षेत्रों में एकाएक परिवर्तन का परिणाम आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में उत्प्लावकता में हुआ। तथ्य को पहचानते हुए कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास उच्च वृद्धि संघेदी बनाए रखने हेतु आमंत्रणीय है और इस क्षेत्र में व्यय 2006-07 में 48376 करोड़ रु. (28.58 प्रतिशत) तक बढ़ा दिया गया था और बाद में XIवीं योजना (2007-12) में रेखांकित योजना के मध्यनजर चालू वर्ष में 68802 करोड़ रु. (42.22 प्रतिशत) तक बढ़ा। परिवहन, उद्योग एवं खनिजों में मन्द वृद्धि के अतिरिक्त सामान्य वित्त एवं व्यापारिक संस्थानों (49636 करोड़ रु.), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (1594 करोड़ रु.) और कृषीय वित्तीय संस्थानों (304 करोड़ रु.) में केन्द्र सरकार के निवेश में तीव्र वृद्धि आर्थिक सेवाओं पर व्यय में 66224 करोड़ रु. (24.45 प्रतिशत) तक की वृद्धि का कारण बनी।

4.39 तथापि, वृद्धि दरों में वर्ष और सेवाओं के अन्दर बहुत अधिक विचलन थे। कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित) पर व्यय VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उत्प्लावक थे लेकिन Xवीं योजना अवधि के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति के साथ वृद्धि दर में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई। तथापि XIवीं योजना (2007-12) में रेखांकित योजना का पालन करते हुए 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान इस क्षेत्र को आबंटन ने तेजी पकड़ ली। तथापि, ग्रामीण विकास के मामले में, व्यय की वृद्धि दर में, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 81.37 प्रतिशत औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.79 प्रतिशत की औसत तक की तीव्र गिरावट आई जो Xवीं योजना के दौरान विस्तृत परिवर्तन के साथ 25.83 प्रतिशत तक फिर उछला। ग्रामीण विकास पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना 2007-08 में 12870 करोड़ रु. (39.43 प्रतिशत) की तेजी से गिरावट मुख्यतः चालू वर्ष में भा.खा.नि. को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान हेतु गैर-प्रावधान करने के कारण आई जो 2006-07 में 16200 करोड़ रु. की राशि के बराबर है। ऊर्जा पर व्यय VIIIवीं योजना के दौरान केवल सामान्य दर से बढ़ रहा था तथा IXवीं योजना में पुनः गिरा एवं Xवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान वृहद घूर्णन को प्रदर्शित किया। 2005-06 के

दौरान, प्रशासकीय मूल्यों के तहत तेल कम्पनियों के दावों का मूलतः समझौता कराने के प्रति पेट्रोलियम क्षेत्र में 16989 करोड़ रु. के बढ़े हुए व्यय के कारण तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। 2006-07 के दौरान भी तेल विपणन कम्पनियों को भारी आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 26877 करोड़ रु. के भुगतान का परिणाम पिछले वर्ष में पहले से ही विस्तृत आकार की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र में व्यय में 35.94 प्रतिशत की वृद्धि दर में हुआ। चालू वर्ष के दौरान ऊर्जा में 4613 करोड़ रु. (13.64 प्रतिशत) की गिरावट भी मुख्यतः आर्थिक सहायताओं, ए.पी.एम. के अंतर्गत उनके दावों का निपटान और कम-वसूलियों आदि हेतु भुगतान के प्रति 23377 करोड़ रु. के कम व्यय के कारण थी। 'उद्योग एवं खनिज' VIIIवीं योजना के दौरान 2.17 प्रतिशत की निम्न वृद्धि दर के साथ अन्तर्वर्षीय परिवर्तनों के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 14.07 प्रतिशत तक बढ़ा। इस शीर्ष के अंतर्गत 4613 करोड़ रु. (18.62 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः अन्य उद्योगों के अंतर्गत सामान्य वृद्धियों के अतिरिक्त उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बंधपत्रों हेतु "उर्वरक उद्योगों" के अंतर्गत 3500 करोड़ रु. की बुकिंग के कारण दर्ज की गई थी। VIIIवीं योजना अवधि की अपेक्षा IXवीं योजना में परिवहन क्षेत्र पर व्यय ने उत्प्लावन प्रदर्शित किया लेकिन उसके बाद Xवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सामान्य दर से बढ़ा जिसने 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तेजी पकड़ ली और परिबल चालू वर्ष में जारी रहा। 2005-06 के दौरान 19.76 प्रतिशत से महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से 'सड़क एवं पुल' के अंतर्गत रिजर्व निधि में संसाधानों के अन्तरण के कारण थी, सड़क निर्माण पर अधिक व्यय का परिणाम क्षेत्र में उत्प्लावक वृद्धि में हुआ। पिछले कुछ वर्षों, विशेष रूप से Xवीं योजना अवधि के दौरान संघ सरकार के व्यय के प्रतिमान में प्रवृत्तियों ने प्रकट किया कि राजकोषीय नीति ने ग्रामीण रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़े हुए खर्च पर ज्यादा बल दिया है। इसके अतिरिक्त, वृद्धि प्रक्रिया को सर्वसमावेशी बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों, आवास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी संरचनात्मक सुविधाओं पर व्यय को पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ा दिया गया है।

4.40 यह अधिक महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के व्यय को स.घ.उ. की सापेक्षता में देखा जाये जो कि वह इन क्षेत्रों को प्रदान की गई सापेक्षिक प्राथमिकता और इन व्यापक समूहों में किसी विशिष्ट क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है। 1992-2008 के दौरान संघ सरकार का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, स.घ.उ. का औसत 7.286 प्रतिशत था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान सामाजिक व आर्थिक सेवाओं पर स.घ.उ. की 7.332 प्रतिशत का किया गया व्यय IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 7.132 प्रतिशत तक तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 7.009 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक नीचे गिरा। स.घ.उ. के सापेक्षिक चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः तालिका 4.14 तथा 4.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.14: स.घ.उ. के सापेक्ष सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)

(प्रतिशत)

अवधि	सामाजिक सेवाएं	शिक्षा	स्वास्थ्य एवं प.क.	ज.आ. स्व.*	सू.प्र.**	श्रम कल्याण	अन्य
1992-2008	0.958	0.411	0.150	0.162	0.043	0.038	0.154
VIIIवीं योजना (1992-97)	0.665	0.260	0.087	0.085	0.095	0.045	0.093
IXवीं योजना (1997-02)	0.832	0.336	0.116	0.167	0.030	0.040	0.144
Xवीं योजना (2002-07)	1.014	0.465	0.167	0.171	0.040	0.035	0.136
2002-03	0.889	0.401	0.129	0.165	0.048	0.031	0.115
2003-04	0.893	0.398	0.142	0.170	0.044	0.030	0.109
2004-05	0.988	0.444	0.142	0.190	0.039	0.032	0.141
2005-06	1.094	0.470	0.191	0.170	0.038	0.034	0.190
2006-07	1.121	0.560	0.205	0.160	0.034	0.045	0.118
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	1.342	0.543	0.232	0.202	0.029	0.035	0.301
उनके सापेक्षिक अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर							
1992-2007	4.410	5.475	6.545	7.705	-	-2.269	6.456

* जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

** सूचना एवं प्रसारण

4.41 1992-2008 के दौरान सामाजिक सेवाओं (इस क्षेत्र में ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर) पर व्यय में की स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंश में सकारात्मक विचलन दर थी। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन क्षेत्र के मामले में एक अर्थपूर्ण सकारात्मक विचलन दर्शाता है कि पिछले कुछ समय से सरकार के योजनाबद्ध विनिधान तथा व्यय में, सभी आवासों को पेयजल की आपूर्ति तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान को महत्व प्राप्त हुआ है। दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं - शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक विचलन दर देखी गई थी। तथापि, सकारात्मक विचलन दर के बावजूद, सामाजिक क्षेत्रों के लिए पूर्व में समग्र आबंटन स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम था और इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी सीमा को मात्र पार ही किया है। सामाजिक सेवाओं के सुदृढीकरण तथा विस्तार हेतु लागत को पुनः प्राथमिकता प्रदान करने के प्रति प्रयास जारी रखने की जरूरत थी।

तालिका 4.15: स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)

(प्रतिशत)

अवधि	आर्थिक सेवाएं	कृषि	ग्रामीण विकास	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूरसंचार	अन्य
1992-2008	6.328	1.134	0.403	0.544	0.618	2.329	0.183	0.358	0.760
VIIIवीं योजना (1992-97)	6.667	0.932	0.315	0.295	0.697	2.337	0.154	0.811	1.126
IXवीं योजना (1997-02)	6.300	1.043	0.268	0.528	0.640	2.326	0.205	0.705	0.586
Xवीं योजना (2002-07)	5.995	1.159	0.508	0.603	0.578	2.333	0.189	0.093	0.531
2002-03	6.276	1.267	0.478	0.494	0.569	2.461	0.221	0.142	0.644
2003-04	6.028	1.195	0.442	0.496	0.608	2.337	0.206	0.113	0.631
2004-05	5.267	1.155	0.301	0.314	0.561	2.209	0.189	0.114	0.425
2005-06	5.791	1.051	0.437	0.726	0.555	2.327	0.182	0.079	0.435
2006-07	6.534	1.167	0.787	0.852	0.598	2.355	0.165	0.048	0.563

(प्रतिशत)

अवधि	आर्थिक सेवाएं	कृषि	ग्रामीण विकास	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूरसंचार	अन्य
XIवीं योजना (2007-12)									
2007-08	7.153	1.460	0.420	0.647	0.624	2.312	0.151	0.045	1.495
उनके सापेक्षिक अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर									
1992-2008	-0.952	2.466	7.445	5.331	-1.987	-0.264	1.084	-19.780	-5.070

4.42 स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अंशों में ऋणात्मक विचलन दर थी। स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय का समग्र अंश VIIIवीं योजना (1992-97) में स.घ.उ. के 6.667 प्रतिशत की औसत से गिरकर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान सीमान्त रूप से 6.3 प्रतिशत तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 5.995 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक रह गया। Xवीं योजना अवधि के दौरान 2004-05 से इसका संगत रूप से सुधार हुआ और चालू वर्ष के दौरान 7.153 तक बढ़ा। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 'अन्य' के अधीन वर्गीकृत अवशिष्ट आर्थिक सेवाओं सहित, परिवहन, उद्योग तथा ऊर्जा ने 1992-2008 के दौरान अपने सापेक्ष अंशों में विचलन की ऋणात्मक दर प्रदर्शित की। सिंचाई परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय में बढ़ोतरी के कारण, कृषि तथा सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों पर व्यय, मोटे तौर पर पूरी अवधि में स.घ.उ. के लगभग एक प्रतिशत के बराबर बना रहा है। ग्रामीण विकास में एक अर्थपूर्ण सकारात्मक विचलन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने के संदर्भ में, इस क्षेत्र हेतु सरकार की अत्यधिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

अध्याय 5

घाटा: राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन

तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा स.घ.उ. के सापेक्ष में परिमित प्राथमिक घाटा - एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संघ अथवा राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। 2007-08 के संघ वित्त लेखा के अनुसार स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय एवं राजस्व घाटा पिछले वर्ष में 4.41 तथा 3.20 के अनुक्रम स्तर से क्रमशः 3.50 तथा 1.81 प्रतिशत पर गिरा। यद्यपि 2007-08 में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर उनके बजट अनुमानों से क्रमशः 0.31 तथा 0.20 प्रतिशतता से अधिक थे किन्तु 2007-08 के दौरान राजकोषीय सुधार रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के अंतर्गत अनुबद्ध राजकोषीय तथा राजस्व घाटे हेतु क्रमशः 0.3 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत (स.घ.उ. के सापेक्ष) की न्यूनतम कटौती से उच्च था। यद्यपि 2007-08 के दौरान लोक वित्त का प्रबन्धन रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अंतर्गत राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के अनुसार था किन्तु राजस्व व्यय-गहन कार्यक्रम तथा योजनाओं के पक्ष में विशेषकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ पर योजना प्राथमिकताओं में संवेदनशील विचलन तथा लघु-अवधि में गैर-योजनागत राजस्व व्यय शामिल करने में सर्वांग दृढ़ता की पहचान करने को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे से संबंधित लक्ष्यों को 2009-10 तक इसकी समाप्ति हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया था जबकि जो राजकोषीय घाटे से संबंधित थे उन्हें अधिनियम में अध्यादेश के अनुसार प्राप्त करने हेतु निर्धारित किया गया था।

राजकोषीय घाटा को 1992-2008 के दौरान 65.43 प्रतिशत आंकते हुए यह राजकोषीय घाटे का प्रमुख तत्व बना रहा जबकि राजस्व घाटा 2007-08 में पिछले वर्ष से अधिक 35.69 प्रतिशत की गिरावट हुई किंतु 2007-08 में राजकोषीय घाटे में इसके अंश में पिछले वर्ष में 72.62 प्रतिशत के स्तर से केवल 20.83 प्रतिशतता तक की गिरावट हुई है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में निवल पूंजीगत व्यय के अंश में मुख्यतः गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण 15.25 प्रतिशतता तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

प्राथमिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों के निवल वर्तमान असंतुलनों को प्रस्तुत करता है, प्राथमिक घाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष में, 1.76 प्रतिशत की औसत से घटकर 2002-03 में 0.41 प्रतिशत हो गया यह बाद में 2003-04 एवं 2004-05 में धनात्मक में परिवर्तित हो गया लेकिन 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान पुनः घाटे की तरफ मुड़ गया यद्यपि इन वर्षों के दौरान यह स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम रहा। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखे ने 2006-07 में 28654 करोड़ रू. के भारी घाटे में से 15025 करोड़ रू. (तथापि जो स.घ.उ. का केवल 0.32 प्रतिशत था) के मुख्य अधिशेष को प्रदर्शित किया जो गैर-ऋण प्राप्तियों से नीचे गैर-ब्याज व्यय के नियंत्रण को प्रदर्शित करता है तथापि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के अंतर्गत संघ सरकार के राजकोषीय समेकन वर्तमान वर्ष के दौरान कर-स.घ.उ. अनुपात के साथ-साथ गैर-कर स्रोतों से प्राप्तियों में अर्थपूर्ण वृद्धि द्वारा राजस्व प्रधान सहारा प्राप्त रहा है।

5.1 तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा - एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान केन्द्र या राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। यह अध्याय इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं वित्तपोषण की रीति को प्रदर्शित करता है। घाटे, राजस्व तथा व्यय में असंतुलनों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन अस्थायी अथवा संरचनात्मक हो

सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय असंतुलन बृहद तथा निरन्तर रहे हैं। आकार तथा नियमितता के अतिरिक्त, इसकी संरचना, विशेष रूप से राजस्व घाटे की, जो वर्तमान उपभोग की वित्त व्यवस्था के लिए हुआ है, भी चिंता का विषय रही है। बृहद आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राजकोषीय नियमावली के सूत्रीकरण में घाटे के आकार के संबंध में निर्धारित नियमों को शामिल करना आवश्यक है जिसे वित्त व्यय को वहन किया जा सकता था, समाविष्ट होते हैं। यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रदर्शित करता है।

राजस्व घाटा

5.2 राजस्व घाटा, सरकार की राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। यह सरकार की निवल गैर-बचत तथा वर्तमान उपभोग को इसके विचलन को दर्शाता है। राजस्व घाटा बिना तदनु रूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि के कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति संबल नहीं होता तथा एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन विशेषताओं के कारण, राजस्व घाटा साधारणतया कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर तालिका 5.1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.1: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)


अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
1992-2008	289087	360380	71293	3.20	24.66	19.78
VIII वीं योजना (1992-97)	148556	177497	28941	2.79	19.48	16.30
IX वीं योजना (1997-02)	252211	327922	75711	3.94	30.02	23.09
X वीं योजना (2002-07)	394426	500825	106399	3.31	26.98	21.24
2002-03	299826	409591	109765	4.47	36.61	26.80
2003-04	339100	440086	100986	3.67	29.78	22.95
2004-05	376871	455571	78700	2.50	20.88	17.28
2005-06	430940	540637	109697	3.06	25.46	20.29
2006-07	525393	658240	132847	3.20	25.29	20.18
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	649426	734861	85435	1.81	13.16	11.63
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2008	10.86	11.12	11.92	-0.29	1.00	0.71
VIII वीं योजना (1992-97)	15.02	14.23	10.88	सापेक्ष अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर		
IX वीं योजना (1997-02)	4.65	7.63	17.29			
X वीं योजना (2002-07)	14.59	12.24	4.75			
2002-03	13.02	9.06	-0.49			

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
2003-04	13.10	7.45	-8.00			
2004-05	11.14	3.52	-22.07			
2005-06	14.35	18.67	39.39			
2006-07	21.92	21.75	21.10			
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	23.61	11.64	-35.69			

5.3 संघ सरकार का समग्र राजस्व घाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 28941 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 75711 करोड़ रु. हो गया तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान बढ़कर 106399 करोड़ रु. हो गया। 2001-02 में 110303 करोड़ रु. से राजस्व घाटे ने गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2004-05 में 78700 करोड़ रु. के स्तर तक कम हुआ। तथापि, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राजस्व घाटा पिछले वर्ष के अनुकूल क्रमशः 39.39 प्रतिशत तथा 21.10 प्रतिशत बढ़ा तथा 2006-07 में अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। XIवीं योजना (2007-08) 85435 करोड़ रु. पर राजस्व घाटे के साथ शुरू हुआ था जोकि 2006-07 में अधिकतम स्तर पर पहुँचने से 35.69 निम्न है। 1992-2008 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 11.92 प्रतिशत थी। राजस्व व्यय की वृद्धि दर, Xवीं योजना (2002-07) की प्रथम तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्ति से कम थी जिसका परिणाम राजस्व घाटे की नकारात्मक वृद्धि में हुआ। इन तीन वर्षों ने अपेक्षाकृत उत्प्लावक राजस्व प्राप्तियों तथा सामान्य गति से बढ़ते हुए राजस्व व्यय के कारण राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के बीच चार से सात प्रतिशत के एक सकारात्मक फ़ैलाव को प्रदर्शित किया। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटे ने 2002-03 से गिरावट की प्रवृत्ति को इंगित किया लेकिन वर्ष 2004-05 में गिरावट 22.07 प्रतिशत के रूप में बहुत बड़ी तथा असाधारण थी। किन्तु, 2005-06 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि दर, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर से 4.32 प्रतिशतता अंक अधिक थी जबकि 2006-07 में उनकी वृद्धि दर लगभग बराबर थी जिसका परिणाम राजस्व घाटे में क्रमशः 30997 करोड़ रु. तथा 23150 करोड़ रु. की वृद्धि में हुआ जिससे पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदर्शित इसकी गिरावट की प्रवृत्ति में विराम लगा। चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय की वृद्धि प्रवृत्ति के बीच 12 प्रतिशत लगभग धनात्मक फ़ैलाव ने पुनः राजस्व घाटे में घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। उत्प्लावक सकल पर राजस्व के साथ गैर-कर राजस्व जिसमें पिछले वर्ष से 2007-08 में क्रमशः 25.27 तथा 20.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों में 23.61 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बनी।

5.4 स.घ.उ. के संबंध में राजस्व घाटा 2004-05 के 2.50 प्रतिशत के स्तर पर अवत्तरण से पूर्व VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. की 2.79 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2001-02 में 4.84 प्रतिशत हो गया था। तथापि, अनुपात ने 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान त्वरणीय प्रवृत्ति को दोबारा इंगित किया तथा 2006-07 में 3.20 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया जो मुख्य रूप से राजस्व व्यय में गहन कार्यक्रमों तथा योजना एवं लघु अवधि में गैर-योजनागत राजस्व व्यय में सर्वांग दृढ़ता के पक्ष में योजनागत प्राथमिकताओं में विचलन के कारण राजस्व व्यय में प्रवाह के कारण था जो विशेष रूप से प्रतिबद्ध एवं अपरिहार्य व्यय जैसे कि ब्याज भुगतानों, पेंशन, वेतन, रक्षा एवं आलोचनात्मक उत्पादों जैसे कि भोजन, ईंधन तथा उर्वरकों की आपूर्ति में लगी कम्पनियों को कम वसूली हेतु भुगतान सहित आर्थिक सहायता से उत्पन्न हो रहा था। चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ राजस्व व्यय में उत्प्लावक वृद्धि राजस्व घाटे में महत्वपूर्ण गिरावट (37.42 प्रतिशत) का कारण बनी जिसके परिणाम से स.घ.उ. में मजबूत वृद्धि दी परिणामतः स.घ.उ. के सापेक्ष इसकी तीव्र गिरावट भी 2006-07 में 3.20 प्रतिशत से 2007-08 में 1.81 प्रतिशत थी (चार्ट 5.1)। अतः 1992-2008 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के प्रति राजस्व घाटे के अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर ऋणात्मक (-)0.29 प्रतिशत हो गई।


चार्ट 5.1 : राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां



5.5 राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात 1992-2008 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के साथ इसके अनुपात के आस-पास था (चार्ट 5.2)। राजस्व प्राप्ति के समानुपात के रूप में, 2005-06 तथा 2006-07 में राजस्व घाटे का स्तर 2004-05 (20.88 प्रतिशत) के दौरान प्राप्त अब तक के दशक (1997-2007) के सबसे कम स्तर से चार से अधिक प्रतिशतता अंक को प्राप्त किया था। जो इंगित करता था कि इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां औसतन करीब चतुर्थांश से राजस्व व्यय से कम थी।

राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में, राजस्व घाटा 2005-06 तथा 2006-07 दोनों में 25 प्रतिशत के लगभग था जो राजस्व व्यय के उस समानुपात को इंगित करता है जो कर्ज से वित्तपोषित था (तालिका 5.1)। चालू वर्ष के दौरान यह अनुपात पूर्व वर्षों में 2007-08 में राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ राजस्व व्यय में उत्प्लावक वृद्धि के कारण पूर्ववर्ती दो वर्षों में प्राप्त किए गए स्तरों की लगभग आधे 13.16 प्रतिशत पर नीचे

चार्ट 5.2 : राजस्व प्राप्तियों के समानुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटा में प्रवृत्तियां (अवधि 1992-2008)



आया।

राजकोषीय घाटा

5.6 राजकोषीय घाटा, गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, विविध पूँजीगत प्राप्तियां तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटा साधारणतः सरकार की बढ़ती हुई देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखाओं से अधिशेष का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता था। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ तालिका 5.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.2: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)


अवधि	गैर-ऋण प्राप्ति	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में					
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्ति	कुल व्यय			
1992-2008	314909	423868	108959	4.90	34.60	25.71			
VIIIवी योजना (1992-97)	157929	220494	62565	6.03	39.62	28.38			
IXवी योजना (1997-02)	269641	389316	119675	6.23	44.38	30.74			
Xवी योजना (2002-07)	440415	573852	133437	4.15	30.30	23.25			
2002-03	341722	476310	134588	5.48	39.39	28.26			
2003-04	425880	506817	80937	2.94	19.00	15.97			
2004-05	445535	549333	103798	3.30	23.30	18.90			
2005-06	444322	609249	164927	4.61	37.12	27.07			
2006-07	544618	727552	182934	4.41	33.59	25.14			
XIवी योजना (2007-12)									
2007-08	698613	863575	164962	3.50	23.61	19.10			
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)									
1992-2008	11.16	10.26	7.58	-4.19	-3.22	-2.43			
VIIIवी योजना (1992-97)	14.08	11.77	6.41	समानुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर					
IXवी योजना (1997-02)	5.46	6.62	9.00						
Xवी योजना (2002-07)	10.24	10.86	14.18						
2002-03	17.97	6.92	-13.63						
2003-04	24.63	6.40	-39.86						
2004-05	4.62	8.39	28.25						
2005-06	-0.27	10.91	58.89						
2006-07	22.57	19.42	10.92						
XIवी योजना (2007-12)									
2007-08	28.28	18.70	-9.08						

5.7 VIIIवी योजना (1992-97) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटा 62565 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर IXवी योजना (1997-2002) के दौरान 119675 करोड़ रु. एवं इसके आगे Xवी योजना (2002-07) के दौरान औसत 133437 करोड़ रु. बढ़ा। राजस्व घाटा पिछले वर्ष में 164927 करोड़ रु. के पूर्व शीर्ष को पार करने के पश्चात 2006-07 में 182934 करोड़ रु. के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में लगभग 9 प्रतिशतता अंक से गिरावट आई तथा 164962 करोड़ रु. के स्तर पर पहुंचा जो Xवी योजना (2002-07) के दौरान 2005-06 के स्तर से सीमान्तक रूप से अधिक है। कुल व्यय में 136023 करोड़ रु. (18.70 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति गैर ऋण प्राप्ति में 153995 करोड़ रु. (28.28 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में 2007-08 में राजकोषीय घाटे में 17972 करोड़ रु. (9.08 प्रतिशत) की

गिरावट हुई। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 14.18 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर पर, प्रवृत्ति वृद्धि दर के साथ-साथ VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधि की औसत वृद्धि दर से आगे बढ़ गई। 1992-2008 की अवधि हेतु राजकोषीय घाटे की वृद्धि दीर्घ अवधि प्रवृत्ति दर 7.58 प्रतिशत थी जो VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान वृद्धि की औसत दर से भी अधिक थी।

5.8 स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 6.03 प्रतिशत से 1997-98 में 6.85 प्रतिशत से लेकर 1999-2000 में 5.31 प्रतिशत तक के वृहत् अंतःवर्षीय परिवर्तनों के साथ, बढ़कर IXवीं योजना के दौरान 6.23 प्रतिशत हो गया। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों में स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे के अनुपात में गिरावट आई लेकिन अंतिम दो वर्षों के दौरान इसने 2003-04 में 2.94 के न्यूनतम स्तर से ऊपर एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को प्रदर्शित किया। 2005-06 तथा 2006-07 में उपरी प्रवाह के बावजूद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान स.घ.उ. से राजकोषीय घाटे के अनुपात में वृद्धि प्रवृत्ति दर IXवीं योजना (1997-2002) में 6.23 प्रतिशत से 4.15 प्रतिशत तक नीचे आई। गैर ऋण प्राप्तियों में उत्प्लावक वृद्धि के कारण इस अनुपात ने चालू वर्ष के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया तथा 3.50 प्रतिशत के स्तर पर पहुँची जो पिछले वर्ष के लगभग एक प्रतिशतता बिन्दु से कम था। 1992-2008 के दौरान इसके अंश में औसतन वार्षिक परिवर्तन दर (-)4.19 प्रतिशत थी। गैर-ऋण प्राप्तियों के समानुपात के रूप में राजकोषीय घाटे ने 1992-2008 के दौरान 3.22 प्रतिशत के ऋणात्मक विचलन दर के साथ 1993-94 में 63.6 प्रतिशत से 2003-04 के दौरान 19 प्रतिशत के वृहत् घूर्णन बदलाव को प्रदर्शित किया (चार्ट 5.3)। चालू वर्ष के दौरान यह अनुपात लगभग 10 प्रतिशतता बिन्दु नीचे गिरा जो वर्ष के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर तथा कुल व्यय के बीच अन्तर के लगभग समकक्ष था। 1992-2008 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रति राजकोषीय घाटे के अनुपात में 2.43 प्रतिशत की ऋणात्मक विचलन दर ने भी दशक (1997-2007) के दौरान IXवीं योजना (1997-2007) में 30.74 प्रतिशत की औसत से Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 23.25 प्रतिशत की औसत तक गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाया। यह आगे XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष में 19.10 प्रतिशत तक नीचे गिरी जो यह तथ्य दर्शाती है कि यद्यपि कुल व्यय का ऋण वित्तपोषित समानुपात पिछले दशक में संकुचित हो गया है किन्तु 2007-08 में कुल व्यय का लगभग 19 प्रतिशत अभी तक उधार ली गई निधियों से पूरा किया जाता है।

चार्ट 5.3 : गैर राजस्व प्राप्तियों के समानुपात के रूप में राजकोषीय घाटे में प्रवृत्तियाँ




5.9 पूंजी/परिसम्पत्तियों के निर्माण अथवा या आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना के सृजन के लिए निधियों उधार लेना तथा राजकोषीय घाटे को चलाना सरकार के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसे उधारों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियां, एक आय प्रवाह का सृजन करके स्वयं उधार की अदायगी संभव कर सकती हैं। पूंजीगत निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था की समग्र आय सृजन क्षमता में भी वृद्धि कर सकता है तथा कर आधार को व्यापक कर सकता है। आगे, ऐसी स्थिति में जहाँ अवसंरचना, वृद्धि के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबंध बन जाता है, सरकार द्वारा ऐसी पूंजीगत रचना, वृद्धि में त्वरण को अधिक व्यावहारिक बना सकेगा। अतः ऐसे में राजकोषीय घाटे के विभिन्न संघटकों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। नीचे दी गई तालिका 5.3 तथा चार्ट 5.4, चालू वर्ष के साथ-साथ VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधियों में राजकोषीय घाटे की संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 5.3: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत)


अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल ऋण एवं अग्रिम
1992-2008	65.43	28.21	6.36
VIIIवीं योजना (1992-97)	46.26	28.25	25.49
IXवीं योजना (1997-02)	63.26	19.53	17.20
Xवीं योजना (2002-07)	79.74	31.22	-10.96
2002-03	81.56	20.32	-1.87
2003-04	124.77	22.79	-47.56
2004-05	75.82	47.43	-23.25
2005-06	66.51	33.07	0.42
2006-07	72.62	32.12	-4.74
XIवीं योजना (2007-12)			
2007-08	51.79	47.37	0.84
परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1992-2008	4.08	2.12	-

चार्ट 5.4 : 1992-2008 के दौरान राजकोषीय घाटे के संघटकों में गति



5.10 राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का प्रमुख घटक बना रहा जो 1992-2008 के दौरान राजकोषीय घाटे का 65.43 प्रतिशत आंका गया (चार्ट 5.4)। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का समानुपात 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 63.26 प्रतिशत तथा आगे 2003-04 के दौरान शीर्ष स्तर पर पहुंचने के उपरान्त Xवीं योजना (2002-07) के दौरान इसकी औसत 79.74 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5.5)। पिछले वर्षों से 2007-08 में राजकोषीय घाटे के अंश में तीव्र गिरावट दी यद्यपि अनुपात ने 1992-

2008 के दौरान 4.08 प्रतिशत की बड़ी धनात्मक विचलन दर को प्रदर्शित करना जारी रखा किन्तु इसमें 1992-2007 की अवधि हेतु 5.46 प्रतिशत की गिरावट आई। जबकि राजस्व घाटे में 35.69 प्रतिशत (47412 करोड़ रु.) तक गिरावट आई किन्तु चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में इसके अंश में केवल 20.83 प्रतिशतता बिन्दु की गिरावट आई है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में निवल



पूंजीगत व्यय के अंश में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।

5.11 1992-2008 के दौरान निवल पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय-पूंजीगत प्राप्तियां) राजकोषीय घाटे का 28.21 प्रतिशत था। 1992-2002 की अवधि में राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के बढ़ते भाग ने निवल पूंजीगत व्यय के औसत अंश को VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधि के दौरान नीचे ढकेल दिया। यद्यपि X वीं योजना (2002-2007) के दौरान राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के अंश में वृद्धि हुई है लेकिन राज्यों को संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों में 15.25 प्रतिशत की निवल गिरावट के कारण अवधि के

दौरान निवल पूंजीगत व्यय के अंश ने उत्प्लावकता को प्रदर्शित किया है। पिछले वर्षों में 2007-08 में विविध पूंजीगत प्राप्तियों में 33875 करोड़ रु. तथ विनिवेश आगमों में 4387 करोड़ रु. की वृद्धि के बावजूद चालू वर्ष के दौरान निवल पूंजीगत व्यय में 19382 करोड़ रु. (32.98 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में इसके अंश में वर्ष के दौरान 15.25 प्रतिशतता बिन्दु की तीव्र वृद्धि हुई। चालूवर्ष के दौरान निवल पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि, प्राथमिक रूप से पिछले वर्ष को गैर-योजनागत पूंजीगत परिव्यय में 55250 करोड़ रु. (138.54 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के कारण थी जो 2006-07 में 39879 करोड़ रु. से 2007-08 में 95131 करोड़ रु. तक बढ़ी। चालू वर्ष के दौरान इस गैर-योजनागत पूंजीगत परिव्यय में बढ़ोतरी को सामान्य वित्त तथा व्यापार संस्थानों (49636 करोड़ रु.); अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (1594 करोड़ रु.) तथा कृषि वित्तीय संस्थानों (304 करोड़ रु.) तथा रक्षा पूंजीगत व्यय (3634 करोड़ रु.) के कारण पाया गया था। यह पाया गया कि 2005-06 तथा 2006-07 में निवल पूंजीगत व्यय ने राजकोषीय घाटे का लगभग एक तिहाई का अंशदान दिया है जबकि Xवीं योजना के दौरान राजस्व घाटे के अंश ने गिरती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया जो चालू वर्ष के दौरान और अधिक सुस्पष्ट हो गई जब राजकोषीय घाटे के अंश में 51.79 प्रतिशत तक की गिरावट आई जबकि निवल पूंजीगत व्यय के अंश में 47.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथ्य दिया गया कि सरकारी निवेश पर वापसी की दर में महत्वपूर्ण तेजी देखी गई तथा वर्तमान स्तर पर यह महत्वपूर्ण रूप से स्त्रोतों को उभारने की लागत (6.55 प्रतिशत बिन्दुओं) में अधिक बढ़ गई, राजकोषीय घाटे के संयोजन में यह गुणात्मक सुधार चालू वर्ष के दौरान उच्च वृद्धि प्रक्षेपपथ के साथ सहवर्ती बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे हेतु एक व्याख्यात्मक घटक हो सकता था।

5.12 तथापि (1992-2008) अवधि में समग्र प्रवृत्ति प्रकट करती हैं कि चूंकि ब्याज भुगतान (प्रतिबद्ध व्यय के अन्य घटकों के साथ) सरकार के चालू राजस्वों के सापेक्ष बढ़ता है तो सरकारी व्यय में समायोजन की एक प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जो सामान्यतया सरकार के पूंजीगत व्यय के प्रतिकूल है। ब्याज भुगतानों, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों की सह-गतियों ने प्रदर्शित किया कि हालांकि ब्याज भुगतानों में वृद्धि ने सरकारी पूंजीगत व्यय को ऋणात्मक रूप से प्रभावित किया, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का एक सकारात्मक प्रभाव हुआ था।

5.13 1992-2007 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे में निवल ऋणों एवं अग्रिमों के करीब 6 प्रतिशत को वित्तपोषित किया। निवल ऋण व अग्रिम जो VIIIवीं योजना के दौरान राजकोषीय घाटे का लगभग एक-चौथाई बनते थे, IXवीं योजना (1997-02) के दौरान 17.20 प्रतिशत की औसत पर कम हुए। Xवीं योजना के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली नए ऋणों के निर्गम से प्रायः अधिक थी तथा अधिशेष ने वास्तविक रूप से राजकोषीय घाटे को लगभग 11 प्रतिशत से वित्तपोषित किया (चार्ट 5.4)। तथापि संघ सरकार द्वारा संवितरित ऋणों व अग्रिमों ने वर्ष से मुख्यतः राज्यों को ऋणों तथा अग्रिमों

में 1741 करोड़ रु. (35.58 प्रतिशत) की पिछले वर्ष से 2007-08 में 1758 करोड़ रु. (17.55 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाया जबकि उनकी वसूली में 8300 करोड़ रु. (44.41 प्रतिशत) तक गिरावट आई जिसका परिणाम पिछले वर्ष में 8672 करोड़ रु. की निवल वसूली के स्तर से 2007-08 में संवितरण में 1386 करोड़ रु. की निवल वृद्धि में हुआ। चालू खर्चों को पूरा करने हेतु उधार ली गयी निधियों के लगातार उपयोग ने न केवल परिसंपत्ति में वापसी कटौती को प्रदर्शित किया बल्कि इसने पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) को समायोजन के परिवर्ती के रूप में बना दिया।

प्राथमिक घाटा

5.14 यद्यपि राजकोषीय घाटा साधारणतया अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निरूपित करता है फिर भी ऐसे संसाधनों के एक भाग की आवश्यकता ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण के लिए पड़ सकती है। ब्याज के भुगतान पिछले दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा चालू नियतात्मक वरीयताओं से स्वतंत्र हैं। यदि असंतुलन के वर्तमान स्वरूप को देखना हो तो इन भुगतानों को कुल असंतुलन में से पृथक करने की और घटाये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों के निवल वर्तमान असंतुलनों को प्रस्तुत करता है, का औसत VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 18286 करोड़ रु. से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 28573 करोड़ रु. हो गया किन्तु प्रवृत्ति X वीं योजना के दौरान पुनः विपरीत हो गई थी क्योंकि इसने 2423 करोड़ रु. के औसत अधिशेष को प्रदर्शित किया। संघ सरकार के मुख्य लेखे ने Xवीं योजना के दौरान 2003-04 में 47177 करोड़ रु. अधिशेष को प्रदर्शित करते हुए वृहत उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित किया क्योंकि वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे से बढ़ गया था जबकि यह 1997-98 से राजकोषीय घाटे का न्यूनतम स्तर था। तथापि अधिशेष के शीर्ष स्तर ने अगले वर्ष में मंद प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों से संबंधित राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि के कारण एक बार फिर घाटे पर पहुंच गया। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान में 17972 करोड़ रु. के राजकोषीय घाटे में गिरावट सहित 2006-07 में 154280 करोड़ रु. के स्तर से 25707 करोड़ रु. तक की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष में 2007-08 में 28654 करोड़ रु. के प्राथमिक घाटे से 15025 करोड़ रु. के प्राथमिक अधिशेष की स्थिति का कारण बनी।

तालिका 5.4: प्राथमिक घाटा तथा इनके पैरामीटर

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा*	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा
1992-2008	71293	108959	96012	12947	0.58
VIIIवीं योजना (1992-97)	28941	62565	44280	18286	1.76

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा*	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा
IXवीं योजना (1997-02)	75711	119675	91102	28573	1.49
Xवीं योजना (2002-07)	106399	133437	135860	-2423	-0.08
2002-03	109765	134588	124573	10015	0.41
2003-04	100986	80937	128114	-47177	-1.71
2004-05	78700	103798	130958	-27160	-0.86
2005-06	109697	164927	141375	23552	0.66
2006-07	132847	182934	154280	28654	0.69
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	85435	164962	179987	-15025	-0.32
वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर (प्रतिशत)					
1992-2008	11.97	7.58	11.87	परिवर्तन की औसत वार्षिक दर	
VIIIवीं योजना (1992-97)	10.88	6.41	17.44		
IXवीं योजना (1997-02)	17.29	9.00	14.90		
Xवीं योजना (2002-07)	4.75	14.18	5.40		
2002-03	-0.49	-13.63	9.11		
2003-04	-8.00	-39.86	2.84		
2004-05	-22.07	28.25	2.22		
2005-06	39.39	58.89	7.95		
2006-07	21.10	10.92	9.13		
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	-35.69	-9.82	16.66		

* ऋणात्मक आंकड़ा प्राथमिक अधिशेष के विद्यमान होने का संकेत करता है।

5.15 स.घ.उ. के सापेक्ष में, प्राथमिक घाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 1.76 प्रतिशत की औसत से घटकर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.49 प्रतिशत तथा यह Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 2423 करोड़ रु. के सीमान्तक अधिशेष अर्थात् स.घ.उ. का 0.08 प्रतिशत हो गया। वास्तव में Xवीं योजना प्राथमिक घाटे के साथ आरम्भ हुई जो 2002-03 के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष 0.41 प्रतिशत था। तथापि यह 2003-04 तथा 2004-05 में वृहत प्राथमिक अधिशेषों की स्थिति में हो गया था लेकिन योजना के पिछले दो वर्षों के दौरान यह प्रवृत्ति पुनः विपरीत हो गई तथा 2006-07 के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष प्राथमिक घाटा बढ़कर 0.69 प्रतिशत हो गया। 2002-03 स.घ.उ. के 0.41 प्रतिशत से 2003-04 तथा 2004-05 में स.घ.उ. के क्रमशः 1.71 तथा 0.86 प्रतिशत के मुख्य अधिशेष तक मुख्य घाटे में सुधार, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि इन वर्षों के दौरान किए गए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियां पर्याप्त थीं। तथापि, वह मुख्य रूप से लघु-ऋण व्यवस्था का लाभ लेने के लिए 2003-04 एवं 2004-05 में ऋण विनिमय योजना के अंतर्गत राज्यों के साथ-साथ कुछ लोक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उच्च मूल्य के ऋणों के पूर्वभुगतान के साथ ऋणों की वसूली में वृद्धि के कारण था। परिणामतः, अपेक्षाकृत उच्च गति से शासकीय

व्यय में वृद्धि के साथ-साथ गैर-ऋण प्राप्तियों में संकुचन राजकोषीय घाटे में गिरावट का कारण बना। जिसके कारण 2005-06 तथा 2006-07 में प्राथमिक घाटे की स्थिति और भी खराब हो गई। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे (9.82 प्रतिशत) में मामूली गिरावट सहित ब्याज भुगतानों (16.66 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि मुख्य अधिशेष की स्थिति का कारण बनी जो चालू वर्ष के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष केवल 0.32 प्रतिशत थी। तथापि, ऋणों की वसूली या विविध पूंजीगत प्राप्तियों की संभूति सरकार की परिसम्पत्ति आधार में गिरावट को प्रदर्शित करती है तथा इसे अधिक से अधिक एक सीमित एवं एक अस्थायी विकल्प के रूप में देखा जा सकता था।

लक्ष्य/रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियमावली की अपेक्षाओं की तुलना में वास्तविक घाटा

5.16 सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने एवं रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के सूत्रीकरण के पश्चात में रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 जुलाई 2004 से प्रभाव में आया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2003, यथासंशोधित की धारा 4(1) प्रावधान करता है कि संघ सरकार, राजकोषीय घाटे एवं राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी ताकि 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके। अधिनियम एवं नियमावली, जैसा कि मौजूदा समय में लागू है, ने अनुबंधित किया है कि न्यूनतम वार्षिक हास लक्ष्य में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशतता अंक के साथ 2008-09 तक राजस्व घाटे के निवारण हेतु तथा राजकोषीय घाटे को न्यूनतम वार्षिक हास लक्ष्य के रूप में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशतता अंक के साथ स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य/ अपेक्षाओं के अनुसार अन्य विषयों के साथ-साथ राजकोषीय प्रबन्धन में अन्तःउत्पादन इक्विटी तथा दीर्घावधि बृहत-आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

5.17 तथापि, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में हास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में अन्तः लचीलापन है क्योंकि उसका एक उपबन्ध है कि विनिर्दिष्ट सीमा को, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार अथवा आधारों या राष्ट्रीय विपदा या ऐसे अपवादात्मक आधारों जिसे केन्द्र सरकार विशेष रूप से उल्लेख करे, के कारण अतिक्रमण किया जा सकता है। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के इस प्रावधान का आह्वान करने पर संघ सरकार ने राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिनियम में मूलरूप से विचार की गई तिथियों का संशोधन किया है। राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्यों को अधिनियम में अध्यादेश के अनुसार प्राप्त करना निर्धारित किया गया था जबकि 2009-10 तक राजकोषीय घाटे से संबंधितों को मुख्यतः विशेष रूप से XIवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ पर राजस्व व्यय-गहन कार्यक्रमों तथा योजनाओं के पक्ष में योजनागत वरीयताओं में संवेदनशील विचलन के कारण उनके विलोपन हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया था। लघु अवधि में समाहित गैर-योजनागत प्रतिबद्ध राजस्व व्ययों की सर्वांग दृढ़ता विशेष रूप से

ब्याज भुगतानों, आर्थिक सहायता-सुस्पष्ट और अस्पष्ट दोनों, पेंशन, वेतन तथा रक्षा क्षेत्र जैसे प्रतिबद्ध तथा अनिवार्य व्यय से उत्पन्न अन्य सहयोगी घटक बताया गया था।

5.18 बजट के साथ-साथ तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, केन्द्र सरकार 2004-05 से मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण (म.अ.रा.नी.वि.) के साथ-साथ राजस्व एवं राजकोषीय घाटे हेतु तथा कर राजस्व हेतु 3-वर्षीय परिवर्तनशील लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार के कुल बकाया दायित्वों को प्रस्तुत कर रही है। इन्हें वृद्धि के पूर्वानुमानों तथा सरकार के नीतिगत रवैये के आधार पर प्राप्त किया गया है। 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 हेतु म.अ.रा.नि. विवरण में 2007-08 के निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, के साथ-साथ उनके वास्तविक स्तरों, जैसा कि 2007-08 के संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित है, को तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका 5.5: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अधीन लक्ष्यों की तुलना में परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2005-06 में वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2006-07 में वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2007-08 में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक स्तर (2007-08 के वित्त लेखाओं से कटौती के अनुरूप)	ब.अ. 2007-08 से विचलन
राजस्व घाटा	1.1	1.1	1.5	1.81	0.31
राजकोषीय घाटा	3.1	3.4	3.3	3.50	0.20

5.19 तालिका 5.5 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों - राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों जैसा कि 2007-08 के लिए संघ के वित्त लेखों से निर्गमित किए गए थे के साथ-साथ 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए बजटों के साथ नत्थी 2007-08 के लिए मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणियों (म.अ.रा.नी.वि.) को प्रस्तुत करता है। 2006-07 के लिए म.अ.रा.नी.वि. में 2007-08 हेतु राजकोषीय घाटे हेतु निर्धारित लक्ष्य बजट 2005-06 के साथ रखे म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपित स.घ.उ. की 3.1 प्रतिशत से 3.4 प्रतिशत उर्ध्वगामी संशोधन हुआ था। 2007-08 हेतु राजकोषीय घाटे हेतु बजट अनुमान सीमान्तक रूप से 3.3 प्रतिशत तक घट गए थे तथापि 2007-08 की म.अ.रा.नी.वि. विवरणी में स.घ.उ. अनुपात के प्रति राजस्व घाटे के लक्ष्य में 2005-06 तथा 2006-07 हेतु म.अ.रा.नी.वि. में प्रमाणित स.घ.उ. के 1.1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई थी। 2007-08 के संघ वित्त लेखे के अनुसार राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर अपने बजट अनुमानों से क्रमशः 0.31 तथा 0.20 प्रतिशत अंकों से उच्च थे।

5.20 तथापि, राजकोषीय संकेतकों के साथ-साथ उनके बजट अनुमानों, राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा स.घ.उ. के प्रति प्रतिशतता के रूप में विसर्पण 2007-08 में

क्रमशः 3.50 प्रतिशत तथा 1.81 प्रतिशत थी जो 2006-07 में उन से 0.91 तथा 1.39 प्रतिशत अंक नीचे थे जैसा कि 2007-08 के वित्त लेखों से प्रकट हुआ था। इस प्रकार, 2007-08 के दौरान राजकोषीय संशोधन जी.एफ.डी. तथा राजस्व घाटे हेतु 0.3 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत (स.घ.उ. के सापेक्ष) क्रमशः न्यूनतम कटौतियों अधिक में बदल गया था जैसा कि रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के अंतर्गत अनुबंधित था। इसके अतिरिक्त वित्त लेखे ने 2006-07 में 28654 करोड़ रू. के भारी घाटे में से 15025 करोड़ रू. (तथापि जो स.घ.उ. का केवल 0.32 प्रतिशत था) के प्राथमिक अधिशेष को गैर-ऋण प्राप्तियों के नीचे गैर-ब्याज व्यय के नियंत्रण को प्रदर्शित करते हुए दर्शाया।

5.21 रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के अंतर्गत संघ सरकार का राजकोषीय समेकन कर-स.घ.उ. अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि द्वारा राजस्व प्रधान, सहारा प्राप्त किया है। 2007-08 में सकल कर/स.घ.उ. अनुपात ने 12.58 प्रतिशत पर पहुंचने के लिए उपरिमुखी प्रकृति को बनाए रखा। केन्द्रीय सरकार हेतु, कर-स.घ.उ. अनुपात में संतुलित वृद्धि प्रत्यक्ष कर राजस्व के कारण थी। सामान्य तौर में मजबूत आर्थिक वृद्धि तथा समीष्ट अर्थशास्त्र स्थायित्वता का परिणाम, अनुमानित कर राजस्व से अधिक हुआ तथा स्त्रोतों के लिए मांग को पूरा करने हेतु राजकोषीय स्थान का सृजन किया। तथापि व्यय प्रबन्धन प्रयास भी गैर-योजनागत व्यय को सामान्य करने पर केन्द्रित थे जबकि योजनागत व्यय में वृद्धि हो रही थी। तथापि गैर-योजनागत पूंजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष से 55252 करोड़ रू. (138.55 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के बावजूद 2007-08 में पूंजीगत परिव्यय ने स.घ.उ. के 2.48 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर रहना जारी रखा जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान रक्षा पूंजीगत परिव्यय में सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त संघ सरकार सामान्य वित्त तथा व्यापार संस्थानों; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा कृषि वित्तीय संस्थानों में बढ़ाए गए निवेश के कारण था।

5.22 उन्नत स्थिति के बावजूद भी, वहां कई अन्तर्निहित राजकोषीय दबाव है जो पूर्णरूप से शीर्ष पंक्ति राजकोषीय संकेतकों में स्पष्ट नहीं है। यद्यपि राजकोषीय नियमावली के कार्यान्वयन में राजकोषीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के सकारात्मक प्रभाव है, चूंकि वहां बजटेतर राजकोषीय दायित्वों के संसाधनों में वृद्धि हुई है। बंध-पत्रों के जारी करने को न केवल ईंधन, भोजन तथा उर्वरक आर्थिक सहायता हेतु वित्तपोषण करने के लिए लगातार क्रमबद्ध किया गया है बल्कि बैंक ऋण संबंधी छूटों तथा लोक क्षेत्र बैंकों के पूंजीगत अंशदान से संबंधित दायित्वों को आस्थगित भी किया गया। वस्तुतः उधारों के माध्यम से वित्त आवर्ती राजस्व व्यय के प्रति महत्वपूर्ण अर्ध-राजकोषीय लेन-देन न केवल राजकोषीय समेकन प्रक्रिया जो कि अधोगामी है की गुणवत्ता के बारे में आशंका पैदा करते हैं बल्कि राजकोषीय प्रचालनों में पारदर्शिता तथा राजकोषीय प्रबंधन में अन्तर्वशानुगत साम्य तथा दीर्घ अवधि समष्टि अर्थशास्त्र स्थायित्व के मुद्दों को उठाते हैं।

5.23 राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के संबंध में रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों का पालन करते समय बृहत-आर्थिक, वित्तीय, बाह्य क्षेत्र बजटीय स्थिरता हेतु आलोचनात्मक समझा जाता है। किन्तु अकेला राजकोषीय लक्ष्य अपूर्ण है जब तक कि प्राप्ति या व्यय स्तरों को भी विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता चूंकि दिए गए घाटे के स्तर को प्राप्तियों तथा व्यय के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार उठाए गए राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण तथा संसाधनों के उपयुक्त प्रयोग के तरीके समान रूप से महत्वपूर्ण हों विशेषरूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था अवसंरचनात्मक रूपांतर से गुजर रही है तथा इसे कुछ आलोचनात्मक क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा भौतिक अवसंरचना में भारी निवेश की आवश्यकता है विशेषरूप से जब केन्द्र बिन्दु विकास समावेशन पर हो। इसके अतिरिक्त, चूंकि चालू व्यय की पूर्ति हेतु उधार ली गई निधियों का उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की अपेक्षा परिसंपत्ति-देयताओं के बेमेल बढ़ गया, इसलिए राजस्व घाटे का निवारण तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष का सृजन आवश्यक है जिसे देयताएं सृजित किए बिना परिसम्पत्तियों हेतु प्रयोग में लाया जा सके। इस संदर्भ में, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण अर्थात् राजस्व प्रवाहों के क्षेत्र एवं आकार में विस्तार द्वारा स्थायी राजकोषीय शोधन समेकन की आवश्यकता है।

अध्याय 6

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

सरकार ऋण के पुनर्भूगतान हेतु अपनी संसाधन आवश्यकताओं, लोक लेखा पर देयताओं को चुकाने, पूंजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य चालू व्यय अपेक्षाओं, जो कि राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा वसूली की जानी शेष होती है, को पूरा करने के लिए राजकोषीय देयताओं को वहन करती है। सकल राजकोषीय देयताएं VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 628608 करोड़ रु. की औसत से लगातार बढ़कर Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 1836987 करोड़ रु. और इसके अतिरिक्त XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष के दौरान 2476357 करोड़ रु. हो गई। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 60.59 प्रतिशत के औसत पर स.घ.उ. के सापेक्ष सकल राजकोषीय दायित्व घट कर अन्तर्वर्षीय बदलाव के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 57.10 प्रतिशत के औसत पर और इसके आगे चालू वर्ष के दौरान 52.54 प्रतिशत हो गए। इसलिए स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति ने 1992-2008 के दौरान 0.90 की ऋणात्मक बदलाव दर के साथ घटती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया परन्तु इसके घटकों के अंश ने आन्तरिक ऋण के अंश के साथ समय के साथ परिवर्तित हो कर अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। आन्तरिक ऋण न केवल सकल देयताओं का सर्वाधिक प्रबल घटक था, जो 2007-08 में इनका लगभग 72.67 प्रतिशत आंका गया, बल्कि 1992-2008 के दौरान अपनी 16.40 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ सबसे तेज वृद्धि वाला घटक भी था। लोक लेखा देयताएं 1992-2008 के दौरान 5.62 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। ये दोनों घटक, जो कि अपने उद्भव के आधार पर घरेलू देयताएं हैं, ने 2007-08 में लगभग 91.52 प्रतिशत सकल देयताएं स्थापित की।

राजकोषीय देयताएं वहनीय हैं यदि सरकार पूर्वानुमानित भविष्य के दौरान इन देयताओं के सम्भार की पूर्ति में समक्ष होती है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय सीमा तक नहीं बढ़ता है। ऋण-स.घ.उ. उत्पाद अनुपात के अपेक्षाकृत उच्चतर स्तरों के बावजूद, स.घ.उ. के सापेक्ष वृद्धि संबंधी कुल देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का 2004-05 में 5.20 प्रतिशत 2005-06 में 4.06 प्रतिशत तक 2006-07 में 5.22 का अनुपात रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अन्दर था परन्तु 6.18 प्रतिशत पर यह अनुपात रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अंतर्गत 2007-08 के लिए प्रक्षेपित उच्चतम सीमा से सीमान्तक रूप से अधिक था।

ग्यारहवें तथा बारहवें वित्त आयोग ने सलाह दी थी कि ऋण धारिता को अर्थपूर्ण ढंग से सरल बनाया जा सकता था कि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती थीं। यह देखा जा सकेगा कि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियाँ VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 14.86 प्रतिशत से कम हुईं जो IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 52.04 से बढ़ी एवं Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 7.98 प्रतिशत से तीव्र रूप से कम हुईं। चालू वर्ष के दौरान, बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में 31.32 प्रतिशत (29580 करोड़ रु.) से बढ़ी जबकि वर्ष के दौरान 34.85 प्रतिशत बढ़े हुए राजस्व व्यय (40982 करोड़ रु.) से गिरावट आई परिणामतः पिछले वर्ष में (-)23150 करोड़ रु. से 2007-08 में 47412 करोड़ रु. का धनात्मक संसाधन अंतराल हुआ। चालू वर्ष के दौरान बढ़ी हुई राजस्व प्राप्तियों में सुधार, मुख्यतः पिछले वर्ष में 13037 करोड़ रु. के प्रति गैर-कर राजस्व (35868 करोड़ रु.) के माध्यम से अधिक प्राप्तियों के कारण था।

ऋण धारणीयता भी डोमर की ऋण स्थिरता समीकरण और ऋण मोचन एवं सकल ऋण प्राप्तियों के अनुपात द्वारा निर्धारित की जाती है। डोमर की ऋण स्थिरता समीकरण बताता है कि यदि आर्थिक विकास की दर, ऋण पर ब्याज की दर से बढ़ जाती है तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात के स्थायी होने की संभावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या फिर सीमान्तक रूप से ऋणात्मक हो जबकि बाद वाला मामला उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए ऋण प्राप्तियों को ऋण मोचन में प्रयुक्त किया जाता है। पिछले समय से सकल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाम मात्र) 1992-2008 के दौरान स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम होते हुए प्राथमिक घाटे सहित बाजार मूल्य पर स.घ.उ. के विकास दर से कम बना रहा जबकि ऋण मोचन अनुपात VIIIवीं योजना के दौरान 93 प्रतिशत के जितना अधिक था जो आगे चलकर उस सीमा को इंगित करते हुए जहाँ तक ऋण प्राप्ति ऋण मोचन में प्रयुक्त किए गए थे, Xवीं योजना के दौरान 98.68 प्रतिशत तक अपकर्ष हुआ।

6.1 आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जिनसे संघ सरकार का ऋण संघटित है। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण, लोक ऋण को गठित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अधीन सुरक्षित किए जाते हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋणों का द्योतक है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता की अपेक्षा बैंकर या न्यासी के रूप में इसकी हैसियत से अधिक उद्भूत होती हैं जिसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित निधि और निक्षेप निधि (व्यय प्रभारित द्वारा सृजित हालांकि वास्तविक व्यय/संवितरण अभी किया जाना है) और जमा समाविष्ट है। ये उधार या संभूतियां भा.स.नि. के अधीन सुरक्षित नहीं हैं और लोक लेखा के भाग के रूप में दर्शाई जाती हैं। तथापि, यह सभी देयताएं या उनकी वापसी अथवा विनिर्देशित व्यय के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व हैं।

6.2 सरकार ऋण के पुनर्भुगतान, लोक लेखा पर देयताओं के उन्मोचन; पूंजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य वर्तमान व्यय आवश्यकताओं, जो कि राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा पूरी न हो पाई हो; के लिए अपनी संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन देयताओं को वहन करती है।

सकल राजकोषीय देयताएँ: प्रवृत्तियां तथा संरचना

6.3 तालिका 6.1 सरकार की कुल देयताएं प्रस्तुत करती है जिसमें 1992-2008 के दौरान आंतरिक ऋण एवं वर्तमान विनिमय दर तथा ऐतिहासिक दर (जिस दर पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) दोनों पर संगणित बाह्य ऋण एवं लोक लेखा सम्मिलित हैं। **परिशिष्ट-VI-क** में उसके संघटन के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शाई गई है।

तालिका 6.1: सकल राजकोषीय देयताएं - प्रवृत्तियां तथा संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
1992-2008	801005	64384	303904	1169294	173819	1278729
VIII वीं योजना (1992-97)	272725	49206	218152	540082	137732	628608
IX वीं योजना (1997-02)	655942	61703	292049	1009694	183073	1131064
X वीं योजना (2002-07)	1274620	72715	368973	1716307	193395	1836987
2002-03	1020689	59612	331419	1411720	196068	1548176
2003-04	1141706	46125	333725	1521556	184203	1659634
2004-05	1275971	60877	356037	1692885	191271	1823279
2005-06	1389758	94243	384842	1868843	194199	1968799
2006-07	1544975	102716	438841	2086532	201233	2185049
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	1799651	112031	466602	2378284	210104	2476357
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2008	16.40	4.98	5.62	12.25	3.40	11.28
VIII वीं योजना (1992-97)	14.13	5.95	14.80	13.62	5.88	12.48
IX वीं योजना (1997-02)	25.42	6.77	-7.05	12.80	5.05	11.85
X वीं योजना (2002-07)	10.80	19.75	7.29	10.37	1.05	8.98
2002-03	11.79	-16.68	15.65	11.06	-1.92	10.62
2003-04	11.86	-22.62	0.70	7.78	-6.05	7.20
2004-05	11.76	31.98	6.69	11.26	3.84	9.86
2005-06	8.92	54.81	8.09	10.39	1.53	7.98
2006-07	11.17	8.99	14.03	11.65	3.62	10.98
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	16.48	9.07	6.33	13.98	4.41	13.33


* 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, विशिष्ट राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताएं शामिल नहीं हैं।

6.4 कुल राजकोषीय देयताएं VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 628608 करोड़ रु. की औसत से निरंतर बढ़कर IXवीं (1997-2002) योजना के दौरान 1131064 करोड़ रु. तथा इसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 1836987 करोड़ रु. की औसत पर पहुंच गई और 2007-08 में उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। 1992-2008 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 11.28 प्रतिशत थी। सकल देयताओं की वृद्धि दर VIIIवीं योजना के दौरान 12.48 प्रतिशत से कम हो कर IXवीं योजना के दौरान 11.85 प्रतिशत तथा इसके बाद Xवीं योजना के दौरान भी 8.98 प्रतिशत हो गई। 2007-08 के दौरान सकल राजकोषीय दायित्व, मुख्य रूप से आंतरिक ऋण में वृद्धि जो 16.48 प्रतिशत बढ़ गया है के कारण अब तक के

अधिकतम 13.33 प्रतिशत (291308 करोड़ रु.) की दर से बढ़ गया और सकल संवृद्धि दायित्व के प्रति करीब 87.43 प्रतिशत का अंशदान दिया। 2007-08 में कुल देयताओं के लगभग 72.66 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार आंतरिक ऋण न केवल सबसे प्रमुख घटक था, बल्कि वह 1992-08 के दौरान अपनी 16.40 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ तीव्रतम वृद्धि वाला घटक भी था। लोक लेखा देयताओं में 1992-2008 के दौरान 5.62 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई थी। ये दो घटक, जो अपने उद्गम की दृष्टि से घरेलू देयताएं हैं, 2007-2008 में सकल देयताओं के लगभग 91.52 प्रतिशत के बराबर थे, जो VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 78 प्रतिशत के औसत आगे बढ़ गई हैं। 2007-08 में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य देयताएं, सकल देयताओं का लगभग 8.48 प्रतिशत बनती थीं। वित्त लेखे में ऐतिहासिक दर पर बाह्य देयताएं भी दर्ज की गई हैं। तथापि, यह केवल ब्याज की गणना के लिए है क्योंकि इस ऋण के पुनर्भुगतान के दायित्वों को केवल विनिमय की वर्तमान दर पर ही पूरा किया जाना है। चार्ट 6.1 1992-2008 के दौरान कुल देयताओं तथा घरेलू देयताओं के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

6.5 रा.उ.ब.प्र. अधिनियम उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में निर्धारित किया गया था कि केन्द्र सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. की 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताएं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) धारण नहीं करेगी और बाद के प्रत्येक वर्ष में, 9 प्रतिशत की सीमा में स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशतता अंक की प्रगामी रूप से कमी की जाएगी। स.घ.उ. की तुलना में सकल संवृद्धि देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) का 2004-05 में 5.20 प्रतिशत, 2005-06 में 4.06 प्रतिशत तथा 2006-07 में 5.22 प्रतिशत का अनुपात रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में था। चालू वर्ष के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष सकल संवृद्धि देयताएं 6.18 प्रतिशत थीं जो रा.उ.ब.प्र. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित नियम का अनुसरण करते हुए 2007-08 हेतु प्रक्षेपित 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से सीमान्तक रूप से ऊपर थीं।


चार्ट 6.1 : कुल देयताओं में प्रवृत्तियां तथा घरेलू देयताओं के अंश में प्रवृत्तियाँ



स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

6.6 तालिका 6.2 स.घ.उ. की तुलना में संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं को दर्शाती है। 1991-92 के दौरान सकल राजकोषीय देयताएं-स.घ.उ. अनुपात अधिकतम ऊंचाई को छू गया जब यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक पहुंच गया था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान यह अनुपात 60.59 प्रतिशत तथा इसके आगे IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 58.84 प्रतिशत की औसत तक अवत्वरित हुआ। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान स.घ.उ. की तुलना में सकल देयताओं का 57.10 प्रतिशत का अनुपात केवल 1.74 प्रतिशत IXवीं योजना (1997-2002) के औसत स्तर की अपेक्षा निम्न था। यह पाया गया कि Xवीं योजना (2002-07) के दौरान, अनुपात ने एक सुसंगत घटती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जो यद्यपि चालू वर्ष के दौरान भी जारी रहा। स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति ने 1992-2008 के दौरान, केवल -0.90 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के विचलन के साथ सापेक्ष स्थिरता प्रदर्शित की। यद्यपि, 1992-2008 की अवधि के दौरान स.घ.उ. से संबंधित राजकोषीय देयताएं लगभग स्थिर रही लेकिन इसके घटकों के अंश आंतरिक ऋण के अंश के साथ समय के अनुसार परिवर्तित होना अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है (चार्ट 6.2)। जहां आंतरिक ऋण-स.घ.उ. के अनुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर 3.66 प्रतिशत थी, अन्य दो घटकों में महत्वपूर्ण ऋणात्मक विचलन दर ने ऋण-स.घ.उ. के अनुपात को प्रवृत्ति स्तर पर ही बनाए रखा।

चार्ट 6.2 : स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताओं के घटक



तालिका 6.2: स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखे	कुल देयताएं	चालू दरों पर बाह्य ऋण	कुल देयताएं
1992-2008	36.00	2.89	13.66	52.56	7.81	57.48
VIII वीं योजना (1992-97)	26.29	4.74	21.03	52.06	13.28	60.59
IX वीं योजना (1997-02)	34.12	3.21	15.19	52.52	9.52	58.84
X वीं योजना (2002-07)	39.62	2.26	11.47	53.35	6.01	57.10
2002-03	41.58	2.43	13.50	57.51	7.99	63.07
2003-04	41.45	1.67	12.12	55.24	6.69	60.25
2004-05	40.51	1.93	11.30	53.75	6.07	57.89
2005-06	38.82	2.63	10.75	52.20	5.42	54.99
2006-07	37.27	2.48	10.59	50.33	4.85	52.70
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	38.18	2.38	9.90	50.46	4.46	52.54
सापेक्षित अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1992-2008	3.66	-6.51	-5.94	-0.03	-7.92	-0.90

6.7 यदि 1992-93 में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों को 100 पर रखा जाए तो आंतरिक ऋणों हेतु एक से अधिक जबकि बाह्य ऋणों, लोक लेखा देयताओं तथा कुल ऋणों हेतु एक से कम उत्प्लावकता को इंगित करते हुए स.घ.उ. सूचकांक


630 के प्रति 2007-08 में आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण, लोक लेखा एवं सकल देयताओं का सूचकांक क्रमशः 904, 174, 291 एवं 515 होगा। 1992-2008 की अवधि हेतु क्रमशः 1.33 एवं 0.918 की लम्बी अवधि उत्प्लावकता के प्रति 2007-08 के दौरान स.घ.उ. के संदर्भ में आंतरिक ऋण तथा कुल देयताओं (चालू विनिमय दर पर परिकलित किए जा रहे बाह्य ऋण के साथ) की उत्प्लावकता क्रमशः 1.20 एवं 0.974 थी।

6.8 सकल राजकोषीय देयताओं को संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष देखना उचित होगा। यह अनुपात ऋण स्टॉक का एक बेहतर सूचक माना जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से उन संसाधनों से सम्बन्धित है जो इसकी सेवा और प्रतिदान के लिए उपलब्ध हैं। तालिका 6.3 गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताओं के अनुपात को दर्शाती है।

तालिका 6.3: गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताएं (चालू विनिमय दर पर)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	राजस्व प्राप्तियाँ
1992-2008	406	442
VIII वीं योजना (1992-97)	398	423
IX वीं योजना (1997-02)	419	448
X वीं योजना (2002-07)	419	472
2002-03	453	516
2003-04	390	489
2004-05	409	484
2005-06	443	457
2006-07	401	416
XI वीं योजना (2007-08)		
2007-08	354	381
सापेक्षित अंश में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर (1992-2008)		
1992-2008	0.11	0.38
पैरामीटर की वृद्धि की औसत वार्षिक दर (1992-2008)		
1992-2008	11.16	12.30
टिप्पणी: - गैर-ऋण प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां (करों में राज्यों के अंश का निवल) तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं।		

चार्ट 6.3 : 1992-93 - 2007-08 के दौरान स.घ.उ. गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ऋण का अनुपात



6.9 1992-2008 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात में विचलन दर घनात्मक थी जो उपरोक्त दो पैरामीटरों की वृद्धि की दर की तुलना में राजकोषीय देयताओं की वृद्धि की कम प्रवृत्ति दर को प्रदर्शित करती थी। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं का औसत, 398 प्रतिशत से वृहद अन्तर्वर्षीय विचलनों के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 419 की औसत तक अत्वरित होने से पूर्व 2001-02 में 483 की चरम सीमा तक बढ़ गया था। यह मंदन अवधि के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की मंद वृद्धि के कारण था। उदाहरण के तौर पर 2005-06 के दौरान 0.27 प्रतिशत की गैर-ऋण प्राप्तियों में गिरावट के साथ कुल राजकोषीय देयताओं में 8 प्रतिशत के लगभग बढ़ोतरी का परिणाम उनके 2004-05 में 409 के स्तर से 443 के गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी में हुआ। इसी प्रकार चालू वर्ष के दौरान सकल देयताओं में 13.33 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति गैर ऋण प्राप्तियों में 27.89 प्रतिशत की वृद्धि दर उनके अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 में 401 के स्तर से 354 के तीव्र मंदन का कारण बना। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजकोषीय देयताओं का अनुपात VIIIवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान 423 के औसत स्तर से संगत रूप से बढ़कर Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 472 हो गया। 2002-03 में 516 के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के उपरान्त यह 2006-07 में 416 तक संगत रूप से कम हुआ है और उसके आगे की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की मंद वृद्धि के कारण 381 हो गया। 1992-2008 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता क्रमशः 1.039 तथा 0.917 थी। किंतु, आंतरिक ऋण तथा घरेलू ऋण (आंतरिक ऋण और लोक लेखा अधिशेष-साथ) में अधिक उत्प्लावकता थी

क्योंकि बाह्य ऋण देयताओं की कम वृद्धि का प्रभाव नियंत्रणकारी था। स.घ.उ. के तीन पैरामीटरों, गैर- ऋण प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय देयताओं का अनुपात चार्ट 6.3 में दर्शाया गया है।

6.10 सरकार के लिए पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियां उधार लेना आम बात है। यद्यपि सरकारी लेखांकन पद्धति में तुलन-पत्र सरकार द्वारा अपने स्वामित्व की स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए सृजित नहीं किए जाते हैं, तथापि लेखे, किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को भी दर्शाते हैं व उनका प्रावधान करते हैं। सरकारी निवेश, बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा संचित पूँजीगत व्यय को उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं की तुलना में इन परिसम्पत्तियों के अनुपात को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता मापने के प्रतिस्थानी उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तालिका 6.4: परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात

(रूपये करोड़ में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

अवधि	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात	देयताओं की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की उत्प्लावकता
1992-2008	1278729	583182	45.61	11.28	7.48	0.66
VIII वीं योजना (1992-97)	628608	362555	57.68	12.48	10.31	0.83
IX वीं योजना (1997-02)	1131064	575671	50.90	11.85	8.29	0.70
X वीं योजना (2002-07)	1836987	739512	40.26	8.98	4.74	0.53
2002-03	1548176	693286	44.78	10.62	4.20	0.40
2003-04	1659634	688435	41.48	7.20	-0.70	-0.10
2004-05	1823279	717675	39.36	9.86	4.25	0.43
2005-06	1968799	774082	39.32	7.98	7.86	0.98
2006-07	2185049	824081	37.71	10.98	6.46	0.59
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	2476357	942507	38.06	13.33	14.37	1.08

6.11 देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों के अनुपात ने VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 57.68 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 50.90 प्रतिशत की दीर्घकालीन गिरावट प्रदर्शित की जो और आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 2006-07 में 37.71 प्रतिशत की न्यूनतम औसत के साथ 40.26 प्रतिशत तक कम हो गई थी। Xवीं योजना (2002-07) अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों और दायित्वों का अनुपात 2002-03 में 44.78 प्रतिशत से 2006-07 में 37.71 प्रतिशत तक मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण घटा कि अवधि के दौरान सकल दायित्व संघ सरकार की परिसम्पत्तियों में 4.74 प्रतिशत की विकास दर के प्रति 8.98 प्रतिशत के

वार्षिक औसत विकास दर से कुल देयताएं बढ़ीं। इस अनुपात में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर 1992-2008 के दौरान (-) 3.42 प्रतिशत थी। देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में भी VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 0.83 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 0.70 प्रतिशत और आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 0.53 प्रतिशत की औसत तक की गिरावट आई थी (तालिका 6.4)। 2003-04 में, ऋणों व अग्रिमों की बढ़ी हुई वसूली के कारण समग्र परिसम्पत्तियों में वास्तव में गिरावट आई जबकि देयताओं में वृद्धि जारी रही। तथापि इसने 2003-04 के दौरान नकारात्मक मूल्य प्राप्त करने के उपरान्त बढ़ोतरी की प्रवृत्ति प्रदर्शित की और 2005-06 के दौरान 0.98 की अधिकतम सीमा पर पहुंची परन्तु परवर्ती वर्ष में, चालू वर्ष के दौरान 0.59 तक कम हुई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान सरकार की परिसम्पत्तियाँ 14.37 प्रतिशत से बढ़ी जो सकल दायित्वों में 13.33 प्रतिशत के विकास दर से अधिक थी जिसका परिणाम 1992-2008 की अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता पहली बार इकाई से अधिक हुई। चालू वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में योजनेत्तर पूंजीगत व्यय (138.54 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि के कारण थी। चालू वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में तीव्र विकास के बावजूद, संघ सरकार की देयताएं 62 प्रतिशत ने अभी भी 2006-07 एवं 2007-08 में परिसम्पत्तियों का सम्बल लेना बंद कर दिया है।

ऋण धारिता

6.12 यदि सरकार निकट भविष्य में इन देयताओं के सम्भार की चुकौती में सक्षम है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय अनुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से अधिक हो तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर, उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना तब तक जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है (मुद्राकरण की अधिकता में भी)।

6.13 काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) 1992-2008 के दौरान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही, जैसे कि तालिका 6.5 में दर्शाया गया है। तथापि विस्तार का औसत VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8.61 प्रतिशत की औसत से कम हो कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.31 प्रतिशत हो गया था। 2002-03 में स.घ.उ. वृद्धि तथा ब्याज दरों के बीच विस्तार

नकारात्मक हो गया था परन्तु औसत रूप से यह 2006-07 में 7.96 प्रतिशत के अधिकतम सकारात्मक विस्तार के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान सकारात्मक 5.87 प्रतिशत था। तथापि, विस्तार चालू वर्ष के दौरान 5.46 तक घटा जो स.घ.उ. के विकास दर में ह्रास तथा पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में सकल दायित्व में क्रमशः 2.11 एवं 0.38 प्रतिशतता अंकों से ब्याज दर में वृद्धि का परिणाम है।

6.14 किन्तु, राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दरें 1992-2008 की अवधि के दौरान 1993-94 में 7.65 के न्यूनतम से 1999-2000 में 9.34 के अधिकतम तक एक संकुचित सीमा में बढ़ीं। VIIIवीं योजना के दौरान बाह्य ऋण पर ब्याज की औसत वार्षिक दर 3.07 प्रतिशत थी जो IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.51 प्रतिशत तथा इसके आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 1.78 प्रतिशत की औसत तक कम हुई। घरेलू देयताओं के लिए (लोक ऋण तथा लोक लेखे) ब्याज की औसत दर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 10.42 प्रतिशत थी जो Xवीं योजना के दौरान गिरती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 8.91 प्रतिशत के औसत तक घट गई। घरेलू देयताओं पर ब्याज की औसत दर में 1999-2000 में 10.79 प्रतिशत की उच्चतम दर तक पहुंचने के उपरान्त गिरावट आरम्भ हुई तथा तब से इसमें चालू वर्ष के दौरान 192 आधार अंकों की गिरावट देखने में आई।

तालिका 6.5: चालू विनिमय दरों पर राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक देयताएं	बाह्य ऋण	कुल देयताएं	स.घ.उ. की वृद्धि दर	ब्याज विस्तार
1992-2008	9.37	2.34	8.34	12.29	3.94
VIII वीं योजना (1992-97)	9.37	3.07	7.91	16.72	8.81
IX वीं योजना (1997-02)	10.42	2.51	9.06	10.33	1.27
X वीं योजना (2002-07)	8.91	1.78	8.09	14.00	5.91
2002-03	10.03	2.13	8.90	7.71	-1.20
2003-04	9.24	1.60	8.28	12.22	3.95
2004-05	8.69	1.52	7.89	14.34	6.44
2005-06	8.47	1.65	7.75	13.68	5.93
2006-07	8.48	1.99	7.84	15.79	7.96
XI वीं योजना (2007-12)					
2007-08	8.87	1.95	8.22	13.68	5.45
वृद्धि की औसत वार्षिक दर					
1992-2008	-0.41	-4.68	0.31	-1.52	
औसत ब्याज दर = अदा किया गया ब्याज/वर्ष के शुरु में बकाया देयताएं*100					

6.15 संघ सरकार की ऋण धारणीयता (i) ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) एवं सकल ऋण प्राप्तियों के अनुपात (ii) उपलब्ध उधार ली गई निधियों के उपयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक उधार ली गई राशियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए

ऋण प्राप्तियों का ऋण मोचन में उपयोग किया जाता है। 1992-2008 की अवधि के दौरान VIIIवीं, IXवीं एवं Xवीं पंचवर्षीय योजनाओं को समाविष्ट करते हुए तालिका 6.6 ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों के अनुपात को प्रदर्शित करती है। ऋण मोचन अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) में 93.10 प्रतिशत की औसत से संगत रूप से बढ़कर अंतर वर्ष बदलाव के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 98.68 प्रतिशत हो गई है। 1992-2008 की अवधि के दौरान इसने केवल 2003-04 में इकाई को पार किया है, जब पश्च ऋण दायित्वों के निर्वहन के प्रति पुनर्भुगतान वर्ष के दौरान नए ऋण प्राप्तियों से महत्वपूर्ण रूप से अधिक थे। यह अनुपात मुख्य रूप से बढ़े हुए ऋण प्राप्तियों, जो चालू वर्ष के दौरान 6.97 प्रतिशत से बढ़ी है, के कारण बाद के वर्षों में घटा है। निर्गम में वृद्धि के कारण बढ़ी हुई देयताओं के पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में बाजार स्थीरीकरण योजना (126535 करोड़ रु.) के अन्तर्गत बंधपत्रों के कारण मुख्य रूप से 223024 करोड़ रु. (13.70 प्रतिशत) से आंतरिक ऋण में तीव्र वृद्धि ने वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों में 144659 करोड़ रु. (6.97 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

तालिका 6.6: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात

अवधि	ऋण प्राप्तियां*	ऋण पुनर्भुगतान		मूल ऋण पुनर्भुगतान (1)/ ऋण प्राप्तियां	कुल ऋण पुनर्भुगतान (2)/ऋण प्राप्तियां
		मूल*	मूल+ ब्याज		
		(1)	(2)		
(करोड़ रु. में) (वार्षिक औसत)				(प्रतिशत)	
1992-2008	778424	655233	751225	84.17	96.51
VIII वीं योजना (1992-97)	266443	203787	248066	76.48	93.10
IX वीं योजना (1997-02)	530341	411106	502208	77.52	94.70
X वीं योजना (2002-07)	1250358	1097979	1233839	87.81	98.68
2002-03	623645	485764	610337	77.89	97.87
2003-04	811010	726131	854245	89.53	105.33
2004-05	1070716	894577	1025535	83.55	95.78
2005-06	1671998	1521331	1662706	90.99	99.44
2006-07	2074421	1862092	2016372	89.76	97.20
XI वीं योजना (2007-12)					
2007-08	2219080	1919367	2099026	86.49	94.59

* ऋण प्राप्तियां तथा पुनर्भुगतान में भा.स.नि. में ऋण आंकड़े तथा लोक लेखे में निवल अर्थोपाय अग्रिम तथा प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान सम्मिलित है।

6.16 ऋण धारिता के मामलों की क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा भी चर्चा की गई थी। नौवें वित्त आयोग ने पाया कि अन्ततः सरकारी ऋण समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों के - (क) वित्तपोषित राजस्व व्यय के लिए उपयोग न किए जाने; तथा (ख) पूँजीगत व्यय के लिए प्रभावशाली व उत्पादकतापूर्ण ढंग से उपयोग किए जाने में निहित है जो व्यय या तो प्रत्यक्षतः लाभ प्रदान करता है या परिणामतः साधारण तौर पर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने सलाह दी कि ऋण धारिता को पर्याप्त रूप से सरल बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। ग्यारहें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए बारहवें वित्त आयोग ने अनुभव किया कि इसके लिए राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा व्यय में संकुचन के उपायों को अपना कर, राजस्व शेष हासिल करना पूर्वापेक्षित है।

6.17 तालिका 6.7, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना और वर्तमान वर्षों में प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने हेतु Xवीं योजनाओं के प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रूप से और चालू वर्ष के लिए उपरोक्त परिभाषित संसाधन अन्तराल को दर्शाती है। यह दिखेगा कि 1992-2008 के दौरान, संवृद्धि राजस्व प्राप्तियां, संवृद्धि राजस्व व्यय को पूरा करने में 11.18 प्रतिशत तक कम रहीं। यह अन्तराल VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 14.86 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 52.04 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 7.98 प्रतिशत तक तीव्र रूप से घटा। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान व्यय में मंद वृद्धि तथा ब्याज दरों में मंद वृद्धि के कारण संवृद्धि राजस्व प्राप्तियां, संवृद्धि राजस्व व्यय से अधिक थीं जिसका परिणाम सकारात्मक संसाधन अन्तराल में हुआ जिसमें तीन वर्षों 2002-05 के दौरान नियमित रूप से वृद्धि हुई। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जहां संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 43.15 प्रतिशत तथा 74.69 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, गैर ब्याज राजस्व व्यय और ब्याज भुगतानों में अनुरूप वृद्धियां 2005-06 में 490.53 तथा 266.28 तथा 2006-07 के दौरान 40.25 तथा 23.88 प्रतिशत थी। वृद्धियों की दरों में विस्तृत अन्तरों के कारण 30997 करोड़ रु. तथा 23150 करोड़ रु का बड़ा नकारात्मक अन्तराल हुआ जो वर्ष में संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच में दर्ज की गई अधिकतम अपसारिता थी और वास्तव में 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तदनुसूची पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व कमी में पूर्ण बढ़ोतरी को दर्शाता है। संवृद्धि राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में 31.32 प्रतिशत (29580 करोड़ रु.) से बढ़ी जबकि वर्ष के दौरान संवृद्धि राजस्व व्यय 34.85 प्रतिशत (40982 करोड़ रु.) से घटा जिसका परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में (-)23150 करोड़ रु. 2007-08 में 47412 करोड़ रु. के धनात्मक संसाधन अंतराल में हुआ। चालू वर्ष के दौरान संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में सुधार मुख्य रूप से पिछले वर्ष में 13037 करोड़ रु. के प्रति गैर-कर स्रोतों (35868 करोड़ रु.) के माध्यम से अधिक प्राप्तियों के कारण था। जबकि दूसरी ओर, राजस्व व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष में 21.75 प्रतिशत (117603 करोड़ रु.) की वृद्धि के प्रति 2007-08 के दौरान 11.64 प्रतिशत (76621 करोड़ रु.) पर अन्तर्विष्ट किया गया था। संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान भारी धनात्मक संसाधन अंतराल (47412 करोड़ रु.) था जो कि वही राशि है जिससे वर्ष में 85435 करोड़ रु. के स्तर से 2007-08 में राजस्व घाटा कम हुआ था।

तालिका 6.7: राजस्व व्यय संवृद्धि तथा ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में कमी

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	संवृद्धि				संसाधन अन्तराल
	राजस्व प्राप्तियां	गैर ब्याज राजस्व व्यय	ब्याज व्यय	कुल राजस्व व्यय	
1992-2008	34350	29086	9587	38673	-4323
VIII वीं योजना (1992-97)	18778	15480	6576	22056	-3278
IX वीं योजना (1997-02)	14312	18903	10939	29842	-15530
X वीं योजना (2002-07)	52023	48510	8021	56532	-4509
2002-03	34547	23609	10400	34009	538
2003-04	39274	26954	3541	30495	8779
2004-05	37771	12641	2844	15485	22286
2005-06	54069	74649	10417	85066	-30997
2006-07	94453	104698	12905	117603	-23150
XI वीं योजना (2007-12)					
2007-08	124033	50914	25707	76621	47412

राजकोषीय घाटा तथा ऋण धारिता

6.18 राजकोषीय धारिता के संदर्भ में बा.वि.आ. ने महसूस किया कि ऋण धारिता के मामले को ऋण तथा राजकोषीय कमी में मेल हेतु देखे जाने की भी आवश्यकता थी क्योंकि यदि राजकोषीय घाटे ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसका परिणाम ऋण-स.घ.उ. अनुपात में स्व-परिरक्षित उभार में होता है तो ऋण अस्थिर हो जाएगा। एक धारणीय ऋण-घाटा संयोजन, ऋण-स.घ.उ. अनुपात तथा प्राथमिक व्यय के अनुज्ञेय स्तर के साथ संगत राजकोषीय स.घ.उ. अनुपात की पदावली में स्थिर होगा। इसलिए संबंधित मुद्दा राजकोषीय घाटे के उस स्तर को निर्धारित करने का है जो ऋण-स.घ.उ. अनुपात को स्थिर करेगा और उसी के साथ वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकेगा। अपने नियमों तथा परवर्ती संशोधनों के साथ पठित, रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003, 2008-09 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे का 3 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य का विनिर्देशित करता है। 7 प्रतिशत ब्याज दर तथा 12 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि दर के संयोजन हेतु राजकोषीय घाटे के इस कमी का लक्ष्य को देखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने लोक वित्त पुनःसंरचना हेतु सुझाए गए कार्यक्रम में अनुशंसा की कि प्राथमिक घाटा स.घ.उ. के 1.25 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। बा.वि.आ. ने आगे अनुमान लगाया कि एक बार समायोजन अवस्था बीत जाए तथा केन्द्र की राजकोषीय कमी 3 प्रतिशत तक नियंत्रित हो जाए तो 2008-09 तक संघ का ऋण-सं.घ.उ. अनुपात स.घ.उ. के 44 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।

6.19 वर्तमान में संघ का ऋण-सं.घ.उ. अनुपात ऐतिहासिक दरों पर मापे गए बाह्य ऋण के साथ तथा रा.ल.ब.नि. देयताओं जिनके विरुद्ध वहां राज्य प्रतिभूतियों के रूप में परिसम्पत्तियां तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (बा.स्थि.यो.) देयताएं हैं जिनके प्रति

भा.रि.बैं. के पास बराबर नकद धनराशि रखी जाती है, को अलग करने के उपरान्त 53 प्रतिशत के निकट है। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति ने प्रकट किया कि 2003-04 में 2.94 प्रतिशत की तीव्र गिरावट प्रदर्शित करने के उपरान्त इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। इसी प्रकार, स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटा में 2004-05 के दौरान 2.50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के उपरान्त 2006-07 में उसमें 3.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तथापि, घाटा सूचकों में चालू वर्ष के दौरान परिवर्तन आया और 2007-08 के लिए संघीय वित्तीय लेखे के अनुसार स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय एवं राजस्व घाटे क्रमशः 3.50 एवं 1.81 प्रतिशत तक कम हुए। तथापि राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तर क्रमशः 0.31 एवं 0.20 प्रतिशतता अंकों से उनके बजट अनुमानों से कम थे। घाटा सूचकों में विसर्पण के बावजूद भी 2007-08 के दौरान राजकोषीय सुधार, रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुबद्ध राजकोषीय एवं राजस्व घाटे हेतु क्रमशः 0.3 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत (स.घ.उ. के सापेक्ष) की न्यूनतम कटौतियों से अधिक था। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखे ने गैर-ऋण प्राप्तियों के अधीन गैर-ब्याज व्यय की धारणीयता को प्रदर्शित करते हुए 2006-07 में 28654 करोड़ रु. के भारी घाटे से 15025 करोड़ रु. (तथापि जो स.घ.उ. का केवल 0.32 प्रतिशत था) के प्राथमिक अधिशेष को प्रदर्शित किया। यद्यपि 2007-08 के दौरान लोक वित्त का प्रबन्धन रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के अन्तर्गत राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के अनुसार था लेकिन राजस्व व्यय - गहन कार्यक्रमों एवं योजनाओं, विशेषतौर पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ पर, के पक्ष में योजना प्राथमिकताओं में सचेतन परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तथा लघु अवधि में गैर-योजनागत प्रतिबद्ध-राजस्व व्यय की धारणीयता में पद्धतिपूर्ण दृढ़ता को पहचानते हुए, राजस्व घाटा संबंधी लक्ष्यों को 2009-10 तक इनके विलोपन हेतु कार्यक्रम परिवर्तित किए गए थे जबकि वे जो राजकोषीय घाटे से संबंधित थे, अधिनियम में अधिदेश के अनुसार प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित किए गए थे।

रोकड़ प्रबंधन

6.20 संघ सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 1994 में एक अनुबन्ध होने के साथ ही 1997 में बजट घाटे की स्वचालित मुद्रीकरण की एक पद्धति को क्रमबद्ध किया गया था। अप्रैल 1997 से लागू अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार के लिए उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रवर्तन में भागीदारी से भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे हटने के साथ ही 2006-07 से अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) व्यवस्थाओं को संशोधित कर दिया गया था। रा.उ.ब.प्र. प्रावधानों द्वारा अनिवार्य पारगमन को सुसाध्य बनाने हेतु संशोधित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 2006-07 हेतु सीमा को त्रैमासिक आधार पर नियत

किया गया था। तदनुसार 2006-07 हेतु अ.अ. सीमा प्रथम तथा द्वितीय तिमाही हेतु क्रमशः 20000 करोड़ रु तथा 10000 करोड़ रु तथा तीसरी एवं चौथी तिमाही हेतु प्रत्येक के लिए 6000 करोड़ रु तय की। तथापि, रिजर्व बैंक ने संक्रमण काल के मुद्दों एवं मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से सीमाओं को संशोधित करने के लिए लचीलेपन को बनाए रखा। 2007-08 के लिए केन्द्र सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की सीमा पहले अर्ध वर्ष (अप्रैल-सितम्बर) के लिए 20,000 करोड़ रु तथा आखिरी अर्ध वर्ष (अक्तूबर-मार्च) के लिए 6000 करोड़ रु नियत की गई, जिसके द्वारा अर्ध वार्षिक आधार पर, जो 2006-07 के पूर्व मौजूद था, सीमाओं को नियत करने के अभ्यास को जारी रखा। अ.अ. पर ब्याज दर, रेपो दर पर तथा ओवरड्राफ्ट पर रेपो दर एवं दो प्रतिशतता अंक पर जारी रहा।

6.21 2007-08 के दौरान, संघ सरकार की परिसमापन स्थिति सामान्य रूप से अच्छी रही यद्यपि वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान तथा जुलाई 2007 में कुछ दबाव थे। केन्द्र के अधिशेष नकदी शेष की, जो मार्च 2007 के अन्त तक 50092 करोड़ रु हो गई थीं, केन्द्र द्वारा प्रत्याशित खर्च से अधिक को पूरा करने के लिए निकाला गया था। 2007-08 के पहले चार महीने के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्यय के बीच अत्यधिक बेमेलता के परिणामस्वरूप उधारी आवश्यकताओं में तीव्र वृद्धि से, केन्द्र सरकार ने, 12305 करोड़ रु के उच्चतम ओवरड्राफ्ट के साथ अ.अ. एवं तीन अवसरों पर ओवर ड्राफ्ट का सहारा लिया। भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) में रिजर्व बैंक के अंश का केन्द्र सरकार की प्राप्ति से पूर्व जून 2007 में अधिशेष जमा हुआ था जिसे इस खर्च को पूरा करने के लिए महीने के अंत तक प्रयुक्त किया गया था और केन्द्र सरकार ने अ.अ. को लौटा दिये। 9 अगस्त 2007 को रिजर्व बैंक से अधिशेष के हस्तांतरण के साथ केन्द्र सरकार ने अधिशेष रोकड़ शेष रूप की जांच की और इसके पश्चात, 27 मार्च, 2008 को 104741 करोड़ रु के उच्चतम को छूते हुए इसी प्रकार बनाए रखा। वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2007 को अन्त शेष 229633 करोड़ रु परिवर्तित हो गया। केन्द्र सरकार ने 2006-07 के दौरान 39 दिनों की तुलना में 2007-08 के दौरान कुल 91 दिनों के लिए अ.अ. का लाभ उठाया। केन्द्र सरकार ने 37 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट का भी सहारा लिया। संघ सरकार द्वारा 1999-2000 से प्राप्त किए गए अ.अ. में विवरण तालिका 6.8 में दर्शाए गए हैं जो प्रकट करते हैं कि वर्ष 2002-03 के पश्चात कोई अ.अ. बकाया नहीं थे (तालिका 6.8)।

तालिका 6.8: अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
1999-00	3042	124972	127032	982
2000-01	982	131300	126887	5395
2001-02	5395	170953	171172	5176
2002-03	5176	118961	124137	शून्य

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
2003-04	शून्य	96615	96615	शून्य
2004-05	शून्य	62080	62080	शून्य
2005-06	शून्य	1134	1134	शून्य
2006-07	शून्य	25226	25226	शून्य
2007-08	शून्य	110007	110007	शून्य

अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

6.22 31 मार्च 2008 को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता 78037 करोड़ रु. थी। अप्रयुक्त बाह्य सहायता का क्षेत्र-वार विवरण **परिशिष्ट-VI-ख** में दिया गया है तथा नीचे तालिका 6.9 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनआहरित शेष दर्शाती है। क्षेत्रवार विवरण प्रकट करते हैं कि अप्रयुक्त बाह्य सहायता का 35 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग 2007-08 के दौरान शहरी विकास तथा मार्ग क्षेत्र से संबंधित है तथा 2007-08 के दौरान अनआहरित वास्तविक राशि 27300 करोड़ रु. से अधिक रही थी। ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा ने 2006-07 के दौरान पहली बार 6429 करोड़ रु. की अप्रयुक्त सहायता दर्शाई जो 2007-08 के दौरान 4995 करोड़ रु. तक कम हो गई। कृषि पर्यावरण तथा वानिकी, विद्युत, जल आपूर्ति तथा साफ-सफाई तथा जल संसाधन जैसे क्षेत्र चालू वर्ष के दौरान 23428 करोड़ रु. धनराशि की बाह्य सहायता की निकासी करने में असमर्थ रहे जो 2007-08 के दौरान कुल अनआहरित शेष का लगभग 30 प्रतिशत है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र, इस तथ्य के बावजूद कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है, भी 4815 करोड़ रु. की विभिन्न परियोजनाओं हेतु वचनबद्ध बाह्य सहायता का प्रयोग नहीं कर सका। चूंकि बाह्य सहायता मूल्यवान है तथा वचनबद्ध प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है, इन क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध निधियों का उपयोग न करने में सामना की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए पहल की जाने की आवश्यकता है।

तालिका 6.9: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
2000-01	56920
2001-02	62565
2002-03	67361
2003-04	64517
2004-05	68430
2005-06	63067
2006-07	75935
2007-08	78037

6.23 अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। क्योंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 6.10, 2000-2008 के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसका परिणाम 2007-08 में 124.54 करोड़ रु. के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

तालिका 6.10: वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	फ्रांस	जर्मनी	अ.पु.वि.बैं.	जोड़
2000-01	13.52	0.27	0.19	26.25	40.23
2001-02	12.84	0.22	0.76	34.64	48.46
2002-03	26.45	0.19	0.95	39.60	67.19
2003-04	38.23	0.02	8.99	45.91*	93.15
2004-05	45.10	शून्य	2.07	117.94*	165.11
2005-06	53.42	0.0	1.86	92.89*	148.17
2006-07	59.56	0.0	1.93	79.02	140.51
2007-08	62.55	0.0	1.72	60.27	124.54

स्रोत: नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा

* अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता सहायता सम्मिलित है।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

6.24 संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका, विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ लम्बी अवधि की परिपक्वता, निवेश के स्वरूप की विशेषता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। जहां गारंटियां रूढ़िगत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता; इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और इसके आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसर्जेंट इण्डिया बॉन्ड्स और इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स के लिए उपलब्ध विनिमय जोखिम गारंटियों में, सरकारी प्राप्तियों से पर्याप्त वित्तीय व्यय हुआ था। तालिका 6.11, 1999-2000 से 2007-08 तक के, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 6.11: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष के अंत में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	स्तम्भ (4) से स्तम्भ (3) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999-2000	144438	83954	47663	56.77
2000-01	135678	86862	55664	64.08
2001-02	168712	96859	57006	58.85
2002-03	174487	90617	51097	56.39
2003-04	184420	87780	50328	57.33
2004-05	132728	107957	48276	44.72
2005-06	118560	110626	47358	42.81
2006-07	114671	109826	46340	42.19
2007-08	114001	104872	46459	44.30

6.25 कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.उ. का 2.22 प्रतिशत थी तथा संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 16.15 प्रतिशत थी। तथापि, ये गारंटियाँ अनिर्णीत पेंशन भुगतानों के रूप में अस्पष्ट आकस्मिक देयताओं की राशि को शामिल नहीं करती हैं।

अध्याय 7

विनियोग लेखे 2007-08: प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान

7.1 लोकसभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें पारित होने के तत्काल पश्चात्, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

7.2 नियंत्रक महालेखा (नि.म.ले.) सिविल मंत्रालयों के 97 अनुदानों और विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार अलग-अलग विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2007-08 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न प्रकार था:

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	97
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग :	120

7.3 इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अवास्तविक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल विभागों, डाक तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। तथापि रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2007-08 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

सारांश

7.4 तालिका 7.1 वर्ष 2007-08 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत-दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **परिशिष्ट-VII-क** सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 7.1: 2007-08 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

विभाग	(करोड़ रुपयों में)		
	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत
सिविल	2445865	2338093	107772
डाक	7524	7363	161
रक्षा सेवाएं	99868	95094	4774
कुल योग	2553257	2440550	112707

7.5 सिविल विभागों के अंतर्गत, 107772 करोड़ रु. का निवल आधिक्य 3 अनुदानों एवं 1 विनियोग के अंतर्गत 100 करोड़ रु. के अधिक व्यय तथा सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबन्धित 107872 करोड़ रु. के अव्ययित प्रावधान के कारण था। 100 करोड़ रु. के समग्र आधिक्य व्यय में से 98 करोड़ रु. अनुदान सं. 39- पेंशन के अंतर्गत प्रत्याशित से अधिक पेंशन के भुगतान के कारण था। 107872 करोड़ रु. के समग्र अव्ययित प्रावधान में अनुदान सं. 37-ऋणों का पुनर्भुगतान {पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड} में 70109 करोड़ रु., अनुदान सं. 33-वित्तीय संस्थानों को भुगतान में 3710 करोड़ रु., अनुदान सं. 35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण {राजस्व (प्रभारित) खण्ड} में 3748 करोड़ रु., अनुदान सं. 56-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 2668 करोड़ रु. तथा अनुदान सं. 57-उच्चतर शिक्षा विभाग {राजस्व (दत्तमत) खण्ड} में 2952 करोड़ रु. की बचतें थीं। इसके अलावा सकल अव्ययित प्रावधान 24685 करोड़ रु. था।

7.6 सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 205 अनुभागों में निवल अव्ययित प्रावधान और 4 अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के 3 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और 1 अनुभाग में आधिक्य और रक्षा मंत्रालय के 11 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और 1 अनुभाग में आधिक्य थे। **परिशिष्ट-VII-ख** विवरणों के सार को दर्शाता है।

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

7.7 **परिशिष्ट-VII-ग** में वर्ष 1996-2008 के लिए सिविल मंत्रालयों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों, दौरान, सिविल मंत्रालयों के लिए कुल संवितरणों का 70 से 81 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित था।

7.8 2007-08 के दौरान सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत कुल संवितरण 2338093 करोड़ रु. के थे जो 2006-2007 के दौरान 2086198 करोड़ रु. के कुल संवितरण से 251895 करोड़ रु. अधिक थे। यह 1996-97 में 376671 करोड़ रु. से 520 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रभारित संवितरण 1996-97 में 280355 करोड़ रु. से 549 प्रतिशत तक बढ़ कर 2007-08 में 1818879 करोड़ रु. थे तथा दत्तमत संवितरण उसी अवधि में 96316 करोड़ रु. से 439 प्रतिशत तक बढ़ कर 519214 करोड़ रु. तक हो गए थे। 2007-08 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः, ब्याज भुगतानों (179987 करोड़ रु. जो 2006-07 के लिए 154280 करोड़ रु. से सत्तरह प्रतिशत अधिक था), ऋणों की अदायगी (1604110 करोड़ रु.) के कारण तथा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र को अंतरण (26339 करोड़ रु.), संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों, ब्लाक अनुदानों, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण आदि के कारण था तथा कुल संवितरणों का 78 प्रतिशत बनता था।

7.9 चूंकि प्रभारित संवितरणों के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 22 प्रतिशत तक ही सीमित हो जाता है। तथापि, भा.स.नि. से कुल संवितरण (सकल 2440551 करोड़ रु.) की पृष्ठभूमि में देखने पर प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 75 प्रतिशत (1818914 करोड़ रु.) थी (डाक तथा रक्षा सेवाओं को सम्मिलित करके परन्तु रेलवे को छोड़कर)।

संवितरण

7.10 **परिशिष्ट-VII-घ** में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को दिए गए सहायता अनुदानों, पूंजीगत परिव्यय और निवेश पर संवितरण का मुख्य भाग 2008 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ही जारी किया गया

था। चूंकि मार्च में विभिन्न संगठनों को जारी की गई निधियां वर्ष, जो उसी महीने/ तिमाही के अंतिम दिन बन्द हो जाता है, के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इन निधियों का उन्हीं प्रयोजनों, जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थी, हेतु उपयोग किया गया था।

अध्याय 8

विनियोग लेखे 2007-08: एक विश्लेषण

अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक संवितरण

8.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, आहरित नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 8.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2007-08 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में अनुदानों/विनियोगों के चार खण्डों में 1713232402 रु. (अर्थात् 171.32 करोड़ रु.) तथा रक्षा में अनुदान के एक खंड में 711878075 रु. (अर्थात् 71.19 करोड़ रु.) का अधिक संवितरण था। इनका विस्तृत विवरण तालिका 8.2 में दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 8.1: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

		(रुपयों में)		
		सिविल	रक्षा	डाक
दत्तमत	राजस्व	982837948	711878075	-
	पूंजीगत	17964968	-	-
प्रभारित	राजस्व	-	-	-
	पूंजीगत	551411	-	-
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		4	1	-
कुल आधिक्य		1001354327	711878075	-

तालिका 8.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण का विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारण	
सिविल:				
राजस्व (प्रभारित)				
1.	39-पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य	8595400000 86927760536 982360536	प्रत्याशित से अधिक दावों की प्राप्ति के कारण।
2.	95- चण्डीगढ़	अनुदान व्यय आधिक्य	12839200000 12839677412 477412	चालू निर्माण कार्यों, लिंक सड़कों, बस स्टाप आदि हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण।
पूँजीगत (दत्तमत्त)				
3.	59- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	विनियोग व्यय आधिक्य	7569800000 7587764968 17964968	पुनर्विनियोजन के प्रत्यावर्तन के कारण।
पूँजीगत (प्रभारित)				
4.	99- शहरी विकास विभाग	विनियोग व्यय आधिक्य	402000000 402551411 551411	विवाचक के आदेशों, जो ब्याज वहन करने वाले थे, के कारण प्रतिबद्ध देयता के कारण आधिक्य था।
रक्षा:				
राजस्व (दत्तमत्त)				
5.	22- रक्षा सेवाएं - थल सेना	अनुदान व्यय आधिक्य	354101000000 354812878075 711878075	दै.भ. एवं भत्तों की बड़े भुगतान, चारे की कीमतों में वृद्धि, मुख्य कार्यों, पट्टा किराया तथा आयुद्ध डिपो से प्रापण तथा पिछले वर्ष की देयताओं का भुगतान।

8.2 रेलवे के अधिक संवितरणों के विवरण तथा अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंधित वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं।

उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

8.3 भुगतान एवं लेखा अधिकारी किसी उप-शीर्ष अथवा प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक भुगतान के केवल अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश इत्यादि जारी करने पर प्रदान की जाएगी। यद्यपि, 2007-08 वर्ष के शीर्ष-वार विनियोग लेखों से यह देखा गया कि 23 अनुदानों तथा विनियोगों (सिविल डाक एवं रक्षा सेवाएं) के 59 मामलों में यद्यपि संबंधित उपशीर्षों में

उपलब्ध प्रावधानों से 3244.29 करोड़ रूपए का अधिक व्यय किया गया, संबंधित अनुदान/विनियोग का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी ने व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाते हैं। अधिक व्यय वाले उप-शीर्ष (एक करोड़ और इससे अधिक) **परिशिष्ट VIII-क** में सूचीबद्ध हैं।

100 करोड़ रु. अथवा अधिक के अव्ययित प्रावधान

8.4 एक अनुदान अथवा विनियोग में अव्ययित प्रावधान या तो खराब बजटीय अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान 47 अनुदानों (सिविल, डाक एवं रक्षा सहित) के 60 मामलों में 100 करोड़ रु. से अधिक के अव्ययित प्रावधान हुए, जिनकी लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक अव्ययित प्रावधान ऋणों का पुनर्भुगतान, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण, वित्तीय संस्थानों को भुगतान, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, पुलिस, राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं, पंचायती राज मंत्रालय तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय आदि जैसे क्षेत्रों में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में असफल होना बताया गया था। **परिशिष्ट-VIII-ख** अव्ययित प्रावधानों के ब्यौरे दर्शाता है।

8.5 इसके अतिरिक्त छः पूंजीगत खण्डों सहित 20 अनुदानों/विनियोजनों के 24 अनुभागों में पिछले तीन वर्षों (2005-08) के दौरान 100 करोड़ रु तथा अधिक की निरन्तर बचतें थी जैसा **परिशिष्ट VIII-ग** में दिया गया है। निरन्तर बचतों वाले अनुदान के पूंजीगत खण्ड रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (10105 करोड़ रु.), नाभिकीय शक्ति योजनाएं (2968 करोड़ रु.), ऊर्जा मंत्रालय (2930 करोड़ रु.), राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (2351 करोड़ रु.), पुलिस (2134 करोड़ रु.) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (921 करोड़ रु.) थे।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.6 सा.वि.नि. 56 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से अव्ययित प्रावधान का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2007-08 के दौरान, सिविल मंत्रालयों के 97 अनुदानों/विनियोगों के 205 खण्डों के अंतर्गत 107871.76 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था। यह तीन अनुदानों तथा एक विनियोगों के चार खण्डों के अंतर्गत 100.14 करोड़ रु. के आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका

परिणाम 107771.62 करोड़ रु. की निवल बचत में हुआ। अभ्यर्पित की गई राशियां तालिका 8.3 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 8.3: अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पण का विवरण

(करोड़ रुपयों में)				
	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व				
दत्तमत	20945.54	17464.63	16787.73	3480.91
प्रभारित	4729.27	3905.35	3905.35	823.92
कुल : राजस्व	25674.81	21369.98	20693.08	4304.83
पूंजीगत				
दत्तमत	11055.45	10493.29	8822.53	562.16
प्रभारित	71141.50	28.55	23.14	71112.95
कुल : पूंजीगत	82196.95	10521.84	8845.67	71675.11
सकल योग	107871.76	31891.82	29538.75	75979.94

8.7 खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग, गृह मंत्रालय का अन्य व्यय, गृह मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत अभ्यर्पित की गई राशि अव्ययित प्रावधानों से अधिक थी। विवरण **परिशिष्ट-VIII-घ** में दिए गए हैं।

निधियों का पुनर्विनियोग

8.8 संवितरण के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उपशीर्षों अथवा मानक विषयों शीर्षों में वितरित किया जाता है जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले सक्षम अधिशासी प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान अथवा विनियोग के भीतर प्राथमिक इकाइयों के बीच जिसके साथ ऐसी अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्धित है, का पुनर्विनियोजन अनुमोदित कर सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा अथवा अव्ययित प्रावधान को पुनर्विनियोजन की इकाई में प्रभावी किया जा सकता है।

8.9 2007-08 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों के संदर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि संसद द्वारा प्राधिकृत मूल प्रयोजन/कार्यकलाप को विफल करते हुए विभिन्न प्राथमिक इकाइयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किए गए थे। कुछ मामले जहाँ पर निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किये गये थे, ऋण की

अदायगी (49825 करोड़ रु), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (9519 करोड़ रु), कृषि एवं सहकारिता विभाग (1495 करोड़ रु), विदेश मंत्रालय (820 करोड़ रु), उच्चतर शिक्षा विभाग (753 करोड़ रु), ऊर्जा मंत्रालय (1106 करोड़ रु), वित्तीय संस्थानों को भुगतान (1454 करोड़ रु), ग्रामीण विकास विभाग (4329 करोड़ रु), ब्याज भुगतान (5747 करोड़ रु), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण (4034 करोड़ रु), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (2321 करोड़ रु), उर्वरक विभाग (1288 करोड़ रु), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग (1242 करोड़ रु), पुलिस (902 करोड़ रु), पेयजल आपूर्ति (857 करोड़ रु), रक्षा सेवाएं-थल सेना (870 करोड़ रु) तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (3000 करोड़ रु) में थे।

उप-शीर्षों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.10 लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 13 अनुदानों/विनियोगों के 22 मामलों में, कुल 430.76 करोड़ रु. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तर्गत की गई थी उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। एक करोड़ रु. से अधिक के कुछ मामले **परिशिष्ट-VIII-ड** में दिए गए हैं। परिणामतः उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.11 सात अनुदानों/विनियोगों के आठ उप-शीर्षों, जैसा कि **परिशिष्ट-VIII-च** में दर्शाया गया है, में कुल 344.25 करोड़ रु के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन थे जहां प्रत्येक मामले के अन्तर्गत अन्तिम संवितरण पुनर्विनियोजन से पहले मूल प्रावधान की अपेक्षा अधिक थे। प्रत्येक में इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन के पश्चात अन्तिम प्रावधान की तुलना में आधिक्य पुनर्विनियोजित राशियों से अधिक था।

अनियमित पुनर्विनियोग

8.12 वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोग आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा पांच करोड़ रु. जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैठ के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैठ के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोग आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अवर सचिव, व्यय विभाग, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

8.13 सभी पुनर्विनियोग जिनका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत पांच करोड़ रु. अथवा अधिक से बजट प्रावधान बढ़ाने में प्रभाव पड़ता हो, सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन से ही किए जाने चाहिए, चाहे पुनर्विनियोजित राशि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित

पुनर्विनियोग नियंत्रण की सीमा प्रावधान के 25 प्रतिशत के भीतर हो। तालिका 8.4 में उल्लिखित मामलों में, पांच करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्विनियोग के लिए न तो मामलों को संसद में सूचित किया गया और न ही सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया था।

तालिका 8.4: मामले, जिनमें पुनर्विनियोग के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	पुनर्विनियोजित राशि
1.	52 - पुलिस	3601 - राज्य सरकार को सहायता अनुदान	3601.01.117.01- बटालियनों के परिनियोजन हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति	मू.: 10.00 पु.: 6.00
2.	-वही-	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	4055.00.800.03- भारत-बंगलादेश सीमा कार्य	मू.: 570.97 पु.: 22.41
3.	-वही-	-वही-	4055.00.202.01-कार्यालय भवन	मू.: 60.00 पु.: 25.00
4.	-वही-	-वही-	4055.00.202.02- आवासीय भवन	मू.: 100.80 पु.: 46.00
5.	-वही-	-वही-	4055.00213.01-कार्यालय भवन	मू.: 45.00 पु.: 38.50
6.	-वही-	-वही-	4055.00.213.02-आवासीय भवन	मू.: 15.00 पु.: 24.90
7.	-वही-	-वही-	4055.00.800.04-भारत-पाक सीमा कार्य	मू.: 35.13 पु.: 32.40

मू. = मूल प्रावधान

पु. = पुनर्विनियोजन

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.14 2001-2002 से आगे सिविल मन्त्रालयों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति परिशिष्ट-VIII-छ में दी गई है। 25 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 25 मामलों में, जिनके ब्यौरे तालिका 8.5 में दिए गए हैं, जबकि अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में 2007-08 के दौरान 65887.93 करोड़ रु. प्राप्त किये थे, अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान की कुल राशि अनावश्यक रूप से त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को इंगित कर रही थी।

तालिका 8.5: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
सिविल					
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	14 – दूरसंचार विभाग	5445.00	377.01	4788.22	1033.79
2.	19 – संस्कृति मंत्रालय	882.61	115.00	850.52	147.09
3.	20 – रक्षा मंत्रालय	6865.08	229.79	6842.77	252.10
4.	43 – अप्रत्यक्ष कर	1689.80	59.70	1636.08	113.42
5.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	16270.63	280.54	15083.71	1467.46
6.	50 – गृह मंत्रालय	765.77	28.27	763.42	30.62
7.	56 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	33535.22	49.15	30916.08	2668.29
8.	58 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1391.76	4.94	1363.71	32.99
9.	69 – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	320.88	6.47	306.46	20.89
10.	72 – ऊर्जा मंत्रालय	4883.91	2.27	4309.97	576.21
11.	83- बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	694.70	8.30	636.62	66.38
12.	85- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	12003.90	161.88	11830.16	335.62
13.	86- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	585.41	4.08	486.35	103.14
14.	90- इस्पात मंत्रालय	85.50	4.27	81.04	8.73
राजस्व-प्रभारित					
15.	52- पुलिस	2.94	0.65	2.78	0.81
16.	62- विनियोग-भारतीय उच्चतम न्यायालय	53.26	3.48	52.93	3.81
17.	93 – जनजातीय कार्य मंत्रालय	1489.29	18.42	1357.18	150.53
पूंजीगत-दत्तमत्त					
18.	28- उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय	154.37	1.76	147.78	8.35
19.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	725.59	51.25	261.66	515.18
20.	48- भारी उद्योग विभाग	628.58	165.79	615.81	178.56
21.	51- कैबिनेट	33.36	0.26	17.02	16.60

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-2008

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
22.	52- पुलिस	4529.81	81.10	2822.24	1788.67
23.	81 -विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	73.90	1.95	72.59	3.26
24.	94 - अण्डमान एवं द्वीप समूह	816.90	1.00	813.93	3.98
पूँजीगत-प्रभारित					
25.	37 - विनियोग- ऋणों का पुनर्भुगतान	1611645.92	64230.60	1604110.47	70108.62
कुल			65887.93		

व्यय का अवास्तविक अनुमान

8.15 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने तालिका 8.6 में दर्शाई गई योजनाओं/गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना संसद को दी परन्तु अन्ततः वे न केवल समस्त अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग, बल्कि कुछ मामलों में मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में असमर्थ रहे।

तालिका 8.6 उप-शीर्षों के अन्तर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाता विवरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य-शीर्ष/ उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
1.	31- विदेश मंत्रालय	2061.00.101.01- प्रबंधन एवं स्थापना	990.01	54.00	966.66	77.35	अमेरिकी डालर के प्रति रुपये की कीमत में मूल्यवृद्धि के कारण मिशनो/केन्द्रों में कम व्यय
2.	-वही-	2061.00.798.01- कामनवैल्य	8.86	0.08	7.50	1.43	अंशदान के कुछ हिस्से में कार्यान्वयन न करने के कारण
3.	-वही-	2061.00.798.02- अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन	21.87	0.03	11.36	10.55	कम आवश्यकताओं के कारण विकास हेतु साउथ निधि तथा लोकोपकारी सहायता एवं सं.रा. की केन्द्रीय सहायता निधि हेतु निधियों का उपयोग न करना
4.	-वही-	2061.00.800.01- सीमाओं का सीमांकन	3.00	1.50	2.39	2.11	भारत-पाकिस्तान सीमा स्तंभों के संयुक्त सर्वेक्षण कार्य की समाप्ति में विलम्ब

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य-शीर्ष/ उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
5.	-वही-	2061.00.800.08-हज पर व्यय	5.55	0.24	4.62	1.17	सउदी अरब को हज सदभावना प्रतिनिधि-मण्डल हेतु चिन्हित निधियों का कम उपयोग
6.	-वही-	2061.00.800.12-विशेष कार्यक्रम	3.46	0.38	1.95	1.89	सेमिनार आयोजनों तथा अध्ययनों एवं द्विपक्षी सलाहकार समूह पर कम व्यय
7.	-वही-	2061.00.800.17-वि.मं. होटल एवं आवासीय परिसर	2.62	0.58	2.19	1.01	वेतन एवं कार्यालय व्ययों पर कम व्यय
8.	42-प्रत्यक्ष कर	2020.00.800.01-विभागीय कैंटीन	4.50	0.40	4.45	0.45	कुछ परियोजनाओं को अंतिम स्म न देना
9.	-वही-	2020.00.101.02-आयकर एवं सम्पत्ति कर मामले हेतु शोधन आयोग	6.64	0.13	5.75	1.01	खाली पदों को न भरने के कारण
10.	-वही-	2020.00.101.04-प्रधान/मुख्य लेखा नियंत्रक का क्षेत्रिय लेखा कार्यालय	18.44	0.30	17.60	11.14	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण
11.	43-अप्रत्यक्ष कर	2037.00.101.01-समुद्री सीमा शुल्क-मुख्य पत्तन	165.68	3.00	158.67	11.53	खाली पदों पर भर्ती न करने तथा किराए पर लिए भवनों के संबंध में किराए के संशोधन को अंतिम स्म न देना
12.	-वही-	2037.00.102.01-समुद्री सीमा शुल्क- मुख्य पत्तन	294.09	8.00	289.43	12.66	कुछ सौंपे गए मामलों, भवनों को किराए पर लेने हेतु प्रस्ताव, कम यात्रा करने आदि को अंतिम रूप न देना
13.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4211.00.800.05-परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंबई	-	2.00	-	2.00	लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा निधियों को अस्वीकृत करने के कारण
14.	-वही-	4211.00.800.06-ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़	-	0.30	-	0.30	योजनागत योजनाओं के अनुमोदन न करने के कारण

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य-शीर्ष/ उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
15.	66-प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	2061.00.800.03-अन्य योजनाएं	18.45	0.01	17.33	113.30	मीडिया अभियान योजना हेतु अभिकरणों से समय पर बिलों की अप्राप्ति

अवास्तविक बजट पूर्वानुमान

8.16 प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र अनुबद्ध करते हैं कि अनुमानों की रूपरेखा तैयार करते समय पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/कार्यान्वयन के स्तर, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वित अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य बाद की अवस्था में परिहार्य अभ्यर्णों हेतु क्षेत्र को न्यूनतम करना है। इसके अतिरिक्त सामान्यता परियोजनाओं/योजनाओं की बजट पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, संसद द्वारा बजट पारित करने तक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर लेनी चाहिए तथा समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए। शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम अन्ततः वर्ष के अन्त में भारी बचतों तथा अभ्यर्ण में हुआ। **परिशिष्ट-VIII-ज** दो करोड़ रू. या अधिक की बचत के ऐसे 456 मामलों का विवरण प्रदान करता है जो बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक बनता है।

अवास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण के कारण भारी अनुपूरक अनुदान

8.17 भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियां विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के संबंध में अनुगामी विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। व्यय के अनुमान तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान वितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा पूर्ण सावधानी बरतना अपेक्षित है ताकि वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अनिवार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान किए जा सकें। वित्त मंत्रालय विचार विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा पश्चात बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देती है। वर्ष 2007-08 के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों ने बड़ी संख्या में मूल प्रावधानों से भी अधिक अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे नीचे दर्शाए गए कुछ मामलों में अनुपूरक अनुदान मूल प्रावधानों के 39 से 10761 प्रतिशत के बीच थे। यह मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा बजट

अनुमानों के वास्तविक आधार पर तैयार नहीं करने तथा वास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण को सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व बैठकों के आयोजन तथा संवीक्षा तंत्र के अभिप्रेत प्रभाव के न होने को दर्शाता था:

तालिका 8.7: अवास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण के कारण भारी अनुपूरक अनुदानों के विवरण दर्शाती विवरणी

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक की प्रतिशतता
1.	01-कृषि एवं सहकारिता विभाग	राजस्व-दत्तमत्त 5650.91	2189.21	39
2.	07-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	पूँजीगत-दत्तमत्त 58.50	25.17	43
3.	08-उर्वरक विभाग	राजस्व-दत्तमत्त 24543.57	19000.00	77
4.	09-लोक उड्डयन मंत्रालय	राजस्व-दत्तमत्त 475.60	680.41	143
5.	11-वाणिज्य विभाग	पूँजीगत-दत्तमत्त 1887.70	1200.04	64
6.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	राजस्व-दत्तमत्त 613.46	435.13	71
7.	-वही-	पूँजीगत - दत्तमत्त शून्य	5.00	100
8.	14-दूरसंचार विभाग	पूँजीगत-दत्तमत्त 195.00	352.00	181
9.	32-आर्थिक कार्य मंत्रालय	पूँजीगत-दत्तमत्त 455.20	6274.39	1378
10.	33-वित्तीय संस्थानों को भुगतान	राजस्व-दत्तमत्त 5723.81	11538.61	202
11.	35-राज्यों एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	पूँजीगत-दत्तमत्त 4286.50	3134.67	73
12.	42-प्रत्यक्ष कर	पूँजीगत-दत्तमत्त 10.47	29.72	284
13.	48- भारी उद्योग विभाग	राजस्व-दत्तमत्त 285.50	575.01	201
14.	59- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	पूँजीगत-दत्तमत्त 6.97	750.01	10761
15.	63- खान मंत्रालय	राजस्व-		

क्र. सं.	अनुदान सं.	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक की प्रतिशतता
		दत्तमत्त 334.17	600.34	180
16.	70- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व- दत्तमत्त 2867.81	20583.03	718
17.	91- कपड़ा मंत्रालय	राजस्व- दत्तमत्त 2811.20	1963.71	70
18.	99- शहरी विकास विभाग	पूँजीगत- दत्तमत्त 1670.00	781.08	47
19.	104- युवा मामलें एवं खेल कूद मंत्रालय	पूँजीगत- दत्तमत्त 26.79	70.21	262

डाक सेवाएं (अनुदान सं.13)

8.18 2007-08 की अवधि के दौरान 5201.104-डाक सेवाओं का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण शीर्ष के अन्तर्गत 232.22 करोड़ रु के बजट आबंटन में से अनुदान के पूंजीगत वर्ग के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गईं। आबंटित राशि में से 141.79 करोड़ रु की राशि को अव्ययित छोड़कर केवल 90.43 करोड़ रु का खर्च किया गया था। 2003-08 के दौरान शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचत का विवरण तालिका 8.8 में दिया गया है।

तालिका 8.8: पूंजीगत (दत्तमत्त) अनुभाग के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान तथा अनुपूरक अनुदान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता
2003-04	129.18	48.16	81.02	63
2004-05	178.75	126.29	52.46	29
2005-06	367.09	268.98	98.11	27
2006-07	385.98	284.73	101.25	26
2007-08	232.22	90.43	141.79	61

8.19 राजस्व (दत्तमत्त) एवं पूंजीगत (दत्तमत्त) अनुभागों में अन्तर्गत बचतों हेतु विभाग द्वारा पूर्व में दिए गए कारण निम्नप्रकार से हैं:

तालिका 8.9: अनुदान में बचतें

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान सं. 13	कुल अनुदान अथवा पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचतें	डाक विभाग द्वारा बताए गए सहायक कारण
राजस्व (दत्तमत्त)	7291.51	7272.55	18.96	वेतन के अंतर्गत कम व्यय, डी.ओ. पी.एल.आई. के प्रेरक बिलों तथा डाक्टर

अनुदान सं. 13	कुल अनुदान अथवा पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचतें	डाक विभाग द्वारा बताए गए सहायक कारण
				निरीक्षण शुल्कों का कम भुगतान, प्रशिक्षण पर कम व्यय तथा समय पर दावों की अप्राप्ति।
पूँजीगत (दत्तमत)	232.22	90.43	141.79	कार्य को प्रत्यक्षित अनुसार पूरा न करना, डी.जी.एस.एवं डी. बिलों की अप्राप्ति/ गैर-समायोजन।
योग	7523.73	7362.98	160.75	-

रक्षा सेवाएँ

8.20 रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने पाँच अनुदानों के दत्तमत भाग के अन्तर्गत 2005-08 के वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधान की निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जिसका विवरण तालिका 8.10 में दिया गया है।

तालिका 8.10 : निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	अव्ययित राशि के लिए विनियोग लेखाओं में दिये गये कारण
22- रक्षा सेवाएँ - थल सेना				
109- निरीक्षण संगठन	13.27	15.86	22.02	प्रमाणन तथा उ.स.भ. में कम प्रवृष्टियाँ, डी.जी. क्यू.ए. के स्वचलन में विलम्ब, सी.जी.डी.ए. द्वारा पूर्व आयुद्ध कारखानों से मदों का आहरण तथा कम व्यय दर्ज करना
800- अन्य व्यय	31.20	19.06	52.68	अनुदान का कम जारी करना, एडवेंचर विंग्स प्रस्तावों के भौतिकीकरण में फिसलन, निपटान में प्रक्रियात्मक विलम्ब
23- रक्षा सेवाएँ - नौसेना				
104- सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	15.25	32.94	11.90	चिकित्सा प्रभारों, वेतन एवं भत्ते, अवकाश यात्रा रियायत दावों, खाली पदों को न भरना तथा व्यय की वास्तविक दर्ज के गैर समापन पर कम व्यय,
24- रक्षा सेवाएँ - वायु सेना				
105- परिवहन	16.49	21.52	19.97	स्वीकृतियों, कड़े आर्थिक उपाय, संविदात्मक वचनबद्धताओं का गैर भौतिकीकरण, रेलवे वारंटों का दर्ज न करना इत्यादि के जारी करने में विलम्ब
25- रक्षा आयुध कारखाने				
110- भण्डार	26.55	18.43	82.02	स्थानीय के साथ-साथ विदेशी आपूर्तियों/खरीदों पर गैर भौतिकीकरण/कम

(करोड़ रूपए में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	अव्ययित राशि के लिए विनियोग लेखाओं में दिये गये कारण
				व्यय, भा.रि.बै. से भुगतान वाउचरों की प्राप्ति में विलम्ब
800- अन्य व्यय	17.13	19.27	16.84	डेबिट वाउचरों की गैर प्राप्ति, विद्युत पर कम व्यय, जल, डी.ए.वी.पी. तथा विविध व्यय, डेबिट वाउचरों की गैर प्राप्ति आदि
27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
02 – नौसेना				
104 – संयुक्त स्टाफ	12.17	19.41	18.64	प्रक्रियात्मक विलम्ब, विनिमय दर बदलाव, ए.डी.जी. बिलों के प्रति कम बुकिंग, कार्य का गैर समापन तथा अग्रिम भुगतान की गैर प्राप्ति आदि
03 – वायु सेना				
202- निर्माण कार्य	5.42	74.22	88.52	कार्य की धीमी प्रगति, संविदा कार्रवाई में विलम्ब, वायु क्षेत्रों के उन्नयन की धीमी प्रगति तथा एम.ए.पी. परियोजना पर कम व्यय
05 – अनुसंधान एवं विकास संगठन				
052- मशीनरी एवं उपकरण	31.23	72.43	117.25	योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रति निर्धारित वचनबद्धताओं का गैर भौतिकीकरण

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी अव्ययित प्रावधानों की निरन्तर प्रवृत्ति, रक्षा मंत्रालय द्वारा निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने तथा निरन्तर अव्ययित प्रावधानों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी मापदण्ड लेने की विफलता को प्रदर्शित करती है।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.21 अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के अनुसार बचतों को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। 2007-08 के दौरान 4773.87 करोड़ रू. की बचत छः अनुदानों/विनियोगों में 4845.06 करोड़ रू. तथा इस अनुदान के अंतर्गत 71.19 करोड़ रू. के आधिक्य के कारण थी। इसमें से तीन अनुदानों तथा दो विनियोगों के अंतर्गत 4401.20 करोड़ रू. का वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस को अभ्यर्पण किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पणों का विवरण

(करोड़ रूपए में)

अनुदान/विनियोग	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
24- रक्षा सेवाएं - वायु सेना	-	169.10	-	63.45	-	105.65
25- रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	0.65	111.31	0.30	14.05	0.35	97.26
27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	46.48	4417.69	36.17	4287.23	10.31	130.46
कुल योग	47.13	4698.10	36.47	4364.73	10.66	333.37

अध्याय 9

चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान सं.10 - कोयला मंत्रालय

प्रस्तावना

9.1 कोयला मंत्रालय पर कोयला एवं भूरा कोयला संचयों, उच्च कीमत को आवश्यक परियोजनाओं की स्वीकृति और सभी अन्य संबंधित मामलों के संबंध में नीतियां एवं योजनाएं निर्धारित करने हेतु पूर्ण जिम्मेदारी है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, यह मुख्य प्रक्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामतः कोल इंडिया लि. एवं इसके सहायक और नेवली लिगनाईट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाती है। कोल इंडिया लि. और नेवली लिगनाईट कार्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय का आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ सिगरेनी कोलिरिस कंपनी लिमिटेड नाम का संयुक्त उद्यम है। इस कंपनी में आन्ध्र प्रदेश के पास 51 प्रतिशत साम्या और भारत सरकार के पास 49 प्रतिशत साम्या है।

बजट एवं व्यय

9.2 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदानों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 9.1: बजट एवं व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2005-06	292.07	68.00	263.05	67.95	29.02	0.05
2006-07	337.50	30.00	305.50	26.49	32.00	3.51
2007-08	422.00	30.00	322.32	22.95	99.68	7.05

अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

9.3 सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 56(2) प्रावधान करता है कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से प्रकट हुआ की इस नियम के विपरीत मंत्रालय ने प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। 2005-08 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 9.2: अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित नहीं की राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2005-06	29.02	0.05	13.64	0.04	15.38	0.01	31.03.2006
2006-07	32.00	3.51	1.80	3.48	30.20	0.03	31.03.2007
2007-08	99.68	7.05	99.61	7.02	0.07	0.03	31.03.2008

यदि अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होते हुए अभ्यर्पण कर दिया जाता तो अन्य योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों में उनका फलदायक उपयोग किया जा सकता था।

अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण अधिक अनुपूरक अनुदान

9.4 2005-08 अवधि हेतु कोयला मंत्रालय के विनियोजन लेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने अनुपूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त किए जो कि इस अवधि के दौरान वास्तविक बजटीय प्रावधानों से काफी अधिक थे। अनुपूरक अनुदानों की ऐसी अधिक राशियों का आवर्तन अवास्तविक बजटीय प्रदर्शित करता है। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

तालिका 9.3: अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण अधिक अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रूपयों में)

उप-शीर्ष	2005-06		2006-07		2007-08	
	वास्तविक	अनुपूरक	वास्तविक	अनुपूरक	वास्तविक	अनुपूरक
2803.00. 101.01 कोयला मैदान क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के प्रति उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण के प्रति भुगतान	0.01	50.00	0.01	26.93	0.01	22.19
2803.00. 101.03 कोयला एवं कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण के प्रति भुगतान	0.01	50.00	0.01	104.28	0.01	105.00

अन्धाधुन्ध व्यय

9.5 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुन्ध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-2008 की अन्तिम तिमाही में भारी संवितरण किए गए। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 9.4: अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	मार्च में किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के व्यय की प्रतिशतता*	वर्ष के मार्च माह के दौरान व्यय की प्रतिशतता
2005-06	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवा	7.05	6.92	3.50	2.59	50	37
	2230-श्रम एवं रोजगार	26.15	26.15	11.48		44	
	2803-कोयला एवं लिगनाईट	230.03	229.98	141.62	137.05	62	60
	4803-कोयला एवं लिगनाईट पर पूंजीगत परिव्यय	68.00	67.95	56.47	43.09	83	63
2006-07	2230- श्रम एवं रोजगार	26.75	26.75	19.57	7.25	73	27
	2803- कोयला एवं लिगनाईट	272.07	272.07	204.11	203.61	75	75
	4803- कोयला एवं लिगनाईट पर पूंजीगत परिव्यय	26.52	26.49	13.72	5.71	52	22
2007-08	2230- श्रम एवं रोजगार	32.96	32.96	20.44	13.22	62	40
	2803- कोयला एवं लिगनाईट	283.11	283.03	178.80	175.43	63	62
	4803- कोयला एवं लिगनाईट पर पूंजीगत परिव्यय	22.98	22.95	11.20	11.00	49	48

*अन्धाधुन्ध व्यय की प्रतिशतता कुल प्रावधानों के संबंध में है।

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

9.6 लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध मंत्रालय के अधीन इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उत्तरदायी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित लेखापरीक्षा निम्न प्रकार है:-

तालिका 9.5: आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

वर्ष	इकाईयों की कुल संख्या	योजित इकाईयों की संख्या	वास्तव में निरीक्षित इकाईयों की संख्या
2005-06	4	4	2
2006-07	4	4	1
2007-08	4	4	2

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी क्योंकि वर्ष 2005-08 के दौरान योजित इकाईयों की 50 प्रतिशत से कम का निरीक्षण किया गया था।

अनुदान सं. 15 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

प्रस्तावना

9.7 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सू.प्रौ.वि. अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिपादन, कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय नीतियों की समीक्षा हेतु उत्तरदायी है। सिलिकान सुविधा, कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी तथा हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सहित संसाधन प्रक्रियाओं के मानकीकरण से संबंधित सभी नीति मामलों तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों, ज्ञान आधारित उद्यमों के उन्नयन, इन्टरनेट, इ-कामर्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं इलैक्ट्रॉनिक के विकास तथा इसके विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच समन्वयन के मामलों का भी विभाग द्वारा पता लगाया जाता है।

बजट एवं व्यय

9.8 पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 9.6 बजट एवं व्यय

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
2005-06	876.80	91.00	825.23	90.90	51.57	0.10
2006-07	1025.01	105.40	990.62	101.07	34.39	4.33
2007-08	1457.02	79.00	1218.40	76.86	238.62	2.14

अनियमित पुनर्विनियोग

9.9 वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोजन आदेश जिसके एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा पांच करोड़ रु., जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोजन आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अपर सचिव, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

वर्ष 2005-08 के विनियोजन लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने उपरोकथित निर्देशों के विपरीत निधियों का उप-शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 9.7: अनियमित पुनर्विनियोग

वर्ष	उप-शीर्ष	पुनर्विनियोजन की राशि	
		राजस्व	राजस्व
2005-06	3451.00.090.55- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	13.00	-
	2852.07.202.60- इलेक्ट्रॉनिक्स अधिशासन	34.00	-
	5475.00.800.07- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	-	13.00
2006-07	2852.07.202.60- इलेक्ट्रॉनिक्स अधिशासन	57.45	-
	3451.00.090.55- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	11.75	-
	2852.07.202.02- सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विकास	11.00	-
	5475.00.800.07- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	-	14.00
2007-08	3451.00.090.55- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	37.00	-
	2852.07.202.02- सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विकास/अभिकरण एवं सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम	5.00	-

वर्ष	उप-शीर्ष	पुनर्विनियोजन की राशि	
		राजस्व	राजस्व
	2852.07.202.07- साफ्टवेयर निर्यात हेतु मानवशक्ति विकास/मानवशक्ति विकास (इन्फो सुरक्षा शिक्षण, वी.एल.एस.आई. डिजाइन, आर.आई.ई.एल.आई.टी., इन्टरनेट शासन हेतु विशेष श्रमशक्ति सहित)	17.15	-
	2852.07.202.23- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक एवं सामग्री विकास कार्यक्रम/घटक एवं सामग्री विकास कार्यक्रम	5.00	-
	2852.07.202.70- जन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (टेलीमेडीसिन, लिंग, अ.जा./अ.ज.जा.), जन हेतु सू.प्रौ. (लिंग, अ.जा./अ.ज.जा.)	10.00	-
	3453.00.800.18- विभागीय रूप से किया गया व्यय	10.00	-

तथापि, अभिलेखों में यह प्रदर्शित करने हेतु कि सचिव, व्यय विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया था तथा इस संबंध में मामला उपरोक्त कथित उप-शीर्षों के अंतर्गत किए पुनर्विनियोजन के संबंध में संसद को प्रस्तुत किया गया था कुछ नहीं था।

उप-शीर्ष को निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

9.10 निम्नलिखित उप-शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्रावधान को पर्याप्त से अधिक पाया गया था। फलस्वरूप, उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है;

तालिका 9.8: उप-शीर्ष को निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल (मू.) पुनर्विनियोजित (पु.)		वास्तविक व्यय	बचतें
2006-07	2852.07.202.70- जन हेतु संचार प्रौद्योगिकी (नागरिक पोर्टल, लिंग, अ.जा./अ.ज.जा. सहित)	मू. पु.	14.00 1.50	13.84	1.66
2007-08	2852.07.202.65-सूचना प्रौद्योगिकी बिल/प्रमाणन एवं नेटवर्क सुरक्षा/साईबर सुरक्षा (सी.ई.आर.टी.- इन, सू.प्रौ. अधिनियम सहित)	मू. पु.	26.00 1.55	19.97	7.58

वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

9.11 सामान्य वित्त नियमावली का नियम 56(2) प्रावधान करता था कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी

आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इसके विपरीत विभाग ने प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-08 के दौरान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राजस्व एवं पूंजीगत भाग के अंतर्गत बड़ी राशियाँ अभ्यर्पित नहीं की गयी थीं जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया है:

तालिका 9.9: वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2005-06	51.57	0.10	49.30	-	2.27	0.10	21 मार्च 2006
2006-07	34.39	4.33	8.05	-	26.34	4.33	23/24 मार्च 2007 [*]
2007-08	238.62	2.14	215.95	-	22.67	2.14	28 मार्च 2008

* 8.05 करोड़ रु में से 7.05 करोड़ रु 23/24 मार्च 2007 को तथा 0.65 करोड़ रु 30 नवम्बर 2006 एवं 0.35 करोड़ रु 31 जनवरी 2007 को अभ्यर्पित किये गये थे।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

9.12 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय मंत्रालय/विभाग को उपलब्ध या वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा निधियों की अतिरिक्त बजट आवश्यकता के पूर्व अनुमान के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। केवल अपवादात्मक एवं अत्यावश्यक मामलों में ही अनुपूरक मांगों का सहारा लेना चाहिए।

तथापि 2006-07 के दौरान उप-शीर्ष 4859.02.200.01 - भूमि एवं भवन के अंतर्गत विभाग ने उच्चतम व्यय की प्रत्याशा में 3.00 करोड़ रु. का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था फिर भी इस अनुपूरक अनुदान में से कोई व्यय नहीं किया गया।

मार्च एवं अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

9.13 वित्त मंत्रालय ने अपने 58वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) के पैरा सं. 17.1 में अन्तर्विष्ट लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया में, सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अपने व्यय को बजट राशि के 33 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु अनुदेश जारी किए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्त नियमावली के नियम 56 (3) के अनुसार, अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन करना है तथा इससे बचना चाहिए। तथापि, यह इंगित किया गया कि विभाग ने आदेशों एवं अनुदेशों का पालन नहीं किया तथा वर्ष 2005-08 के मार्च एवं अंतिम तिमाही में अधिक व्यय किए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 9.10: मार्च एवं अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		कुल व्यय		मार्च में व्यय		मार्च में व्यय की प्रतिशतता	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2005-06	876.80	91.00	825.23	90.90	191.45	25.98	22	29
2006-07	1025.01	105.40	990.62	101.07	199.90	37.33	20	35
2007-08	1457.02	79.00	1218.40	76.86	233.10	9.08	16	11

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005-08 के दौरान अंतिम तिमाही के दौरान व्यय राजस्व भाग में 37 प्रतिशत तक तथा पूंजीगत भाग में कुल प्रावधान के 59 प्रतिशत तक था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-08 के दौरान मार्च में व्यय राजस्व भाग में 22 प्रतिशत तक तथा पूंजीगत भाग में कुल व्यय के 35 प्रतिशत तक था जो कि उपरकथित लो.ले.स. की अनुशंसाओं एवं वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के विपरीत था।।

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

9.14 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(1) के अनुसार जिस उद्देश्य के लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया था। उसके लिए उसके वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था/संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह माह के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं। इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उचित रूप से तथा उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ये संस्वीकृत किए गए थे तथा जहां अनुदान कुछ शर्तों के साथ जारी किए गए थे वहां निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई थी। जहां निर्धारित अवधि के अन्दर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, मंत्रालय/विभाग को ऐसे संस्थान को भविष्य में किसी अनुदान, आर्थिक सहायता अथवा अन्य वित्तीय सहायता हेतु काली सूची में डालने की स्वतंत्रता है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 454 मामलों में 31 मार्च 2007 तक जारी 828.59 करोड़ रु. की अनुदान सहायता के लिए अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे जबकि यह विभाग में 31 मार्च 2008 तक प्राप्त किए जाने थे। इनमें से कुछ वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 से संबंधित है जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 9.11: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
2001-02	2	0.11
2002-03	57	55.93
2003-04	51	25.03
2004-05	65	136.01
2005-06	128	194.40
2006-07	151	417.11
योग	454	828.59

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

9.15 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध, मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है तथा मंत्रालय के अधीन इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उत्तरदायी है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आदि शामिल हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि सू. प्रौ. वि. ने वर्ष 2007-08 हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 31 इकाइयों में से 17 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। 14 इकाइयों की लेखापरीक्षा 2005-06 के पश्चात नहीं की गई थी तथा दो इकाइयों की लेखापरीक्षा 2004-05 के पश्चात नहीं की गई थी।

अनुदान सं.57 - उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

बजट एवं व्यय

9.16 उच्चतर शिक्षा विभाग में पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 9.12: बजट एवं व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2005-06	5856.57	0.01	5828.41	शून्य	28.16	0.01
2006-07	7116.05	0.01	6923.67	शून्य	192.38	0.01
2007-08	9208.62	1.00	6256.49	शून्य	2952.13	1.00

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

9.17 वर्ष 2007-08 हेतु बजट परिपत्र के पैरा 3.2.4 के अनुसार, अनुमानों को तैयार करते समय बाद के चरण में अभ्यर्पित करने हेतु उपलब्ध निधियों की गुजांइश को कम करने की दृष्टि के साथ पिछले निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/कार्यान्वयन के चरण, निर्धारित योजना के कार्यान्वित करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों की संस्थानिक योग्यता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय करने पर नियंत्रण और अतिआवश्यक रूप से प्राप्तकर्ताओं के पास पड़ी अनुपयोगी/अस्पष्टीकृत सरकारी सहायता की प्रमात्रा आदि के उचित टिप्पणी ली जानी थी। विनियोजन लेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि पिछले तीन वर्षों से राजस्व भाग के अंतर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। अनुदान के अंतर्गत बड़े अव्ययित प्रावधानों ने मंत्रालय द्वारा त्रुटिपूर्ण बजट बनाने के दर्शाया। बड़ी निरन्तर बचतों (परिशिष्ट-IX -क) द्वारा प्रभावित योजनाएं नीचे चर्चित हैं।

9.17 (i) प्राथमिक शिक्षा के व्यवसायिकीकरण हेतु योजना

तथापि संशोधित योजना को 2007-08 से प्रारम्भ XIवीं योजना के शुरूआत में आरंभ किया जाना था लेकिन संशोधित नहीं हो सकी थी और 2007-08 के दौरान किया गया पूर्ण प्रावधान अनुपयोगी रहा।

योजना को संशोधन 2002 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 2005 में यह तय किया गया था कि अभी के लिए उपस्थित योजना को जारी रखा जाए और संशोधित योजना को XIवीं योजना के शुरूआत में आरम्भ किया जाए। तथापि योजना जब से संशोधन अधीन रही। इस प्रकार योजना हेतु किए बजट का प्रावधान सार्थक अंश वर्ष 2005-08 के दौरान अनुपयोगी रहा जैसा कि **परिशिष्ट-IX-क** में ब्यौरा दिया है।

9.17 (ii) प्रवेश एवं औचित्य योजना (बालिका छात्रों हेतु भोजन एवं छात्रावास सुविधाओं को सशक्त करने हेतु योजना)

वर्ष 2007-08 के दौरान योजना संशोधन अधीन थी और ई एफ सी ज्ञापन की तैयारी की प्रक्रिया अभी भी प्रक्रिया अधीन थी। योजना के संशोधन का प्रस्ताव 2003 में प्रस्तुत किया गया था और जब से संशोधन अधीन रही। परिणामस्वरूप वर्ष 2005-08 के दौरान उद्देश्य हेतु किया बजट प्रावधान का पूर्ण/बड़ा भाग निरन्तर रूप से अनुपयोगी रहा जैसा कि **परिशिष्ट-IX-क** में दर्शाया गया है।

9.17 (iii) प्राज्ञ सम्पत्ति, अनुसंधान एवं लोक फ़ैलाव हेतु योजना

2007-08 के दौरान पिछली अनुदानों के उ.प्र. के गैर-निपटान और राज्यों से प्रस्तावों की कम संख्या प्राप्त होने के कारण योजना पर कम व्यय प्रभारित किया गया था। उन्हीं कारणों हेतु वर्ष 2005-08 के दौरान योजना हेतु किया गया बजट प्रावधान का मुख्य भाग निरन्तर रूप से अनुपयोगी रहा जैसा कि **परिशिष्ट- IX-क** में दर्शाया गया है।

9.17 (iv) भा.सू.प्रौ.वि. की ब्यौ.प.रि. के अंतिम रूप दिए बिना 5.40 करोड़ रू. का अनावश्यक प्रावधान

20 भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के संस्थापन द्वारा उच्चतर तकनीकी शिक्षा को संशक्त करने हेतु प्रस्ताव मई 2006 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन अभी भी अंतिम रूप दिया जाना था। तथापि, बजट प्रावधान जैसा कि ब्यौरा **परिशिष्ट-IX-क** में दिया गया है ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए बिना किए गए थे। परिणामस्वरूप, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 हेतु बनाए गए बजट में 5.40 करोड़ रू. की योजना हेतु पूर्ण प्रावधान अनुपयोगी रहे।

9.17 (v) योजना एवं वास्तुकला के नए विद्यालयों का संस्थापन

2007-08 के दौरान दो नए योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों (यो.वा.वि.) के संस्थापन का प्रस्ताव विचाराधीन। नए विद्यालयों के संस्थान हेतु प्रस्ताव मार्च 2006 में प्रस्तुत किया गा था

और जब से संशोधन अधीन रहा था। परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 हेतु बनाए गए बजट में 6.00 करोड़ रू. की योजना हेतु पूर्ण प्रावधान अनुपयोगी रहा जैसा **परिशिष्ट-IX-क** में ब्यौरा दिया है।

9.17 (vi) भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.सू.प्रौ.वि.), जबलपुर

2007-08 के दौरान बजट का मुख्य भाग नि.स.¹ की अनुसंशाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया था। वर्ष 2006-07, एवं 2005-06 के दौरान कार्य की धीमी गति एवं पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के कारण प्रावधान के प्रति कम राशि जारी की गई थी। यह प्रकट करता है कि मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया बजट प्रावधान वास्तविक अनुमानों पर आधारित नहीं थे जिनका परिणाम वर्ष दर वर्ष बड़े अव्ययित शेष/बचतों में हुआ जैसा **परिशिष्ट-IX-क** में दिया गया है।

9.17 (vii) अशक्त व्यक्ति हेतु बहुशिल्प

2007-08 के दौरान, 50 में से 28 बहुशिल्पों को अनुदान जारी किया गया था क्योंकि केवल इन्होंने अपने उ.प्र. प्रस्तुत किए थे। 2006-07 और 2005-06 के दौरान उ.प्र. की गैर प्रस्तुतीकरण और बहुशिल्पों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्ध के कारण कम निधियां जारी की गई थी। वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक बजट प्रावधानों और व्यय का ब्यौरा **परिशिष्ट-IX-क** में वर्णित है। वर्ष 2004-05 हेतु फरवरी 2006 की बचत टिप्पणी में मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन के बावजूद कुल बहुशिल्पों के लगभग 50 प्रतिशत को अनुदान को जारी न करने के कारण काफी बचते थीं।

9.17 (viii) संत लोगोवाल अभियान्त्रिकी संस्थान

वर्ष 2007-08 के दौरान निधियों की कम निमुक्ति मुख्यतः उपलब्ध बड़े अव्ययित शेष और नि.स. की अनुसंशाओं के गैर कार्यान्वयन के कारण थी। इसी प्रकार 2006-07 और 2005-06 के दौरान भी संस्थान के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण मंत्रालय ने कम निधियां जारी की। इसने प्रकट किया कि मंत्रालय द्वारा संस्थान हेतु प्रदान बजट वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं था और काफी अधिक था। बजट प्रावधानों को ब्यौरा **परिशिष्ट-IX-क** में दिया गया है।

9.17 (ix) सामुदायिक बहुशिल्प

वर्ष 2007-08 के दौरान योजना आस्थगित रही क्योंकि यह संशोधन अधीन थी। परिणामस्वरूप, बजट का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया था। वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान, बचतें, जैसा **परिशिष्ट-IX-क** में दिया गया है, सामुदायिक बहुशिल्पों के पास पिछले वर्षों की अनुदानों के अव्ययित शेष की गैर-निमुक्ति /समायोजन के कारण बताया गया था। सामुदायिक बहुशिल्पों

¹ निरीक्षण समिति

के पास पड़े अव्ययित शेष की स्थिति अपरिवर्तित रही और बल्कि अव्ययित शेष को कम करने हेतु व्यय की गति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों हेतु वर्ष 2004-05 के लिए बचत टिप्पणी में मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद बढ़ा।

बजट प्रावधान का विरूपण

9.18 जबकि प्रत्यायुक्त शक्तियों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रावधान बढ़ाने हेतु किया गया है। बजट के संसदीय अनुमोदन के लिए भारी राशि के अभ्यर्पण करने के मूल उद्देश्य के साथ पठित बड़ी मात्रा में पुनर्विनियोजन मिथ्या वर्णन करना था। निम्न तालिका पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे निरूपणों को दर्शाती है:

तालिका 9.13 : बजट प्रावधान का विरूपण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष राजस्व भाग	बजट प्रावधान	पुनर्विनियोग			अभ्यर्पित	व्यय	अंतिम आधिक्य (+)	अंतिम बचत (-)
		मदों की सं.		संकलित राशि				
		से (-)	तक (+)					
2005-06	वा. 5800.49 पू. 56.08	97	69	559.84	20.40	5828.41	0.001	7.77
2006-07	वा. 6982.27 पू. 133.78	90	75	416.77	181.80	6923.67	0.21	10.79
2007-08	वा. 9208.50 पू. 0.12	56	70	752.64	2941.17	6256.49	--	10.96

2007-08, 2006-07 और 2005-06 के दौरान उपरोक्त पुनर्विनियोजन में से 455.85 करोड़ रु., 187.05 करोड़ रु. और 304.39 करोड़ रु. सहित क्रमशः 40,30 और 23 पुनर्विनियोजनों ने अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त की थी।

अनावश्यक एवं अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

9.19 13 मामलों में जैसाकि परिशिष्ट-IX-ख सूचीबद्ध है निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामस्वरूप, शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। यह त्रुटिपूर्ण बजट नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन का संकेत है।

अवास्तविक बजटीकरण

9.20 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 48(2) के अनुसार, मंत्रालयों/ विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान संवितरणों की प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मितव्ययी अनुदेशों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करना अपेक्षित है। विनियोजन लेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत, 2007-08 की अवधि के दौरान पूर्ण या/और बड़े प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा उन्हें अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था जिससे उन मूल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया जिनके लिए

संसद द्वारा बजट प्रावधान पारित किए गए थे। व्यय को मानीटर करने हेतु एक क्रियाविधि धारण करने हेतु जून 2002 के अनुदेशों जिससे कि व्यय करने की क्षमता के साथ सामंजस्य में ब.अ. एवं स.अ. स्तरों पर बजटीय प्रक्षेपण और प्रत्याशित व्यय निकाला गया था के बावजूद शीर्षों ने बड़े अव्ययित प्रावधान दर्ज किए। सामान्य मामले पिछले दो वर्षों के दौरान दर्ज किए गए थे। **परिशिष्ट-IX-ग** में ब्यौरा दर्शाया गया है।

अव्ययित प्रावधानों को अभ्यर्पण

9.21 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 56(2) प्रावधान करता है कि अनुदान या विनियोग के रूप में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की सामाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। सभी अभ्यर्पण आदेश वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर जारी किए थे। 2005-08 के दौरान अभ्यर्पित राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 9.14 : अभ्यर्पित किए गए अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अभ्यर्पित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2005-06	28.16	0.01	20.40	0.01	31.03.2006
2006-07	192.38	0.01	181.80	0.01	31.03.2007
2007-08	2952.13	1.00	2941.17	1.00	31.03.2008

इसके अतिरिक्त, संविधान के 93 वें संशोधन के परिणामी अनुच्छेद 15(5) सम्मिलित किया गया था और केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम 2006 लागू किया गया।

आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन हेतु एक रोड़ मैप तैयार करने के संबंध में पांच विशेषज्ञ समूह के साथ एक निरीक्षण समिति संस्थापित की गई थी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2007-08 के दौरान 3200 करोड़ रू. आबंटित किया गया था। तथापि निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय अनुमानों की स्वीकृति अभी भी प्राप्त की जानी थी।

परिणामस्वरूप 3200 करोड़ रू. का पूर्ण आबंटन अव्ययित रहा। जिसमें से 2518.02 करोड़ रू. (**परिशिष्ट-IX-घ**) 31 मार्च 2008 को अभ्यर्पित किए थे और शेष को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित कर दिया गया था।

अन्धाधुन्ध व्यय

9.22 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56(3) के अनुसार अन्धाधुन्ध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन होगा तथा इससे बचा जाना चाहिए इसके अतिरिक्त, इसकी 58वीं प्रतिवेदन (13वीं लोकसभा) के पैरा 17.1 में अंतर्विष्ट लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर 2006 में सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान 33 प्रतिशत तक और वित्तीय वर्ष

के मार्च के दौरान बजट राशि का 15 प्रतिशत तक व्यय सीमित करने हेतु, अनुदेश जारी किए। फिर भी वर्ष 2005-08 के दौरान अंतिम तिमाही में संवितरण 55 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच किए गए थे और मार्च में 26 से 100 प्रतिशत जैसाकि नीचे विवरण में दिया है:

तालिका 9.15: अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	संवितरण				
		वर्ष के दौरान	अंतिम तिमाही के दौरान		मार्च के दौरान	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2005-06	3601 राज्य सरकार को सहायता अनुदान	202.90	111.46	55	85.09	42
	3602 संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान	0.73	0.73	100	0.73	100
2006-07	3601 राज्य सरकार को सहायता अनुदान	170.53	112.22	66	107.48	63
2007-08	2552 उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22.50			7.02	31
	3601 राज्य सरकार को सहायता अनुदान	54.16	37.78	70	14.27	26

व्यय का गैर-समाधान

9.23 सा.वि.नि. 2005 के नियम 52(5) के अनुसार विभागाध्यक्ष एवं लेखा कार्यालय विभागाध्यक्ष द्वारा अनुरक्षित लेखे में दिए गए आंकड़ों, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय का बहियों में दर्ज है, के मासिक मिलान हेतु संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। तथापि विभाग ने वेतन एवं लेखा कार्यालय की बहियों के साथ योजनागत व्यय के समाधान को कार्यान्वित नहीं किया था। लिहाजा योजनागत व्यय के आंकड़ों की यथातय्यता सत्यपित नहीं की जा सकती थी।

त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबंधन: म.व्य.यो. अनुदेशों की अपालना

9.24 केन्द्र सरकार में रोकड़ प्रबंधन के संबंध में वित्त मंत्रालय के दिसम्बर 2006 में जारी अनुदेशों में प्रावधान किया गया है कि:

1. अनुदान हेतु प्रत्येक मांग के संबंध में, मासिक व्यय योजना (योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय हेतु अलग से) (म.व्य.यो.) तैयार की जानी चाहिए और अनुदान हेतु कथित मांग के संबंध में अनुदान हेतु ब्यौरे-वार मांग को परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
2. मा.व्य.यो. को तिमाही व्यय आबंटन (ति.व्य.आ.) के आधार तैयार करें। संबंधित विभाग/मंत्रालयों को वित्त मंत्रालय (रोकड़ प्रबंधन सैल, बजट प्रभाग) की पूर्व स्वीकृति के बिना तिमाही व्यय आबंटन (जो कि मासिक व्यय योजना के अंतर्गत प्रावधानों के योग के बराबर होना चाहिए) से अधिक का चैक जारी नहीं करना चाहिए।

3. तिमाही व्यय आबंटन (ति.व्य.आ.) को अंतर्गत बचतें, यदि कोई है, अगली तिमाही हेतु अपने आप आगे ले जाने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, विभाग/मंत्रालय को मासिक व्यय योजना (मा.व्य.यो.) और इसके द्वारा तिमाही व्यय आबंटन में संशोधन के द्वारा ऐसी बचतों के पुनर्वधीकरण हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश करनी चाहिए।
4. ति.व्य.आ. योजना 2007-08 के लिए अनुदान सं. 57 उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंध में मा.व्य.यो. और प्रत्येक तिमाही में प्रभारित वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाता है जैसा नीचे दिया गया है:

तालिका 9.16: त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबंधन: आ.व्य.यो. अनुदेशों की अपालना

(करोड़ रूपयों में)

तिमाही	योजना (ति.व्य.आ.)	व्यय	बचतें
प्रथम (जून 2007 को समाप्त)	1783.94	1247.44	536.5
द्वितीय (सितम्बर 2007 को समाप्त)	2302.37	1433.18	869.19
तृतीय (दिसम्बर 2007 को समाप्त)	2302.37	2031.11	271.26
चतुर्थ (मार्च 2008 को समाप्त)	2820.82	1544.76	1276.06

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया था कि सभी तिमाहियों के अंतर्गत ति.व्य.आ. योजना की तुलना कम व्यय था। द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के समाप्ति पर मंत्रालय ने अव्ययित की कल्पना नहीं की और मा.व्य.यो. के संदर्भ में अभ्यर्पित किया और उनको इस संसाधन का अन्य प्रतिस्पर्धी मांगों हेतु उपयोग करने हेतु वित्त मंत्रालय को द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की बचतों से सूचित किया। तथापि क्योंकि कुल बचत द्वितीय एवं तृतीय तिमाही से अधिक थी इसको उनको त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबंधन में शामिल कर लिया गया। 2007-08 के दौरान मा.व्य.आ. के संदर्भ में आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

9.25 संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सांवैधानिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को जारी अनुदान के संबंध में यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान उपयुक्त रूप से उसी उद्देश्य हेतु उपयोग की गई जिसके लिए यह स्वीकृति थी, लेखा नियंत्रकों को अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मार्च 2008 तक देय 2006-07 तक उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के संबंध में 1121.93 लाख रु. की राशि सम्मिलित करते हुए 2608 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र थे। वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट-IX-ड में दिया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन - सांराश स्थिति

9.26 लो.ले.स.² ने 1982 में अनुशंसा की थी कि मंत्रालयों/विभागों को इन प्रतिवेदनों में अतर्विष्ट सभी पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक का.टि.³ प्रस्तुत करें।

लो.ले.स. ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नौवीं प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में, मांग की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित का.टि. संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा यथोचित पुनरीक्षण करके इनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सरकार ने लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर अनुदेश जारी किए।

मार्च 1999 से मार्च 2007 को समाप्त वर्षों हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया का.टि. की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने कुल 43 पैराग्राफों में से 22 पैराग्राफों पर उपचारी का.टि., 14 पैराग्राफों पर संशोधित टिप्पणियां तथा पांच पैराग्राफों पर अंतिम का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि एक का.टि. तथा एक संशोधित का.टि. प्रक्रियाधीन है। वर्षवार ब्यौरा **परिशिष्ट-IX-च** में दर्शाया गया है।

लोक लेखा समिति को विनियोजन लेखों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने में विलम्ब

9.27 लोक लेखा समिति के 45 वें प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 'व्यय विभाग' के मई 2007 के अनुदेशों अनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणियों को तदनुसार वर्ष की 30 सितम्बर तक अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित था जिससे कि इसे विनियोजन लेखों के साथ संसद में प्रस्तुत किया जा सके।

तथापि, उच्चतर शिक्षा हेतु अनुदान के विनियोजन लेखों से यह पाया गया था कि 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान 100 करोड़ रु. से अधिक की बचते थीं जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों को तदनुसार वर्ष की 30 सितम्बर तक अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित था जिससे कि इन्हें विनियोजन लेखों के साथ संसद में प्रस्तुत किया जा सके। मंत्रालय में संबंधित अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2006-07 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां लेखापरीक्षा को 17.10.2007 को भेजी गई थी जो लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात विभाग को 10.04.2008 को वापिस भेज दी गई थी परन्तु इसे 30.09.2008 तक जो कि देय तिथि के एक वर्ष के पश्चात भी वित्त मंत्रालय को नहीं भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, 2007-08 हेतु 30.09.2008 तक वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी थी परन्तु इसे अभी भी अंतिम रूप दिया जाना था और उपरोक्त तिथि तक लेखापरीक्षा को भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन वर्षों के दौरान समय पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों का लंबित/गैर-प्रस्तुतीकरण वित्त मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन का उल्लंघन करता है और लोक लेखा समिति के अधिकार को क्षति पहुंचाता है।

² लोक लेखा समिति

³ कार्यवाही टिप्पणी

आंतरिक लेखापरीक्षा

9.28 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध कार्य करता है और इनके नियंत्रण के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा संलग्नक अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के अधीन इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है।

आंतरिक लेखापरीक्षा की संस्वीकृत कार्मिक संख्या में एक व.लेखापरीक्षा अधिकारी और तीन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी हैं। वर्ष 2005-08 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 9.17: आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी

वर्ष	कुल इकाईयां #	लंबित/योजित लेखापरीक्षा	वास्तविक रूप में लेखापरीक्षित इकाईयां	कमी
2005-06	उ.न.	166	50+2*	114
2006-07	175	100	52+3*	45
2007-08	178	101	61+1*	39

#स्वायत्त निकाय सम्मिलित नहीं है

*विशेष लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय में प्रबल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण है क्योंकि

- क) स्वायत्त निकायों के अतिरिक्त सात मंत्रालयों के अ.सं.का. की 178 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की संस्वीकृत कार्मिक संख्या अपर्याप्त है।
- ख) आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा तैयार कुल इकाईयों की सूची स्वायत्त निकायों की पूर्णरूप से उपेक्षा करते हुए केवल चैक आहरण एवं गैर-चैक आहरण अ.सं. का को समाविष्ट करती है।
- ग) आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना जोखिम विश्लेषण एवं शासन मामलों के आधार पर बताई जानी चाहिए। तथापि लेखापरीक्षा हेतु प्राप्य इकाईयों जोखिम विश्लेषण को ध्यान में रखे बिना योजित की गई थी। कुल 178 इकाईयों में से, 135 इकाईयां दिल्ली से बाहर और 43 इकाईयां दिल्ली में स्थित थी। 2005-06 से 2007-08 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा ने 50 बाहरी इकाईयों तथा दिल्ली में 10 इकाईयों की औसत से लेखापरीक्षा संचालित की थी। दिल्ली में कुल 43 इकाईयों में से, 20 इकाईयों की लेखापरीक्षा एक बार भी नहीं की गई और तीन वर्षों के दौरान निम्न बजट भौतिकता वाली 8 बाहरी इकाईयों की लेखापरीक्षा दो बार की गई थी। 2007-08 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा की समीक्षा ने प्रकट किया कि 50 बाहरी इकाईयों के संबंध में 48

आवश्यक आपत्तियां और 10 दिल्ली इकाईयों के संबंध में 27 आपत्तियां थी। इस प्रकार दिल्ली इकाईयों के साथ-साथ बाहरी इकाईयों को भौतिकता की भारिता, मंत्रालय के विशिष्ट प्रभाग में जहां अधिक व्यय किए गए, लेखापरीक्षा हेतु इकाईयों के चयन में सुस्पष्ट नहीं थी।

- घ) आंतरिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश प्रदर्शित करने वाले आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली और लेखापरीक्षा मानकों को तैयार नहीं किया गया था।
- ङ) चयनित इकाईयों में भी वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयों गिरावट 39 से 69 प्रतिशत के बीच क्रमबद्ध है। 31 मार्च 2008 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 232 पैसे बकाया थे। परंतु मंत्रालय ने इन बकाया पैरों का निपटान करने हेतु कोई प्रभावी उपचारी उपाय नहीं किए थे।
- च) प्रत्येक कार्यभार पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आं.ले.प्र.) स्वीकृति हेतु मुख्य लेखा प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। आ.ले.प्र. सचिव को प्रस्तुत नहीं की जानी थी। तथापि वर्ष के दौरान पाई सभी आपत्तियों की एक समेकित रिपोर्ट सचिव को प्रस्तुत की गई थी।
- छ) सम्मिलित इकाईयों की लेखापरीक्षा योजना एवं प्रगति रिपोर्ट संवीक्षा हेतु मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
- ज) नियमित आधार पर संचालित लेखापरीक्षा के स्तर की मुख्य लेखा प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी।

अनुदान संख्या 103 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

प्रस्तावना

9.29 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मंत्रालय), भारत सरकार विकास, सुरक्षा एवं देश की महिलाओं एवं बच्चों की भागीदारी से संबंधित सभी मामलों के लिए एक केन्द्रक मंत्रालय है।

मंत्रालय में प्रावधानों एवं बजटीय नियंत्रण के प्रति वास्तविक विनियोगों की सामान्य समीक्षा, संगत कानून, नियमावली एवं अनुदेशों के प्रति कार्यान्वित की गई।

बजट एवं व्यय

9.30 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अधीन सकल बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं अव्यय नीचे दिए गए हैं:

तालिका 9.18: बजट एवं व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	राजस्व
2005-06	3931.40	-	3929.37	-	2.03	-
2006-07	4898.48	-	4770.40	-	128.08	-
2007-08	5853.02	-	5595.57	-	257.45	-

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उप-शीर्ष/प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों की तुलना में अधिक व्यय: त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण

9.31 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 58 एवं 63 के परिशिष्ट-14 में प्रावधान वेतन एवं लेखा कार्यालय से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हैं कि कोई भी भुगतान विनियोग के किसी उप-शीर्ष या प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक नहीं किया जाय। किन्हीं परिस्थितियों में जहां मौजूदा प्रावधान भुगतान को आच्छादित करने में उपयुक्त नहीं है वहाँ वेतन एवं लेखा कार्यालय (वे.ले.का.), अनुदान को नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से लिखित रूप में आश्वासन प्राप्त करने पर ही कि पुनर्विनियोजन आदेश आदि को जारी कर संवितरण को समायोजित करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी, किसी उप-शीर्ष या प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक भुगतान कर सकता है।

2007-08 के शीर्ष-वार विनियोग लेखे की नमूना जांच ने प्रकट किया कि वे.ले.का. ने पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधान पर नियंत्रण अधिकारी से लिखित आश्वासन प्राप्त किए बिना बजट प्रावधान से अधिक का भुगतान किया। चूंकि मंत्रालय ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अन्तिम व्यय को आच्छादित करने के लिए वर्ष के दौरान कोई पुनर्विनियोजन जारी नहीं किया था इसलिए इन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय बजट प्रावधान से अधिक थे। अधिक व्यय किए जाने के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 9.19 उपलब्ध प्रावधान की तुलना में अधिक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	उपलब्ध प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
2007-08	3601.04.358.05 एकीकृत बाल विकास सेवाएं	वा. 4588.20 पू. 576.17	5164.37	5166.13	1.76
	3601.04.366.02 किशोर अव्यवस्था रोकथाम एवं नियंत्रण	वा. 16.60 पू. 0.69	17.29	21.27	3.98

वे.ले.का. ने बताया कि इसने ब.अ. के अन्दर ही भुगतान किए थे और वैयक्तिक शीर्षों में आधिक्य वर्ष के अन्त में विभिन्न स्रोतों से उम्मीद से अधिक दावों की प्राप्ति को देय था। वे दावे भुगतान हेतु स्वीकार्य किए जाने अपेक्षित थे क्योंकि वे प्रतिबद्ध दायित्व थे और उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित नहीं किया जा सकता था। उसने आगे बताया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि स्वीकार्य सीमा से परे सुपुर्दगी एवं पुनर्विनियोजन के लिए प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को पहले ही भेजा जा चुका था और वे दावे भुगतान के लिए स्वीकार्य किए गए थे क्योंकि अनुदान के अन्दर समग्र बचतों की उम्मीद की गई थी। वे.ले.का. का उत्तर गलत है क्योंकि भुगतान बजट प्रावधान से अधिक किए गए थे। दूसरी बात, कि उत्तर वे.ले.का. द्वारा नियमावली के पालन के उल्लंघन का द्योतक है।

संसद द्वारा अनुमोदित बजट से विचलन

9.32 मंत्रालय के विनियोग लेखे एवं वर्ष 2005-08 के दौरान निधियों के पुनर्विनियोजन की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निधियों का सकल पुनर्विनियोजन अनुमोदित बजट प्रावधान के 12 से 21 प्रतिशत, जिसकी सीमा इन वर्षों के दौरान 626.46 करोड़ रु. से 834.67 करोड़ रु. थी, तक जारी रहा। निर्धारित सीमा के अन्दर लेखा शीर्ष को/से पुनर्विनियोजन करते समय, समग्र प्रभाव संसद द्वारा अनुमोदित सकल बजट से लगभग 15 प्रतिशत का विस्थापन था जो बजटीय पूर्वानुमान की यथातथ्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

तालिका 9.20 संसद द्वारा अनुमोदित बजट से विचलन

(करोड़ रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	2007-08 (जारी किए गए 20 पुनर्विनियोजन आदेश)		2006-07 (जारी किए गए 16 पुनर्विनियोजन आदेश)		2005-06 (जारी किए गए 62 पुनर्विनियोजन आदेश)	
	से	तक	से	तक	से	तक
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	143.93 (एन पी) 3.63	21.70 (एन पी) 3.28	4.71	20.24	41.12	15.06
2236- पोषण	शून्य	1.91	0.15	1.17	0.14	0.27
2251- सचिवालय सामाजिक सेवा	शून्य	शून्य (एन पी) 0.35	0.72	0.41	0.52	0.36
2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम	343.28	शून्य	410.46	शून्य	387.53	शून्य
3601- राज्यों को सहायता अनुदान	196.60	695.13	201.67	604.65	404.42	813.58
3602- स.शा.क्षे. को सहायता अनुदान	34.93	शून्य	8.76	शून्य	0.93	5.39
सकल	718.74 (एन पी) 3.63	718.74 (एन पी) 3.63	626.46	626.46	834.67	834.67

प्रचुर अव्ययित प्रावधान

9.33 जुलाई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत व्यय प्रबंधन पर निर्देशों के अनुसार, बजट प्रस्ताव का सुत्रीकरण करते समय, मंत्रालय/विभाग को राजस्व नियंत्रण की स्पष्ट स्वीकृति पर अधिक बल देना चाहिए तथा विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए अपेक्षित बजटीय प्रावधानों का सिर्फ वास्तविक प्रक्षेपण करना चाहिए। मंत्रालय के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 2005-08 के दौरान विभिन्न उप-शीर्षों के तहत 25 से 95 प्रतिशत के बीच बचत हुए थे (परिशिष्ट-IX-छ)।

प्रचुर अव्ययित प्रावधानों ने उन उद्देश्यों को प्रभावित किया जिसके लिए संसद द्वारा बजट प्रावधानों की अनुमति दी गई थी। यदि बजट प्रावधानों का सुत्रीकरण करते समय इन उप-शीर्षों में व्यय का मूल्यांकन सही रूप में किया गया होता तो भारी अव्ययित प्रावधानों से बचा जा सकता था।

समग्र निधियों का उपयोग न किया जाना

9.34 वर्ष 2005-08 के विनियोग लेखे से प्रकट हुआ कि (परिशिष्ट-IX-ज) में यथा इंगित उप-शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान मंत्रालय द्वारा अनुप्रयुक्त रहें। मंत्रालय ने इन बचतों के लिए योजनाओं के गैर-अनुमोदन को उत्तरदायी ठहराया। तीन योजनाओं, जिनमें 10 करोड़ रु या अधिक के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे, पर अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं:-

2007-08 के दौरान 'एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ए.बा.सु.यो.)' एवं 'प्रियदर्शिनी योजना' के मामले में क्रमशः 95.00 करोड़ रु एवं 10.00 करोड़ रु के सभी प्रावधान अप्रयुक्त रहे क्योंकि प्रावधान को खर्च करने के लिए योजना समय पर अनुमोदित नहीं हुई थी। मंत्रालय ने बताया कि अनुमोदन प्राप्त करने के लिए योजना आयोग एवं आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से प्रारम्भिक कार्रवाई को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2007-08 के दौरान 'बीमा आच्छादित योजना सहित बालिकाओं हेतु सशर्त रोकड़ हस्तांतरण' के अन्तर्गत 15.00 करोड़ रु का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा क्योंकि योजना 3 मार्च 2008 को वित्तीय वर्ष के अन्त में ही प्रारम्भ की गई थी।

अप्रयुक्त प्रावधान का अभ्यर्पण

9.35 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56(2) के प्रावधानों तथा समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जैसे ही इसका अनुमान हो अप्रयुक्त राशि को, वर्ष के अन्त तक इन्तजार किए बिना, अभ्यर्पित कर देना चाहिए। मंत्रालय ने अप्रयुक्त प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2006-08 के अन्तिम दिन को अभ्यर्पित किया। अभ्यर्पित राशि का विवरण निम्नवत है:

तालिका 9.21 अप्रयुक्त प्रावधान का अभ्यर्षण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अप्रयुक्त प्रावधान	अभ्यर्षित राशि	अभ्यर्षण की तिथि
2006-07	4898.48	4770.40	128.08	124.15	31.03.2007
2007-08	5853.02	5595.57	257.45	269.62	31.03.2008

चूंकि समग्र अप्रयुक्त प्रावधान वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि को अभ्यर्षित किए गए थे अतः यह उपरोक्त के अन्तर्गत व्यय की मानीटरिंग की अप्रभावी प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि बचतों का पूर्वानुमान समय पर नहीं किया गया।

बचत पर लो.ले.स. को व्याख्यात्मक टिप्पणी

9.36 बजट परिपत्र 2007-08 के पैरा 3.2.4 तथा समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य निर्देशों के अनुसार 100 करोड़ रु. या इससे अधिक अनुदान राशि की बचत में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को कारण बताना पड़ता है। अनुदान में अप्रयुक्त प्रावधान या तो त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करता है।

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के बचतों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी की जांच से प्रकट हुआ कि 2007-08 के दौरान 269.62 करोड़ रु. के कुल बचत में 22 उप-शीर्ष शामिल है जिसमें एक करोड़ रु. से अधिक कुल 216.89 करोड़ रु. को अभ्यर्षित किया गया था। 2006-07 के दौरान, 128.08 करोड़ रु. की राशि के सकल अभ्यर्षण से, जिनमें 8 उप-शीर्षों में प्रत्येक ने 1.00 करोड़ रु. से अधिक की 28.29 करोड़ रु. की सकल राशि पंजीकृत की थी, जिसे अन्ततः वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्षित किया गया।

मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के लिए अपनी व्याख्यात्मक टिप्पणी के माध्यम से बताया कि बजट अनुमान के और अधिक वास्तविक आधार पर तैयार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तथापि आश्वासन को पूरा नहीं किया गया क्योंकि 2007-08 में बचत बहुत अधिक थे।

व्यय का गैर-समाधान

9.37 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 52(5) के अनुसार विभागाध्यक्ष एवं लेखा अधिकारी विभागाध्यक्ष द्वारा अनुरक्षित लेखे में दिए गए आंकड़ों का जो लेखा अधिकारियों के बहियों में प्रदर्शित आंकड़ों से मासिक समाधान के लिए संयुक्त रूप से जवाबदेह है।

अभिलेखों की जांच से 2007-08 के विनियोग लेखे के आंकड़ों में विसंगति प्रकट हुआ। मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अन्तर्गत अन्तिम बचत के रूप में 258.49 करोड़ रु. के बजाय 269.62 करोड़ रु. के आंकड़े को सूचित किया, जो मंत्रालय द्वारा बचत के अधिक अभ्यर्षण में परिणत हुआ। विभागाध्यक्ष द्वारा अनुरक्षित लेखे में दिए गए आंकड़ों का वेतन एवं लेखा कार्यालय की बहियों में प्रदर्शित आंकड़ों से मासिक समाधान की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। चूंकि इन आंकड़ों का मंत्रालय के बजट अनुभाग द्वारा वेतन एवं लेखा कार्यालय के

साथ समाधान नहीं किया गया इसलिए इसका परिणाम आंकड़ों के दो समुच्चयों में अन्तर तथा बचतों के अधिक अभ्यर्पण में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि कार्मिकों की कमी तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में कार्यों के भरमार के चलते समुचित समाधान नहीं किया जा सका।

निरन्तर अप्रयुक्त प्रावधान

9.38 बजट परिपत्र 2007-08 के पैरा 3.2.4 के अनुसार, अन्तिम समय में उपलब्ध अभ्यर्पणों के कार्य क्षेत्र को कम करने की दृष्टि से मंत्रालय को अनुमानों का सूत्रीकरण करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ये; योजनाओं का पश्च निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सुत्रीकरण/क्रियान्वयन के चरण, अनुसूची के रूप में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्ययकर्ता अभिकरण द्वारा व्यय पर नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण रूप से अप्रयुक्त/अस्पष्टीकृत आदि प्राप्तकर्ताओं के पास पड़ी सरकारी सहायता की प्रमात्रा हैं।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत **परिशिष्ट-IX-इ** 2005-08 की अवधि के दौरान प्रचुर मात्रा में प्रावधान निरन्तर रूप से अप्रयुक्त पड़े थे तथा उन उद्देश्यों को विफल करते हुए जिनके लिए संसद द्वारा स्वीकृत किए गए थे, अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए थे। 2005-08 के दौरान **एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ए.बा.वि.से.)**, **स्वयंसिद्ध एवं महिला कर्मचारी छात्रावास** की तरह निरन्तर बचत द्वारा प्रभावित योजना से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इन योजनाओं के अन्तर्गत पिछले वर्षों में निरन्तर अप्रयुक्त प्रावधानों के बावजूद मंत्रालय ने बाद के वर्षों में वृहत बचत से बचने के लिए अधिक वास्तविक बजट अनुमान तैयार करने का कोई प्रयास नहीं किया था जिसका परिणाम अवास्तविक बजटीकरण, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन एवं इन योजनाओं के निष्पादन में कमी में हुआ।

मंत्रालय ने संबंधित संगठनों/राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. से निधियों के मांग की अप्राप्ति/कम मांग के लिए निरन्तर अप्रयुक्त प्रावधान के कारणों को जिम्मेदार ठहराया। तथापि, कारण योजना से संबंधित फाइलों में दर्ज नहीं पाए गए थे।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

9.39 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को वर्ष के दौरान उपलब्ध या उपलब्ध होने वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा इसके निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। अनुपूरक अनुदानों का सहारा केवल असाधारण तथा तत्काल मामलों में ही किया जाना चाहिए।

निम्न मामलों में, यद्यपि अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे जबकि अन्तिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम थे:

तालिका 9.22 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(लाख रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अप्रयुक्त प्रावधान
2006-07	2235.02.103.42 केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड	वा. 3545.00 अ. 0.40	3485.00	60.40
2007-08	2235.02.103.35 राष्ट्रीय महिला आयोग	वा. 695.00 अ. 0.15	641.84	53.31
	2235.02.103.42 केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड	वा. 3532.00 अ. 0.25	3118.12	414.13

संसद को सूचित नहीं किए गए पुनर्विनियोजन

9.40 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.) के नियम-10 के अधीन भारत सरकार के निर्णय (6) तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यय प्रबंधन पर निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोजन आदेश जो किसी उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से अधिक या 5 करोड़ रु., जो भी अधिक हो, के प्रभाव का हो, उसे अनुपूरक मांग के अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। अपवाद के मामलों में, मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी पुनर्विनियोजन के किसी भी आदेश, जो अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के बाद उपरोक्त सीमा को पार कर जाता है, पर सचिव/सहायक सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मंत्रालय ने 'उप-शीर्ष 3601-04-358-01- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त आई सी डी एस कार्यक्रम - सामान्य घटक' के अन्तर्गत 1.25 करोड़ रु. के मूल प्रावधान के प्रति 2006-07 के अनुपूरक मांग के अंतिम बैच के साथ 122.63 करोड़ रु. के पुनर्विनियोजन से संसद को सूचित नहीं किया था।

मंत्रालय ने बताया कि सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था लेकिन मामले को संसद को सूचित करने की औपचारिकता की अनजाने में चूक हो गई।

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

9.41 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 212(1) के अनुसार संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा उस उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, की उपयोगिता प्रमाण पत्र को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के अन्दर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। जहाँ नियत अवधि के अन्दर प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होते हैं वहाँ मंत्रालय/राज्य सरकार को इस बात की छूट होती है कि वह ऐसे संस्थान या संगठन को भविष्य में किसी भी अनुदान, आर्थिक सहायता या अन्य वित्तीय सहायता के लिए काली सूची में डाल दे।

मंत्रालय द्वारा 2006-07 तक जारी अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) से संबंधित तथा मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 304.72 करोड़ रु. वाले 5605 मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र सितम्बर 2008 तक अप्राप्त थे। अप्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों पर **परिशिष्ट-IX-अ** के खण्ड वार ब्यौरों से प्रकट हुआ कि महिला विकास, सी.आर.ई.सी.एच.ई. एवं एस.टी.ई.पी. नामित तीन खण्डों के 69.25 करोड़ रु., 12.01 करोड़ रु. तथा 97.13 करोड़ रु. वाले क्रमशः 2770, 1078 तथा 619 उ.प्र. परिकलित किए गए थे।

अगस्त 2008 में मंत्रालय ने 2007 के रिपोर्ट सं. 3 - 'उपयोगिता प्रमाण पत्र' के लेखापरीक्षा पैरा पर अपने ए.टी.एन. के माध्यम से बताया कि अनुदानों से संबंधित अप्राप्त उ.प्र. के अधिकतर मामले बहुत पुराने समय से संबंधित हैं और उन योजनाओं को आच्छादित करते हैं जो अब बन्द हो चुके हैं जिससे उन पुराने बकाए मामलों के निपटान में विलम्ब हो रहा है। मंत्रालय ने आगे बताया कि अप्राप्त उ.प्र. की संख्या को कम करने के क्रम में संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को वे.ले.का. के साथ अप्राप्त उ.प्र. को जारी करने/समाधान करने के अनुरोध के साथ सूची दी गई है। लंबित उ.प्र. की स्थिति की समीक्षा के लिए सचिव (डब्ल्यू.सी.डी.) द्वारा आवधिक समीक्षा सभाएं भी की गई थीं।

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

9.42 मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है जो लेखा तथा वेतन एवं लेखा कार्यों के भी प्रभारी हैं। इस प्रकार, आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य कलाप स्वतंत्र नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा मु.ले.नि. के केवल अधिकारियों द्वारा ही संचालित की जाती है जो अन्य छः मंत्रालयों की भी लेखापरीक्षा करते हैं। मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण एवं असंगठित थी।

मंत्रालय के अधीन 31 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां जैसे मंत्रालय में 15 विभाग, छः स्वायत्त निकाय, एक संबद्ध कार्यालय (खाद्य एवं पोषण परिषद दिल्ली), चार वेतन एवं लेखा कार्यालय, एक आ.वि.का. (रोकड़) तथा चार उप-तकनीकी सलाहकार (उ.त.स.)। तथापि मु.ले.नि. मौजूदा 31 इकाइयों के प्रति केवल नौ इकाइयों का ही पहचान कर पाया है तथा 2005-06 में केवल चार इकाइयों, 2006-07 में एक इकाई, 2007-08 में छः इकाइयों, जिनमें से अधिकतर बाहरी शाखाएं थीं, का ही लेखापरीक्षा संचालित किया है। इन लेखापरीक्षित इकाइयों का व्यय मंत्रालय के विभागों एवं उनके स्वायत्त निकायों, जिनमें उच्च जोखिम/द्रव्यात्मकता निहित है, द्वारा किए गए बृहत व्यय की तुलना में काफी अल्प था। इसके बावजूद भी इन इकाइयों को अभी तक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा लेखापरीक्षा के लिए शामिल नहीं किया गया है जिनके ब्यौरे निम्न है:

तालिका 9.23: संचालित लेखापरीक्षा के ब्यौरे

(लाख रूपयों में)

वर्ष	लेखापरीक्षित विभागों/इकाइयों का नाम	लेखापरीक्षा किए जाने पर व्यय की सूचना		
		योजनागत	योजनेत्तर	योग
2005-06	वे.ले.का., डब्ल्यू.सी.डी., कोलकाता	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	वे.ले.का., डब्ल्यू.सी.डी., चैन्नई	--	11.47	11.47
	उ.त.स.*, चैन्नई	7.17	130.80	137.97
	उ.त.स., कोलकाता	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2006-07	उ.त.स., चैन्नई	4.55	133.86	138.41
2007-08	उ.त.स., दिल्ली	54.71	138.36	193.07
	आ.स.अ. (रोकड़) डब्ल्यू.सी.डी. मं., दिल्ली	4.70	0.06	4.765
	उ.त.स., कोलकाता	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	उ.त.स., चैन्नई	16.32	159.70	176.02
	उ.त.स., मुंबई	1.37	24.17	25.54
	वे.ले.का., डब्ल्यू.सी.डी., मुंबई	--	6.47	6.47

तालिका 9.24 स्वायत्त निकायों/मंत्रालय के मुख्य अनुभागों द्वारा व्यय

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय/मुख्य अनुभाग	विनियोग लेखे 2006-07 के अनुसार वास्तविक व्यय	विनियोग लेखे 2007-08 के अनुसार वास्तविक व्यय
1	राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (रा.लो.स.बा.वि.सं)	11.43	15.00
2	केन्द्रीय अंगीकरण संसाधन अभिकरण (के.अं.सं.अ.)	1.38	2.02
3	राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (रा.बा.अ.सु.अ.)	1.50	5.40
4	राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.)	6.45	6.41
5	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (के.सा.क.बो.)	34.85	31.18
6	राष्ट्रीय महिला कोष (रा.म.को.)	10.00	12.00
7	आई.सी.डी.एस.	4249.96	5200.75
8	स्वयंसिद्ध	19.87	19.58
9	क्रेच	99.35	100.00
10	एस.टी.इ.पी.	15.98	17.03

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध सभी लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों, उनके व्यय, द्रव्यात्मकता एवं जोखिम विश्लेषण के संदर्भ में वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं करता है। मुख्य लेखाकारण प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एवं विमर्श के अनुमोदन का कोई साक्ष्य नहीं है। जून 2008 तक, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 85 पैरे अप्राप्त थे।

मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने बताया कि मंत्रालय को कम इकाइयों का आच्छादन कार्मिकों की कमी के कारण था। तथापि, उत्तर उच्च द्रव्यात्मकता वाले इकाइयों पर सिमित संसाधन के इस्तेमाल की तुलना में कम द्रव्यात्मकता वाले इकाइयों की लेखापरीक्षा के प्रमुख मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।

नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैरे पर का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

9.43 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अनुशंसा की थी कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष हेतु एवं उसे आगे के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित का.टि. के प्रस्तुतिकरण को रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखे जाने के चार महीने के अन्दर पूरा किया जाय।

नि.ले.म.प. के प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ पर लो.ले.स. की बकाया का.टि. की समीक्षा से प्रकट हुआ कि निम्न लेखापरीक्षा पैराओं पर का.टि. अक्टूबर 2008 तक प्रस्तुत किए जाने थे:

तालिका 9.25 का.टि.के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या	पैरा सं.	विषय	संसद के पटल पर प्रतिवेदन को रखे जाने की तिथि	बकाया का.टि. की देय तिथि	प्राप्त का.टि. की तिथि
1	2000 का 3	3	एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना	18.12.2000	18.4.2001	का.टि. को अंतिम रूप नहीं दिया गया था
2	2003 का 4	2.3	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड	19.5.2003	19.9.2003	- वही -
3	2004 का 2	6.1	अपव्यय	13.7.2004	13.11.2004	का.टि. प्रतीक्षित थी
4	2006 का 3	1.2 (29)	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे	21.3.2006	21.7.2006	- वही -
5		1.1.2	स्वायत्त निकायों के लेखे	21.3.2006	21.7.2006	- वही -
6	2007 का 1	6.10 (98-99)	संवितरण	14.5.2007	14.9.2007	- वही -
7		7.13	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	14.5.2007	14.9.2007	का.टि. को अंतिम रूप नहीं दिया गया था

चयनित अनुदानों की समीक्षा

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या	पैरा सं.	विषय	संसद के पटल पर प्रतिवेदन को रखे जाने की तिथि	बकाया का.टि. की देय तिथि	प्राप्त का.टि. की तिथि
8	2007 का 3	1.1.2	स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	14.5.2007	14.9.2007	का.टि. प्रतीक्षित थी
9		1.2	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के लेखे	14.5.2007	14.9.2007	- वही -
10		1.3	उपयोगिता प्रमाण पत्र	14.5.2007	14.9.2007	का.टि. को अंतिम रूप नहीं दिया गया था

यद्यपि उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिसम्बर 2000 और मई 2007 के बीच संसद के पटल पर रखे गए थे और चार महीने की नियत समय सीमा प्रत्येक मामले में समाप्त हो चुकी थी, फिर भी मंत्रालय को अक्टूबर 2008 तक 10 पैराग्राफों पर का.टि./संशोधित का.टि. अभी प्रस्तुत किया जाना था।

मंत्रालय के अभिलेखों ने मुख्य लेखाकरण प्राधिकरण द्वारा लो.ले.स. की का.टि. के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। लो.ले.स. की वैयक्तिक का.टि. अतिरिक्त सचिव के स्तर पर अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती हैं।

अध्याय 10

सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: सारांश

10.1 यह अध्याय उन मूलभूत सूचकों, जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने, चिन्ताजनक क्षेत्रों को उजागर करने तथा सरकार की वित्त व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण करने में सहायता करते हैं, के संदर्भ में चालू वर्ष के दौरान प्रवृत्तियों पर केन्द्रित करते हुए 1992-2008 के दौरान सरकार के वित्त की संक्षिप्त स्थिति को दर्शाता है। संघ सरकार के राजकोषीय मापदण्डों को मौटे तौर पर चार मुख्य घटकों के समूह में बाँट दिया गया है और प्रत्येक घटक के लिए संकेतकों के समूहों की कल्पना की गई है जिससे समय के साथ राजकोषीय विकास का मूल्यांकन किया जाये। संसाधन संग्रहण, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन और राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन चार मुख्य घटक हैं।

संसाधन संग्रहण

10.2 इस मुख्य घटक के अंतर्गत संसाधनों की पर्याप्तता, इन संसाधनों की वृद्धि और पूर्व निवेश पर वापसी, वित्तीय अंतर्वर्तन और आज तक हुए पूँजीगत व्यय के चित्रण हेतु तालिका 10.1 में दर्शाए गए आठ संकेतकों को शामिल किया गया है। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजस्व प्राप्ति वर्तमान सेवाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों के वर्तमान प्रवाह की पर्याप्तता का संकेत देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर तथा गैर-कर प्राप्तियों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली सम्मिलित हैं। संसाधनों की पर्याप्तता का दूसरा संकेतक, कर-स.घ.उ. अनुपात है, जो राजस्व प्राप्तियों का एक उप-समुच्चय है। यह अनुपात ऐसे संसाधनों तक सरकार की पहुँच का संकेत देता है जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा प्रावधान बाध्यता नहीं है। राजस्व और कर उत्प्लावकता संसाधनों को जुटाने के लिए किये गये प्रयासों की प्रगति के संकेतक हैं। शेष रहे चार मानदण्ड, पूर्व निवेश की वापसी और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के संकेतक हैं। तालिका 10.1, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष की अवधियों को सम्मिलित करते हुए 1992-2008 हेतु इन संकेतकों के मान में गति का सारांश दर्शाती है।

तालिका 10.1: संसाधन संग्रहण के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्ति/स.घ.उ.	सकल कर प्राप्ति/स.घ.उ.	राजस्व उत्प्लावकता*	कर उत्प्लावकता*	अग्रिमों पर वापसी	निवेश पर वापसी	उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - सामाजिक सेवाएं	उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - आर्थिक सेवायें
1992-2008	15.14	9.89	1.001	1.111	13.63	8.65	3.04	49.67
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.23	9.31	0.922	0.951	11.23	2.35	9.57	57.13
IXवीं योजना (1997-02)	14.67	8.64	0.831	0.871	14.15	5.30	3.59	55.80
Xवीं योजना (2002-07)	14.84	10.04	1.116	1.522	14.18	12.40	2.17	44.56
2002-03	14.50	8.81	1.542	2.026	15.11	8.83	2.03	43.07
2003-04	14.70	9.23	1.124	1.440	15.91	9.84	1.91	45.27
2004-05	14.46	9.68	0.872	1.388	14.30	13.29	1.49	51.37
2005-06	14.67	10.23	1.121	1.467	13.36	14.79	4.28	45.39
2006-07	15.58	11.42	1.451	1.857	11.49	14.67	1.03	40.32
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	17.00	12.58	1.760	1.846	15.68	14.79	1.21	45.92

* राजस्व और कर उत्प्लावकता के गुणांक अनुपात में है।

10.3 स.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मन्द प्रवृत्ति को देखा गया था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान मूल्यों की तुलना में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान अनुपात 14.67 तक कम हुआ यद्यपि Xवीं योजना (2002-07) के दौरान इसमें सीमान्तक रूप से 14.84 तक सुधार हुआ। राजस्व उत्प्लावकता जो VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान एक से कम थी तथा IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान उसमें और अवनति हुई थी न केवल सुधरी अपितु IXवीं योजना अवधि के दौरान पांच से चार वर्षों में इकाई से अधिक थी। 2007-08 में राजस्व उत्प्लावकता जारी रही क्योंकि चालू वर्ष के दौरान स.घ.उ. के प्रति राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में 1.42 प्रतिशतता अंकों की वृद्धि हुई। इन प्रवृत्तियों ने Xवीं योजना अवधि के दौरान कर स.घ.उ. में निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित किया तथा 1992-93 से प्रथम बार 2005-06 में 10 प्रतिशत के ऊपर गई। यह संवेग कायम रहा तथा वर्तमान वर्ष के दौरान यह 12.58 प्रतिशत के स्तर तक हुआ। यद्यपि हाल के वर्षों के दौरान उत्प्लावक में सुधार था, इसे उन्नत कर राजस्व जो संतुलित कर संरचना में रहता है के माध्यम से राजकोषीय सशक्तिकरण सधनीकरण करने के क्षेत्र के विस्तार द्वारा कायम रखने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष से सापेक्ष 2007-08 में राजस्व उत्प्लावकता के साथ-साथ कर उत्प्लावकता में महत्वपूर्ण सुधार था जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि चालू वर्ष के दौरान गैर-कर स्रोतों के माध्यम से गतिशील स्रोतों ने वर्ष के दौरान वृद्धिशील

राजस्व प्राप्तियों में अधिक अंशदान दिया। निवेश और ऋणों एवं अग्रिमों से वापसी में न केवल सुधार था, परन्तु वर्षों के दौरान उपभोक्ता प्रभार की वसूली में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी थी, विशेषरूप से 2006-07 के दौरान जो चालू वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सुधार को प्रदर्शित करती है। अतः संसाधन संग्रहण प्रयासों ने 2007-08 के दौरान उत्साही प्रवृत्ति प्रस्तुत की।

व्यय प्रबंधन

10.4 व्यय प्रबंधन में इसकी वृद्धि और गुणवत्ता के चित्रण के लिए, तालिका 10.2 में दर्शाए गए आठ संकेतकों की पहचान की गई थी। योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय और विकास व्यय, व्यय की गुणवत्ता के संकेतक हैं। स.घ.उ. की तुलना में व्यय के अनुपात के पैरामीटर और उत्प्लावकता (राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में) स.घ.उ. के साथ व्यय के सम्बन्ध तथा इन मापदण्डों में बदलाव के प्रति इसकी अनुक्रियाशीलता को दर्शाते हैं। निश्चित समय सीमा में इन मापदण्डों के मूल्य, तालिका 10.2 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 10.2: व्यय प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	कुल व्य./ स.घ.उ.	राजस्व व्य./ स.घ.उ.	राजस्व व्यय/ कुल व्यय	यो.व्य./ कुल व्यय	पूं. व्य./ कुल व्यय	वि. व्य.*/ कुल व्यय	नि. रा. के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता (अनुपात)	निवल राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता (अनुपात)
1992-2008	19.05	16.20	85.02	22.60	8.56	40.86	0.94	1.02
VIIIवीं योजना (1992-97)	21.25	17.11	80.50	21.86	8.87	38.60	0.78	0.95
IXवीं योजना (1997-02)	20.25	17.06	84.23	20.19	6.74	38.71	1.42	1.64
Xवीं योजना (2002-07)	17.84	15.57	87.27	24.17	8.19	41.16	0.74	0.84
2002-03	19.41	16.69	85.99	23.40	6.40	39.96	0.53	0.70
2003-04	18.40	15.98	86.83	24.13	6.98	40.10	0.49	0.57
2004-05	17.44	14.47	82.93	24.20	9.77	38.69	0.75	0.32
2005-06	17.02	15.10	88.74	23.08	9.21	41.31	0.76	1.30
2006-07	17.55	15.88	90.47	25.57	8.15	44.23	0.89	0.99
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	18.32	15.59	85.09	23.75	13.54	47.00	0.79	0.48

कु.व्य.= कुल व्यय, रा.व्य.= राजस्व व्यय; यो.व्य.= योजनागत व्यय; पूं.व्य.= पूंजीगत व्यय; नि.रा.प्र.= निवल राजस्व प्राप्ति, वि.व्य. = विकास व्यय को प्रदर्शित करता है सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय है और यहां हर कुल व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

10.5 संसाधन संग्रहण पर मापदण्डों के मामले की भाँति व्यय के संबंध में मापदण्डों की गति भी मिली जुली स्थिति प्रस्तुत करती थी। कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में

पूँजीगत व्यय में VIIIवीं योजना (1992-1997) में 8.87 प्रतिशत के स्तर से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 6.74 प्रतिशत मन्दन देखा गया। तथापि Xवीं योजना अवधि के दौरान इसने त्वरित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 1992-2008 के दौरान विकास दर प्रवृत्ति तक बढ़ गई। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत निम्न औसत वृद्धि दर दर्ज करने के उपरान्त 2007-08 में इसने अभी तक की उच्चतम दर पर 97.22 प्रतिशत तक पहुँचाया। जो मुख्य रूप से सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों में निवेश के रूप में पूँजीगत व्यय में 2006-07 में (-) 4009 करोड़ रू. से 2007-08 में 45627 करोड़ रू. के साथ-साथ गैर-योजनागत शीर्षों के अन्तर्गत कृषि वित्तीय संस्थानों में 304 करोड़ रू. के नए निवेश के अतिरिक्त रक्षा सेवाओं में 33828 करोड़ रू. से 37462 करोड़ रू. की तीव्र वृद्धि के कारण थीं। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ऐसी तीव्र वृद्धि के बावजूद यह 2007-08 हेतु बा.वि.आ. (137524 करोड़ रू.) द्वारा प्रक्षेपित स्तर से कम था। राजस्व व्यय ने कुल व्यय का प्रबल घटक रहना जारी रखा तथा VIIIवीं योजना के दौरान इसके अंश में 80.50 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) में 84.23 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा 2006-07 के दौरान 90.47 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के उपरान्त Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 87.27 प्रतिशत की औसत तक बढ़ा। चालू वर्ष के दौरान इसका अंश 85 प्रतिशत तक गिरा जो मुख्यतः पिछले वर्ष में इसकी 11.6 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर के साथ-साथ वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 97.22 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के कारण था। तथापि कुल व्यय में विकास व्यय तथा योजनागत व्यय अंश ने समय से अधिक अपेक्षाकृत स्थायित्व प्रदर्शित किया। कुल व्यय में विकास व्यय की वृद्धि के प्रति योजनागत व्यय के अंश में सीमान्तक गिरावट हेतु स्पष्टीकरण, वर्ष के दौरान गैर-योजनागत पूँजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि में रहता है। 1992-2008 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ कुल तथा राजस्व व्यय की उत्प्लावकता ने मिली-जुली प्रवृत्ति प्रदर्शित की।

राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन

10.6 राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन को दर्शाने हेतु तालिका 10.3 में दर्शाए गए पाँच संकेतकों की पहचान की गई थी। इसमें स.घ.उ. की तुलना में राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे के अनुपात, राजस्व घाटे राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और चालू राजस्व का बकाया (चा.रा.ब.) शामिल था। यद्यपि, घाटे निश्चित ही सरकार की प्राप्ति और व्यय के बारे में इसकी नीति के परिणाम हैं, ये राजकोषीय स्वास्थ्य का उपयोगी प्रतिनिधित्व करते हैं। 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम तथा उनके अधीन बनाई गई नियमावली, जैसे की अब वे हैं, (i) सरकार को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और उसके पश्चात पर्याप्त राजस्व आधिक्य बनाने, तथा (ii) 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं नीचे आने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया था। तथापि संघ सरकार ने घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त

करने हेतु अधिनियम में दी गई वास्तविक तिथियों को संशोधित किया है। राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्यों को अधिनियम में अध्यादेश के अनुसार प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था जबकि राजस्व घाटे से संबंधितों को 2009-10 तक इसकी समाप्ति हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया था। इन मापदण्डों के निश्चित अवधि में मान, जो ऊपर उल्लिखित किया गया है, को तालिका 10.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.3: राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा/ स.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.घ.उ.	प्राथमिक घाटा/ स.घ.उ.	राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	चालू राजस्व का बकाया (करोड़ रुपयों में)
1992-2008	3.20	4.90	0.58	65.43	-5609
VIIIवीं योजना (1992-97)	2.79	6.03	1.76	46.26	-2192
IXवीं योजना (1997-02)	3.94	6.23	1.49	63.26	-28622
Xवीं योजना (2002-07)	3.31	4.15	-0.08	79.74	-4764
2002-03	4.47	5.48	0.41	81.56	-38196
2003-04	3.67	2.94	-1.71	124.77	-22348
2004-05	2.50	3.30	-0.86	75.82	8794
2005-06	3.06	4.61	0.66	66.51	2161
2006-07	3.20	4.41	0.69	72.62	25771
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	1.81	3.50	-0.32	51.79	88137

10.7 स.घ.उ. की तुलना में घाटे का अनुपात और राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात अनुपात संघीय वित्त की सुभेद्यता के सूचक हैं। वित्त उस स्तर तक सुभेद्य हो जाता है जब राजकोषीय घाटा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि पुनर्भुगतान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती तथा उपगत देयताओं के लिए परिसम्पत्ति का सम्बल नहीं होता। पूर्व कर्जों की वसूली में बढ़ोतरी के कारण 2003-04 में स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे के अनुपात में जो तीव्र सुधार देखा गया था, बाद के वर्षों में उसके वेग को बनाए नहीं रखा जा सका, हालांकि कर्जों व अग्रिमों की वसूलियां नए अग्रिमों से अधिक होती रहीं। इसी प्रकार स.घ.उ. अनुपात के प्रति राजस्व घाटा 2004-05 के दौरान 2.50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर पहुँचने के उपरान्त 2006-07 में 3.20 प्रतिशत दर बढ़ गया है। तथापि चालू वर्ष के दौरान घाटा संकेतक वापिस आ गए तथा 2007-08 हेतु संघ वित्त लेखों के अनुसार स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय तथा राजस्व घाटे में क्रमशः 3.50 तथा 1.81 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में वास्तविक स्तर अपने बजट अनुमानों से क्रमशः 0.31 तथा 0.20 प्रतिशतता अंक तक उच्च थे। अन्य बातों के अलावा घाटा संकेतकों में विसर्पण 2007-08 के दौरान राजकोषीय शोधन रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुबंधित राजकोषीय तथा राजस्व घाटे हेतु क्रमशः 0.3 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत (स.घ.उ. के सापेक्ष) की न्यूनतम कटौतियों में

उच्च थी। इसके अतिरिक्त, 2006-07 में 28654 करोड़ रू. के भारी घाटे से वित्त लेखों ने 15025 करोड़ रू. (जो कि स.घ.उ. का केवल 0.32 प्रतिशत था) के मुख्य अधिशेष को प्रदर्शित किया जो गैर-ऋण प्राप्तियों के नीचे गैर-ब्याज व्यय के नियंत्रण को प्रदर्शित करता है। यद्यपि 2007-08 के दौरान लोक वित्त व्यवस्था का प्रबन्धन रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अंतर्गत राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के अनुसार था किन्तु राजस्व व्यय-गहन कार्यक्रम तथा योजनाओं के पक्ष में योजनागत प्राथमिकताओं में विशेषकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ पर संवेदनशील विचलन तथा लघु अवधि में गैर-योजनागत प्रतिबद्ध राजस्व व्ययों को समाविष्ट करने में सर्वांग दृढ़ता की पहचान करने को ध्यान में रखते हुए 2009-10 तक राजस्व घाटे से संबंधित लक्ष्यों को इन समाप्ति हेतु जबकि राजकोषीय घाटे से संबंधितों को अधिनियम के अध्यादेश के अनुसार प्राप्ति हेतु निर्धारित किया गया था पुनःसूचीबद्ध किया गया था।

10.8 यह अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2003-2004 में 124.77 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक बढ़ गया। यह पहली बार था कि राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा अधिक हो गया था। बाद के वर्षों के दौरान अनुपात ने, विशेष रूप से चालू वर्ष के दौरान जब यह 20.83 प्रतिशतता अंक नीचे गिरा था, सुधार को प्रदर्शित किया परन्तु अब भी यह VIIIवीं योजना अवधियों में पहले से ही प्राप्त स्तरों से विचारणीय उच्च तथा अधिक है। दीर्घ-आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में राजकोषीय नीति की सार्थक भूमिका है परन्तु इसकी प्रभावोत्पादकता एवं प्रभावकारिता राजकोषीय घाटे की संरचना पर निर्भर है। तथापि, वृहद संरचनात्मक राजकोषीय घाटा, संरचनात्मक प्राथमिक घाटे के प्रबल भाग के कारण था तथा दीर्घ-आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान संरचनात्मक ब्याज भुगतानों ने राजकोषीय घाटे के चक्रीय घटक की होने वाली भूमिका को कम कर दिया। चालू राजस्व का बकाया गैर-योजना राजस्व बकाया को प्रदर्शित करता है और यदि ये धनात्मक है, वहाँ उस सीमा तक, चालू राजस्व में से योजनागत व्यय निधिकृत है। चा.रा.ब., जो कि 1990-91 में ऋणात्मक हो गया था, 2004-05 में धनात्मक हो गया तथा उसके बाद लगातार धनात्मक बना रहा। राजकोषीय असंतुलन, जो चालू वर्ष के दौरान बदतर प्रवृत्ति को दर्शाता है, का पता लगाने के लिए वृहद प्रयास करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

10.9 ऋण की वहनियता सरकार की वित्त व्यवस्था के मूल्यांकन का मुख्य मुद्दा है। स.घ.उ. की तुलना में ऋण का अनुपात जितना अधिक होगा, सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की संभावित लागत उतनी ही अधिक होगी। औसत ब्याज दर, ब्याज तथा स.घ.उ. वृद्धि में अन्तर (डोमर अन्तराल के रूप में संदर्भित) तथा राजकोषीय देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों (उधार ली गई निधियों का उपयोग) का अनुपात, ऋण प्रबंधन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उधार की प्रतिशतता के रूप में ब्याज को सम्मिलित करते हुये ऋण विमोचन भी चालू उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुप्रयोग के स्वायत्तता

की मात्रा दर्शाता है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा, वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उधारों से उपलब्ध राशि उतनी ही कम होगी। राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के सात संकेतकों के मूल्यों को नीचे दी गई तालिका 10.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.4: राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के संकेतक

अवधि	राजकोषीय देयताएं/ स.घ.उ.	ऋण प्राप्ति की तुलना में ऋण विमोचन	औसत ब्याज दर - कुल देयताएं	डोमर अंतराल	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात	राजकोषीय देयताएं/ राजस्व प्राप्ति	परिसम्पत्तियों की उप्त्लावकता
1992-2008	57.48	96.51	8.34	3.94	45.61	442	0.66
VIIIवीं योजना (1992-97)	60.59	93.10	7.91	8.81	57.68	423	0.83
IXवीं योजना (1997-02)	58.84	94.70	9.06	1.27	50.90	448	0.70
Xवीं योजना (2002-07)	57.10	98.68	8.09	5.91	40.26	472	0.53
2002-03	63.07	97.87	8.90	-1.20	44.78	516	0.40
2003-04	60.25	105.33	8.28	3.95	41.48	489	-0.10
2004-05	57.89	95.78	7.89	6.44	39.36	484	0.43
2005-06	54.99	99.44	7.75	5.93	39.32	457	0.98
2006-07	52.70	97.20	7.84	7.96	37.71	416	0.59
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	52.54	94.60	8.24	5.45	38.06	381	1.08

10.10 राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन से सम्बन्धित मापदण्डों में प्रवृत्तियाँ भी एक मिलीजुली स्थिति प्रस्तुत करती हैं। स.घ.उ. की तुलना में ऋण अनुपात IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान समेकन के उपरान्त 2001-02 में तीव्र वृद्धि देखी गयी थी तथा 2002-03 में उच्चतम सीमा पर पहुँचने के उपरान्त इसने बाद के वर्षों में कमी की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। हालांकि, स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की निम्न वृद्धि के कारण पिछले तीन वर्षों में अनुपात संतुलित हो गया, यह अभी भी काफी उच्च है। IXवीं योजना के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की दर बढ़ गयी थी हाल के वर्षों में इसमें मंदन पाया गया था। तथापि, अधिक ऋण प्रलंबन के कारण सरकार ब्याज दरों में संतुलन का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। डोमर अंतराल 2002-03 को छोड़कर शेष समय में धनात्मक बना रहा। देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात VIIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 57.68 प्रतिशत से कम होकर IXवीं योजना (1997-2002) में 50.90 तथा इसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 40.26 की औसत पर पहुँच गया। 2004-05 में 39.36 से 2007-08 में 38.06 बदल रहे अनुपात ने पिछले वर्षों में सापेक्ष स्थिरता को प्रदर्शित किया। देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता भी VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 0.83 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 0.70 प्रतिशत तक गिरावट आई तथा आगे यह Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 0.53 प्रतिशत की औसत तक हो गई। 2003-04 में कुल

परिसम्पत्तियों में वास्तविक रूप में ऋणों एवं अग्रिमों की त्वरित वसूली के कारण गिरावट आई जबकि देयताओं में वृद्धि जारी रही। तथापि इसने 2003-04 के दौरान ऋणात्मक मान प्राप्त करने के उपरान्त बढ़ती हुई प्रकृति को प्रदर्शित किया तथा चालू वर्ष के दौरान 2005-06 के दौरान 0.98 के उच्चतम स्तर पर पहुँची तथा बाद में परवर्ती वर्ष में, चालू वर्ष के दौरान इसने 0.59 की गिरावट दर्शाई। तथापि चालू वर्ष के दौरान सरकारी परिसम्पत्तियों में 14.37 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जो सकल देयताओं में 13.33 प्रतिशत की वृद्धि दर से सीमान्तक रूप से उच्च थी जिसका परिणाम 1992-2008 के दौरान प्रथम समय के लिए इकाई से अधिक परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में हुआ। चालू वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्षों में गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय (138.55 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि के कारण थी। चालू वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की संवृद्धि में तीव्र वृद्धि के बावजूद संघ सरकार की लगभग 62 प्रतिशत देयताएं अभी तक 2006-07 तथा 2007-08 में किसी परिसम्पत्ति का सम्बल प्राप्त करने के लिए अभी तक बंद पड़ी थी।

10.11 चूंकि वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध संसाधन, 1992-2008 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष कम हो गए थे, यह आवश्यक है कि इनका उपयोग अधिकतम दक्षता के साथ किया जाए। ये अदक्षताएं, संसाधनों का समय पर उपयोग करने की अयोग्यता, परियोजनाओं में विलम्ब करने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की कठोरताओं जैसे कि निधियों के व्यपगत होने तथा बजट प्रस्तावों में अपारदर्शिताओं का परिणाम हैं। ये तथा इस प्रतिवेदन में अन्यत्र इंगित किए गए दूसरे मुद्दे सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं सहित सरकारी वित्त व्यवस्था तथा लेखाओं में सुधार के विभिन्न उपायों की मांग करते हैं।

आर. जी. विश्वनाथन

(आर. जी. विश्वनाथन)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

नई दिल्ली
दिनांक

19 फरवरी 2009
19 दिसम्बर 2008

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक

9 फरवरी 2009

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्टों की सूची

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.		पृष्ठ सं.
1.	II-क	2007-08 के दौरान लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय' के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का विवरण	191
2.	II-ख	2006-07 के दौरान एस.आई.डी.एफ. से किए गए व्यय का विवरण	193
3.	II-ग	विनियोग अधिनियम के उल्लंघन में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियाँ	194
4.	II-घ	2007-08 के दौरान परिभ्रमण अग्रदाय अग्रिम की सूची	195
5.	II-ङ	विदेशों से क्रिया हेतु उचंचत लेखे की बकाया राशि	196
6.	II-च	ऋण, जमा तथा प्रेक्षण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष	198
7.	II-छ	के.प्र.क.ब्यू., वि.म., आ.का.वि. तथा स.ले. एवं ले.नि. के प्रधान ले.अ. की लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये प्रतिकूल शेष	201
8.	IV-क	संघ सरकार का कुल व्यय	202
9.	VI-क	संघ सरकार की कुल देयता	203
10.	VI-ख	अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार	204
11.	VII-क	प्राधिकरण तथा संवितरण	205
12.	VII-ख	अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान	207
13.	VII-ग	सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	208
14.	VII-घ	मार्च माह 2008 तथा 2007-08 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय	209
15.	VIII-क	निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (एक करोड़ रुपये और उससे अधिक)	222
16.	VIII-ख	अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे	227
17.	VIII-ग	अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु अथवा उससे अधिक निरन्तर अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे	229
18.	VIII-घ	उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया	231
19.	VIII-ङ	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे (केवल एक करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)	232
20.	VIII-च	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे (केवल दो करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)	234
21.	VIII-छ	मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	236
22.	VIII-ज	अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण	237

23.	IX-क	निरन्तर अव्ययित प्रावधान	260
24.	IX-ख	निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	262
25.	IX-ग	अवास्तविक बजटीकरण	263
26.	IX-घ	ओ.एस.सी. अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निधियों का वृहत अभ्यर्पण	268
27.	IX-ङ	उपयोगिता प्रमाणपत्र	269
28.	IX-च	बकाया कार्यवाही टिप्पणियाँ	270
29.	IX-छ	भारी अव्ययित प्रावधान	273
30.	IX-ज	पूर्ण बजट अप्रयुक्त रहा	278
31.	IX-झ	निरन्तर अव्ययित प्रावधान	281
32.	IX-ञ	बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	284

परिशिष्ट II -क
(पैराग्राफ 2.3 के संदर्भ में)

2007-08 के दौरान लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय' के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	480.30	724.90	66.26
2.	2211- परिवार कल्याण	3217.73	5704.46	56.41
3.	2216- आवास	3887.59	4356.98	89.23
4.	2225- अ.ज., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. का कल्याण	202.67	380.16	52.44
5.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	24.02	24.07	99.80
6.	2407- वृक्षारोपण	185.90	320.70	57.97
7.	2416- कृ.वि.संस्थान	3804.36	3828.12	99.38
8.	2435- अन्य कृ. कार्यक्रम	209.87	229.00	91.65
9.	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	373.17	519.94	71.77
10.	2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र	377.99	410.91	91.99
11.	2705- कमांड क्षेत्र विकास	0.71	0.71	99.55
12.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	100.48	101.04	99.44
13.	2801- ऊर्जा	4136.36	5601.14	73.85
14.	2853- अलौह खानिकरण एवं मेटेलर्ज उद्योग	574.23	889.36	64.57
15.	3053- नागरिक उड्डयन	1172.20	1192.66	98.28
16.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	188.80	288.53	65.44
17.	4070- प्रशा. सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	366.02	366.02	100.00
18.	4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	2.36	2.47	95.76
19.	4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	2.20	4.09	53.77
20.	4701- सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.41	0.51	80.28
21.	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.23	4.50	71.79
22.	4803- कोयला एवं लिग्नाईट पर पूंजीगत परिव्यय	7.11	7.11	100.00
23.	4853- अलौह, खनि. तथा मेटे. उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	40.19	40.19	100.00
24.	4859- टेलिकॉम उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	22.18	22.18	100.00

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
25.	5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	139.22	169.34	82.22
26.	5275- अन्य सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	108.00	116.24	92.91
27.	5403- समुद्री विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	13.00	13.00	100.00
28.	5453- विदेशी व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय	633.22	633.22	100.00
	योग	20273.52	25951.55	

परिशिष्ट II -ख
(पैराग्राफ 2.5 के संदर्भ में)
2006-07 के दौरान एस.आई.डी.एफ. से किए गए व्यय का विवरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम	शामिल पहलकदमियाँ	किया गया व्यय
पूँजीगत व्यय				
1.	6250-ऋण एवं अन्य समाजसेवाएं	श्रम	औ.प्र.सं. कुशलता विकास	750.00
2.	6402-मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	किसानों को प्रशिक्षण	96.00
3.	7465-साधारण वित्त एवं व्यापारिक संस्थानों हेतु ऋण	वित्त	आम आदमी बीमा योजना	1000.00
4.	7475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	वित्त	एन.सी.ए.ई.आर. को रियायती ऋण	15.00
राजस्व व्यय				
5.	2205-कला एवं संस्कृति	संस्कृति	पहली स्वतंत्रता की लड़ाई के 150 वर्ष का उत्सव, सत्याग्रह आंदोलन का शताब्दी वर्ष, विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान	50.00
6.	2416-कृषि वित्तीय संस्थान	वित्त	भूमि जल पुनःसंचरण	1536.75
योग				3447.75

परिशिष्ट II-ग

(पैराग्राफ 2.7 के संदर्भ में)

विनियोग अधिनियम के उल्लंघन में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियाँ

जारी करने की तिथि	सेवाएँ	प्राप्तकर्ता	राशि (करोड़ रु. में)	लेखा शीर्ष	उद्देश्य
26.2.2008	वायु सेना	एच.ए.एल.	1500.00	एम.एच- 4076-03	वि.व. 2008-09 हेतु वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु
26.2.2008	नौसेना	एम.डी.एल.	252.97	एम.एच- 4076-02	अप्रैल 2008 से जून 2008 के दौरान व्यय किया जाने वाला व्यय
27.2.2008	नौसेना	एम.डी.एल.	134.45	एम.एच- 4076-02	अप्रैल 2008 से जून 2008 के दौरान व्यय किया जाने वाला व्यय
29.2.2008	नौसेना	एम.डी.एल.	541.60	एम.एच- 4076-02	अप्रैल 2008 से जून 2008 के दौरान व्यय किया जाने वाला व्यय
20.3.2008	नौसेना	एम.डी.एल.	235.00	एम.एच- 4076-02	अप्रैल 2008 से जून 2008 के दौरान व्यय किया जाने वाला व्यय
20.3.2008	नौसेना	एम.डी.एल.	50.00	एम.एच- 4076-02	अप्रैल 2008 से जून 2008 के दौरान व्यय किया जाने वाला व्यय
20.3.2008	नौसेना	एम.डी.एल.	31.10	एम.एच- 4076-02	अप्रैल 2008 से जून 2008 के दौरान व्यय किया जाने वाला व्यय
योग			2745.12		

परिशिष्ट II -घ
(पैराग्राफ 2.8 के संदर्भ में)
2007-08 के दौरान परिभ्रमण अग्रदाय अग्रिम की सूची

(करोड़ रूपयों में)

किशतों को जारी करने की तिथि	आरम्भिक बकाया शेष	तिमाही के दौरान अदा की गई राशि	तिमाही के दौरान समायोजन	अन्तिम बकाया शेष
I- तिमाही	1268.59	शून्य	शून्य	1268.59
II- तिमाही	1268.59	70.92	161.47	1178.04
III- तिमाही	1178.04	715.49	485.59	1407.94
IV- तिमाही	1407.94	776.60*	248.99*	1935.55*
योग		1563.01*	896.05	

* मंत्रालय ने इस परियोजना से एम.डी.एल. को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त 115 करोड़ रू जारी किए

परिशिष्ट II -ड
(पैराग्राफ 2.9.1 के संदर्भ में)
विदेशों में क्रय हेतु उच्चत लेखे की बकाया राशि (1999 तक)

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	ऋणों की सं.	राशि
1.	भा.रा.रा.प्रा. - ए.डी.बी. III परियोजना पश्चिमी बंगाल	1	584
2.	सड़क एवं भवन विभाग गुजरात	1	1104
3.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1	5198
4.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	1	6572
5.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
6.	रेलवे मंत्रालय	3	9011
7.	पायरीएट्स फॉस्फेट तथा रसायन लिमिटेड	2	249513
8.	रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला	1	1895
9.	रेलवे बोर्ड	2	15204
10.	रेल क्वायल स्प्रिंग	1	7111
11.	भा.प्रौ.सं. नैनी इलाहाबाद	1	14084
12.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
13.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
14.	दूरसंचार विभाग	6	14737
15.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1	4603
16.	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड	1	198
17.	शहरी आवास विकास निगम	1	1005
18.	बच्चों का बाल स्वास्थ्य अस्पताल संस्थान	1	2976
19.	भारतीय फ्यूमर्स उर्वरक निगम लिमिटेड	3	14257
20.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा संबंधित अस्पताल	1	9962
21.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	2	273788
22.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	1	14444
23.	गृह मंत्रालय	1	2255
24.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4	288152
25.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तकनीकी मंत्रालय	1	651
26.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड शिलांग	1	51
27.	उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	1	8
28.	कोचीन पत्तन न्यास	1	3648

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	ऋणों की सं.	राशि
29.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम	2	79282
30.	लक्षद्वीप प्रशासन	1	5664
31.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
32.	कोल इंडिया लिमिटेड, (प.बं.)	2	212303
33.	सी.एम.ए.एल. - डी.एल.	1	348
34.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
35.	ओ.एन.जी.सी.	2	59427
36.	प्रौद्योगिकी विकास एवं सूचना कंपनी लिमिटेड	1	695
37.	आं.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	1	47476
38.	भारतीय हेलिकॉप्टर निगम	1	672356
39.	कृमको वर्षा खेती तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	2	7093
40.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1	277
41.	जिला गरीबी पहलकदमी परियोजना	1	14630
42.	मा.सं.वि.मंत्रालय	1	361
43.	कृषि मंत्रालय	1	10
44.	मै. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	1	1960
45.	एन.टी.पी.सी.	2	660
46.	वि.म., आर्थिक कार्य विभाग	1	11754
47.	भा.स. विनिवेश आयोग	1	12654
		योग	2654010

परिशिष्ट II - च
(पैराग्राफ 2.9.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा तथा प्रेक्षण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2008 को शेष	अवधि जिससे शेष प्रतिकूल हो गए
विवरणी सं. 13			
1.	8229.00.200 अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डे. 245657	2007-08
2.	8231.00.102 रेलवे सुखा निधि (योजित)	डे. 1	2004-05
3.	8336.00.101 प्रतिभूति जमा	डे. 485	2007-08
4.	8342.00.103 सरकारी कम्पनियों निगमों आदि की जमा	डे. 960733	2004-05
5.	8443.00.110 पुलिस निधि की जमा	डे. 3254	1996-97
6.	8443.00.111 अन्य विभागीय जमा	डे. 1144703	2006-07
7.	8443.00.118 निजी निकायों हेतु किये गये कार्य हेतु सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए शुल्क की जमा	डे. 7197	2001-02
8.	8445.00.103 रेलवे जमा - दावा न किए गए भविष्य निधि जमा	डे. 1588	2007-08
9.	8445.00.104 रेलवे जमा - न्यास ब्याज लेखा	डे. 197626	2005-06
10.	8445.00.800 रेलवे जमा - अन्य जमा	डे. 1130617	2005-06
11.	8446.00.800 डाक जमा - अन्य जमा	डे. 402957	2005-06
12.	8448.00.102 स्थानीय निधि जमा - नगर निधि	डे. 3	2007-08
13.	8448.00.104 स्थानीय निधि जमा - भारतीय बीमा संघ की निधि	डे. 291	पूर्व 1976-77
14.	8451.00.101 भोपाल गैस रिसाव आपदा राहत निधि - दावा तथा राहत निधि	डे. 9268665	2005-06
15.	8451.00.102 भोपाल गैस रिसाव आपदा राहत निधि - दावा तथा राहत निधि निवेश लेखा	क्रे. 9214884	2005-06
16.	8550.00.101 सिविल अग्रिम - वन अग्रिम	क्रे. 9148	1995-96
17.	8670.00.103 चेक एवं बिल - विभागीय प्रभार	डे. 447208	2007-08
18.	8671.00.104 विभागीय शेष - रक्षा	क्रे. 86245	2004-05
विवरणी सं. 14			
19.	6002-202 फेडरल आस्ट्रियन सरकार से ऋण	डे. 241284	1997-98
20.	6002-204 कनाडा सरकार से ऋण	डे. 558326	1999-2000
21.	6002-205 चेकोस्लोवाक रिपब्लिक	डे. 13038	2004-05

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2008 को शेष	अवधि जिससे शेष प्रतिकूल हो गए
	सरकार से ऋण		
22.	6002-206 डेनमार्क सरकार से ऋण	डे. 147845	1999-2000
23.	6002-207 यूरोपियन आर्थिक समुदाय से ऋण	डे. 408151	2000-01
24.	6002-208 फ्रांस सरकार से ऋण	डे. 15541062	2000-01
25.	6002-212 इटली सरकार से ऋण	डे. 2182032	2000-01
26.	6002-220 नीदरलैंड सरकार से ऋण	डे. 156219	1996-97
27.	6002-221 पेट्रोलियम निर्यातक देश विशेष निधि संगठनों से ऋण	डे. 39782	2003-04
28.	6002-224 विकास हेतु साउदी निधि से ऋण	डे. 211152	1994-95
29.	6002-226 अंतर्राष्ट्रीय विकास यू.एस.ए. हेतु अभिकरण से ऋण	डे. 25468089	1995-96
30.	6002-227 यू.एस.ए. सरकार से पी.एल.-480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट के अंतर्गत ऋण	डे. 11030570	1995-96
31.	8009-02-106 अन्य विविध भविष्य निधियाँ	डे. 110	2006-07
32.	8012-00-117 यू.टी.आई. जमा	डे. 808	2005-06
33.	8013-01-101 सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों, 1989 हेतु जमा योजना	डे. 547415	2007-08
विवरणी सं. 15			
34.	6202.01.203 विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	क्रे. 1568	2004-05
35.	6215.02.800 अन्य ऋण	क्रे. 16748	2001-02
36.	6225.01.800 अन्य ऋण	क्रे. 829	1994-95
37.	6245.01.101 निराधार राहत	क्रे. 830	1986-87
38.	6245.02.101 निराधार राहत	क्रे. 2154	1997-98
39.	6401.800 अन्य ऋण	क्रे. 13244	1986-87
40.	6402.102 मृदा संरक्षण	क्रे. 7162	1995-96
41.	6402.203 भूमि उद्धार तथा विकास	क्रे. 592	2007-08
42.	6403.800 अन्य ऋण	क्रे. 6428	1994-95
43.	6404.800 अन्य ऋण	क्रे. 3447792	2004-05
44.	6405.106 मछली पकड़ने के यान का यांत्रिकीकरण	क्रे. 345	2006-07
45.	6425.108 सहकारी समितियों को ऋण	क्रे. 3589454	2003-04
46.	6515.102 सामुदायिक विकास	क्रे. 462	1986-87
47.	6515.103 ग्रामीण कार्य कार्यक्रम	क्रे. 1	1986-87
48.	6701.60.800 अन्य ऋण	क्रे. 4	1988-89

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.3.2008 को शेष		अवधि जिससे शेष प्रतिकूल हो गए
49.	6801.201	हैदल उत्पादन	क्रे.	3068415	2004-05
50.	6801.205	प्रसारण एवं संवितरण	क्रे.	572519	2005-06
51.	6851.102	लघु उद्योग	क्रे.	3074	2006-07
52.	6857.01.190	पी.एस.यू. को ऋण	क्रे.	719220	2006-07
53.	6860.01.800	अन्य ऋण	क्रे.	22	1994-95
54.	7052.02.101	एस.डी.एफ.सी. को ऋण	क्रे.	2941224	2002-03
55.	7053.190	पी.एस.यू. को ऋण	क्रे.	211987	2002-03
56.	7425.800	अन्य ऋण	क्रे.	3074	2005-06
	7601	राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम			
57.	7601.07	कर्नाटक	क्रे.	4805	2006-07
58.	7601.07	केरल	क्रे.	1213	2006-07
59.	7601.07	पंजाब	क्रे.	1412	2006-07
60.	7601.02.101	सिक्किम	क्रे.	1903	2004-05
61.	7605.053	खिरगीस्तान सरकार को ऋण	क्रे.	305	2007-08
62.	7605.054	मंगोलिया सरकार को ऋण	क्रे.	23859	2004-05
63.	7605.058	उज्बेकिस्तान सरकार को ऋण	क्रे.	250311	2007-08
64.	7605.070	सिशली सरकार को ऋण	क्रे.	13858	2005-06
65.	7605.105	तजाकिस्तान सरकार को ऋण	क्रे.	1	2004-05
66.	7610.203	अन्य वाहन क्रय हेतु अग्रिम	क्रे.	34436	2004-05
	विवरणी सं. 16				
67.	8001-00-103	सावधि एवं अवधि जमा	डे.	48	2005-06
68.	8002-00-101	डाक घर प्रमाणपत्र	डे.	1239459	1999-2000
69.	8002-00-103	खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र	डे.	6962	1976-77

परिशिष्ट II -छ

(पैराग्राफ 2.9.2 के संदर्भ में)

के.प्र.क.ब्यू., वि.म., आ.का.वि. तथा स.ले. एवं ले.नि. के प्रधान ले.अ. की लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये
प्रतिकूल शेष

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2008 को शेष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड		
1	7610 203	सरकारी कर्मचारियों को ऋण - अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम डे. 24.70
2	8008-03-103	आय एवं व्यय - राष्ट्रीय लघु बचत योजना - लागत प्रबंधन - अभिकर्ता को अभिकरण कमीशन का भुगतान डे. 5
विदेश मंत्रालय		
3	8443-00.113	विदेशों में क्रय आदि हेतु जमा डे. 193987
4	8443-00.117	लोक निकायों या निजी व्यक्तियों हेतु किये गये कार्य हेतु जमा डे. 303283
आर्थिक कार्य विभाग		
5	7052.02.101	जहाजरानी विकास निधि समिति को ऋण क्रे. 2941224
6	7605.054	खिरगीस्तान क्रे. 305
7	7605.054	मंगोलिया क्रे. 23851
8	7605.058	उज्बेकिस्तान क्रे. 250311
9	7605.070	सिशली क्रे. 13858
10	8013.01.101	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 89 डे. 546987
11	8342.117	सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना डे. 8637
12	8342.120	विविध जमा डे. 918660
13	8449.120	विविध जमा डे. 39670
सहायता, लेखापरीक्षा एवं लेखा नियंत्रक		
14	6002- बाह्य ऋण	आस्ट्रिया डे. 241284
15		कनाडा डे. 558326
16		चेकोस्लोवाकिया डे. 13038
17		डेनमार्क डे. 147845
18		ई.ई.सी. डे. 34 5540
19		फ्रांस डे. 13565958
20		इटली डे. 2182032
21		नीदरलैंड डे. 156219
22		ओपैक डे. 344926
23		साउदी निधि डे. 211152
24		यू.एस.ए.आई.डी. डे. 28199574
25		यू.एस.ए. पी.एल. 480 डे. 10193012

परिशिष्ट - IV -क
(पैराग्राफ 4.8 के संदर्भ में)
संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
1992-93	132794	20586	17619	170999
1993-94	152317	24650	21874	198841
1994-95	177699	19266	23898	220863
1995-96	198302	17544	24810	240656
1996-97	226372	15704	29035	271111
1997-98	277732	20225	35471	333428
1998-99	300456	25200	46594	372250
1999-00	343195	29023	27359	399577
2000-01	342647	25426	27761	395834
2001-02	375582	31295	38614	445491
2002-03	409591	30497	36222	476310
2003-04	440086	35401	31330	506817
2004-05	455571	53654	40108	549333
2005-06	540637	56119	12493	609249
2006-07	658240	59293	10019	727552
2007-08	734861	116937	11777	863575

परिशिष्ट - VI -क
(पैराग्राफ 6.3 के संदर्भ में)
संघ सरकार की कुल देयता

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	बाह्य ऋण		लोक लेखा		कुल देयता	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	सुरक्षित निधि तथा जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर
1976-77	14458	8611	*	7709	2830	33608	*
1977-78	18996	8985	*	9130	3062	40173	*
1978-79	19855	9373	*	10756	3499	43483	*
1979-80	24319	9964	*	12486	3445	50214	*
1980-81	30864	11298	*	13953	3633	59748	*
1981-82	35653	12328	*	16578	3626	68185	*
1982-83	46939	13682	*	19887	4364	84872	*
1983-84	50264	15120	*	23874	6003	95261	*
1984-85	58537	16636	*	29705	8563	113441	*
1985-86	71039	18153	*	36859	11433	137484	*
1986-87	86312	20299	*	44928	15006	166545	*
1987-88	98646	23223	*	54528	19165	195562	*
1988-89	114498	25746	*	68536	20991	229771	*
1989-90	133193	28343	*	87065	19592	268193	*
1990-91	154004	31525	*	107107	21922	314558	*
1991-92	172750	36948	109608	121500	23464	354662	427322
1992-93	199100	42269	120813	136802	23752	401923	480467
1993-94	245712	47345	127798	160355	24556	477968	558421
1994-95	266467	50928	142389	192222	28993	538610	630071
1995-96	307869	51249	148583	213435	33680	606233	703567
1996-97	344475	54239	149077	239042	37919	675675	770513
1997-98	388998	55332	161442	291867	42097	778294	884404
1998-99	459696	57254	177934	333261	41595	891806	1012486
1999-00	714254	58437	186075	172212	47508	992411	1120049
2000-01	803698	65945	190017	186592	58535	1114770	1238842
2001-02	913061	71546	199897	213449	73133	1271189	1399540
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176
2003-04	1141706	46125	184203	241349	92376	1521556	1659634
2004-05	1275971	60877	191271	263048	92989	1692885	1823279
2005-06	1389758	94243	194199	275380	109462	1868843	1968799
2006-07	1544975	102716	201233	307546	131295	2086532	2185049
2007-08	1799651	112031	210104	339815	126787	2378284	2476357

* वर्तमान विनिमय दर उपलब्ध नहीं है

परिशिष्ट - VI -ख
(पैराग्राफ 6.22 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्र-वार

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	ऊर्जा	4710.14
2.	सड़कें	11709.59
3.	सामाजिक	1138.39
4.	शहरी विकास	15619.86
5.	जल संसाधन प्रबंधन	7418.01
6.	नाभिकीय ऊर्जा	4995.43
7.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	7745.84
8.	पर्यावरण एवं वनीकरण	3064.98
9.	अवसंरचना क्षेत्र (सामान्य)	6338.76
10.	अन्य	4024.57
11.	अवसंरचना क्षेत्र (रेलवे)	1045.08
12.	ऊर्जा (गैर परंपरागत)	10.15
13.	संरचना समायोजन/तीव्र संवित.	609.86
14.	स्वास्थ्य	4815.27
15.	उद्योग एवं वित्त	95.32
16.	उर्वरक क्षेत्र	111.48
17.	जल आपूर्ति एवं साफ सफाई	4584.69
	योग	78037.42

परिशिष्ट-VII- क
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)
प्राधिकरण तथा संवितरण

(करोड़ रूपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	360510.63	89997.66	450508.29	429661.03	20847.26
II. पूंजीगत	75302.30	17729.64	93031.94	82244.79	10787.15
III. ऋण एवं अग्रिम	4830.93	2744.15	7575.08	7308.58	267.36
योग	440643.86	110471.45	551115.31	519214.40	31900.91
प्रभारित					
IV. राजस्व	195864.84	16936.81	212801.65	208072.38	4729.27
V. पूंजीगत	4321.75	34.81	4356.56	62.22	4294.34
VI. लोक ऋण	1611645.92	62573.17	1674219.09	1604110.47	70108.62
VII. ऋण एवं अग्रिम	237.80	3134.67	3372.47	6633.99	3261.52*
योग	1812070.31	82679.46	1894749.77	1818879.06	75870.71
कुल योग	2252714.17	193150.91	2445865.08	2338093.46	107771.62
संवितरण की कटौती में वसूलियां			54147.64	53736.64	
कुल निवल प्रावधान			2391717.44		
कुल निवल संवितरण				2284356.82	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	7237.29	54.22	7291.51	7272.55	18.96
II. पूंजीगत	232.22	-	232.22	90.43	141.79
योग	7469.51	54.22	7523.73	7362.98	160.75
प्रभारित					
III. राजस्व	0.10	0.18	0.28	0.11	0.17
IV. पूंजीगत	-	0.17	0.17	0.20	0.03
योग	0.10	0.35	0.45	0.31	0.14
कुल योग	7469.61	54.57	7524.18	7363.29	160.89
संवितरण की कटौती में वसूलियां			293.25	266.32	
कुल निवल प्रावधान			7230.93		
कुल निवल				7096.97	

*आधिक्य

(करोड़ रूपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
ग- रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	57049.19	871.39	57920.58	57619.56	301.02
II. पूंजीगत	41857.60	-	41857.60	37439.90	4417.70
योग	98906.79	871.39	99778.18	95059.46	4718.72
प्रभारित					
III. राजस्व	20.53	1.20	21.73	13.06	8.67
IV. पूंजीगत	64.40	3.85	68.25	21.77	46.48
योग	84.93	5.05	89.98	34.83	55.15
कुल योग	98991.72	876.44	99868.16	95094.29	4773.87
संवितरण की कटौती में वसूलियां			321.50	274.95	
कुल निवल प्रावधान			99546.66		
कुल निवल संवितरण				94819.34	
कुल दत्तमत	547020.16	111397.06	658417.22	621636.84	36780.38
भा.स.नि. प्रभारित	1812155.34	82684.86	1894840.20	1818914.20	75926.00
भा.स.नि. कुल योग	2359175.50	194081.92	2553257.42	2440551.04	112706.38
व्यय की कटौती में कुल वसूली				54277.91	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता				0.86[@]	
वित्त लेखे के अनुसार भा.स.नि. कुल संवितरण				2386273.99	

* आधिक्य

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।

भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

[@] सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा के विनियोग लेखे के अनुसार भा.स.नि. से कुल निवल संवितरण तथा वित्त लेखे के अनुसार भा.स.नि. से कुल संवितरण के बीच 83.00 लाख रु का अन्तर है

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.6 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	20946	11055	98	2	20848	11053
अनुदानों की संख्या	89	68	2	1	-	-
प्रभारित	4729	71141	-	-	4729	71141
विनियोगों की संख्या	37	11	-	1		
ख - डाक						
दत्तमत	18.96	141.79	-	-	18.96	141.79
अनुदानों की संख्या	1	1	-	-	-	-
प्रभारित	0.17	-	-	0.03	0.17	0.03*
विनियोगों की संख्या	1	-	-	1	-	-
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	372.21	4417.70	71.19	-	301.02	4417.70
अनुदानों की संख्या	4	1	1	-		
प्रभारित	8.67	46.48	-	-	8.67	46.48
विनियोगों की संख्या	5	1	-	-		

* आधिक्य

परिशिष्ट-VII- ग
(पैराग्राफ 7.7 के संदर्भ में)
सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत को	प्रभारित को
1.	1996-97	107583	313320	420903	96316	280355	376671	26	74
2.	1997-98	145613	486038	631651	132239	452232	584471	23	77
3.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
4.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
5.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
6.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
7.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
8.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
9.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
10.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590085	19	81
11.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
12.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78

परिशिष्ट-VII-घ

(पैराग्राफ 7.10 के संदर्भ में)

मार्च माह 2008 तथा 2007-08 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	(करोड़ स्मयों में)
							वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
1 - कृषि तथा सहकारिता विभाग							
1.	2425-सहकारिता	80.75	80.75	5.02	6	33.85	42
2.	2435 -अन्य कृषि कार्यक्रम	229.98	228.05	62.99	27	84.67	37
3.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2520.33	2515.57	346.25	14	945.70	38
4.	3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	1.73	1.73	-	-	0.60	35
5.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.70	0.92	0.92	34	0.92	34
2- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग							
6.	6402-मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	96.00	96.00	96.00	100	96.00	100
4- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय							
7.	6851-ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण	1.31	1.31	0.85	65	1.18	90
5 - परमाणु ऊर्जा							
8.	4861-परमाणु ऊर्जा उद्योग	1097.15	1082.69	212.04	19	392.01	36
9.	5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	638.66	624.74	135.74	21	216.96	34
7- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग							
10.	6857-रसायन एवं भेषजीय उद्योगों को ऋण	59.60	59.60	25.17	42	25.17	42
8 - उर्वरक विभाग							
11.	6855-उर्वरक उद्योगों को ऋण	56.68	56.63	33.23	59	33.23	59
9 - नागरिक उद्भयन मंत्रालय							
12.	3053-नागरिक उद्भयन	1136.76	1135.73	736.57	65	954.79	84

							(करोड़ रुपयों में)
क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
13.	5053-उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	90.20	90.00	55.22	61	88.44	98
14.	7053 - नागरिक उड्डयन हेतु ऋण	17.50	17.50	10.90	62	17.50	100
11 - वाणिज्य विभाग							
15.	2407-वृक्षारोपण	375.98	371.15	55.12	15	158.85	42
16.	3453-विदेशी व्यापार नियंत्रण	2523.01	2509.06	678.41	27	1085.74	43
17.	5465-साधारण वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100
12 - औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग							
18.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवा	15.70	14.84	1.97	13	5.51	35
19.	2852-उद्योग	277.51	275.76	93.98	34	148.80	54
20.	2885-उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	675.00	673.99	569.29	84	569.29	84
21.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	42.82	38.21	13.51	32	18.84	44
22.	4875-उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4.90	4.90	98	4.90	98
16-सहकारी कार्य मंत्रालय							
23.	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	69.14	67.39	16.70	24	20.24	29
24.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.26	6.25	5.99	96	5.99	96
17-उपभोक्ता कार्य विभाग							
25.	3456-सिविल आपूर्तियां	58.53	57.88	12.19	21	39.82	68
26.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	16.40	15.24	5.56	34	6.85	42
27.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	39.68	39.79	11.95	30	22.56	57
18-खाद्यान एवं लोक संवितरण विभाग							
28.	2408-खाद्यान भण्डारन एवं माल गोदाम	31997.45	31739.00	6620.55	21	11916.00	37

(करोड़ स्मयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
29.	3456-सिविल आपूर्तियां	17.88	17.86	14.88	83	17.83	100
30.	4408-खाद्यान भण्डारन एवं माल गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	29.16	29.00	11.33	39	11.33	39
19-संस्कृति मंत्रालय							
31.	2205-कला एवं संस्कृति	902.67	836.31	174.59	19	313.12	35
28- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय							
32.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7.17	7.09	1.58	22	2.50	35
33.	2250- अन्य समाजिक सेवाएं	18.50	17.93	7.43	40	8.73	47
34.	2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र	83.25	69.48	21.92	26	32.34	39
35.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1161.75	1161.74	297.75	26	447.93	39
8							
36.	4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	91.00	82.65	22.14	24	40.30	44
37.	6851-ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण	5.13	5.13	1.76	34	1.76	34
29 भू-विज्ञान मंत्रालय							
38.	3403-समुद्रीय विज्ञान अनुसंधान	325.08	326.12	102.46	32	135.99	42
39.	5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.39	2.39	1.74	73	2.39	100
40.	5455-मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	25.75	22.78	7.70	30	10.41	40
30- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय							
41.	3435-परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण	716.02	694.22	172.01	24	248.55	35
31- विदेश मंत्रालय							
42.	2061-विदेशी मामले	2245.19	2183.47	448.01	20	951.23	42
43.	3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	1656.11	1584.78	323.60	20	758.28	46

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ स्मयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
44.	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	165.00	156.75	60.80	37	91.64	56
45.	4216- आवासों पर पूंजीगत परिव्यय	85.00	101.51	65.80	77	76.38	90
32-आर्थिक कार्य विभाग							
46.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	1.74	1.47	1.13	65	1.14	65
47.	3075- अन्य परिवहन सेवाएं	2162.33	2162.33	1098.33	51	1098.33	51
48.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	159.77	157.23	57.67	36	88.87	56
49.	4046- मुद्रा सिक्का ढलाई एवं टक्साल पर पूंजीगत परिव्यय	589.58	589.58	505.61	86	505.61	86
50.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6023.00	6023.00	6023.00	100	6023.00	100
51.	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	15.00	15.00	15.00	100	15.00	100
33-वित्तीय संस्थानों को भुगतान							
52.	2416- कृषि वित्तीय संस्थान	5364.87	5364.87	5341.11	99	5341.11	99
53.	2885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	284.12	284.12	260.28	91	284.12	100
54.	3466- अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	2.91	2.88	-	-	1.83	63
55.	4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	900.00	900.00	600.00	67	700.00	78
56.	7465- सामान्य वित्त एवं व्यापारिक संस्थानों हेतु ऋण	1500.00	1500.00	-	-	1500.00	100
35 - राज्य तथा स.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण							
57.	2075- विविध सामान्य सेवाएं	7540.11	7540.11	2728.48	36	7540.11	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

							(करोड़ रुपयों में)
क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
58.	3602- संघशासित क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	325.00	325.00	101.56	31	142.19	44
38-व्यय विभाग							
59.	2070- प्रशासनिक सेवाएं	9.23	8.94	1.17	13	3.66	40
41-राजस्व विभाग							
60.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6049.36	6049.36	2489.13	41	4473.98	74
61.	3606- सहायता सामग्री एवं उपकरण	1.00	0.92	0.92	92	0.92	92
42-प्रत्यक्ष कर							
62.	2031- सम्पत्ति एवं उपहार करों पर करों का संचयन	130.09	146.47	146.47	113	146.47	113
63.	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	36.80	35.03	35.00	95	35.00	95
64.	4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.03	0.74	0.34	33	0.41	40
43- अप्रत्यक्ष कर							
65.	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	32.25	32.24	32.24	100	32.24	100
44-विनिवेश विभाग							
66.	3451- सचिवालय आर्थिक सेवा	7.57	7.57	4.67	62	5.12	68
45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय							
67.	2405- मतस्य पालन	14.79	14.79	3.42	23	8.42	57
68.	2408- खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम	145.57	145.57	45.40	31	59.09	41
69.	4408- खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	30.00	17.65	-	-	11.74	39

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग							
70.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4946.98	4674.26	990.65	20	1800.26	36
71.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	40.51	40.41	-	-	14.90	37
72.	3606-सहायता, सामग्री एवं उपकरण	153.71	153.71	85.65	56	100.13	65
47- आयुष विभाग							
73.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	509.61	457.60	-	-	178.44	35
48- भारी उद्योग विभाग							
74.	2852-उद्योग	373.68	374.08	360.24	96	360.74	96
75.	4854- सीमेन्ट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5.32	5.32	5.32	100	5.32	100
76.	4858- अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	170.88	170.87	167.77	98	169.27	99
77.	6854- सीमेन्ट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योगों को ऋण	5.33	5.33	5.33	100	5.33	100
78.	6858- अभियांत्रिक उद्योगों को ऋण	332.97	332.39	157.44	47	177.43	53
79.	6860- उपभोक्ता उद्योगों को ऋण	43.71	43.71	8.28	19	14.92	34
50- गृह मंत्रालय							
80.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	70.28	68.98	15.74	22	30.25	43
81.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	31.40	32.86	10.51	33	12.05	38
82.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	3.03	1.04	26	1.85	46
51-मंत्रिमंडल							
83.	2013-मंत्रालय परिषद	189.68	181.59	21.02	11	98.96	52

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	(करोड़ रुपयों में)
							वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
84.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	20.44	16.97	6.92	34	9.56	47
52- पुलिस							
85.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1078.99	1069.97	478.10	44	563.30	52
86.	3602- संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1320.00	1027.00	1027.00	78	1027.00	78
87.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	2885.48	2822.23	1082.54	37	1458.20	51
53-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय							
88.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	16.46	16.77	6.09	37	10.95	67
89.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	51.74	42.57	18.92	37	25.94	50
90.	3053- नागरिक उड़डयन	23.45	23.45	15.12	64	15.92	68
91.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	499.97	515.27	237.61	48	259.77	52
92.	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	0.60	0.52	88	0.53	88
54- संघ शासित क्षेत्र सरकार को अन्तरण							
93.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान	1579.61	1579.61	375.76	24	680.05	43
55- आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय							
94.	2215- जल आपूर्ति एवं साफ-सफाई	70.99	70.97	30.98	44	35.97	51
95.	2216-आवास	19.35	18.24	7.60	39	11.18	58
96.	2217-शहरी विकास	14.00	13.99	3.49	25	6.08	43
97.	6216- आवास हेतु ऋण	5.61	5.33	5.33	95	5.33	95
56- विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग							
98.	2202- सामान्य शिक्षा	25372.33	25341.77	9137.80	36	13496.48	53

(करोड़ स्मियों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
99.	2251- सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	4.33	4.06	1.82	42	2.80	65
57-उच्च-शिक्षा विभाग							
100.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	54.17	54.15	14.27	26	37.78	70
58-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय							
101.	4220 सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	11.64	11.60	9.75	84	9.76	84
59-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय							
102.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	304.29	301.64	62.72	21	241.91	79
103.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3.86	3.43	-	-	3.17	82
104.	6250 अन्य समाजिक सेवाओं हेतु ऋण	750.00	750.00	365.00	49	750.00	100
61-विधि एवं न्याय							
105.	2014- न्याय प्रशासन	89.18	87.86	27.93	31	36.91	41
106.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	112.55	104.24	55.57	49	84.98	76
63-खान मंत्रालय							
107.	2853-अलौह खानि करण तथा धातुकर्मीय उद्योग	902.28	889.60	591.00	66	640.92	71
108.	4853- अलौह खानिकरण तथा धातुकर्मीय उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	53.43	40.19	22.78	43	27.19	51
64-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय							
109.	2225 -अ.जा.,अ.ज. तथा अ.पि.व. का कल्याण	76.16	76.01	14.85	19	71.35	94
110.	2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2.90	2.90	1.12	39	2.90	100
111.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	49.99	49.99	33.66	67	49.99	100

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
112.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	0.65	0.65	0.65	100	0.65	100
65-नई एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा मंत्रालय							
113.	2810-गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत	402.50	400.75	166.51	41	223.69	59
114.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	16.00	14.92	7.83	49	8.07	50
66- अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय							
115.	2052- सचिवालय - सामान्य सेवाएं	12.83	12.42	2.54	20	4.96	39
116.	2061-विदेश कार्य	23.76	22.64	8.96	38	10.77	45
67- पंचायती राज मंत्रालय							
117.	3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	9.20	9.17	-	-	3.25	35
118.	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	82.29	81.82	76.89	93	78.68	96
69-कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय							
119.	2051- लोक सेवा आयोग	25.07	24.34	-	-	8.54	34
120.	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं	48.57	45.51	11.55	24	18.88	39
121.	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	11.01	11.00	9.00	82	9.00	82
122.	4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	3.30	1.60	44	2.84	78
70-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय							
123.	2802- पेट्रोलियम	23376.88	23376.88	9878.60	42	21640.72	93
71-योजना मंत्रालय							
124.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	29.11	29.35	6.17	21	12.40	43
125.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6.37	6.37	6.37	100	6.37	100

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	(करोड़ रुपयों में)
							वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
126.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	3.37	1.99	50	2.71	68
72-ऊर्जा मंत्रालय							
127.	2801- ऊर्जा	4299.86	4298.63	2046.91	48	2245.48	52
78-ग्रामीण विकास विभाग							
128.	2216- आवास	3885.53	3885.46	811.31	21	1848.38	48
129.	2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	1677.06	1677.01	188.08	11	656.89	39
130.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	387.35	384.832	51.67	13	173.64	45
79- भूमि संसाधन विभाग							
131.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1211.81	1214.30	139.63	12	464.44	38
132.	2506- भूमि सुधार	1.49	1.16	1.13	76	1.14	77
133.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	185.22	185.10	90.33	49	167.69	91
134.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	1.00	1.00	0.31	31	1.00	100
80-पेयजल आपूर्ति विभाग							
135.	2215-जल आपूर्ति एवं साफ सफाई	3061.41	3061.05	802.27	26	1658.66	54
136.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4398.60	4397.49	804.93	18	1613.38	37
81-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग							
137.	2553-लो.स. की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1480.00	1470.55	253.05	17	536.05	36
138.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1.00	1.00	1.00	100	1.00	100
139.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	18.09	16.65	16.41	91	16.48	91
84-जहाजरानी विभाग							
140.	2852- उद्योग	194.89	194.90	61.32	31	82.06	42

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
141.	3051- पत्तन एवं लाईट हाउसेज	563.57	567.01	275.42	49	284.86	51
142.	3056-अन्तर्देशीय जल परिवहन	104.36	104.34	26.61	25	60.27	58
143.	3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	2.10	1.15	1.15	55	1.15	55
144.	4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	18.80	16.78	7.78	42	7.78	42
145.	5051-पत्तनों एवं लाईट हाउसेज पर पूंजीगत परिव्यय	212.08	217.27	47.14	22	120.44	57
146.	5052- जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	14.00	14.00	14.00	100	14.00	100
147.	6858-अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	19.50	12.50	-	-	6.83	35
85-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग							
148.	3055- सड़क परिवहन	49.00	47.38	28.08	57	39.06	80
149.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2496.87	2251.77	416.36	17	815.14	33
150.	5054-सड़को, पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	12120.02	12054.70	3512.45	29	4028.68	33
151.	7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण	444.00	444.00	220.40	50	220.40	50
86- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय							
152.	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	486.70	482.21	141.54	29	171.85	36
88-अंतरिक्ष विभाग							
153.	3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	1834.97	1827.44	440.35	24	721.76	39
154.	5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	904.88	904.77	470.24	52	582.24	64
90- इस्पात मंत्रालय							
155.	2852- उद्योग	70.11	70.01	13.59	19	25.73	37

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
91- कपड़ा मंत्रालय							
156.	2851-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	679.69	669.42	-	-	322.02	47
157.	2852- उद्योग	3809.72	3800.11	863.57	23	2436.86	64
158.	6860- उपभोक्ता उद्योगों को ऋण	303.47	330.47	67.27	22	102.58	34
92- पर्यटन मंत्रालय							
159.	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3.94	3.77	1.01	26	1.52	39
160.	3452- पर्यटन	381.76	380.33	116.60	31	221.17	58
93-जनजातीय कार्य मंत्रालय							
161.	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	126.82	126.25	-	-	63.79	50
99-शहरी विकास विभाग							
162.	2215- जल आपूर्ति एवं साफ सफाई	52.50	32.50	14.58	28	17.25	33
163.	2216- आवास	398.53	390.98	72.82	18	132.85	33
164.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	263.36	266.28	82.03	31	128.97	49
165.	6217- शहरी विकास हेतु ऋण	1322.50	1322.50	600.00	45	642.00	49
100- लोक निर्माण कार्य							
166.	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	327.40	306.43	92.30	28	139.73	43
167.	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.52	13.75	5.01	32	6.86	44
101-लेखन सामग्री एवं मुद्रण							
168.	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण	164.38	148.32	129.28	79	141.49	86
169.	2202-सामान्य शिक्षा	6.01	5.61	3.93	65	5.21	87
103-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय							
170.	2236-पोषण	14.75	14.85	4.26	29	5.76	39

(करोड़ र्मयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
171.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	275.82	282.09	69.99	25	91.58	33
172.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान	27.52	26.42	4.85	18	91.58	333
104-युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय							
173.	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	664.76	658.29	173.15	26	218.18	33
174.	2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	9.91	9.49	2.30	23	3.61	36
175.	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1.79	1.42	0.67	37	0.67	37
176.	6202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण	95.21	95.21	50.21	53	50.21	53
रक्षा सेवाएं							
177.	2076- रक्षा सेवाएं - थल सेना	35426.48	35490.87	7413.83	21	10247.21	29
178.	2077- रक्षा सेवाएं - जल सेना	7174.05	7116.88	1165.12	16	2145.62	30
179.	2078- रक्षा सेवाएं - वायु सेना	10728.97	10558.91	2268.81	21	3756.00	35
180.	2080- रक्षा सेवाएं- अनुसंधान एवं विकास संगठन	3226.06	3191.16	591.80	18	1149.42	36
181.	4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	41925.85	37461.67	10100.41	24	19003.84	45

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट-VIII-क
(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)

निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(एक करोड़ रुपये और उससे अधिक)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल				
8- उर्वरक विभाग				
1.	6855.00.190.14- ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लि.	मू. 25.16 पु. (-)1.22	28.43	4.49
18- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग				
2.	6860.04.190.03- चीनी मीलों का आधुनिकीकरण/पुनर्वास	मू. 125.00 पु. -8.65	125.00	8.65
3.	6860.04.190.06- वेगासी आधारित चीनी फ़ैक्टरियों हेतु सहउत्पादन विद्युत परियोजना	मू. 150.00 पु. -8.81	150.00	8.81
29- भू-विज्ञान मंत्रालय				
4.	5455.00.101.01-उपकरण	मू. 4.28	7.94	3.66
30- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय				
5.	2406.02.111.01-राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान पार्क, नई दिल्ली	मू. 6.07 पु. -1.93	6.10	1.96
31-विदेश मंत्रालय				
6.	2061.00.800.07- विशेष प्रतिनिधि मण्डल	मू. 5.80 अ. 16.72	21.30	1.22
7.	3605.00.101.17- आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम	मू. 60.00 पु. -10.00	58.96	8.96
34- ब्याज भुगतान				
8.	2049.01.101-बाजार ऋणों पर ब्याज	मू. 89500.00 अ. 6322.17	96215.40	393.23
9.	2049.01.108-182 दिवसीय खजाना बिल	मू. 503.00 पु. 427.00	935.61	5.61
10.	2049.01.116-14 दिवसीय खजाना बिल	मू. 2100.00 पु. - 260.00	2001.16	161.16
11.	2049.01.125- विशेष केन्द्रीय/राज्य सरकार प्रतिभूतियों के ऋणमोचन पर प्राप्त पुनर्निवेश की राशि के प्रति एन.एस.एस.एफ.को जारी की गई विशेष भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	मू. 6574.54 पु. - 122.18	6534.71	82.35

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ स्मयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
12.	2049.01.200.03- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	मू. 3868.57 अ. 802.69 पु. 907.30	5714.06	135.50
37-विनि.-ऋण का पुनर्भुगतान				
13.	6001.00.106.24- 8% राहत बंधपत्र, 2002	मू. 7691.20 पु. -310.08	8136.92	755.80
42-प्रत्यक्ष कर				
14.	2020.00.102.01- आयकर से स्थांतरित प्रभार	मू. 183.60	206.72	23.12
15.	2031.00.102.01- आयकर से स्थांतरित प्रभार	मू. 121.72	137.05	15.33
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
16.	2211.00.109.10- पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम	मू. 1257.68 पु. - 378.94	934.97	56.23
17.	2211.00.800.15- मिशन फलेक्सिबल पूल	मू. 2682.72 पु. 467.65	3151.64	1.27
18.	4210.03.105.08- डाक्टर आर.एम.एल., चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान का पी.जी. संस्थान, नई दिल्ली	मू. 1.30 अ. 20.00	26.30	5.00
19.	4210.04.101.09- राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरण की भारी खरीद	मू. 22 00	23.97	1.97
50-गृह मंत्रालय				
20.	2070.00.800.03- आसूचना ब्यूरो	मू. 385.76 अ. 0.11 पु. 0.42	406.54	20.25
21.	4059.80.051.24- आसूचना ब्यूरो	मू. 22.06 अ. 0.01 पु. 2.70	27.22	2.45
52- पुलिस				
22.	2055.00.105.01- सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	मू. 3447.53 अ. 11.00 पु. (-)7.61	3475.06	24.14
23.	2055.00.113.05- केन्द्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान	मू. 45.00 पु. 1.90	44.15	1.05
24.	2055.00.119.01-निर्देशन एवं प्रशासन	मू. 1383.62 अ. 14.03 पु. (-)13.42	1397.18	12.95

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ स्मयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
53- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय				
25.	2235.60.107.03-केन्द्रीय सरकार पेंशन	मू. 440.00 अ. 14.72	594.05	139.33
26.	3601.01.146.02-गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दगों के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत तथा पुनर्वास	अ. 106.57 पु. - 51.43	70.55	15.41
59 -श्रम एवं रोजगार मंत्रालय				
27.	4250.00.201.09 अनुसंधान एवं सांख्यिकी श्रम ब्यूरो	मू. 0.17 अ. 0.01 पु. (-)0.01	373.58	356.44
79- भूमि संसाधन विभाग				
28.	2501.05.101.07- एकीकृत जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम	मू. 1088.45 अ. 0.01 पु. 92.76	1185.23	4.00
83- जैव प्रोद्योगिकी विभाग				
29.	3425.60.200.29- अनुसंधान एवं विकास	मू. 216.00 अ. 4.20 पु. 19.08	240.95	1.67
84- जहाजरानी मंत्रालय				
30.	3051.01.108.02- कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हुगली नदी का अनुरक्षण तथा नदी तलमार्जन	मू. 40.00 पु. (-) 5.74	40.00	5.74
31.	5051.02.200.01-अवतरण सुविधाओं तथा जैटीज का निर्माण	मू. 61.36 पु. (-) 38.62	30.46	7.72
रक्षा सेवाएं				
22- रक्षा सेवाएं-थल सेना				
32.	2076.101- थल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. 14136.52 अ. 232.22 पु. 154.30	14855.74	332.70
33.	2076.103- सहायक बल के वेतन भत्ते तथा विविध व्यय	मू. 265.56 पु. 11.43	291.40	14.41
34.	2076.104- गैर सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. 1539.43 पु. 32.23	1604.54	32.88
35.	2076.106- सेना प्रपत्र	मू. 181.30 पु. 15.00	199.78	3.48
36.	2076.111- कार्य	मू. 3340.16 पु. 279.80	3648.24	28.28
37.	2076.112- राष्ट्रीय रायफल	मू. 1449.99 पु. 114.90	1603.25	38.36

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
38.	2076.113-एन.सी.सी.	मू. 410.98 पु. 21.80	495.62	62.84
23- रक्षा सेवाएं-जल सेना				
39.	2077.101- जल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. 994.93 अ. 50.00 पु. 1.00	1074.93	29.00
40.	2077.800- अन्य व्यय	मू. 204.67 अ. 0.01 पु. -3.53	221.29	20.14
24-रक्षा सेवाएं - वायु सेना				
41.	2078.101- वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. 2321.05 अ. 136.00 पु. 1.62	2467.07	8.40
25-रक्षा आयुद्ध कारखाने				
42.	2079.106- नवीकरण तथा प्रतिस्थापन	मू. 300.00 पु. -67.50	237.50	5.00
43.	901 से 904-थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना आदि हेतु वसूलियां कटौती	मू. -6445.06 अ. 193.93 पु. 392.36	-5850.65	8.12
26- रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास				
44.	2080.111- कार्य	मू. 307.08 अ. 4.89 पु. 10.00	325.77	3.80
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
45.	4076.01.101- वायुयान तथा तथा वायु इंजन	मू. 1040.49 पु. 513.78	1560.62	6.35
46.	4076.01.103- अन्य उपकरण	मू. 6616.47 पु. - 555.87	6136.31	75.71
47.	4076.01.202-निर्माण कार्य	मू. 2932.77 पु. - 178.56	2758.16	3.95
48.	4076.02.101- वायुयान तथा तथा वायु इंजन	मू. 1965.57 पु. - 1592.96	410.00	37.39
49.	4076.02.204- नौसेना बेड़ा	मू. 5639.27 पु. 426.09	6162.16	96.80
50.	4076.03.102- भारी एवं मध्यम वाहन	मू. 7.52 पु. 5.61	19.91	6.78
51.	4076.05.111- कार्य	मू. 403.89 पु. 124.86	534.27	5.52
डाक विभाग				
52.	3201.01.101.01-मौजूदा डाकघर	मू. 2520.95	2561.88	40.94

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
53.	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू. 34.95	37.69	2.74
54.	05-कटौती- वे.ले.का.,म.ले. (लेखापरीक्षा) दिल्ली को हस्तांतरित	-	28.03	28.03
55.	3201.07.101.01-अधिवार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	मू. 736.04	764.73	28.69
56.	07.104-सेवा उपदान-	मू. 239.99 पु. (-) 24.34	221.96	6.31
57.	07-107-पारिवारिक पेंशन	मू. 304.65	332.90	28.25
58.	07.108-अवकाश नकदीकरण लाभ	मू. 75.25	93.36	18.11
59.	07.110-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान	मू. 6.98	12.82	5.84
			योग	3244.29

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट-VIII-ख

(पैराग्राफ 8.4 के संदर्भ में)

अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे

(करोड़ स्मर्यों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
सिविल		
राजस्व - दत्तमत		
1.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	155.65
2.	4-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	115.50
3.	6- नाभिकीय ऊर्जा योजना	709.46
4.	11-वाणिज्य मंत्रालय	124.73
5.	14-दूरसंचार विभाग	1033.79
6.	15-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	238.62
7.	18- खाद्य एवं जन वितरण विभाग	495.87
8.	19-संस्कृति मंत्रालय	147.09
9.	20- रक्षा मंत्रालय	252.08
10.	31- विदेश मंत्रालय	164.43
11.	33- वित्तीय संस्थानों हेतु भुगतान	1224.47
12.	35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	1481.30
13.	38-व्यय विभाग	106.97
14.	43- अप्रत्यक्ष कर	113.42
15.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1467.46
16.	47-आयुष विभाग	100.40
17.	48- भारी उद्योग विभाग	477.77
18.	52- पुलिस	285.07
19.	53- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	218.05
20.	56-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2668.29
21.	57-उच्च शिक्षा विभाग	2952.13
22.	61-विधि एवं न्याय	309.78
23.	64-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	304.46
24.	65-नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय	139.67
25.	67-पंचायतीराज मंत्रालय	1082.04
26.	72-ऊर्जा मंत्रालय	576.21
27.	80- पेयजल आपूर्ति विभाग	101.68
28.	81-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	271.06
29.	84-जहाजरानी विभाग	210.92
30.	85-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	335.62
31.	86-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	103.14
32.	88-अन्तरिक्ष विभाग	374.81
33.	89-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	138.76
34.	91-कपड़ा मंत्रालय	147.35
35.	99-शहरी विकास विभाग	118.11
36.	102-जल संसाधन मंत्रालय	102.75

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

37.	103 -महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	257.45
38.	104 -युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय	108.29
राजस्व - प्रभारित		
39.	34 -ब्याज भुगतान	815.53
40.	35 -राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	3748.34
41.	93 -जनजातिय कार्य मंत्रालय	150.53
पूँजीगत - दत्तमत		
42.	5 -परमाणु ऊर्जा	458.65
43.	6 -नाभिकीय ऊर्जा योजना	1241.01
44.	20 -रक्षा मंत्रालय	493.83
45.	29 -भू-विज्ञान मंत्रालय	235.35
46.	31 -विदेश मंत्रालय	113.07
47.	33 -वित्तीय संस्थानों हेतु भुगतान	3710.03
48.	46 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	515.18
49.	48 -भारी उद्योग विभाग	178.56
50.	52 -पुलिस	1788.67
51.	72 -ऊर्जा मंत्रालय	775.28
52.	84 -जहाजरानी विभाग	189.74
53.	85 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	175.79
54.	88 -अन्तरिक्ष विभाग	205.85
पूँजीगत - प्रभारित		
55.	35 -राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को हस्तान्तरित	1000.15
56.	37 -ऋण का पुनर्भुगतान	70,108.62
रक्षा सेवाएं		
राजस्व - दत्तमत		
57.	24 -रक्षा सेवाएं-वायु सेना	169.10
58.	25 -रक्षा आयुध कारखाना	111.31
पूँजीगत - दत्तमत		
59.	27 -रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4417.70
डाक विभाग		
राजस्व - दत्तमत		
60.	13 -डाक विभाग	141.79
सकल योग		109958.73

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 8.5 के संदर्भ में)

अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक निरन्तर अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान बचत
राजस्व (दत्तमत)		
6 -नाभिकीय ऊर्जा योजना	2005-06	104.73
	2006-07	205.83
	2007-08	709.46
18- खाद्य एवं जन वितरण विभाग	2005-06	3299.01
	2006-07	205.13
	2007-08	495.87
33 -वित्तीय संस्थानों हेतु भुगतान	2005-06	1523.18
	2006-07	1687.99
	2007-08	1224.47
35 -राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	2005-06	1106.34
	2006-07	722.37
	2007-08	1481.30
46 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2005-06*	1406.50
	2006-07	2274.91
	2007-08	1467.46
48- भारी उद्योग विभाग	2005-06	1183.7
	2006-07	138.52
	2007-08	477.77
52 -पुलिस	2005-06	117.82
	2006-07	600.93
	2007-08	285.07
56 -स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2005-06	505.92
	2006-07	373.19
	2007-08	2668.29
61 -विधि एवं न्याय	2005-06	217.74
	2006-07	199.72
	2007-08	309.78
65 -नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय	2005-06	276.18
	2006-07	207.85
	2007-08	139.67
81 -विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2005-06	205.09
	2006-07	490.04
	2007-08	271.06
85- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	2005-06	448.17
	2006-07	515.54
	2007-08	335.62

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान बचत
88 -अन्तरिक्ष विभाग	2005-06	435.95
	2006-07	505.09
	2007-08	374.81
89 -सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2005-06	154.41
	2006-07	145.50
	2007-08	138.76
91- कपड़ा मंत्रालय	2005-06	118.28
	2006-07	763.18
	2007-08	147.35
99- शहरी विकास विभाग	2005-06	718.29
	2006-07	197.19
	2007-08	118.11
102- जल संसाधन मंत्रालय	2005-06	112.53
	2006-07	195.08
	2007-08	102.75
राजस्व (प्रभारित)		
35 -राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	2005-06	740.51
	2006-07	1161.69
	2007-08	3748.34
पूंजीगत (दत्तमत)		
5 -परमाणु ऊर्जा विभाग	2005-06	298.17
	2006-07	164.03
	2007-08	458.65
6 -नाभिकीय ऊर्जा योजना	2005-06	1013.46
	2006-07	713.49
	2007-08	1240.53
52 -पुलिस	2005-06	152.81
	2006-07	192.72
	2007-08	1788.67
72-ऊर्जा मंत्रालय	2005-06	1417.13
	2006-07	737.70
	2007-08	775.28
पूंजीगत (प्रभारित)		
35 -राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित	2005-06	350.53
	2006-07	1000.00
	2007-08	1000.15
27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2005-06	2033.97
	2006-07	3653.05
	2007-08	4417.70

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट-VIII-घ

(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया

(करोड़ स्म्यों में)

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	कुल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
सिविल			
राजस्व - दत्तमत			
1.	50 - गृह मंत्रालय	30.62	42.16
2.	53 - गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	218.05	361.05
3.	79 - भूमि संसाधन विभाग	98.16	100.15
4.	103 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	257.45	269.62
पूंजीगत - दत्तमत			
5.	7 - रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	3.23	3.23
6.	18- खाद्य एवं जन संवितरण विभाग	60.38	73.60
7.	53 - गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	18.85	19.45
8.	59 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	@	0.66

@ 1.80 करोड़ रु. का आधिक्य व्यय

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट VIII-ड

(पैराग्राफ 8.10 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे
(केवल एक करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)

(करोड़ स्मर्यों में)

क्र. सं..	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अप्रयुक्त प्रावधान
सिविल					
1.	36-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	7610.00.202.02- अन्य मोटर वाहन के क्रय हेतु अग्रिम	10.65	12.42
2.	38- व्यय विभाग	2052- सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052.00.090.10- व्यय विभाग	1.53	2.73
3.	43- अप्रत्यक्ष कर	2037- सीमा शुल्क	2037.00.101.01-समुद्री सीमा शुल्क-मुख्य पत्तन	1.53	11.53
4.	-वही-	-वही-	2037.00.102.01- समुद्री सीमा शुल्क-मुख्य पत्तन	0.21	0.45
5.	-वही-	2038- संघ उत्पाद शुल्क	2038.00.001.03- अन्य मदे	2.15	5.17
6.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210 -चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.05.105.33- क्षेत्रीय स्नाकोत्तर केन्द्र जवाहार लाल स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पाण्डेचेरी	5.46	6.35
7.	-वही-	-वही-	2210.06.101.08-राष्ट्रीय वायुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	5.53	48.40
8.	50-गृह मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	3601.01.141.02-विदेशियों का पंजीकरण एवं निगरानी	0.46	1.46
9.	-वही-	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070.00.800.13-आप्रवासन ब्यूरो	3.50	4.61
10	61 -विधि एवं न्याय	2014- न्याय प्रशासन	2014.00.104.01- न्याय पालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान	100.00	201.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अप्रयुक्त प्रावधान
11.	85 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601.03.821.02- वी.आ.डी.बी. के अन्तर्गत सड़क कार्य	2.79	3.33
12.	-वही-	5054- सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	5054.01.052.02-मशीनरी एवं उपस्कर	2.90	6.19
13.	86- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601.03.727.01-लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संचयन	13.29	13.30
14.	99-शहरी विकास विभाग	2216- आवास	2216.05.053.04- सम्पदा निदेशालय	1.43	3.01
रक्षा सेवाएं					
15.	24 -रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078.800-अन्य व्यय	1.42	15.59
16.	26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	2080- अनुसंधान एवं विकास	2080.800-अन्य व्यय	3.21	11.74
17.	27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.01.113- एन.सी.सी.	7.00	15.49
18.	-वही-	-वही-	4076.02.102-भारी एवं मध्यम वाहन	1.05	2.45
19.	-वही-	-वही-	4076.02.202- निर्माण कार्य (प्रभारित)	2.00	4.97
20.	-वही-	वही	4076.03.050- भूमि	22.15	23.11
डाक विभाग					
21.	13 -डाक सेवाएं	3201 -डाक सेवाएं	3201.08.102- लेखन सामग्री एवं प्रपत्र मुद्रण, भण्डारण तथा संवितरण	2.73	8.91
22.	-वही-	2552-उ.पु. क्षेत्र का आवंटन	-	22.44	30.98
कुल				430.76	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट VIII-च

(पैराग्राफ 8.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे
(केवल दो करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)

क्र. सं..	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	(करोड़ रुपयों में) पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अप्रयुक्त प्रावधान
सिविल					
1.	8 -उर्वरक विभाग	6855- उर्वरक उद्योगों को ऋण	6855.00.190.14- ब्रह्मपुत्र वैली फोटीलाईजर कारपोरेशन लिमिटेड	1.22	4.49
2.	12 -औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475.00.102.01- महानियंत्रक पेटेंट, रूपांकन तथा ट्रेडमार्क	3.20	3.35
3.	18 -खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग	6860- उपभोक्ता उद्योगों को ऋण	6860.04.190.03- चीनी मिलों का पुनर्वास /आधुनिकीकरण	8.65	8.65
4.	-वही-	-वही-	6860.04.190.06- वेगासी आधारित सह उत्पादन शक्ति परियोजना हेतु चीनी मीलें	8.81	8.81
5.	37 -ऋण का पुर्नभुगतान	6001- केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	6001.00.106.24- 8% राहत बंधपत्र, 2002	310.08	755.80
6.	84 -जहाजरानी मंत्रालय	3051-पत्तन एवं लाईट हाउस	3051.01.108.02- कोलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हुगली नदी का नदी तलमार्जन एवं अनुरक्षण	5.74	5.74
रक्षा सेवाएं					
7.	23 -रक्षा सेवाएं - जल सेना	2077- रक्षा सेवाएं - जल सेना	2077.800- अन्य व्यय	3.53	20.14

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)					
क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अप्रयुक्त प्रावधान
डाक विभाग					
8.	13 -डाक विभाग	3201- डाक सेवाएं	3201.07.110-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु अंशदान	3.02	5.84

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट-VIII - छ
(पैराग्राफ 8.14 के संदर्भ में)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		दत्तमत		पूँजीगत		योग	
		दत्तमत	प्रभारित	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	प्रभारित			
						लोक ऋण	पूँजीगत		ऋण एवं अग्रिम
2001-02	मूल	158814	131178	20389	5215	285150	35	21339	622120
	अनुपूरक	20256	13	3842	9620	40628	1	3334	77694
	प्रतिशतता	13	-	19	184	14	3	16	13
2002-03	मूल	183815	140769	18672	4914	321155	23	26842	696190
	अनुपूरक	18187	12	684	4376	56787	1	1564	81611
	प्रतिशतता	10	-	4	89	18	4	6	12
2003-04	मूल	208340	143833	19634	7086	367079	36	25763	771771
	अनुपूरक	15888	4744	1862	1517	21702	4	1115	46832
	प्रतिशतता	8	3	9	21	6	11	4	6
2004-05	मूल	215854	151300	23148	14669	342119	32	28899	776021
	अनुपूरक	22539	78	599	1744	180366	1	1041	206368
	प्रतिशतता	10	-	3	12	53	3	4	27
2005-06	मूल	260249	164936	25972	6302	601477	53	1179	1060168
	अनुपूरक	34784	612	1101	1643	420204	4	4674	463022
	प्रतिशतता	13	-	4	26	70	8	396	44
2006-07	मूल	310212	176989	33434	5517	1098308	80	5174	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	8800	577	349582	6	702	455450
	प्रतिशतता	29	3	26	10	32	8	14	28
2007-08	मूल	360510	195865	75302	4831	1611646	4322	238	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	17730	2744	62573	35	3134	193151
	प्रतिशतता	20	8	19	36	4	1	93	8

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट VIII-ज

(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
1. कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.108.24- शुष्क भूमि की धारणीयता में वृद्धि/वर्षा पोषित कृषि प्रणाली	200.00	-	200.00	100
2.	2401.00.800.22-कार्ययोजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यीय प्रयासों की अनुपूरकता/पूरकता	15.00	5.73	9.27	62
3.	2401.00.800.23- कृषि उपचार केन्द्र व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना	20.00	5.00	15.00	75
4.	2401.00.800.24- कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण/उन्नयन	29.28	13.62	15.66	53
5.	2401.00.800.35-कृषि हेतु राज्य योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना	4.00	-	4.00	100
6.	2402.00.800.03- कार्ययोजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राजकीय प्रयासों की अनुपूरकता/पूरकता	5.00	-	5.00	100
7.	3601.03.436.10-जूट प्रौद्योगिकी मिशन-उपमिशन-II	6.50	3.13	3.37	52
8.	3601.03.436.11- वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	55.00	-	55.00	100
9.	3602.03.436.03- वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5.00	-	5.00	100
10.	4435.01.800.03- विपणन, बाजार अवसंचना का विकास, ग्रेडिंग एवं विपणन मानकीकरण	2.85	-	2.85	100
11.	6401.00.190.04-भारतीय राज्य फार्म निगम	12.00	-	12.00	100
12.	6402.00.800.01-दामोदर वैली निगम को कर्ज	5.00	-	5.00	100
13.	6552.00.104.01- कार्ययोजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यीय प्रयासों की अनुपूरकता/पूरकता	40.00	-	40.00	100
2 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
14.	2415.01.150.05- कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के उपकर तहत निवल प्राप्तियों को भुगतान	40.00	13.79	26.21	66
15.	2415.01.150.10- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं	270.00	85.70	184.30	68
3 - पशुपालन, डेरी एवं मछली पालन विभाग					
16.	2403.00.101.21-राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र	10.64	1.12	9.52	89
17.	2403.00.101.25- एविअन इनफ्लून्जा की समाप्ति तथा नियंत्रण तत्परता	78.00	35.24	42.76	54

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
18.	2403.00.102.14- पशुधन बीमा हेतु साहयता	30.00	16.17	13.83	46
19.	2405.00.800.12-राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड	90.50	50.00	40.50	45
20.	3601.04.586.01-एकीकृत सुअर पालन विकास हेतु राज्यों को साहयता	4.28	-	4.28	100
21.	3601.04.586.02- छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का एकीकृत विकास	9.02	-	9.02	100
22.	3601.04.588.02- ग्रामीण बैकयार्ड-मुर्गी पालन विकास	14.70	-	14.70	100
23.	4405.00.103.04- भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण	8.00	0.47	7.53	94
4 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय					
24.	2851.00.106.06- नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन	22.50	9.00	13.50	60
25.	2851.00.200.05- आर.ई.जी.पी. का पुनर्संचना	45.00	-	45.00	100
26.	2851.00.200.06- खादी बुनकरों हेतु कार्यशैड सहआवासीय योजना	4.50	-	4.50	100
27.	2851.00.200.07- खादी उद्योग तथा शिल्पकारों की प्रतियोगितात्मकता तथा उत्पादन संवृद्धि हेतु योजना	4.50	-	4.50	100
28.	2851.00.200.08- खादी संस्थानों हेतु विकासशील अवसंरचना हेतु पैकेज तथा जिसमें कमजोर संस्थानों हेतु संधरक्षक निधि शामिल है।	4.50	-	4.50	100
5- नाभिकीय ऊर्जा					
29.	2852.09.202.04-फास्ट रियक्टर सुविधा	70.00	27.84	42.16	60
30.	2852.09.210.01-टी.डी.पी.-एच.डब्ल्यू.बी. (ओ. एवं एम.)	2.00	-	2.00	100
31.	4861.01.204.03-भारी जल संयंत्र, टूतीकोरिम	75.20	18.59	56.61	75
32.	4861.01.208.36- भा.ज.स. प्रचालन में लघु संशोधन	8.60	4.44	4.16	48
33.	4861.01.208.47-डी.ई.एच.पी.ए. संयंत्रों की स्थापना	7.69	4.15	3.54	46
34.	4861.01.208.61- भा.ज.स., मनुगुरु का उत्थान एवं आधुनिकीकरण	10.25	3.35	6.90	67
35.	4861.01.208.62- भा.ज.स., थाल का उत्थान एवं आधुनिकीकरण	3.20	0.55	2.65	83
36.	4861.01.208.63- भा.ज.स., हाजिरा का उत्थान एवं आधुनिकीकरण	2.50	0.40	2.10	84
37.	4861.01.208.64- एच.डब्ल्यू.पी. पर अवसंरचना संवर्धन	10.40	0.09	10.31	99

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
38.	4861.01.208.66-सी.पी.पी., एच.डब्ल्यू.पी., मानूगुरु का संवर्धन	20.00	-	20.00	100
39.	4861.01.208.68- 018 जल उत्पादन संयंत्र की स्थापना	6.00	-	6.00	100
40.	4861.01.208.69-कच्चे माल के उत्पादन हेतु पूर्व परियोजना कार्यकलाप	3.00	-	3.00	100
41.	4861.01.208.70- प्रौद्योगिकी विकास हेतु नाभिकीय ग्रेड सोडियम टैक्सट सुविधा	13.00	-	13.00	100
42.	4861.01.208.71- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सुविधा	2.80	-	2.80	100
43.	4861. 60.103.10- डी.ए.ई.- आई.आर.ई.एल. परियोजनाएं	87.90	-	66.34	75
44.	4861.61.105.11- ट्राम्बे पर थोरियम भण्डारन सुविधा	2.70	-	2.70	100
45.	4861.60.105.12- कलपक्कम पर व्यर्थ प्रबंधन सुविधा हेतु सहायता प्रणाली	4.00	-	4.00	100
46.	4861.60.105.13-ट्राम्बे, तारापुर तथा कलपक्कम पर प्रवाही उपचारी संयंत्र का संवर्धन तथा ठोस व्यर्थ प्रबंधन सुविधाएं	2.00	-	2.00	100
47.	4861.60.105.14- तारापुर की एच.एल.डब्ल्यू प्रबंधन सुविधाओं का संवर्धन	2.00	-	2.00	100
48.	4861.60.105.15- व्यर्थ गतिहीन संयंत्र, ट्राम्बे का संवर्धन	4.00	-	4.00	100
49.	4861.60.201.38- ट्राम्बे, तारापुर तथा कलपक्कम पर एन.आर.जी. सुविधाओं हेतु भौतिक सुरक्षा प्रणाली	3.00	-	3.00	100
50.	4860.60.202.13- जिरकोनियम परिसर, पजायाकयाल	180.00	54.70	125.30	70
51.	4861.60.202.19-टी.ए.पी.एस.हेतु 37 एलीमेंट बण्डलों का सामज्यस्य स्थापित करना	9.80	5.52	4.28	44
52.	4861.60.202.26- एन.एफ.सी, हैदाराबाद स्थित जिरकालोए फ्यूल ट्यूब संयंत्र की क्षमता विस्तार	10.00	4.09	5.91	59
53.	4861.60.203.34- एफ.आर.एफ.आर.पी.-फेस-II	22.76	13.05	9.71	43
54.	4861.60.203.42- एफ.आर.एफ.सी.एफ. के पूर्व परियोजना कार्यकलाप	63.93	20.18	43.75	68
55.	4861.60.203.48 -कलपक्कम परिसर हेतु व्यापक सुरक्षा प्रणाली	2.50	0.37	2.13	85
56.	4861.60.203.52- ट्राम्बे तथा तारापुर स्थित ईंधन संसधान सुविधाओं का उन्नयन	10.00	-	10.00	100
57.	4861.60.203.53- यूरेनाइल नाईट्रेड स्मान्तरण सुविधा (यू.ना.रू.सु.), कलपक्कम	11.00	-	11.00	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
58.	4861.60.203.54- यूरेनाइल नाईट्रेड रूमान्तरण सुविधा (यू.ना.रू.सु.), तारापुर	11.00	-	11.00	100
59.	4861.60.204.01- विकरण एवं समस्थानिक उद्योगिकी बोर्ड	21.99	5.10	16.89	77
60.	5401.00.201.02- अग्रशीर्ष ईंधन चक्र निष्पादन	3.50	0.05	3.45	99
61.	5401.00.201.03- पृष्ठ शीर्ष ईंधन चक्र कार्यक्रम	2.50	-	2.50	100
62.	5401.00.201.04- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण	4.00	0.04	3.96	99
63.	5401.00.201.05- सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम	2.50	0.01	2.49	100
64.	5401.00.201.06- जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	4.50	0.02	4.48	100
65.	5401.00.201.17- उच्च तापमान सामग्री विकास कार्यक्रम	2.10	-	2.10	100
66.	5401.00.201.18- उपकरण उत्पादन प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	3.00	0.08	2.92	97
67.	5401.00.201.25- भौतिक विज्ञान कार्यक्रम	2.00	-	2.00	100
68.	5401.00.201.26- अवसंरचना विकास कार्यक्रम	4.00	0.39	3.61	90
69.	5401.00.201.53- ईंधन भराई प्रणाली हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा पुनः ईंधन भराई हेतु नियंत्रण प्रणालियां।	6.00	0.93	5.07	85
70.	5401.00.201.57- भौतिक अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी विकास	10.00	3.98	6.02	60
71.	5401.00.201.80- विभिन्न लम्बाई मानों, इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तथा विकरण क्षति अध्ययनों में यांत्रिक गुण	4.00	1.49	2.51	63
72.	5401.00.201.84- अतिरिक्त बी.ए.आर.सी. परिसर	43.61	16.00	27.61	63
73.	5401.00.201.90- विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु इन्डस -2 बीम लाइन्स का विकास	9.10	4.16	4.94	54
74.	5401.00.202.46- फास्ट ब्रीडर रियेक्टर हेतु अनुसंधान एवं विकास	8.57	5.05	3.52	41
75.	5401.00.202.47- एफ.बी.टी.आर. परिसर में एस.एन.एम. भण्डारण एवं ईंधन जमावड़े हेतु अवसंरचना प्रदान करना	6.50	0.60	5.90	91
76.	5401.00.206.30- सीकरोट्रोन विकरण, इन्डस-I तथा इन्डस -II, बीम लाइन्स तथा तीन निवेशन उपकरणों का विकास उन्नयन तथा उपयोग	13.59	7.41	6.18	45
77.	5401.00.206.32- आवासीय तथा अवसंरचना विकास फेस-4	6.70	2.80	3.90	58

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
78.	5401.00.206.46- अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों हेतु उच्च शक्ति लेजर	3.98	0.75	3.23	81
79.	5401.00.206.50- अवसंरचना विकास फेस-V	2.50	-	2.50	100
80.	5401.00.400.02- परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र	70.43	24.89	45.54	65
6- नाभिकीय शक्ति योजनाएं					
81.	2801.03.101.08- अन्य स्टेशनों हेतु पी.एच.डब्ल्यू.आर. ईंधन	1239.56	551.60	687.96	56
82.	4801.03.190.02- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	926.00	390.00	536.00	58
83.	6801.00.206.01-भारतीय नाभिकीय शक्ति नगम लिमिटेड को कर्ज	1021.97	373.29	648.68	63
7. रसायन एवं पैट्रोसायन विभाग					
84.	2852.04.800.01- केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	23.76	14.26	9.50	40
85.	2852.05.206.08-राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (रा.भे. मू.प्रा.)	17.41	6.55	10.86	62
86.	2852. 05.206.10-भेषजीय निर्यात उन्नयन योजना	17.55	1.20	16.35	93
8 - उर्वरक विभाग					
87.	2852.03.004.06- मौजूदा एफ.ओ./एल.एस. एच. एस. संयंत्रों से एन.जी./एल.एन.जी. रूमान्तरण हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता	5.00	-	5.00	100
9 -नागरिक उड्डयन मंत्रालय					
88.	5053.80.800.01 - नागरिक उड्डयन सुरक्षा	12.00	0.23	11.77	98
10 -कोयला मंत्रालय					
89.	3451.00.009.04- कोयला मंत्रालय	11.44	6.34	5.10	43
90.	2803.00.004.01 - अन्य योजनाएं	25.54	12.86	9.68	43
91.	2803.00.800.01- क्षेत्रीय अनुसंधान	63.59	34.99	28.60	45
92.	2803.00.800.02-पर्यावरणीय उपाय तथा अवतलन नियंत्रण	31.12	17.99	13.13	42
93.	2803.00.800.04- विस्तृत ड्रीलिंग	104.50	40.00	64.50	62
11 -वाणिज्य विभाग					
94.	2407.01.016.01- चाय बोर्ड	73.00	40.00	33.00	45
95.	2407.01.800.01- चाय बोर्ड	25.00	8.00	17.00	68
96.	3453.00.800.37-संस्थानों को सहायता	13.25	6.25	7.00	53
12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग					
97.	2852.02.600.01-राष्ट्रीय सीमेंट तथा निर्माण सामग्री परिषद	5.00	2.50	2.50	50

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
98.	2852.08.600.01- नमक	35.25	13.71	21.54	61
99.	2852.08.003.06-केन्द्रीय प्रका. एवं कागज अनुसंधान संस्थान	4.00	1.76	2.24	56
100.	2852.80.800.19 - राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगितात्मकता परिषद	8.50	2.01	6.49	76
101.	2852.80.800.24- भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा एशिया संयुक्त उद्यम उपक्रम तथा निवेश उन्नयन कार्यकलाप	9.00	2.65	6.35	71
102.	2885.02.101.02- वृद्धि केन्द्र	5.00	-	5.00	100
103.	3475.00.102.08-बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	30.00	6.56	23.44	78
16 -निगम कार्य मंत्रालय					
104.	3475.00.800.58- राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (रा.क.वि.न्या.)	4.14	0.61	3.52	85
105.	3475.00.800.79-भारतीय निगम कार्य संस्थान (भा.नि.क.सं.)	7.00	-	7.00	100
106.	5475.00.800.09- कर्मचारियों हेतु भूमि/भवन क्रय कार्यालय परिसर का निर्माण/रिहायसी आवास	15.00	6.25	8.75	58
107.	5475.00.800.15-भा.नि.क.सं. हेतु मुख्य कार्य	40.00	-	40.00	100
17-उपभोक्ता कार्य विभाग					
108.	2852.80.101.04- भारत में गोल्ड हालमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना	3.60	1.00	2.60	72
109.	2852.80.101.05- मानकीकरण हेतु राष्ट्रीय प्रणाली	4.50	-	4.50	100
110.	2852.80.101.07- निर्धारण एवं अनुपालना हेतु राष्ट्रीय प्रणाली	2.70	-	2.70	100
111.	2852.80.101.09- एच.आर.डी./क्षमता निर्माण	2.61	0.50	2.11	81
112.	3456.00.001.04 - उपभोक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत परियोजनाएं	13.10	5.38	7.72	59
113.	3456.00.001.06-उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण एच.आर.डी./क्षमता निर्माण	10.81	-	10.81	100
114.	3475.00.107.02- अग्रनीत विपणन कमीशन का सुदृढीकरण	19.50	2.46	17.04	87
115.	3601.01.361.01- उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम हेतु अनुदान	7.00	3.15	3.85	55
116.	3601.03.361.02- भार एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण	10.80	0.09	10.71	99
117.	3601.03.361.03- उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	7.50	1.72	5.78	77
118.	3601.03.361.04-उपभोक्ता साहयता	4.50	1.33	3.17	70

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
119.	3602.03.361.04- भार एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण	2.00	-	2.00	100
120.	5425.00. 600.01- राष्ट्रीय जॉच घर हेतु प्रयोगशाला का निर्माण	18.00	1.65	16.35	91
121.	5475.00.102.12 - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग	4.50	-	4.50	100
122.	7475.00.103.07 - शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी संघों को ऋण	5.00	0.48	4.52	90
18 -खाद्य एवं जन वितरण विभाग					
123.	2408.01.001.02 - अन्य कार्यालय	8.27	0.46	7.81	94
124.	2408.01.102.03 - 1974-75 हेतु कारखाना पूर्व चीनी मूल्य लेवी के पुनर्निधारण दावों के निपटान हेतु देय आर्थिक सहायता	8.00	0.19	7.81	98
125.	2408.01.102.04-चीनी उगाही, चीनी आयत आदि के कारण एफ.सी.आई. तथा अन्यों को चीनी आर्थिक सहायता देय	262.00	67.00	195.00	74
126.	2408.01.800.01- चीनी के बफर भण्डार के अनुसूक्षण हेतु आर्थिक सहायता	335.00	176.55	158.45	47
127.	2408.01.800.02- चीनी संस्थानों के विकास हेतु सहायता अनुदान	3.00	0.28	2.72	91
128.	2408.01.800.06 - चीनी मिलों को निर्यात नौभार पर आन्तरिक परिवहन एवं मालभाड़ा शुल्क तथा अन्य अनुमत्य दावों की प्रतिपूर्ति	150.00	80.32	69.68	46
129.	2408.01.800.08- चीनी उपक्रम, 2007 को वित्तीय सहायता विस्तारित करने हेतु योजना	2.08	-	2.08	100
130.	3601.03.414.01- जन संवितरण योजना सुदृढीकरण से संबंधित योजना	17.15	1.69	15.46	90
131.	6860.04.190.04- गन्ना विकास हेतु चीनी मिले	25.00	5.06	19.94	80
132.	6860.04.190.07 - एन्हाइड्रस एल्कोहल अथवा एल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी मिलें	30.00	8.36	21.64	72
अनुदान सं. 19- संस्कृति मंत्रालय					
133.	2205.00.102.06 -राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली	6.25	3.95	2.30	37
134.	2205.00.106.05- केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहालय	9.50	5.60	3.90	41
135.	2205.00.107.09 - भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	12.90	6.46	6.44	50
136.	4202.04.104.01 - भवन	5.00	0.65	4.35	87
137.	4202.04.106.01 -भवन	16.00	2.47	13.53	85

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
138.	4202.04.107.01 - भवन	21.00	9.66	11.34	54
139.	4202.04.108.01 - भवन	7.00	1.19	5.81	83
अनुदान सं. 28-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय					
140.	2552.00.210.05- शंकर देव नेत्रालय, गुवाहाटी को सहायता	2.00	-	2.00	100
141.	2552.00.210.06- लोकप्रिय गोपीनाथ बोसदोई मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर को सहायता अनुदान	4.00	-	4.00	100
142.	2552.00.800.03- एन.ई.सी. सचिवालय में परियोजना योजना तथा मानीटरिंग कक्ष की स्थापना	3.00	0.56	2.44	81
अनुदान सं. 29-भू-विज्ञान मंत्रालय					
143.	3455.00.800.03- आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	16.00	-	16.00	100
144.	5455.00.800.01-भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र	8.45	-	8.45	100
अनुदान सं. 31- विदेश मंत्रालय					
145.	2061.00.798.02- अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन	21.90	11.36	10.54	48
146.	3605.00.101.14-मेयनमार को आर्थिक सहायता	80.41	17.91	62.50	78
147.	3605.00.101.15- अन्य विकासशील देशों को आर्थिक सहायता	550.68	9.29	541.39	98
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग					
148.	3475.00.800.73-भारतीय एग्जिम बैंक को ब्याज सामानीकरण सहायता	228.00	134.99	93.01	41
149.	3605.00.101.30- विकास सहायता	35.50	-	35.50	100
150.	5475.00.800.12- अवसंरचना विकास हेतु सहायता	100.00	23.00	77.00	77
अनुदान सं. 33 -वित्तीय संस्थानों को भुगतान					
151.	2235.60.800.09- समुदाय आधारित सर्वव्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु लोक क्षेत्र साधारण बीमा कम्पनी को भुगतान	45.00	20.00	25.00	56
152.	2885.01.800.02- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुदान	1300.00	-	1300.00	100
153.	2885.01.800.03 - ऋणों पर ब्याज की दरों में छूट के बदले में आर्थिक सहायता	7.76	0.08	7.68	99
154.	2885.01.800.11 - स्ट्रैस असेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड की प्रतिभूतियों का मोचन (एस.ए.एस.एफ.)	500.00	-	500.00	100
155.	5466.00.207.01-अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (प्रतिभूतियों में) को अंशदान	39.57	-	39.57	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
अनुदान सं. 34-ब्याज भुगतान					
156.	2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों के बायबैंक पर प्रीमियम का भुगतान	2500.00	-	2500.00	100
157.	2049.03.109.02- राष्ट्रीकृत बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	1070.17	517.66	552.51	52
158.	2049.03.111.02- लोक क्षेत्र उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु जमा योजना पर ब्याज	5.00	1.55	3.45	69
159.	2049.05.101.04- प्रकाश-स्तम्भ एवं प्रकाश पोत मूल्यहास रिजर्व निधि	8.00	4.74	3.26	41
160.	2049.60.106.12- तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियों को अभी जारी किया जाना है	400.00	-	400.00	100
161.	2049.60.107.03-भारतीय खाद्य निगम को विशेष प्रतिभूतियों को अभी जारी किया जाना है	505.30	-	505.30	100
अनुदान सं. 35- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु अन्तरण					
162.	3601.01.104.01- सेवाओं तथा विशेष मुश्किलों के उन्नयन हेतु अनुदान	50.00	9.45	40.55	81
163.	3601.01.104.07-शिक्षा क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान	2017.84	1086.57	931.28	46
164.	3601.01.104.08-स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान	1163.69	672.47	491.22	42
165.	3601.02.101.27-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (रा.ई.ग.का.यो.)	500.00	268.36	231.64	46
166.	7601.06.200 - अन्य अर्थोपाय अग्रिम	1000.00	-	1000.00	100
अनुदान सं. 36- सरकारी कर्मचारियों हेतु ऋण आदि					
167.	7610.00.201.01 - मंत्रालय एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	175.00	89.52	85.48	49
168.	7610.00.203-अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	4.75	2.57	2.18	46
169.	7610.00.800- अन्य अग्रिम	2.75	0.58	2.17	79
अनुदान सं. 37- ऋण का पुनर्भुगतान					
170.	6001.00.106.23- 9% राहत बंध पत्र, 1999	94.00	29.83	64.17	68
अनुदान सं. 38- व्यय विभाग					
171.	2070.00.105.02- अन्य आयोग	8.49	4.04	4.45	52
172.	3475.00.800.78- मंत्रालयों/विभागों की योजनागत योजनाओं तथा परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण करना	100.00	-	100.00	100
अनुदान सं. 41-राजस्व विभाग					
173.	2045.00.200.03- अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर	9.90	-	9.90	100
174.	2875.01.108.02- ओपियम की खरीद	80.00	43.88	36.12	45
175.	2875.01.108.05- अन्य व्यय	19.48	9.50	9.98	51

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
176.	3601.01.113.05- वैट संबंधी व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	95.00	-	95.00	100
177.	3602.01.110.01- के.बि.क. के उसी क्रम अवस्था के कारण राजस्व नुकसान हेतु सं.शा.क्षे. को क्षतिपूर्ति	100.00	-	100.00	100
178.	3602.01.110.05- वैट के आरम्भ के कारण राजस्व नुकसान हेतु सं.शा.क्षे. को क्षतिपूर्ति	50.00	-	50.00	100
179.	3602.01.113.05-वैट संबंधी व्यय हेतु सं.शा.क्षे. को अनुदान	5.00	-	5.00	100
अनुदान सं. 42- प्रत्यक्ष कर					
180.	4216.01.111.01 -बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण	7.47	-	7.47	100
अनुदान सं. 43- अप्रत्यक्ष कर					
181.	2038.00.001.05-प्रसारण एवं जनसम्पर्क निदेशालय (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	26.41	8.37	18.04	68
182.	4047.00.037.01- रोकथाम एवं अन्य कार्य	100.00	27.42	72.58	73
183.	4216.01.108.01- बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण	15.00	2.62	12.38	83
अनुदान सं. 45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय					
184.	2405.00.103.06- गहरा सागर मछली पकड़ने का प्रचालन	89.80	14.79	75.01	84
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
185.	2210.01.800.26-निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों पर व्यय का वहन किया जाना	400.00	-	400.00	100
186.	2210.05.105.26- कैंसर अनुसंधान	116.00	52.29	63.71	55
187.	2210.05.105.41 - एम्स सरीखे अति विशेषज्ञता-सह-शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उच्चीकरण	150.00	87.49	62.51	42
188.	2210.06.800.19-तम्बाकू मुक्त पहल कदमी	32.00	13.98	18.02	56
189.	2210.06.800.26- क्षमता निर्माण हेतु सहायता	68.73	38.50	30.23	44
190.	2210.06.800.28- खाद्य एवं दवाओं हेतु क्षमता निर्माण परियोजना-बाह्य सहायता प्राप्त घटक	52.27	8.41	43.86	84
191.	2211.00.003.03 - परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	6.74	1.24	5.50	82
192.	2211.00.003.09- जीवाणुनाशन/रिकोनेलाईजेशन में प्रशिक्षण	2.71	0.02	2.69	99
193.	2211.00.003.19 - पुरुष भागीदारी	3.20	0.90	2.30	72
194.	2211.00.109.03- आर.सी.एक्स में प्रशिक्षण	6.00	2.51	3.49	58
195.	2211.00.109.06-मुख्यालय पर व्यय	10.00	2.98	7.02	70

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
196.	2211.00.109.07 - औषधियों एवं उपकरणों (वैक्सीन आदि को छोड़कर) प्रापण	200.00	21.67	178.33	89
197.	2211.00.109.11- सं.शा.क्षे. में बिना बिधायिका के वैक्सीन इत्यादि की आपूर्ति पर व्यय	4.00	0.65	3.35	84
198.	2211.00.800.09-राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्तर्गत उपाय	11.00	3.17	7.83	71
199.	2211.00.800.12- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग	7.00	1.37	5.63	80
200.	3602.04.246.01 -आरसीएच औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति	178.00	-	178.00	100
201.	3601.04.263.08 -राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायता प्राप्त घटक)	16.00	4.29	11.71	73
202.	3601.04.263.09-राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (साधारण घटक)	4.00	0.90	3.10	78
203.	3601.04.263.69 -एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	32.00	-	32.00	100
204.	3606.00.251.01- राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री सहायता	45.00	-	45.00	100
205.	4210.01.800.07-निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों पर वहन किया जाना व्यय	200.00	-	200.00	100
206.	4210.04.101.13 - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम हेतु सामग्री एवं उपकरणों की थोक खरीद	12.00	-	12.00	100
207.	4211.00.800.05 -परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	2.00	-	2.00	100
अनुदान सं. 47- आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग(आयुष)					
208.	2210.02.101.08- दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल (ए.आई.आई.ए.)	10.00	-	10.00	100
209.	2210.02.200.24- कार्यशाला/सेमीनार/बैठक/प्रदर्शनियां/व्यापार मेले/रोड़-शो आदि सहित आयुष के उन्नयन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता कार्यक्रमों के लिए सहायता	2.00	-	2.00	100
210.	2210.02.200.25- आयुष उद्योग समूहों हेतु सामान्य सुविधाओं का विकास	27.00	-	27.00	100
211.	2210.02.200.26-स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं/दाई कार्य अभ्यास/हड्डी जोड़ने वाले/पशु चिकित्सा देखभाल के पुनरुज्जीवन हेतु गै.स.सं. को वित्त पोषण	5.00	0.54	4.46	89
212.	2210.02.200.27- मौजूदा आयुष अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा केन्द्र/आई.पी.डी. की स्थापना हेतु लोक-निजी साझेदारी हेतु अस्पताल तथा औषधालय योजना में अतिरिक्त घटक	5.00	-	5.00	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
213.	2210.05.103.01- राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बेंगलोर को अनुदान	10.00	5.38	4.62	46
214.	2210.05.200.12- आयुष शिक्षा/औषधी विकास तथा अनुसंधान /चिकित्सिय अनुसंधान/लोक औषधी आदि में लगे गैर सरकारी/निजी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठित आयुष केन्द्रों को सहायता	7.00	3.00	4.00	57
अनुदान सं. 48- भारी उद्योग विभाग					
215.	2852.06.103.28- स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के कार्यान्वयन हेतु लोक क्षेत्र उपक्रमों को बैंक वित्त पोषण पर ब्याज आर्थिक सहायता	24.00	10.49	13.51	56
216.	2852.06.103.30- हि.म.टू.लि. हेतु पुर्नउत्थान पैकेज के भाग के रूप में गारन्टी शुल्क आर्थिक सहायता	4.69	2.14	2.55	54
217.	2852.06.103.42- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का आधुनिकीकरण	20.00	1.13	18.87	94
218.	2852.06.103.50- राष्ट्रीय उपकरण लि. हेतु पुर्नउत्थान पैकेज के भाग के रूप में ऋणों को बट्टे खाते डालना	90.55	-	90.55	100
219.	2852.06.103.51- राष्ट्रीय उपकरण लि. हेतु पुर्नउत्थान पैकेज के भाग के रूप में ब्याज माफ करना	138.08	-	138.08	100
220.	2852.06.103.52- राष्ट्रीय उपकरण लि. हेतु पुर्नउत्थान पैकेज के भाग के रूप में अंश को बट्टे खाते डालना	8.31	-	8.31	100
221.	2852.80.103.01-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के संबंध में व्यय	25.01	5.22	19.79	79
222.	2852.80.103.12- राष्ट्रीय स्वचालित जाँच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना	200.00	-	200.00	100
223.	4854.60.800.02- सा.क्षे.उ. में संयोजन, सुधार एवं प्रतिस्थापन हेतु निवेश	25.00	-	25.00	100
224.	4858.60.190.20- सा.क्षे.उ. के पुनर्निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	98.31	-	98.31	100
225.	6860.05.190.02-हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण	2.50	-	2.50	100
अनुदान सं. 50- गृह मंत्रालय					
226.	3454.01.800.10- अनिवार्य सांख्यिकी प्रणाली में सुधार	21.64	9.58	12.06	56

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
227.	3601.01.106.01 - संसदीय एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान होमगार्डों की तैनाती	2.00	-	2.00	100
228.	4070.00.800.07- गृह मंत्रालय	5.18	0.52	4.66	90
अनुदान सं. 51-मंत्रिमंडल					
229.	2013.00.108.02- राज्य मंत्रालय	26.00	14.98	11.02	42
230.	4055.00.206.01- कार्यालय भवन	3.81	0.94	2.87	75
231.	4055.00.206.03- सामान्य	29.11	16.03	13.08	45
अनुदान सं. 52-पुलिस					
232.	2055.00.203.04- राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा फोरनसिक विज्ञान संस्थान	6.70	3.34	3.36	50
233.	2055.00.104.05-अनुसंधान	150.00	54.40	95.60	64
234.	2055.00.115.09- दिल्ली पुलिस को आधुनिकीकरण हेतु सहायता	122.40	8.89	113.51	93
235.	2055.00.119.12- दिल्ली पुलिस में नई प्रौद्योगिकी की प्रस्तावना	20.00	-	20.00	100
236.	4055.00.213.04- सामान्य	135.00	61.88	73.12	54
237.	4055.00.800.02- केन्द्रीय फोरनसिक विज्ञान प्रयोगशाला	33.72	4.85	28.87	86
238.	4055.00.800.06- अन्य सीमाओं का प्रबंधन (भारत-पाक तथा भारत-बांग्लादेश सीमा के अलावा)	130.11	60.20	69.91	54
239.	4055.00.800.07- भारत-चीन सीमा	50.00	1.73	48.27	97
240.	4055.00.800.08- भारत-म्यानमार सीमा कार्य	2.00	-	2.00	100
241.	4055.00.800.12- संदेहास पद दस्तावेजों के सरकारी निरीक्षक	6.53	1.66	4.87	75
242.	4055.00.800.13-राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	6.43	0.14	6.29	98
243.	4055.00.800.15- अनुसंधान	1850.00	436.00	1414.00	76
244.	4552.129.01- रिहायशी भवन	46.00	-	46.00	100
अनुदान सं. 53 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय					
245.	2235.01.112.04-पाक अधिग्रहित कश्मीर तथा छाम्बनियाबाट क्षेत्र से विस्थापित लोग	2.00	-	2.00	100
246.	2245.80.102.03-भूकम्प, जोखिम प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	4.00	0.74	3.26	81
247.	2245.80.102.04- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	89.62	26.62	62.99	70
248.	2245.80.102.13- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	10.73	3.65	7.08	66
249.	3601.01.112.01- बोडो क्षेत्रीय परिसर सचिवालय हेतु प्रशासनिक अवसंरचना का विकास	10.00	-	10.00	100
250.	3601.01.343.03- मणिपुर	8.80	-	8.80	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
251.	3601.01.343.04-असम	9.99	-	9.99	100
252.	3601.01.347.01- पुर्नवास अनुदान	5.10	-	5.10	100
253.	4250.00.101.03- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	4.70	0.50	4.20	89
254.	4250.00.101.07- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	4.75	-	4.75	100
255.	4250.00.101.05- आपदाओं के मामले में तीव्र हस्तक्षेप हेतु विशेषीकृत क्षमता का निर्माण	10.00	0.10	9.90	99
अनुदान सं. 55-आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन					
256.	2216.02.190.12- शहरी गरीबों के आवास हेतु योजना	30.00	-	30.00	100
257.	2216.80.800.05- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से शहरी गरीब हेतु राष्ट्रीय नीति हेतु सहायता	5.00	1.93	3.07	61
258.	3475.00.108.01- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	8.00	3.08	4.92	61
अनुदान सं. 56- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
259.	2251.00.090.01- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	13.80	4.06	9.74	71
260.	2202.01.107.04-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	9.00	-	9.00	100
261.	2202.01.112.01-खाद्यान्नों की लागत	1653.00	785.21	867.79	52
262.	2202.01.112.02- खाद्यान्नों की गतिविधि की लागत	216.00	107.88	108.12	50
263.	2202.01.112.07- परामर्श/विशेषज्ञ एवं मूल्यांकन/अध्ययन हेतु शुल्क का भुगतान	12.00	0.59	11.41	95
264.	2202.02.110.12-विशेष नवोदय विद्यालय	247.48	-	247.48	100
265.	2202.02.800.37 - विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	28.00	7.00	21.00	75
266.	2202.02.800.39- प्रवेश एवं अंश-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	8.75	0.48	8.27	95
267.	2202.02.800.47- शिक्षा का व्यवसायीकरण	3.00	-	3.00	100
268.	2202.02.800.48- द्वितीय चरण पर व्यापक प्रवेश तथा गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सेस)	2.50	-	2.50	100
269.	2202.04.200.14- प्रौढ़ शिक्षा एवं कुशलता विकास योजना	289.80	148.11	141.69	49
270.	2202.04.800.09-सेमिनार, समितियाँ, बैठक आदि, गैर सरकारी सदस्यों को या.भ./द.भ. पर व्यय।	4.41	2.36	2.05	47
271.	3601.04.173.01- राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना (ओ.एस.सी.)	106.00	-	106.00	100
272.	3601.04.180.01 - शिक्षा का व्यावसायीकरण	14.00	-	14.00	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
273.	3601.04.180.02- द्वितीय चरण पर सार्वभौमिक प्रवेश तथा गुणवत्ता हेतु योजना	1149.10	-	1149.10	100
274.	3602.04.180.02- विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा	4.00	1.27	2.73	68
275.	3602.04.180.05- द्वितीय चरण पर सार्वभौमिक प्रवेश तथा गुणवत्ता हेतु योजना	22.00	-	22.00	100
276.	3602.04.187.01- भोजन पकाने की लागत की पूर्ति हेतु सहायता	44.50	22.36	22.14	50
277.	3602.04.188.01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण	20.00	5.65	14.35	72
अनुदान सं. 57 -उच्चतर शिक्षा विभाग					
278.	2202.03.800.14- श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान	5.00	-	5.00	100
279.	2202.05.102.05- अन्य योजनाएं	26.30	15.10	11.20	43
280.	2202.05.800.02- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	9.72	2.47	7.25	75
281.	2202.80.004.08 - बौद्धिक संपदा शिक्षा अनुसंधान एवं सार्वजनिक पहुंच हेतु योजना	3.90	1.52	2.37	61
282.	2202.80.107.18- महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	12.60	-	12.60	100
283.	2202.80.800.40- आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	451.80	-	451.80	100
284.	2203.00.102.02- भारतीय विज्ञान संस्थान, बँगलोर को अनुदान	283.15	126.00	157.15	56
285.	2203.00.105.04 - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान - सामुदायिक पालिटैक्निक	18.00	1.18	16.82	93
286.	2203.00.105.13-नई पालिटैक्निकों की स्थापना/मौजूदा का उन्नयन	45.00	-	45.00	100
287.	2203.00.112.05-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	1553.70	894.00	659.70	42
288.	2203.00.112.18- योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	22.30	10.00	12.30	55
289.	2203.00.112.19- संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	36.50	8.75	27.75	76
290.	2203.00.112.21- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	46.86	28.00	18.86	40
291.	2203.00.112.22- भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	84.48	49.27	35.21	42
292.	2203.00.112.23- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	23.20	11.20	12.00	52

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
293.	2203.00.112.36- जबलपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	25.00	11.00	14.00	56
294.	2203.00.112.40- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.) (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित)	1126.50	590.41	536.09	48
295.	2203.00.112.41- भारतीय शिक्षा अनुसंधान हेतु विज्ञान संस्थान	125.00	60.00	65.00	52
296.	2203.00.112.42- तीन नई भा.प्रौ.सं. की स्थापना	80.00	-	80.00	100
297.	2203.00.800.15- भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा-गुणवत्ता सुधार परियोजना (ई.ए.पी.)	80.00	27.21	52.79	66
अनुदान सं. 58- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
298.	2220.60.101.02 -विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	84.80	50.90	33.90	40
299.	2220.60.113.01-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र	5.90	-	5.90	100
300.	4220.01.200.01 -गतिशील छवि संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)	5.00	1.01	3.99	80
301.	4220.60.101.03 -प्रेस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र एवं लघु मीडिया केन्द्रों की स्थापना	10.00	0.82	9.18	92
302.	6220.01.190.01 -राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	3.10	-	3.10	100
अनुदान सं. 59- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
303.	3601.04.326.02 -असंगठित क्षेत्र मजदूरों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	5.00	-	5.00	100
अनुदान सं. 61- न्याय एवं विधि					
304.	2014.00.800.09-जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	160.50	-	160.50	100
305.	2014.00.800.13- न्याय का प्रशासन-भारत परियोजना	7.50	-	7.50	100
306.	2015.00.800.01-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर व्यय	175.00	39.37	135.63	78
अनुदान सं. 63- खान मंत्रालय					
307.	2853.02.102.02- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	5.70	3.39	2.31	40
अनुदान सं. 64- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय					
308.	3601.04.378.04 -अल्पसंख्यकों हेतु बहु क्षेत्रीय विकास योजना	108.00	-	108.00	100
309.	3601.04.378.05 -अल्पसंख्यकों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	70.92	-	70.92	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
310.	3601.04.378.06 -अल्पसंख्यकों हेतु मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति	88.65	9.45	79.20	89
अनुदान सं. 65- नई एवं पुर्ननवीकरणीय उर्जा मंत्रालय					
311.	2810.01.004.01- बायोगैस विकास हेतु सहायता	5.00	3.00	2.00	40
312.	2810.01.103.03- बायोमास गैसीफायर हेतु स्टैम्ड अलोन अनुप्रयोग	5.80	3.03	2.77	48
313.	2810.01.103.05- बायोमास सह-उत्पाद एवं दहन	40.00	23.33	16.67	42
314.	2810.01.103.09- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	5.00	0.59	4.41	88
315.	2810.02.101.01- सौर उर्जा केन्द्र	5.75	1.86	3.89	66
316.	2810.02.101.02- अनुसंधान एवं विकास	3.00	0.45	2.55	85
317.	2810.02.101.03-प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी उपयोगिता तथा विपणन विकास	67.90	21.89	46.01	68
318.	2810.02.101.04- सौर निष्क्रिय वास्तुकला	3.00	0.05	2.95	99
319.	2810.02.101.05- क्षेत्रीय तकनीकी सहायता ईकाईयाँ तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00	0.24	1.76	88
320.	2810.02.102.01- अनुसंधान एवं विकास	5.00	0.44	4.56	91
321.	2810.02.102.05-एस.पी.वी.ऊर्जा परियोजना संयोजित ग्रिड	18.00	0.93	17.07	95
322.	2810.03.004.01- वायु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम को सहायता	4.00	0.05	3.95	99
323.	2810.60.600.01-ऊर्जा के रसायनिक स्रोत	6.50	1.84	4.66	72
324.	2810.60.600.02-हाईड्रोजन ऊर्जा	12.50	2.50	10.00	80
325.	2810.60.600.06- सडक परिवहन हेतु वैकल्पिक ईंधन	2.50	0.10	2.40	96
326.	2810.60.600.10-सडक परिवहन हेतु जैव ईंधन	8.00	0.26	7.74	97
327.	2810.60.800.11- राष्ट्रीय पुर्ननवीकरणीय ऊर्जा संस्थान	8.00	3.67	4.33	54
328.	2810.60.800.24- राज्यों को सहायता	3.00	-	3.00	100
329.	2810.60.800.25- राज्यों को सहायता	14.50	-	14.50	100
330.	3601.03.474.01- राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	9.40	4.92	4.48	48
331.	6810.00.190.01-भारतीय पुर्ननवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण	14.00	6.15	7.85	56
अनुदान सं. 66- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय					
332.	4059.60.051.23- प्रवासी भारतीय केन्द्र	5.00	-	5.00	100
333.	4059.60.051.24- पी.जी.ई./पी.ओ.ई. हेतु भवनों का निर्माण/क्रय	5.00	0.34	4.66	93

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
अनुदान सं.69- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय					
334.	2070.00.003.10- यू.एन.डी.पी. परियोजना हेतु लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण	3.00	-	3.00	100
335.	2070.00.003.14- परियोजना मूल्यांकन हेतु क्षमता निर्माण	2.00	-	2.00	100
336.	4059.80.051.05- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी	15.00	3.05	11.95	80
अनुदान सं. 70- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
337.	2802.80.800.05- पेट्रोलियम नियामक बोर्ड	15.01	2.46	12.55	84
अनुदान सं.71- योजना मंत्रालय					
338.	2245.80.102.08- सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम	3.00	0.17	2.83	94
339.	5475.00.800.14- कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण	7.50	3.37	4.13	55
अनुदान सं.72 -ऊर्जा मंत्रालय					
340.	2801.01.001.01- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	61.89	1.11	60.78	98
341.	2801.02.102.02- प्रचालन एवं अनुरक्षण	342.00	170.00	172.00	50
342.	2801.80.003.02-राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान	30.13	10.71	19.42	64
343.	2801.80.798.05- भविष्य उत्पादन परियोजनाएं	10.00	-	10.00	100
344.	2801.80.800.19- ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं हेतु परामर्श प्रभार	217.50	28.10	189.40	87
345.	2801.80.800.23- दिल्ली को छोड़कर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त एसईआरसी की स्थापना	2.82	-	2.82	100
346.	2801.80.800.27-ऊर्जा संरक्षण	15.00	-	15.00	100
347.	2801.80.800.03- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	3.32	0.74	2.58	78
348.	2801.80.800.11- अंश अंतराल वित्तपोषण हेतु योजना	289.49	-	289.45	100
अनुदान सं.78 -ग्रामीण विकास विभाग					
349.	2216.03.800.15- ग्रामीण भवन केन्द्र/नवाचार धारा	3.00	0.28	2.72	91
350.	2501.06.101.07- प्रशिक्षण, सम्मेलन आदि	7.50	4.41	3.09	41
351.	2501.06.101.13-विपणन	78.00	20.00	58.00	74
352.	2505.02.101.03- केन्द्रीय रोजगार आश्वासन परिषद	2.00	-	2.00	100
353.	2515.00.800.23- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं हेतु प्रावधान (गा.श.सु.प्रा.)	9.00	-	9.00	100
अनुदान सं.79- भूमि संसाधन विभाग					
354.	2501.05.101.01-राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	3.00	0.88	2.12	71
355.	2501.05.800.02-जैव-ईंधन योजना	45.00	-	45.00	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
356.	2501.05.800.03- व्यवसायिक सहायता अन्य कार्यकलाप	83.10	28.19	54.91	66
अनुदान सं.80- पेयजल आपूर्ति विभाग					
357.	2215.01.102.06- मानव संसाधन विकास	15.89	0.46	15.43	97
358.	2215.02.105.05- मानीटरिंग एवं मूल्यांकन	10.00	0.47	9.53	95
359.	2215.02.105.12- सूचना, शिक्षा एवं संचार	20.00	10.57	9.43	47
360.	2215.02.105.17- निर्मल ग्राम पुरस्कार	160.00	91.96	68.04	43
361.	3601.04.264.06- मानव संसाधन विकास	29.79	-	29.79	100
362.	3601.04.264.07- सूचना, शिक्षा एवं संचार	17.17	-	17.17	100
363.	3601.04.264.08- प्रबन्धन सूचना प्रणाली एवं कम्प्यूटरीकरण	12.00	7.18	4.82	40
अनुदान सं. 84-जहाजरानी विभाग					
364.	2852.06.102.03- अनुसंधान एवं विकास योजनाओं (पोत निर्माण) हेतु सहायता अनुदान	5.50	1.25	4.25	77
365.	2852.06.102.10- पोत निर्माण आर्थिक सहायता	173.18	162.23	10.95	63
366.	2852.06.102.21- गैर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पोत प्रांगण एवं निजी क्षेत्र पोत प्रांगणों को आर्थिक सहायता	132.00	27.02	104.98	80
367.	3051.80.004.01- अन्य मद (अ. एवं वि. योजना)	17.74	0.05	17.24	97
368.	3052.02.001.01- महानिदेशक जहाजरानी	18.80	11.16	7.64	41
369.	4858.02.190.01- हुगली डॉक तथा पत्तन अभियांत्रिकी लि.	2.01	-	2.01	100
370.	5051.02.200.01-उत्तराव सुविधाओं तथा जैटिज का निर्माण	61.36	30.46	30.90	50
371.	5051.02.200.05- उत्तर सुनामी निर्माण कार्य	105.09	20.20	84.89	81
372.	5052.01.800.01- सर्वेक्षण यान	19.00	-	19.00	100
373.	5052.80.800.09- इ-गवर्नेंस	2.00	-	2.00	100
374.	5052.80.800.10-भारतीय मैरीटाइम विश्वविद्यालय का विकास	40.00	14.00	26.00	65
375.	5057.60.800.07- प्रमुख बंदरगाहों हेतु वैब आधारित इलैक्ट्रॉनिक डेटा इन्टरचेंज का विकास	7.50	-	7.50	100
376.	6858.03.190.03- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	9.00	4.00	5.00	57
377.	7051.01.190.02- पत्तन न्यास को कर्ज	8.00	-	8.00	100
अनुदान सं.85-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
378.	3054.04.337.07- केन्द्रीय सड़क निधि से विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान	6.19	0.50	5.69	92
379.	3602.02.105.01- दिल्ली में सड़कें	44.69	9.50	35.19	79

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
380.	3602.04.105.01- अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें	9.00	1.60	7.40	82
अनुदान सं. 86- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय					
381.	2851.00.102.60-सू.ल.म.उ.मं. समूह तैनाती कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ.मं. वृद्धि छोर	61.20	16.95	44.25	72
382.	2851.00.102.62- एम.डी.ए. कार्यक्रम	4.00	1.39	2.61	65
383.	2851.00.102.63- डाटाबेस का उन्नयन	18.00	5.64	12.36	69
384.	2851.00.800.31- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों का उन्नयन तथा हस्तक	6.75	0.25	6.50	96
अनुदान सं. 87- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
385.	2225.01.277.14 -महिला छात्रावास	8.00	2.01	5.99	75
386.	2225.01.277.18 -अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	16.00	2.17	13.83	86
387.	2225.01.800.27 -सफाई वालों के मोचन एवं पुर्नवास की स्वरोजगार योजना	50.00	25.00	25.00	50
388.	3601.04.341.04 -शिक्षण एवं संबंधित योजनाएं	2.90	-	2.90	100
389.	3601.04.341.08 -मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना	24.80	3.10	21.70	87
अनुदान सं. 88- अंतरिक्ष विभाग					
390.	3402.00.101.30- इसरो राडार विकास ईकाई (आई.एस.आर.ए.डी.)	4.32	2.09	2.23	52
391.	3402.00.101.34- अंतरिक्ष कैपसूल समुत्थान परीक्षण (अं.स.प.)	9.45	4.00	5.45	58
392.	3402.00.10.37 - स्रोत सैट-2	6.00	2.58	3.42	57
393.	3402.00.103.05- अन्य योजनाएं	16.51	7.38	9.13	55
394.	3402.00.103.07-महा-ट्रोपिक्स	8.00	2.96	5.04	63
395.	3402.00.103.10- एस्ट्रोसैट	5.00	0.95	4.05	81
396.	3402.00.103.11- भारतीय चांद मिशन-चन्द्रयान - 1 तथा 2	8.00	2.52	5.48	69
397.	3402.00.103.13- वातावरण अध्ययन हेतु लघु उपगृह	2.00	-	2.00	100
अनुदान सं. 89- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
398.	3601.03.432.03- स्थानीय स्तर विकास हेतु मूल सांख्यिकी	4.43	-	4.43	100
अनुदान सं. 91- कपड़ा मंत्रालय					
399.	2851.00.103.41- एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना	100.00	10.94	89.06	89
400.	2851.00.103.44- नानास्मकृत हथकरघा विकास योजना	11.95	5.97	5.98	50

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
401.	2851.00.104.26- अनुसंधान एवं विकास	5.00	2.03	2.97	59
402.	2852.08.202.16- मूल्य समर्थन के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास का प्रापण	170.00	28.35	141.65	83
403.	2852.08.202.17- ई.एम.डी./बी.जी. को पुष्टीकृत धन राशि के प्रति ए.ई.पी.सी. को सहायता	5.00	1.82	3.18	64
404.	2852.08.202.28- कपास निर्यात	4.00	0.91	3.09	77
405.	2852.08.202.30- मार्का उन्नयन	5.00	-	5.00	100
406.	4851.00.103.12- विपणन तथा निर्यात उन्नयन कार्यक्रम	10.00	1.05	8.95	89
407.	4851.00.104.03- हस्त शिल्प भवन सहित भवन का निर्माण	8.00	2.16	5.84	73
408.	6860.01.190.06- एल्लिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	2.50	-	2.50	100
अनुदान सं. 92- पर्यटन मंत्रालय					
409.	3452.80.003.08- सेवाप्रदाता हेतु क्षमता निर्माण	15.00	7.45	7.55	50
410.	3452.80.800.03- विपणन अनुसंधान	5.00	2.46	2.54	51
411.	5452.01.101.14- वृहद राजस्व उत्पादक परियोजनाओं हेतु सहायता	10.00	4.00	6.00	60
412.	5452.01.102.12- बड़ी राजस्व उत्पादन कर्ता परियोजनाओं को सहायता	40.00	2.21	37.79	94
413.	5452.01.102.13- गुलमर्ग स्थित भारतीय स्कीइंग तथा पर्वतारोहण संस्थान के भवन का निर्माण	7.00	3.00	4.00	57
414.	5452.01.102.18- होटलों के लिए लैंड बैंक	10.00	0.01	9.99	100
अनुदान सं. 93- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
415.	2225.02.277.14- प्रतिष्ठित संस्थानों/उच्च श्रेणी शिक्षा हेतु योजनाएं	10.00	1.05	8.95	90
416.	4225.80.190.13- राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता	35.00	-	35.00	100
अनुदान सं. 99 - शहरी विकास विभाग					
417.	2215.02.191.03-चयनित नगरों में हवाई अड्डे के निकट ठोस कूड़ा निपटान पर अग्रगामी परियोजना	20.00	-	20.00	100
418.	2217.05.191.04- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन	30.00	5.82	24.18	81
419.	2217.05.800.13- एकत्रित वित्त विकास निधि	100.00	5.66	94.34	94
420.	2217.05.800.22- कॉमनवैलथ गेम्स	80.00	76.70	3.30	41
421.	2217.80.001.02- शहरी परिवहन (धरेलू स्रोत) में शहरी परिवहन योजना एवं क्षमता निर्माण	48.00	3.73	44.27	92
422.	2217.80.003.05- यू.एन.डी.पी. से विकेन्द्रीकृत शहरी शासन हेतु क्षमता निर्माण हेतु सहायता	6.00	2.96	3.04	51

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
423.	4216.01.700.06- वित्त (राजस्व)	60.20	32.38	27.82	46
424.	6217.60.191.14- बैंगलोर मॉस रैपिड ट्रान्जिट प्रणाली	30.00	10.00	20.00	67
अनुदान सं. 100 - लोक निर्माण कार्य					
425.	2059.01.799.01- भंडार	60.00	27.59	32.41	54
426.	2059.80.001.13- कम्प्यूटरीकरण योजना	20.00	3.74	16.26	81
427.	4059.01.051.01- भवन	174.00	94.91	79.09	45
428.	4059.80.051.14- खानें	5.00	1.94	3.06	61
429.	4059.80.051.38- वित्त (व्यय)	10.00	-	10.00	100
430.	5052.80.800.01- भवन	5.50	2.88	2.62	48
अनुदान सं. 102 - जल संसाधन मंत्रालय					
431.	2701.80.004.08- जल विज्ञान परियोजना	33.00	6.98	26.02	79
432.	2701.80.800.11- न्जल स्रोत सूचना प्रणाली का विकास	27.85	14.11	13.74	49
433.	2701.80.800.12- अवसंरचना विकास	3.00	0.99	2.01	67
434.	4702.00.102.03- अवसंरचना विकास	4.15	1.27	2.88	69
अनुदान सं. 103- महिला एवं बाल विकास विभाग					
435.	2235.02.102.18- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	55.50	10.32	45.18	81
436.	2235.02.102.29- राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	10.00	5.40	4.60	46
437.	2235.02.102.35-एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	9.50	-	9.50	100
438.	2235.02.102.36- बीमा आच्छादन सहित बालिकाओं हेतु प्रतिबंधित रोकड़ आंतरण योजना	13.50	-	13.50	100
439.	2235.02.103.09- जागरूकता परियोजनाएं	5.40	3.19	2.21	41
440.	2235.02.103.46- स्वयंसिद्धा	20.00	3.53	16.47	82
441.	2235.02.103.52- महिला एवं बच्चों के अवैध व्यापार हेतु विस्तृत योजना	9.00	-	9.00	100
442.	2235.02.103.57- प्रियदर्शनी	10.00	-	10.00	100
443.	2235.02.103.58- जेंडर बजटीकरण	2.70	-	2.70	100
444.	2235.02.800.18- अनुसंधान, प्रकाशन तथा मानीटरिंग	3.15	0.53	2.62	83
445.	2235.02.800.23- विविध योजनाएं	6.31	2.39	3.92	62
446.	3601.04.358.07- एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ए.बा.सु.यो.)	54.00	-	54.00	100
447.	3602.04.358.06- एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ए.बा.सु.यो.)	22.00	-	22.00	100
अनुदान सं. 104 - युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय					
448.	2204.00.001.01- नेहरू युवा केन्द्र संगठन	78.42	31.94	46.48	59

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
449.	2204.00.104.32-विक्लांगों में खेलकूद प्रोत्साहन	5.00	-	5.00	100
450.	2204.00.104.37- प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण संबंधित योजना	8.00	3.00	5.00	63
रक्षा सेवा					
451.	4076.01.050-भूमि	50.15	7.83	42.32	84
452.	4076.01.113- एन.सी.सी.	13.16	4.67	8.49	65
453.	02.202- निर्माण कार्य	3.00	0.03	2.97	99
454.	03.202- निर्माण कार्य	3.85	0.78	3.07	80
455.	2079.004.04.052- मशीनरी एवं उपस्कर	76.34	24.40	51.94	68
456.	05.111- प्रभारित कार्य	6.00	0.38	5.62	94

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2007-08

परिशिष्ट-IX -क
(पैराग्राफ 9.17 के संदर्भ में)
निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान
माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण हेतु योजना				
3601.04.180.01-शिक्षा का व्यवसायिकरण	2005-06	16.50	10.37	6.13
	2006-07	16.50	2.50	14.00
	2007-08*	14.00	शून्य	14.00
* 2007-08 से प्रभावी योजना अनुदान सं. 56 विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तान्तरित				
पहुँच एवं समता योजना				
2202.02.800.39-बिना विधायिका के संघ शासित क्षेत्र को अनुदान-पहुँच एवं समता	2005-06	6.00	3.90	2.10
	2006-07	6.00	3.00	3.00
	2007-08*	8.75	0.48	
3601.04.180.02-द्वितीय चरण पर प्रवेश एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	2005-06	2.10	शून्य	1149.10
	2006-07	2.10	शून्य	2.10
3601.04.172.04-पहुँच एवं समता	2007-08*	1149.10	शून्य	2.10
3602.04.180.05- द्वितीय चरण पर प्रवेश एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	2007-08*	22.00	शून्य	22.00
* 2007-08 से प्रभावी योजना अनुदान सं. 56 विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तान्तरित				
बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान तथा जनविस्तार हेतु योजना				
2202.80.004.08-बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान तथा जनविस्तार हेतु योजना	2005-06	4.50	0.41	4.09
	2006-07	4.50	1.74	2.76
	2007-08	3.90	1.53	2.37
नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना				
2203.00.112.38- नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	2006-07	4.50	शून्य	4.50
	2007-08	0.90	शून्य	0.90
नए योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना				
2203.00.112.39- नए योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना	2006-07	5.00	शून्य	5.00
	2007-08	1.00	शून्य	1.00
भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.सू.प्रौ.सं.) जबलपुर				
2203.00.112.36-भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जबलपुर	2005-06	9.00	6.00	3.00
	2006-07	10.00	8.00	2.00

(करोड़ रूपयों में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान
	2007-08	25.00	11.00	14.00
विक्लांग व्यक्तियों हेतु पॉलिटैक्निक				
2203.00.105.09- विक्लांग व्यक्तियों हेतु पॉलिटैक्निक	2005-06	3.60	3.45	0.15
	2006-07	3.60	1.42	2.18
	2007-08	3.60	2.17	1.43
संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी संस्थान				
2203.00.112.19- संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2005-06	14.70	11.00	3.70
	2006-07	15.00	13.00	2.00
	2007-08	36.50	8.75	27.75
गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-समुदाय पॉलिटैक्निक				
2203.00.105.04- गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम- हेतु अनुदान समुदाय पॉलिटैक्निक	2005-06	27.10	13.09	14.01
	2006-07	25.60	8.91	16.69
	2007-08	18.00	1.18	16.82

परिशिष्ट-IX -ख
(पैराग्राफ 9.19 के संदर्भ में)
शीर्षों के प्रति निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	उप-शीर्ष	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	बचत	
1.	2005-06	2251.00.090.17 उच्च शिक्षा विभाग	मू. 29.18 पु. 0.30		28.91	0.57	
2.		2202.05.001.04 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	मू. 16.26 पु. 0.26		16.20	0.32	
3.		2203.00.800.01 अन्य योजनाएं	मू. 0.26 अ. 0.01 पु. 0.09		0.07	0.29	
4.	2006-07	2251.00.090.17 माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग	मू. 29.81 पु. 0.66		29.30	1.17	
5.		2202.05.001.01 हिन्दी निदेशालय	मू. 5.71 पु. 0.15		5.48	0.38	
6.		2202.05.001.05 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	मू. 4.72 पु. 0.17		4.29	0.60	
7.		2203.00.800.01 अन्य योजनाएं	मू. 0.26 पु. 0.09		0.13	0.22	
8.		2202.80.107.12 विदेशी सरकार/संगठनों द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्तियों के प्रति भारतीय छात्रों का विदेशों में जाना	मू. 0.70 अ. 0.01 पु. 0.04		0.21	0.53	
9.		2007-08	2202.03.800.05 सेमिनारों, समिति बैठकों आदि/गेर- सरकारी सदस्यों को या.भ./दै.भ. पर व्यय	मू. 0.37 अ. 0.0005 पु. 0.03		0.32	0.08
10.			2202.05.001.01 हिन्दी निदेशालय	मू. 5.99 अ. 0.0004 पु. 0.22		5.89	0.32
11.			2202.05.001.04 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	मू. 20.14 पु. 0.91		20.06	0.99
12.	2202.05.001.05 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग		मू. 5.25 अ. 0.01 पु. 0.10		4.98	0.38	
13.	2202.80.001.09 विदेशों में शैक्षिक संस्थान		मू. 4.58 अ. 0.0005 पु. 0.27		3.30	1.55	

परिशिष्ट-IX -ग
(पैराग्राफ 9.20 के संदर्भ में)
अवास्तविक बजटीकरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2005-06						
1.	2202.02.800.33 - विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा - स्वैच्छिक संगठन	13.15	4.94	8.21	62	वर्ष के दौरान नए प्रस्तावों पर विचार न करना
2.	2202.05.103.07 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान	2.25	0.25	2.00	89	पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष के समायोजन के कारण
3.	2202.80.001.10 ऑरोविले प्रबंधन	4.06	2.01	2.05	50	सेलर के निर्माण की धीमी गति के कारण
4.	2203.00.105.04 पॉलिटैक्निक्स: गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान - सामुदायिक पॉलिटैकनिक	27.10	13.09	14.01	52	पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष के समायोजन के कारण
5.	2203.00.105.11 - नए पॉलिटैक्निकों की स्थापना	54.00	-	54.00	100	योजना अभी प्रारम्भिक चरण में थी
6.	2203.00.105.12 - पॉलिटैकनिकों में अवसंरचना विकास कार्यक्रम	13.50	-	13.50	100	योजना अभी प्रारम्भिक चरण में थी
7.	2203.00.112.35 - कांचीपुरम स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, रूमांकन तथा उत्पादन संस्थान	9.00	-	9.00	100	भूमि की गैर उपलब्धता के कारण तथा संस्थान की अभी स्थापना की जानी है
8.	2203.00.800.10 - प्रौद्योगिकी विकास मिशन	3.60	0.22	3.38	94	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण
9.	3601.03.162.02 - संस्कृत शिक्षा	15.10	9.05	6.05	40	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
	का विकास					प्राप्ति के कारण
10.	3601.04.172.03 - विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार	4.75	-	4.75	100	योजना के भाग के स्थानांतरण के कारण
2006-07						
11.	2202.02.800.33 विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा - स्वैच्छिक संगठन	13.15	5.54	7.61	58	राज्य सरकारों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने के निर्णय के कारण
12.	2202.02.800.37 विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	7.50	-	7.50	100	प्रस्तावों की देरी से प्राप्ति के कारण
13.	2203.00.102.03 पूना तथा कोलकाता स्थित शिक्षा अनुसंधान हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान (शि.अ.भा.वि.सं.)	50.00	10.25	39.75	80	संस्थानों के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति
14.	2203.00.105.04 गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान - सामुदायिक पॉलिटिकनीक	25.60	8.91	16.69	65	संस्थानों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता
15.	2203.00.800.10 प्रौद्योगिकी विकास मिशन	4.50	-	4.50	100	संस्थानों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता
16.	3601.01.166.01 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	10.00	-	10.00	100	झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति न करना तथा बिहार राज्य से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति
17.	3601.03.160.01 - नये पॉलिटिकनीकों की स्थापना/मौजूदा के	4.05	-	4.05	100	योजना का पूरा न होना

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
	उन्नयन हेतु सहायता					
18.	3601.03.162.02 - संस्कृत शिक्षा का विकास	14.58	8.22	6.36	44	राज्य सरकार से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति
2007-08						
19.	2202.03.104.01 डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल महाविद्यालय, दिल्ली	1.98	0.48	1.50	76	व्यवहार्य विशेष परियोजना का अनुमोदन न करना
20.	2202.03.800.14 राष्ट्रीय श्री गुरु ग्रंथ साहिब शिक्षा संस्थान	5.00	-	5.00	100	वि.अ.आ.द्वारा वित्त पोषण तथा योजना का समय पर अनुमोदन न करना
21.	2202.05.102.05 अन्य योजनाएं	26.30	15.10	11.20	43	दो योजनाओं के स्थानांतरण के कारण
22.	2202.05.800.02 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	9.72	2.47	7.25	75	योजना के अनुमोदन की अप्राप्ति
23.	2202.80.107.18 महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति	12.60	-	12.60	100	योजना का पूरा न होना
24.	2202.80.800.40 आई.सी.टी.द्वारा शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	451.80	-	451.80	100	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन
25.	2203.00.102.02 भारतीय विज्ञान संस्थान, बँगलोर को अनुदान	283.15	126.00	157.15	56	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन तथा ब्लाक अनुदान योजना के अन्तर्गत कम मैचिंग अनुदान

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
26.	2203.00.105.04 गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम समुदाय पॉलिटिकनिकों हेतु अनुदान	18.00	1.18	16.82	93	योजना को समाप्त करना
27.	2203.00.105.13 वर्तमान पॉलिटिकनिकों के उच्चिकरण/नए पॉलिटिकनिकों की स्थापना	45.00	-	45.00	100	योजना का पूरा न होना
28.	2203.00.112.05 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	1553.70	894.00	659.70	42	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन
29.	2203.00.112.09 भारतीय प्रबंधन संस्थान	144.00	87.70	56.30	39	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन
30.	2203.00.112.21 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	46.86	28.00	18.86	40	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन
31.	2203.00.112.22 भारतीय खान विधालय, धनबाद	84.48	49.27	35.21	42	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन
32.	2203.00.112.23 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	23.20	11.20	12.00	52	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन
33.	2203.00.112.40 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.) (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित)	1126.50	590.41	536.09	48	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अकार्यान्वयन

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
34.	2203.00.112.41 शिक्षा अनुसंधान हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान	125.00	60.00	65.00	52	नए शि.अ.भा. वि.स. की गैर स्थापना
35.	2203.00.112.42 तीन नए भा.प्रौ.सं. की स्थापना	80.00	-	80.00	100	नए भा.प्रौ.सं. की गैर स्थापना
36.	2203.00.800.15 तकनीकी शिक्षा-भारत सरकार की गुणवत्ता सुधार परियोजना (ई.ए.पी.)	80.00	27.21	52.79	66	केन्द्रीयकृत वित्तपोषित संस्थानों को कार्यक्रम आबंटन में कमी
37.	4202.01.190.01 शिक्षा हेतु पुनर्वितीयन निगम की स्थापना	1.00	-	1.00	100	योजना का पूरा न होना

परिशिष्ट-IX -घ

(पैराग्राफ 9.21 के संदर्भ में)

ओ.एस.सी. अनुशांसाओं के कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निधियों का वृहत अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
1.	2202.03.102.10 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय	491.70
2.	2202.80.800.40 आई.सी.टी. द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	451.80
3.	2203.00.003.02 भारतीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (भा.त.शि.प्र.अ.सं.)	6.90
4.	2203.00.102.02 भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर को अनुदान	156.00
5.	2203.00.112.05 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	372.12
6.	2203.00.112.09 भारतीय प्रबंधन संस्थान	61.00
7.	2203.00.112.17 राष्ट्रीय ढलाईखाना एवं भट्टी प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची	8.00
8.	2203.00.112.18 योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	12.00
9.	2203.00.112.19 संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	24.50
10.	2203.00.112.21 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	20.00
11.	2203.00.112.22 भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	34.84
12.	2203.00.112.23 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	12.00
13.	2203.00.112.36 जबलपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	14.00
14.	2203.00.112.40 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.)(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित)	595.00
15.	2552.00.131.02 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि	77.20
16.	2552.00.143.01 भारतीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (भा.त.शि.प्र.अ.सं.)	2.40
17.	2552.00.146.01 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	108.56
18.	2552.00.146.21 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.)(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित)	70.00
	योग	2518.02

परिशिष्ट-IX -ड

(पैराग्राफ 9.25 के संदर्भ में)

1976-77 (लेखाओं के विभागीयकरण की तिथि से) से 2006-07 (31 मार्च, 2008 से देय) के दौरान प्रदत्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे

अनुदान सहायता स्वीकृतिकर्ता मंत्रालय/विभाग का नाम	अनुदान संस्वीकृत करने का वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		उपयोगिता प्रमाणपत्र			
				प्राप्ति		बकाया	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
मा.सं.वि. मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग	1977-78	178	235.75	176	227.75	2	8.00
	1978-79	329	649.03	306	619.77	23	29.26
	1979-80	177	354.76	161	336.44	16	18.32
	1980-81	184	450.53	175	433.33	9	17.20
	1981-82	191	569.18	179	547.08	12	22.10
	1982-83	303	836.26	271	768.61	32	67.65
	1983-84	321	824.94	301	785.63	20	39.31
	1984-85	408	1440.06	393	1411.51	15	28.55
	1985-86	850	27381.22	768	26974.45	82	406.77
	1986-87	467	2518.12	438	2407.55	29	110.57
	1987-88	1211	11803.30	1109	11250.39	102	552.91
	1988-89	1385	21806.25	1304	21413.89	81	392.36
	1989-90	1188	20802.32	1105	20231.09	83	571.23
	1990-91	349	2026.19	337	2014.44	12	11.75
	1991-92	948	55674.34	907	55375.27	41	299.07
	1992-93	1213	43192.44	1167	42763.28	46	429.16
	1993-94	1704	91816.26	1646	91261.69	58	554.57
	1994-95	884	52638.57	867	52516.24	17	122.33
	1995-96	952	96444.93	932	96264.35	20	180.58
	1996-97	1075	183969.54	1054	183697.42	21	272.12
	1997-98	1178	249134.58	1147	248787.31	31	347.27
	1998-99	1165	262789.44	1130	262608.77	35	180.67
	1999-00	1934	356298.75	1841	354916.69	93	1382.06
	2000-01	1676	359792.34	1590	359131.51	86	660.83
	2001-02	1786	407997.96	1688	407220.41	98	777.55
	2002-03	1778	368720.18	1596	367027.60	182	1692.58
2003-04	1901	450355.02	1717	448141.49	184	2213.53	
2004-05	2222	493069.48	2006	490393.01	216	2676.47	
2005-06	1353	553706.49	838	550686.84	515	3019.65	
2006-07	942	647976.15	495	552867.60	447	95108.55	
योग		30252	4765274.38	27644	4653081.41	2608	112192.97

परिशिष्ट-IX -च
(पैराग्राफ 9.26 के संदर्भ में)
बकाया का.टि.

क्र.सं.	प्रतिवेदन संख्या	पैरा संख्या	विषय	स्थिति
1.	2000 का 3 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय-II(2)	प्राथमिक शिक्षा में पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
2.	2000 का 3 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय-II (3)	आई.सी.डी.एस. योजनाएं	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
3.	2001 का 3 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय-II	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (जि.प्रा.शि.का.) की समीक्षा	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
4.	2002 का 3	अध्याय - II निष्पादन लेखापरीखा	अनौपचारिक शिक्षा	संशोधित टिप्पणी प्रक्रियाधीन
5.	2002 का 4	1.2 (अध्याय-1)	नवोदय विद्यालय समिति (समीक्षा)	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
6.	2002 का 4	1.3 (अध्याय-1)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समीक्षा)	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
7.	2003 का 4	2.1	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
8.	2003 का 4	2.2	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कार्यकलाप	का.टि. प्रतीक्षित
9.	2003 का 4	4.1	अग्राह्य लाभार्थियों को अनुदान - जा.मि.इ. विश्वविद्यालय	का.टि. प्रतीक्षित
10.	2004 का 2	6.1	निष्फल व्यय	का.टि. प्रतीक्षित
11.	2004 का 2	6.2	केन्द्रीय सहायता का अधिक जारी करना	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
12.	2004 का 2	6.4	लागत अनुमान की अपर्याप्त जांच के कारण निवेश की निष्क्रियता	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
13.	2005 का 2	10.2	अनियमित वित्तीय सहायता	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
14.	2005 का 4	11.3	घरेलू कार्यालय चलाने पर अनियमित व्यय	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
15.	2005 का 4	11.5	अशुद्ध वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	अन्तिम टिप्पणी मांगी गई
16.	2005 का 4	11.6	बोनस का अनियमित भुगतान	का.टि. प्रतीक्षित
17.	2005 का 4	11.8	ठेकेदार का अनुचित पक्ष	का.टि. प्रतीक्षित
18.	2005 का 4	11.9	निष्फल व्यय (इं.गां.रा.मु.वि.)	अन्तिम टिप्पणी मांगी गई

क्र.सं.	प्रतिवेदन संख्या	पैरा संख्या	विषय	स्थिति
19.	2005 का 4	11.11	निष्फल व्यय	का.टि. प्रक्रियाधीन
20.	2006 का 1	6.10	संवितरण - अंधाधुंध व्यय	का.टि. की अप्राप्ति
21.	2006 का 1	7.4	100 करोड़ रु. या अधिक की बचत	अंतिम टिप्पणी प्रतीक्षित
22.	2006 का 1	7.14	व्यय का अवास्तविक अनुमान	का.टि. की अप्राप्ति
23.	2006 का 3	8.1	अग्रिम वेतन वृद्धि का अनियमित अनुदान	का.टि. प्रतीक्षित
24.	2006 का 3	8.3	वी.एन.आई.टी. नागपुर तथा एम.एन.एन.आई.टी. इलाहाबाद द्वारा सेवा कर की अवसूली के कारण अनियमित भुगतान	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
25.	2006 का 3	8.7	विश्वभारती से संबंधित 'डेडिकेटेड फीडर' पर निष्क्रिय व्यय	अंतिम टिप्पणी प्रतीक्षित
26.	2007 का 1	7.17	व्यय का अवास्तविक अनुमान	का.टि. की अप्राप्ति
27.	2007 का 1	6.10	संवितरण - अंधाधुंध व्यय	का.टि. की अप्राप्ति
28.	2007 का 2	11.1	अप्राप्त मानीटरिंग के कारण निधियों की निष्क्रियता/ अप्रयुक्त अनुदान की अवसूली	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
29.	2007 का 3	6.1	अप्राधिकृत व्यय (ए.एम.यू.)	का.टि. प्रक्रियाधीन
30.	2007 का 3	6.2	अग्रिम वेतन वृद्धि का अनियमित अनुदान (आई.सी.एस.एस. आर.)	का.टि. प्रतीक्षित
31.	2007 का 3	6.3	त्रुटिपूर्ण प्रापण योजना का परिणाम उपकरणों की निष्क्रियता में हुआ (भा.प्रौ.सं., दिल्ली)	का.टि. प्रतीक्षित
32.	2007 का 3	6.4	इसके निवेश पर वार्षिक ब्याजों के विलम्बित दावों के कारण ब्याज की हानि (भा.प्रौ.सं., दिल्ली)	का.टि. प्रतीक्षित
33.	2007 का 3	6.5	कम्प्यूटरीकृत वेतन चिट्ठा लेखांकन प्रणाली में कमियाँ (भा.प्रौ.सं., खड़गपुर)	का.टि. प्रतीक्षित
34.	2007 का 3	6.6	अधिग्रहण प्रक्रिया में विलम्ब के कारण आधिक्य व्यय (एन.सी.ई.आर.टी.)	अंतिम टिप्पणी मांगी गई

क्र.सं.	प्रतिवेदन संख्या	पैरा संख्या	विषय	स्थिति
35.	2007 का 3 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय-I	वी.बी. विश्वविद्यालय कोलकाता की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण	का.टि. प्रतीक्षित
36.	2007 का 13	7.16	अवास्तविक बजट संबंधी अनुमान	का.टि. की अप्राप्ति
37.	2007 का 13	7.4	100 करोड़ रु. या अधिक के बचत पत्र	संशोधित टिप्पणी प्रतीक्षित
38.	2008 की सी.ए.2	6.1	लाइसेंस शुल्क की कम वसूली (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)	का.टि. प्रतीक्षित
39.	2008 की सी.ए.2	6.2	अध्येतावृत्ति अनुदानों की वसूली में विफलता (आई.सी.पी.आर.)	का.टि. प्रतीक्षित
40.	2008 की सी.ए.2	6.3	लापरवाही के कारण हानि (जामिया मिलिया इस्लामिया)	का.टि. प्रतीक्षित
41.	2008 की सी.ए.2	6.4	स्कवैश कोर्ट का अनियमित निर्माण (के.वि.सं.)	का.टि. प्रतीक्षित
42.	2008 की सी.ए.2	6.5	अपव्यय (के.वि.सं.)	का.टि. प्रतीक्षित
43.	2008 की सी.ए.2	6.6	यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान (दिल्ली विश्वविद्यालय)	का.टि. प्रतीक्षित

परिशिष्ट-IX -छ
(पैराग्राफ 9.33 के संदर्भ में)
भारी अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2005-06						
1.	2235.02.102.18 एकीकृत बाल विकास सेवाएं	35.37	12.81	22.56	64	बचत, मूल्यांकन अध्ययन प्रदान न करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समारोह के गैर आयोजन हेतु पुरस्कार प्रदान करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भारत सरकार के अंशदान से बीमा योजना हेतु कम मांगों के कारण थी
2.	2235.02.102.24 विश्व बैंक सहायतार्थ आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम	1.20	0.89	0.31	26	नहीं दिया गया
3.	2235.02.102.30 विश्व बैंक सहायतार्थ आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.00	3.06	1.94	39	बचत राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान से निधियों की कम मांग तथा बिना विधान मंडल के संघ शासित क्षेत्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों हेतु केवल एक प्रशिक्षण का आयोजन करने के कारण थी
4.	2235.02.103.03 कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावासों हेतु	5.98	2.25	3.73	62	बचत, पूर्ण प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति तथा छात्रावासों

क्र.सं	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता					जिनका निर्माण पूर्ण हो चुका था के संबंध में दस्तावेजों की अप्राप्ति के कारण थी
5.	2235.02.103.12 स्वावलंबन	14.00	8.14	5.86	42	बचत, राज्य सरकारों की योजना के हस्तांतरण एवं उ.प्र. एवं अन्य दस्तावेजों की अप्राप्ति के कारण नई परियोजनाओं की संस्वीकृति न होने के कारण थी
6.	2235.02.103.43 स्व-शक्ति परियोजना	5.00	1.96	3.04	61	बचत, परियोजना के पहले पूर्ण होने के कारण थी
7.	2235.02.103.46 स्वयंसिद्ध	2.50	0.53	1.97	79	बचत, बिना विधान मंडल सं.शा.क्षे. से निधियों की कम मांग तथा राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों पर कम व्यय के कारण थी
8.	2235.02.800.23 विविध योजनाएं	0.94	0.51	0.43	46	नहीं दिया गया
9.	3602.04.356.04 स्वयंसिद्ध	0.50	0.13	0.37	74	नहीं दिया गया
2006-07						
10.	2235.02.102.29 बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु आयोग	2.00	1.50	0.50	25	नहीं दिया गया
11.	2235.02.102.30 विश्व बैंक सहायतार्थ आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.00	2.34	1.66	42	बचत, उपयोगिता प्रमाणपत्र की अपेक्षा में पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति आदि के कारण थी

संघ सरकार लेखे 2007-08

क्र. सं	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
12.	2235.02.103.12 स्वावलंबन	1.80	1.21	0.59	33	बचत, उपयोगिता प्रमाणपत्रों आदि जैसे अपूर्ण दस्तावेजों के कारण प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति के कारण थी
13.	2235.02.103.43 स्व-शक्ति परियोजना	2.00	0.09	1.91	96	बचत, लम्बित न्याय निर्णय पर व्यय के वहन न करने के कारण थी
14.	2235.02.103.46 स्वयंसिद्ध	2.50	0.27	2.23	89	बचत, राज्य सरकारों को योजना के स्थानांतरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं अन्य अपेक्षाओं की अप्राप्ति के कारण भी थी
15.	3602.04.356.04 स्वयंसिद्ध	0.50	0.25	0.25	50	नहीं दिया गया
16.	3602.04.358.02 एकीकृत बाल विकास सेवा	32.12	23.55	8.57	27	बचत, पूर्ण प्रस्तावों के कम प्राप्ति के कारण थी
17.	3602.04.358.04 विश्व बैंक सहायतार्थ आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.00	0.44	0.56	56	बचत, पूर्ण प्रस्तावों के अप्राप्ति के कारण थी
18.	3602.04.366.01 बाल कुव्यवस्था का नियंत्रण एवं रोकथाम	2.10	1.29	0.81	39	बचत, पूर्ण प्रस्तावों के कम प्राप्ति के कारण थी
2007-08						
19.	2235.02.102.18 एकीकृत बाल विकास सेवाएं	55.50	10.32	45.18	81	बचत, संबंधित संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों के अप्राप्ति के कारण थी

क्र.सं	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
20.	2235.02.102.26 केन्द्रीय अंगीकरण संसाधन अभिकरण (के.अं.सं.अ.)	3.30	2.02	1.28	39	बचत, संबंधित संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों के अप्राप्ति के कारण थी
21.	2235.02.102.29 राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	10.00	5.40	4.60	46	बचत, आयोग के पूरे सामर्थ्य में कार्य न करने के कारण थी
22.	2235.02.103.01 महिलाओं हेतु शिक्षा का सारांशीकृत पाठ्यक्रम	6.30	3.71	2.59	41	बचत, व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या की अप्राप्ति के कारण थी
23.	2235.02.103.03 कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास	13.48	2.40	11.08	82	बचत, व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या की अप्राप्ति के कारण थी
24.	2235.02.103.09 जागरूकता परियोजना	5.40	3.19	2.21	41	बचत, प्रत्याशित से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण थी
25.	2235.02.103.46 स्वयंसिद्ध	20.00	3.53	16.47	82	बचत, ध्यानसिद्धि चरण I एवं चरण II के अंतर्गत राज्यों/ सं.शा.क्षे. से मांगों की अप्राप्ति के कारण थी
26.	2235.02.800.18 अनुसंधान, प्रकाशन एवं मॉनिटरिंग	3.15	0.53	2.62	83	बचत, व्यवहार्य एवं पूर्ण प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या में अप्राप्ति के कारण थी
27.	2235.02.800.23 विविध योजनाएं	6.31	2.39	3.92	62	बचत, व्यवहार्य एवं पूर्ण प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या में अप्राप्ति के कारण थी
28.	3601.03.358.01 आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत	73.00	54.43	18.57	25	बचत, राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण

संघ सरकार लेखे 2007-08

क्र.सं	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
	अनुदान					थी
29.	3602.04.358.02 एकीकृत बाल विकास सेवाएं	37.30	25.37	11.93	32	बचत, सं.शा.क्षे. सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी
30.	3602.04.366.01 बाल कुव्यवस्था का नियंत्रण एवं रोकथाम	2.10	0.85	1.25	60	बचत, सं.शा.क्षे. सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी

परिशिष्ट-IX -ज
(पैराग्राफ 9.34 के संदर्भ में)
पूर्ण बजट अप्रयुक्त रहा

क्र.सं.	उप-शीर्ष	योजना का नाम	पूर्ण प्रावधान पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित			कारण
			2005-06	2006-07	2007-08	
1	2235.02.102.30	आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-	4.00	राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
2	2235.02.102.35	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ए.बा.सु.यो.)	-	-	9.50	वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले योजना को पूर्ण न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
3	2235.02.102.36	बालिकाओं हेतु बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण	-	-	13.50	वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले योजना को पूर्ण न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
4	2235.02.103.52	महिला एवं बाल अवैध व्यापार संघर्ष हेतु व्यापक योजना	-	0.45	9.00	योजना आरम्भ करने में विलम्ब के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
5	2235.02.103.55	बलात्कार पीड़ितों को सहायता एवं पुनर्वास	-	0.90	0.90	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व योजना को पूरा नहीं करने तथा योजना के अकार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे

संघ सरकार लेखे 2007-08

क्र.सं.	उप-शीर्ष	योजना का नाम	पूर्ण प्रावधान पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित			कारण
			2005-06	2006-07	2007-08	
6	2235.02.103.57	प्रियदर्शनी	-	0.01	10.00	योजना के अनुमोदन की प्राप्ति में विलम्ब के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
7	2235.02.103.58	लिंग बजटीकरण	-	-	2.70	व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण बचतें थीं
8	2235.02.106.02	बाल कुव्यवस्था की रोकथाम एवं नियंत्रण	-	0.20	0.20	वर्ष के दौरान व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण बचतें थीं
9	2235.02.103.37	बालिका समृद्धि योजना	0.01	0.01	-	नहीं दिया गया
10	2235.02.103.52	अवैध व्यापार के पिड़ितों को बचाने हेतु योजना	0.25	0.45	-	नहीं दिया गया
11	2235.02.102.29	राष्ट्रीय बाल आयोग	0.10	-	-	नहीं दिया गया
12	2235.02.103.28	राष्ट्रीय महिला ऋण निधि	0.01	-	-	नहीं दिया गया
13	2236.80.800.05	राष्ट्रीय पोषण मिशन	0.01	-	0.05	नहीं दिया गया
14	3601.04.356.01	कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास	0.01	0.01	0.01	नहीं दिया गया
15	3601.04.358.01	विश्व बैंक सहायतार्थ आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम	-	-	1.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे

संघ सरकार लेखे 2007-08

क्र.सं.	उप-शीर्ष	योजना का नाम	पूर्ण प्रावधान पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित			कारण
			2005-06	2006-07	2007-08	
16	3601.04.358.07	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ए.बा.सु.यो.)	-	-	54.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
17	3601.04.561.01	राष्ट्रीय पोषण आयोग	0.01	0.01	0.02	नहीं दिया गया
18	3601.04.356.03	बालिका समृद्धि योजना	0.01	0.01	-	नहीं दिया गया
19	3602.04.356.01	कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास	0.01	0.01	0.01	नहीं दिया गया
20	3602.04.356.03	बालिका समृद्धि योजना	0.01	0.01	-	नहीं दिया गया
21	3602.04.358.05	विश्व बैंक सहायतार्थ आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम	0.02	-	-	नहीं दिया गया
22	3602.04.356.04	स्वयंसिद्धा	-	-	1.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
23	3602.04.358.06	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ए.बा.सु.यो.)	-	-	22.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
24	3602.04.561.01	राष्ट्रीय पोषण मिशन	0.01	0.01	0.02	नहीं दिया गया

परिशिष्ट-IX -अ
(पैराग्राफ 9.38 के संदर्भ में)
निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण	टिप्पणी
1	2235.02.102.18- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	2005-06	35.37	12.81	22.56 (64)	बचत, मूल्यांकन अध्ययन प्रदान न करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समारोह के गैर आयोजन हेतु पुरस्कार प्रदान करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भारत सरकार के अंशदान से बीमा योजना हेतु कम मांगों के कारण थी	मंत्रालय के बजट 2006-07 के निष्कर्ष से उजागर हुआ कि सभी राज्यों में परिचालन किये जाने वाले 6026 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के लक्ष्य के विपरीत 5829 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं परिचालन की गई थीं तथा 9.08 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के लक्ष्य के विपरीत केवल 8.45 लाख परिचालन किए गए थे
		2006-07	20.77	19.38	1.39 (7)	बचत, अपूर्ण प्रस्ताव और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दिए गए पुरस्कारों की कम संख्या के कारण थी	
		2007-08	55.50	10.32	45.18 (81)	बचत, संबंधित संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी	
	3602.04.358.02- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	2006-07	32.12	23.55	8.57 (27)	बचत, पूर्ण प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति के कारण थी	

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण	टिप्पणी
		2007-08	37.30	25.37	11.93 (32)	बचत, राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी	
2.	2235.02.103.46-स्वयंसिद्ध	2005-06	2.50	0.54	1.96 (78)	बचत, विधान मंडल के बिना सं.शा.क्षे. से निधियों की कम मांग तथा राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों पर कम व्यय के कारण थी	इस योजना के बजट 2006-08 के भी निष्कर्ष से प्रकट होता है कि प्रत्येक वर्ष 650 के लक्ष्य के विपरीत 566 तथा 579 खंड समितियाँ स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत 11.37 लाख लाभार्थियों के विस्तार के लक्ष्य के विपरीत 2006-07 के दौरान केवल 10.02 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया था
		2006-07	2.50	0.27	2.23 (89)	बचत, राज्य सरकारों की योजनाओं के हस्तांतरण करने तथा उ.प्र. की अप्राप्ति के कारण तथा अन्य आवश्यकताओं के कारण थी	
		2007-08	20.00	3.53	16.47 (82)	बचत, स्वयंसिद्ध चरण I तथा स्वयंसिद्ध चरण II के अंतर्गत राज्यों/ सं.शा.क्षे. से मांगों की अप्राप्ति के कारण थी	
	3602.04.356.04-स्वयंसिद्ध	2005-06	0.50	0.13	0.37 (74)	नहीं दिया गया	
2006-07		0.50	0.25	0.25 (50)	नहीं दिया गया		

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण	टिप्पणी
		2007-08	1.00	शून्य	1.00 (100)		
3.	2235.02.103.03 - कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास	2005-06	5.98	2.25	3.73 (62)	बचत, पूर्ण प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति तथा छात्रावासों के संबंध में दस्तावेजों की अप्राप्ति जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ था, के कारण थी	मंत्रालय के बजट के निष्कर्ष से प्रकट होता है कि 2007-08 के दौरान 8 छात्रावासों के लक्ष्य के विपरीत केवल 2 छात्रावासों की संस्वीकृति थी, 800 कार्यरत महिलाओं के लक्ष्य के विपरीत केवल 208
		2006-07	4.48	4.40	0.08 (2)	नहीं दिया गया	महिलायें लाभान्वित हुईं। Xवीं योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यर्थ होना भी देखा गया था यद्यपि 12500 महिलाओं को लाभान्वित करने में 125 छात्रावासों के निर्माण के लक्ष्य के विपरीत, केवल 6976 महिलाओं को लाभान्वित करने में 111 छात्रावासों का निर्माण किया गया था
		2007-08	13.48	2.40	11.08 (82)	बचत, व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्त संख्या की अप्राप्ति के कारण थी। बचत योजना को नवीकरण नहीं करने के कारण थी।	

परिशिष्ट-IX-अ

(पैराग्राफ 9.41 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

सितम्बर 2008 तक प्रभागवार विचाराधीन उपयोग प्रमाणपत्रों का विवरण

क्र.सं.	प्रभाग	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	कुल अनुदान (लाख रु. में)
1	बाल सुरक्षा	22	129.21
2	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड	4	227.46
3	राष्ट्रीय महिला कोष	4	48.71
4	अनुसंधान	233	218.73
5	आई.सी.डी.एस.	75	3852.86
6	किशोरी शक्ति योजना	1	20.61
7	सी.ए.आर.ए.	15	57.48
8	सी.आर.ई.सी.एच.ई.	1078	1201.15
9	सी.डब्ल्यू.-I	96	1005.60
10	सी.डब्ल्यू.-II	4	18.37
11	एन.आई.पी.सी.सी.डी.	1	3.02
12	आई.एम.वाई.	2	184.46
13	एस.टी.ई.पी.	619	9713.33
14	स्वाधर	144	630.14
15	स्व-शक्ति परियोजना	12	1344.39
16	स्वावलंबन	26	85.31
17	स्वयंसिद्धा	20	284.44
18	डब्ल्यू.डी.	2770	6925.33
19	डब्ल्यू.एच.	26	440.93
20	डब्ल्यू.डब्ल्यू.	453	4079.98
	कुल	5605	30471.51

शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल** : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थायी अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल** : जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग** : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे** : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम** : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
- विनियोग विधेयक** : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

- पूँजीगत व्यय** : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूँजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूँजीगत प्राप्तियां** : पूँजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग** : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)** : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूँजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि** : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।
- ऋण सेवा** : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
- अनुदानों की मांग** : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- : जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।

- अधिक अनुदान** : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत्त) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण** : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ.** : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ.** : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण** : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे "भारत में लिया गया ऋण" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3** : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष** : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष** : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होते हैं।
- नई सेवा** : का अभिप्राय नई नीति निर्णय जो पूर्व में संसद के संज्ञान में न लाया गया हो, से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है, जिसमें एक नई गतिविधि या एक नए निवेश का तरीका शामिल है।
- सेवा का नया साधन** : वर्तमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक वृहत व्यय।

- मूल अनुदान** : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घाटा** : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा** : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न 'ऋण' से संबंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रणीत किए जाते हैं।
- लोक ऋण (भारत का)** : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन** : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन** : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दायों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय** : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां** : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक** : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।

- अनुपूरक अनुदान** : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेगी।
- अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण** : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में अव्ययित प्रावधानों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
- टैप खजाना बिल** : 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
- खजाना बिल** : खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्ज को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।
- अव्ययित प्रावधान** : जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब अव्ययित प्रावधान होते हैं।
- दत्तमत्त अनुदान** : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

